राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] चतुर्थ विधान सभा के तृतीय सत्र का 20वां दिवस [सख्या 16

शनिवार, दिनांक 14 सितम्बर, 1968

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.5 को विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(गृह, चिकित्सा, राजस्व, यातायात, सार्वजनिक निर्माण, पंचायत, कृषि, खादी ग्रामोद्योग, सहकारिता, श्रम विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

जीप दुर्घटना में मृत्यु

416. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी-सु.), **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई), **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर), **श्री डूंगाराम राजोरिया** (दौसा-सु०), **श्री कन्हैयालाल** (बस्सी-सु)०, **श्री चुन्नीलाल जेलिया** (खण्डार-सु०) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सच है कि स्वर्गीय श्री विजयसिंह जी रावत, भूतपूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा, की मृत्यु दिनांक 8-7-68 को जयपुर से 17 मील अजमेर रोड पर हुई थी? यदि हां, तो किस प्रकार और किन कारणों से?

(2) क्या यह भी सच है कि उनके शव को उसी जगह पड़ा छोड़कर पुलिस अन्य व्यक्तियों को लेकर जयपुर आ गई? यदि हां, तो पुलिस को ये कैसे ज्ञात हुआ कि उनकी मृत्यु हो चुकी है? क्या यह आवश्यक नहीं था कि उनके पास किसी आदमी को देखरेख के लिये रखा जाता या तुरन्त उनको भी अस्पताल पहुंचाया जाता?

(3) क्या यह भी सच है कि उस जीप दुर्घटना में जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन सबके सिर में एक सी चोट थी? यदि हां, तो अलग अलग केस की डाक्टरी रिपोर्ट की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सच है कि उस दुर्घटना में बचे हुए व्यक्तियों के पुलिस ने बयान लिये हैं? यदि हां, तो इसकी प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) इस दुर्घटना की जानकारी सबसे पहले किसको हुई और उसने किस किस को जानकारी दी?

Page No. 2

(श्री चुन्नीलाल जेलिया आदि)

(6) क्या यह भी सही है कि दुर्घटना ग्रस्त जीप स्टार्ट करके पास के पुलिस स्टेशन पर लाई गई थी ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां, श्री विजयसिंह रावत दिनांक 8-7-68 को जीप नं० आर०जे०जेड० 2398 में जयपुर से अजमेर सफर कर रहे थे। उक्त जीप को श्री रॉबर्ट फिनेन चला रहे थे। श्री रावत के साथ श्री एल० के० चीमा, श्रीमती चीमा व श्री ओमप्रकाश, पुत्र भी जीप में सफर कर रहे थे। हल्की बरसात हो रही थी। जीप कच्चे में उतरी, और तेज रफतार में थी, ब्रेक खराब थे, अचानक ब्रेक लगाये जाने से जीप उलटना पाया जाता है। इसमें बैठे सभी व्यक्तियों के चोटें आई थीं। दुर्घटना जयपुर से 15 मील 7 फर्लांग की दूरी पर हुई थी। श्री रावत की तत्काल ही घटनास्थल पर मृत्यु हो गई।

(2) यह सही नहीं है। वास्तविकता यह है कि श्री चान्दसिंह जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में अण्डरट्रेनिंग थे, किशनगढ से जयपुर आ रहे थे, घटनास्थल से गुजरे। घटनास्थल पर एक बस आर० जे० एल० 4454 व सवारियों को एकत्रित देखकर रुक गये, मौके पर एक जीप उलटी हुई, एक व्यक्ति मरा हुआ और अन्य को घायल अवस्था में पाया। यात्रियों में से कोई घायलों को जयपुर ले जाने या वहां ठहरने को तैयार न होने से वे स्वयं चारों घायलों को बस में लेकर जयपुर रवाना हुए। पंचायतनामे की कार्यवाही होना जरूरी था इसलिए शव को घटनास्थल से हटाना मुमकिन नहीं था। चौकी भाखरोटा में श्री चान्दसिंह ने श्री मोहनसिंह, ए० एस० आई० को दुर्घटना की सूचना दी। इस पर रात को 10 बजे स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने पंचायतनामे की कार्यवाही तकमील करके लाश को एक टेम्पू में रखकर एस० एम० एस० हॉस्पिटल जयपुर में पहुंचा दिया।

(3) तीनों मृतकों को सिर व अन्य अंगों पर चोटें आई थीं। अलग अलग केस की डाक्टरी रिपोर्ट की प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

(4) जी हां, प्रतियां सदन की मेज पर रखदी गई हैं।

(5) इस दुर्घटना की सर्वप्रथम सूचना पुलिस चौकी भाखरोटा के श्री मोहनसिंह, ए० एस० आई० को बस आर० ज० एल० 4454 के ड्राईवर तथा सवारियां एवं श्री चान्दसिंह, एस० आई० अण्डरट्रेनिंग पी० टी० एस० किशनगढ ने दी और यह भी जाहिर किया कि एक व्यक्ति मौके पर मर गया है। सूचना मिलने पर ए० एस० आई० शीघ्र मौके पर गये एवं एस० एच० ओ० बगरू को भी उन्होंने तुरन्त सूचना दी। इसकी सूचना अधीक्षक आरक्षी, अपर अधीक्षक आरक्षी एवं वृत्त अधिकारी जयपुर को भी शीघ्रातिशीघ्र दी गई और वे सभी तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे। तत्पश्चात् अस्पताल पहुंच कर घायलों से बातचीत करने का प्रयास किया किन्तु वे उस समय बात करने में असमर्थ थे।

(6) जी नहीं, जब तक जीप का मेकेनिकल मुआयना नहीं करवाया गया तब तक जीप दुर्घटनास्थल पर ही रहीं। जीप का मेकेनिकल मुआयना मेकेनिक से दिनांक 9-7-68 को घटनास्थल पर ही करवाया गया था। मेकेनिकल मुआयना के बाद ही जीप थाने पर लाई गई थी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री डूंगाराम राजोरिया : जो अधिकारी की बात आप कर रहे हैं कि वह अण्डरट्रेनिंग था और किशनगढ़ से आते समय वह लाश को लेकर आया तो उनके साथ कोई और भी थे या वह अकेले ही थे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : श्री चांदसिह, एस० आई० जो किशनगढ़ में अण्डरट्रेनिंग थे वह आ रहे थे और वह किशनगढ़ से जयपुर जा रहे थे वह अकेले थे और मैंने कहा कि वह जब घटनास्थल पर पहुंचे तो एक बस और कुछ सवारियां वहां खड़ी थीं तो उनको देखकर वह भी रुके और उन्होंने सारी स्थिति देखी । उस पर उन्होंने आगे की कार्यवाही की । उनके साथ पुलिस अधिकारी कोई नहीं था ।

श्री डूंगाराम राजोरिया: विजयसिंह के मरने का कैसे पता चला कि वह मर चुके थे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : घटनास्थल पर सवारियों ने और जो घायल थे उनमें से श्री ओमप्रकाश जो एडवोकेट थे और वह बोलने की स्थिति में थे उन्होंने कहा कि मर चुके हैं और फिर इन्होंने देखा कि वास्तव में मर गये हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : ओमप्रकाश एडवोकेट के बयान कब लिए ?

श्री हीरालाल देवपुरा : वह तो जो प्रति साथ दी है उसमें तारीख है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : ओमप्रकाश जी शफाखाने म दो तीन दिन बेहोश रह ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह भी सही है और उसके बाद में बयान 10-9 को लिए गये । उसके पहले तत्काल जब उनको अस्पताल में लाए और उनसे पूछा गया उसका इन्दराज है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : कितने बजे हुआ एक्सीडेन्ट ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह नहीं कह सकते क्योंकि एक्सीडेन्ट होते समय मौके पर कोई नहीं था ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जीप की कन्डीशन के बारे में किसी विशेषज्ञ से रिपोर्ट ली गई थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मेकेनिक की रिपोर्ट ली और इसका हवाला मैंने जवाब में दिया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उसके अनुसार क्या पाया गया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उसके अनुसार जीप के ब्रेक खराब होना पाया जाता है और उसमें बताया है कि जीप के अगले ब्रेक पहले कुछ लगते थे और पिछले ब्रेक काम के नहीं थे और जब ब्रेक लगाये तो आगे के ब्रेक ज्यादा लगे और इससे पीछे के व्हील उठ गये और जीप उलटी हो गई ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यह सही है कि श्री विजयसिंह जी की लाश अस्पताल में लाने के बाद 3 घन्टे तक वहीं पड़ी रही और किसी डाक्टर ने उसकी परवाह नहीं की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह बिल्कुल सही बात नहीं है । लाश साढ़े ग्यारह बजे मार्चरी में दाखिल की गई क्योंकि रात को पोस्ट मार्टम नहीं होता है इसलिये मार्चरी में

(श्री हीरालाल देवपुरा)
शव को रखा गया। दूसरे दिन पोस्टपार्टम हुआ।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक्सीडेन्ट कितने बजे हुआ और वकील महोदय को शफाखाने में एक्सीडेन्ट के बाद कब दाखिल किया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : वकील साहब को चान्दसिहजी अपने साथ लाये। जिन चार व्यक्तियों को घटनास्थल पर पाया गया था उन सभी को एक साथ शफाखाने में दाखिल कराया गया था।

श्री जयनारायण सालोदिया : इसका मतलब यह है कि जैसा कि आपने बताया कि 7 बजे एक्सीडेन्ट हुआ और 8 बजे रवाना हो गये......

श्री हीरालाल देवपुरा : 7 बजे जीप जयपुर से रवाना हुई यह मैंने बताया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : 15 मील कितने बजे पहुंच गई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह मैं कैसे कह सकता हूं। वे जयपुर में कितने समय तक कहां रुके और कहां नहीं रुके। घटनास्थल पर सबसे पहले जो बस नं० 4454 पहुंची तो वह करीब पौने आठ बजे पहुंची थी।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपके कहने का मतलब यह है कि एक्सीडेन्ट पौने आठ बजे से पहले हो चुका था और वकील साहब 9 सवा नौ बजे जब हास्पिटल में पहुंचे तब तक बातचीत करने के लायक थे। डाक्टरों की राय में ऐसी कौन सी बीमारी थी कि एक्सीडेन्ट के बाद वे बेहोश हुए और कितने समय तक वे बेहोश रहे।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं नहीं कह सकता कि डाक्टरों की राय में उनको कौन सा रोग था। उनको चोटें क्या क्या लगी थीं उसका मुआयना किया गया।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या पुलिस ने यह एन्क्वायरी की कि जयपुर से रवाना होने से पहले वकील साहब की बहन जो जयपुर में रहती हैं उनके यहां चाय पी गई थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसकी जानकारी करने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि तफतीश में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि जीप को अचानक ब्रेक लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : गाड़ी स्लिप हो सकती थी एक्सीडेन्ट हो सकता था ओम प्रकाशजी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कैसे क्या हो गया एकदम कि मालूम ही नहीं पड़ा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सवाल यह है कि जितनी भी तफतीश हुई जिस बिनाय पर आप हमको सन्तुष्ट करना चाहते हैं वह केवल एक बात है कि ब्रेक लगाया गया और ब्रेक फेल हो गये और उसके कारण जीप उलट गई तो उसमें बड़ा भारी सवाल है कि अचानक क्या परिस्थिति पैदा हुई थी कि जिसके कारण चलती हुई गाड़ी को एकदम ब्रेक लगाना पड़ा और जिसके कारण यह सारी घटना हुई।

श्री हीरालाल देवपुरा : ब्रेक लगाने का क्या कारण था यह तो वे ही लोग बता सकते

(श्री हीरालाल देवपुरा)
हैं जो कि उस जीप में ट्रैवल कर रहे थे। उनमें से दो से दर्याफ्त किया गया जो कि बात कर सकते थे जिनमें से एक मिसेज चीमा और दूसरे एडवोकेट ओमप्रकाशजी जो कि बच गये थे और इस स्थिति में थे कि कुछ बता सकें तो उन्होंने कहा कि कैसे क्या हो गया एकदम कि उसका कारण बताना मुश्किल है कि इस कारण ब्रेक लगाये गये। चूंकि रास्ता कच्चा था और गाड़ी स्लिप हो सकती थी या स्किड हो सकती थी इसलिए दुर्घटना हो सकती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल सबसे बड़ी बात तो यह है कि केवल यह कह देना कि जीप म जो बैठे हुए थे उनसे ही जानकारी की गई, मैं समझता हूं यह काफी नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जीप चल रही थी स्पीड में थी और सारी सड़क खुली थी और दूसरी कोई वेहीकल नहीं आ रही थी तो उसमें इस प्रकार से ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूं कि तफतीश कुनिन्दा इस बात पर मौन क्यों रहे और यही मानकर चलें कि उसकी आवश्यकता नहीं थी? उनके बयान नाकाफी हैं। यह परमावश्यक है जानना कि कोई दूसरी लारी, ट्रक या गाड़ी इस प्रकार सामने आ रही थी कि जिसके कारण ब्रेक अचानक लगाना पड़ा। हम यह जानना चाहेंगे कि तफतीश में इस संबंध में कोई कोशिश की गई या नहीं?

श्री हीरालाल देवपुरा : इस एक्सीडेन्ट में दो की तो वहीं मृत्यु हो गई थी और जो दो बचे थे उन्होंने साफ बताया है कि किसी ट्रक या किसी से टकराना हमने नहीं देखा। यह बात मैंने अपने उत्तर में साफ निवेदन की है कि जीप कच्चे में उतरी और हलकी हलकी बरसात हो रही थी वह स्किड हो सकती है, स्लिप हो सकती है तो ब्रेक लगाने की कोशिश की होगी यह सम्भावना है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक विधायक की मृत्यु इस एक्सीडेन्ट में हो गई और सारे मामले में मंत्री महोदय यह कहें कि सम्भावना ऐसी हो सकती है तो मैं समझता हूं कि यह नाकाफी है। सम्भावना से काम नहीं चलेगा। आपकी वहां पर पुलिस चौकियां हैं। पहले पुलिस चौकी है, बाद में पुलिस चौकी है, ट्रेफिक चलता है और आप कहते हैं कि सम्भावना हो सकती है कि कोई गाड़ी सामने से आई हो तो वह कौन सी गाड़ी थी, उसका क्या नम्बर था, कोई ट्रक था या कोई वेहीकल थी किस कारण से सड़क छोड़कर उनको कच्चे रास्ते पर जीप उतारनी पड़ी, यह जानना बहुत आवश्यक है।

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : आज तक कोई शंका का सवाल पैदा नहीं हुआ। इसके जो बैस्ट एवीडेन्स वे ही लोग हो सकते हैं जो कि उस जीप में ट्रैवल कर रहे थे और उस समय बरसात हो रही थी। इन दोनों ने साफ कहा है कि कोई ट्रक या वेहीकल कुछ नहीं देखी। एकदम कैसे हुआ यह एक्सीडेन्ट नहीं मालूम है। इसके कई कारण हो सकते हैं वह आप खुद समझ सकते हैं। जीप स्लिप होकर कच्चे में उतर गई हो उस वक्त जीप के ब्रेक लगाने का मौका आ सकता है। यह जरूरी नहीं है कि कोई वेहीकल आये तो ही ब्रेक लगाने का काम पड़े। पुलिस के लिए यह मुमकिन नहीं था कि इस बात की जानकारी हासिल कर सके, क्योंकि मौके पर कोई मौजूद नहीं था सिवाय जीप के। तो पुलिस के पास क्या जरिया है जानने का कि जीप के ब्रेक क्यों लगाये गये। ड्राइवर जिसने

(श्री दामोदर लाल व्यास)
ब्रेक लगाये थे उसकी मृत्यु हो गई थी और विजयसिंह जी की मृत्यु हो गई थी । दो आदमी होश में थे वे जितना बता सके उन्होंने बताया और उनके बयानों की नकल आपको दे दी गई है । इनके अलावा कोई आदमी इस हैसियत में नहीं था जो यह बता सके कि दरअसल में जीप के ब्रेक क्यों लगाये गये और एक्सीडेन्ट कैसे हुआ । यह एक्सीडेन्ट कैसे होता है वह माननीय सदस्य खुद समझते हैं । उन्होंने बयान दिये हैं अलग अलग वक्त तो उन्होंने बताया है कि कोई ट्रक या वेहीकल वहां पर मौके पर मौजूद नहीं था ।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने यह बताया है कि जो आदमी होश में थे उनसे पूछा गया तो वे जीप का उलटना बताते हैं तो उन्होंने अपने बयान में कहीं भी जीप उलटना नहीं बताया तो फिर कैसे गवर्नमेन्ट ने यह अन्दाजा लगाया कि जीप उलटी थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : वहां पर उलटी हुई जीप पड़ी थी उससे साफ जाहिर होता था कि जीप उलटी है । इन दोनों ने जो बयान दिये हैं वह उस स्थिति में बयान दिये हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : जयपुर शहर में कांग्रेस पार्टी के मंत्री श्री दुर्गालाल वाढदार ने यहां पर एक मीटिंग में इस तरह का स्टेटमेन्ट दिया था कि श्री रावत की मृत्यु एक रहस्यपूर्ण ढंग से हुई है इसकी जांच की जाय ?

श्री हीरालाल देवपुरा : श्री दुर्गालाल वाढदार जयपुर जिला कांग्रेस के मंत्री हों यह सही नहीं है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : जयपुर जिला स्वतन्त्र पार्टी के मंत्री दुर्गालाल जी ।

श्री नत्थसिंह : कोई बड़ा भेद नहीं है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री देवीलाल : क्या चान्दसिंह कान्स्टेबल स्वर्गीय रावत को नहीं पहचानता था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : चान्दसिंह स्वर्गीय रावत को नहीं पहचानते थे ।

श्री देवीलाल : वहां पर रावत का नाम नहीं लिया गया ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : इसमें शंका इस बात से पैदा हुई है कि जब जीप किसी से टकराई नहीं और टकराने का सवाल पैदा नहीं होता है तो जिन लोगों के चोटें आई हैं वे सिर्फ सर पर ही कैसे चोटें आई हैं ? ब्रेक एक्सीडेन्ट के बाद में भी फेल हो सकते हैं । यह जरूरी नहीं है कि ब्रेक पहले फेल हो गये हों । मैं निवेदन करूंगा कि गृह मंत्री जी इस बात की जांच पड़ताल फिर से करें कि उनकी मृत्यु के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री जयनारायण सालोदिया : इस प्रश्न के संबंध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता कि मैं मिसेज चीमा से मिला हूं । उन्होंने कहा कि हम आ रहे थे और जब जयपुर से रवाना हुए तो वकील साहब ओम प्रकाश जी की बहन जो यहां जयपुर में रहती हैं तो उनके यहां पर चाय पी और चाय पीकर रवाना हुए तो किसी पेट्रोल पम्प से पेट्रोल लिया । उसके बाद 7 मील तक गये तो उसके बाद हमें कोई पता नहीं कि जीप कहां जा रही है । सब गुमसुम बैठे थे और एक दूसरे से बात

(श्री जयनारायण सालोदिया)
नहीं कर रहे थे। हमें कोई पता नहीं कि जीप कहां जा रही है। ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे आसमान में उड़ रही हो। जब एक्सीडेन्ट हुआ 17 मील पर तो इस तरह का धुआं सामने देखा कि जिससे कोई पता नहीं लग सका कि एक्सीडेन्ट कैसे हुआ और इसके बाद बेहोश हो गये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, श्री सालोदिया, नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री डूंगाराम राजौरिया : क्या गृह मंत्री जी द्वारा जांच कराने के लिए तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं इस संबंध में पूछना चाहता हूं.....

श्री शंकरलाल : प्रश्न संख्या 417

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपने कहा कि जीप 7 बजे जयपुर से रवाना हुई तो क्या आपने इस बारे में जानकारी करने की चेष्टा की है कि 7 बजे जी। जयपुर से रवाना हुई तो रवाना होने के पश्चात् जीप कहां पर रुकी। माननीय सदस्य श्री सालोदियाजी ने कहा कि अमुक जगह चाय पीने के लिये रुकी। क्या आपने इसके संबंध में जानकारी करने की चेष्टा की हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह जानकारी अभी दी गई है। मिसेज चीमा के द्वारा जो बयान दिया गया, शुरू से लेकर आज तक उन्होंने यह बात नहीं बताई है। अब जानकारी दी है तो उसके बारे में उनसे पूछ लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

महात्मा गांधी अस्पताल में बच्चों का इलाज

417 **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में भीतर प्रवेश करने वाले मुख्य द्वार पर श्री अधीक्षक के हस्ताक्षरों से इस प्रकार का बोर्ड टंगा हुआ है कि मई माह की अमुक तारीख से बच्चों को केवल उम्मेद अस्पताल में ही देखा जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि महात्मा गांधी अस्पताल में भी बच्चों का डाक्टर तो है ?

(3) यदि हां, तो फिर क्या इस प्रकार की सूचना लगाना गलत व अनुचित नहीं है ?

(4) क्या सरकार तथाकथित बोर्ड हटाने के आदेश देगी ताकि जनता में गलतफहमी न हो और गांधी अपताल के बच्चों के डाक्टर का भी उपयोग हो सके ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी नहीं, इस समय कोई बोर्ड टंगा हुआ नहीं है। यह बोर्ड उम्मेद हास्पिटल में बच्चों का पेड्रियेटिक सेक्शन स्थानान्तरित कर देने से लगाया था।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। अलग सूचना लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

Page No. 8

(श्रीमती सुमित्रा)

(4) इस समय कोई बोर्ड नहीं है और अब जनता बच्चों के इलाज के लिये उम्मेद अस्पताल में ही जाती है ।

श्री शंकरलाल : जिस समय मैंने देखा था उस समय लगा हुआ था । अब यह बोर्ड कब हटाया गया ?

श्रीमती सुमित्रा : तारीख तो मेरे पास नहीं है कि कब हटाया गया, लेकिन इस समय ऐसा कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं है ।

श्री शंकरलाल : यह मालूम किया कि यह बोर्ड क्यों लगाया गया था ?

श्रीमती सुमित्रा : यह बोर्ड इसलिए लगाया गया था कि जब मैटरनिटी एण्ड चाइल्ड वेलफेअर मैटरनिटी के अन्डर म सौंपा गया उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन्सपेक्टर ऑफ मैडीकल कौंसिल ऑफ इंडिया का सरक्यूलर आया था उसके मुताबिक बच्चों का वार्ड मैटरनिटी के साथ संलग्न करने के लिए कहा गया था ।

श्री शंकरलाल : वार्ड का सवाल नहीं था । मैंने पढ़ा था, उस पर लिखा हुआ था कि बच्चों को नहीं देखा जायगा और उस अस्पताल में बच्चों का डाक्टर मौजूद था ।

श्रीमती सुमित्रा : पेड्रियेटिक सेक्शन एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाने से बच्चों का सेक्शन दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, इसलिए बच्चों के सम्बन्ध में जानकारी देनी थी कि बच्चों का सारा इलाज वहां उस सेक्शन में होगा । इसलिए लगाया गया था । ज्योंहि सबको पता लग गया उस बोर्ड को हटा दिया गया ।

श्री शंकरलाल : क्या यह कह सकती हैं कि बच्चों को नहीं देखने के लिए बोर्ड लगाया यह किसके आदेश से, किसके कहने से लगाया था ? आप इसकी जानकारी करें, इस प्रकार के गलत बोर्ड लगाये जाते हैं और जनता को जवाब तक नहीं देते हैं और कहते हैं कि बच्चों को यहां नहीं देखेंगे ।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा ।

श्री शंकरलाल : भाषण का सवाल नहीं है । बच्चों का वहां डाक्टर मौजूद है । लेकिन वहां बोर्ड लगा हुआ है कि बच्चों को नहीं देखा जायगा । यह बोर्ड गलत लगाया, तो सुपिरटेंडेंट ने क्यों लगाया ? जब यह प्रश्न किया गया तो इसके बाद में उसको हटा दिया गया । इस प्रश्न के करने से पहले लगा हुआ था । आप इसकी जांच क्यों नहीं कराते हैं कि यह क्यों लगा हुआ था और प्रश्न करने के बाद में क्यों हटाया गया ?

श्री अध्यक्ष : इसमें जांच क्या हो ?

श्रीमती सुमित्रा : महात्मा गांधी से पेड्रियेटिक सेक्शन दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया इसलिए यह बोर्ड लगाना जरूरी था ।

श्री शंकरलाल : बोर्ड तो लगाया कि बच्चों को नहीं देखा जायगा । भर्ती करने का सवाल अलग । आप कहते हैं कि जरूरी है । यह बिल्कुल गलत है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) अध्यक्ष महोदय, बच्चों का इलाज....

श्री अध्यक्ष : जोर से बोलिये ।

श्री ओमदत्त भाटी : बच्चों का इलाज पेड्रियेटिक सेक्शन में महात्मा गांधी और उम्मेद अस्पताल में होता था, अब यह पेड्रियेटिक सेक्शन महात्मा गांधी अस्पताल से हटा दिया गया, उससे जनता को तकलीफ होती है । मंत्री महोदय समझती नहीं, बच्चों के सर्जीकल इलाज के लिए, एक्सरे मशीन और लेबोरेट्री की जरूरत है वह कहां से लायेंगे ? इसलिए वहां से हटाना ठीक नहीं है ।

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : बच्चों का सेक्शन, यह सारा पेड्रियेटिक सेक्शन अब नया उम्मेद अस्पताल में बना है, वहां पर शिफ्ट करना जरूरी था । इसलिए बोर्ड लगाया गया । अब यह कहना कि वहां सेक्शन क्यों नया बनाया गया, तो यह अलग सेक्शन हो गया ताकि स्पेशियलिटी हो जाय । अब यह कहें कि वहां पर बैड्स नहीं है, वहां यह नहीं है······

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! श्री गाड़िया !

चन्दन के पेड़ों की अवैध कटाई

418 . **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि करीब 5-6 वर्ष पूर्व तहसील मांगरोल के ग्राम बड़वा में सरकारी चंदन के पेड़ों को चोरी से काट कर ले जाया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि इन चन्दन के पेड़ों को कटवाने में तहसील के अधिकारी व कर्मचारियों का हाथ था ?

(3) क्या यह सही है कि इन चंदन के पेड़ों की कटाई के मामले की जांच बारां के डी०वाई० एस० पी० ने की थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इसका सम्बन्ध गृह विभाग से है इसको स्थगित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित ! श्री मूलचन्द डागा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को मैं लगातार छः सात महीने से रखता आ रहा हूं, डी० एस० पी० की रिपोर्ट बराबर मांगता आ रहा हूं, लेकिन अब भी उप-मंत्री जी कह रहे हैं कि इसका पुलिस से सम्बन्ध है । अगर पुलिस से सम्बन्ध है तो जब मैंने प्रश्न रखा था तो उनको चाहिए था कि या तो वह पुलिस विभाग को भेज देते या उससे इन्फार्मेशन वह मंगा लेते । यह निश्चित बात है कि पुलिस की रिपोर्ट के अन्दर स्पष्ट रूप से डी० एस० पी० ने लिखा है कि इन पेडों को कटवाने में अमुक अमुक तहसील अधिकारी का हाथ है । उस अधिकारी को बचाने के लिए भूतपूर्व राजस्व मंत्री इस प्रश्न को टालते रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! यह स्थगित किया गया है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं चाहूंगा कि सैशन समाप्त होने के पहल पहले डी० एस०पी० की जो रिपोर्ट पेश हुई है उसको सदन में पेश किया जाय ।

Page No. 10

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं देने देऊंगा । समाप्त हो गया ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसका उत्तर दिला दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : जैसा आपने कहा वह रिपोर्ट मंगा लूंगा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में कुछ कह देना चाहिए क्योंकि वह दिन दूर नहीं है कि एक भी चन्दन का वृक्ष राजस्थान के अन्दर नहीं रहेगा, उसके दर्शन दुर्लभ हो जायेंगे । जिस निर्दयता से इन पेड़ों को काटा जा रहा है राजस्थान में, इस पर कुछ रोक होनी चाहिए। जो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा है, उसे स्थगित किया गया है, इसके लिए तो हम सब आभारी हैं, अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं यह भी कह देता हूं कि आपको सजग रहना चाहिए नहीं तो एक भी चन्दन का पेड़ नहीं रहना चाहिए। यह पेड़ कोटा और इधर ही होते हैं, इनके सम्बन्ध में कुछ होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा !

पाली में बस स्टेंड डाक बंगले के सड़क पर अनधिकृत कब्जा

419. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पाली शहर में बस स्टेन्ड से डाक बंगले को जाने वाली सड़क पी० डब्ल्यू० डी० रोड है ? यदि हां, तो क्या श्री असगर अली चूड़ीगर ने वर्तमान नगरपालिका, पाली से मिलकर पी० डब्ल्यू० डी० की जमीन पर कुम्हार जाति के पट्टाशुद और कब्जाशद नौहरे के आगे छीने खड़ी करके अनधिकृत कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सत्य है कि दिनांक 22-6-68 को आपके विभाग के इन्जीनियर ने एस० डी० ओ० पाली को यह अतिक्रमण हटाने को लिखा था ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सत्य है कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, ईस्टर्न डिविजन, पी० डब्ल्यू० डी० ने भी 29-6-68 को सब डिवीजनल ऑफिसर को रोड बाउन्डरी से अतिक्रमण हटाने के लिये लिखा ? यदि हां, तो उसका क्या असर हुआ ?

(4) क्या सरकार इस अतिक्रमण को हटाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह): (1) जी हां, असगर अली द्वारा अनधिकृत कब्जे की सूचना कुम्हारों की रिपोर्ट 24-6-68 को प्राप्त हुई है ।

(2) सहायक अभियन्ता ने 24-6-68 को एस० डी० ओ०, पाली को पत्र लिखा था । पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत है ।

(3) जी हां, राजस्व विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(श्री माधोसिंह)

(4) काबिज को हटाने का क्षेत्र इस विभाग ...

श्री देवीदत्त गाडिया : सुनाई नहीं आता है।

श्री माधोसिंह : बहुत जोर से बोल रहा हूं।

(4) कबिज को हटाने का क्षेत्र इस विभाग को नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : यह अतिक्रमण कब हटा दिया जायगा, तीन महीने तो हो गये अब कितने महीने में यह एन्क्रोचमेंट हटा दिया जायगा ?

श्री माधोसिंह : राजस्व विभाग को लिख दिया गया है, एस० डी० ओ० हटाने की कार्यवाही करता है। वही कार्यवाही करेगा।

श्री मूलचन्द डागा : एक सड़क पर एन्क्रोचमेंट है, आप तीन महीने तक लिखते रहे और पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क से एन्क्रोचमेंट हटे नहीं। इसके बारे में कोई लिमिट है? मैंने यह प्रश्न में पूछा है कि कौनसी तारीख तक एन्क्रोचमेंट हटाया जायगा ?

श्री माधोसिंह : हमारे विभाग ने एस० डी० ओ० को लिख दिया है कि इसको हटा दिया जाय। अब यह उस पर निर्भर है कि कितनी जल्दी कार्यवाही करके हटा सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : एस० डी० ओ० पर निर्भर है....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : एस० डी० ओ० नहीं हटाता है तो तहसीलदार 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करके हटा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया!

श्री जयनारायण सालोदिया 420

श्री प्रेमसिंह सिववी (छबड़ा): मंत्री जो 420 हैं।

किराये की दरें निर्धारित करने का आधार

420 **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) स्टेट रोडवेज कार्पोरेशन द्वारा जो किराये की दरें निर्धारित की जाती हैं वे किस आधार से तय की जाती हैं ?

(2) क्या कार्पोरेशन दरों को कम करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री अमृतलाल यादव): (1) किराये की दरें सरकार द्वारा ही निश्चित की जाती हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : सुना नहीं साहब !

श्री अमृतलाल यादव : (2) सरकार दरें तय करती है।

श्री जयनारायण सालोदिया : इसका आधार क्या है ? किराये की दरें निश्चित करने का आधार क्या है ?

मंत्री, यातायात (श्री अमृतलाल यादव): इसका आधार है, किराये की दरें मोटर वेहीकल्स एक्ट की धारा 43 की उप-धारा (1) के अनुसार राज्य सरकार को तय करने का अधिकार है और राज्य सरकार इन आधारों पर तय करती है, ट्यूब की कीमत, टायर की कीमत, तेल की कीमत, ब्याज की दर, मंहगाई और भत्ता इन सब चीजों को देख कर तय करती हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या राज्य सरकार द्वारा यह निगाह में रखा जाता है कि प्राइवेट मोटर चालक क्या किराया लेते हैं और रोडवेज क्या लेता है ?

श्री अमृतलाल यादव : ऐसा कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द बाफना !

पंचायत समितियों को हस्तान्तरित अध्यापकों से विकल्प फार्म

421. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि जिस समय लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण योजना लागू हुई थी उस समय पाली जिले में शिक्षा विभाग से पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किये गये अध्यापकों से विकल्प फार्म नहीं भरवाये गये थे ?

(2) क्या ये विकल्प फार्म अब भी भरवाये जा सकते हैं ? यदि हां, तो कब तक भरवाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) नियमानुसार पंचायत समिति में नियुक्त किये गये सम्बन्धित अध्यापकों को स्वयं विकल्प का प्रावधान था।

(2) नियमानुसार निर्धारित अवधि में जिन्होंने विकल्प नहीं दिया उन्हें अब विकल्प देने की सुविधा प्रदान करना सम्भव नहीं है।

श्री फूलचन्द बाफना : उस समय विकल्प क्यों नहीं दिया गया। इसका क्या कारण था ?

श्री परसराम मदेरणा : यह उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। वह स्वयं विकल्प नहीं दें, आप्शन नहीं दें तो पंचायत समिति या विकास अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है।

श्री फूलचन्द बाफना : उनको पता नहीं कि क्या करना है। सरकार को मालूम था तो सरकार पूछ सकती थी कि आप क्या चाहते हैं, कहां रहना है ?

श्री परसराम मदेरणा : सर्विस रूल्स बना दिये गये हैं, पंचायत समिति को भेज दिये गये हैं--यह जानकारी उनको रखनी चाहिए कि विकल्प देना है। कईयों ने विकल्प दिया है और कईयों ने नहीं दिया है। जिन्होंने नहीं दिया है यह उनकी स्वयं की जिम्मेदारी है। जिला परिषद् और पंचायत समिति सर्विस रूल्स के रूल 5 में प्रावधान है कि जो राज्य सरकार की सेवाओं के लोग हैं, वह विकल्प देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं इसकी परमानेन्ट को 91 दिन में इत्तला देनी चाहिए और टेम्प्रेरी को 30 दिन में देनी चाहिए। इन दोनों प्रावधानों का पालन करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की है। उन्होंने नहीं किया है तो पंचायत समिति और जिला परिषद् की जिम्मेदारी नहीं है।

श्री फूलचन्द बाफना : क्या यह सही है कि रूल्स बन कर आये उससे पहले ही विकल्प की अवधि समाप्त हो गई ?

श्री परसराम मदेरणा : लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना लागू होने के साथ ही साथ इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था और ज्यों ही एक्ट बन कर आया और वह फोर्स में आया उसके साथ ही साथ रूल्स तैयार करा कर गजट में पब्लिश करा दिये गये और लागू कर दिये गये थे ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या यह सही है कि पंचायतों ने विकल्प की सूचना अध्यापकों को समय पर नहीं दी ?

श्री डूंगाराम राजौरिया (दौसा सु०) : क्या अध्यापकों के पास पंचायत समितियों ने इस विकल्प के सम्बन्ध में सूचना दी थी ?

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत समितियों ने एक एक अध्यापक को सूचना दी या नहीं इसकी जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है पर ज्यों ही गजट में पब्लिश करा दिया जाता है, नोटिस इन रेम, सबको जानकारी हो गई ऐसा माना जाता है । गजट में नोटिफाई हो जाने के बाद गजट उनको ध्यान में रखना चाहिये । पंचायत समितियों ने अध्यापकों को जानकारी दी या नहीं दी इसकी पुख्ता जानकारी मुझे इस समय नहीं है पर रूल्स ज्यों ही गजट में आया हुए, पब्लिश हुए तो उनकी उनको जानकारी करनी चाहिये थी ।

श्री डूंगाराम राजौरिया : जो अध्यापक गांवों में थे, उनके पास इस तरह से, कैसे इत्तिला पहुंच सकती है? आप कहें कि गजट में निकाल दिया, पेपर्स में निकाल दिया, इससे उनको कैसे जानकारी हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! गजट में पब्लिश होने का मतलब यह है कि सब को जानकारी हो गई ।

श्री डूंगाराम राजौरिया : अगर पंचायत समितियों ने अध्यापकों को जानकारी नहीं दी तो यह जिम्मेदारी पंचायत समितियों की है अध्यापकों की नहीं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, प्रश्नकर्त्ता !

श्री फूलचन्द बाफना : जब दूसरे डिपार्टमेंट्स में कर्मचारियों को ऑप्शन के लिये पूछा जाता है तो, जो सर्विस रूल्स के अनुसार दूसरे डिपार्टमेंट्स के कर्मचारियों को ऑप्शन के लिये पूछा जाता है तो इन अध्यापकों को क्यों नहीं पूछा गया ?

श्री परसराम मदेरणा : सर्विस रूल्स की जानकारी माननीय सदस्य चाहें तो मैं पढ़ कर सूचना दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । प्रश्न संख्या 422

राजगामी सम्पत्ति अधिनियम के अन्तर्गत निहित सम्पत्ति की व्यवस्था

422. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान राजगामी सम्पत्ति अधिनियम के अन्तर्गत सरकार में अब तक कुल कितने मूल्य की सम्पत्ति निहित घोषित की गई है ?

(2) इस सम्पत्ति की व्यवस्था किनके द्वारा की जाती है ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(3) लावारिस फौत हो जाने की सूरत में उसकी सूचना देने की जिम्मेदारी कानूनन किस पर है ?

(4) लावारिस फौत होने वाले व्यक्ति का क्रियाकर्म करने की जिम्मेदारी कानूनन किस पर डाली गई है या डाल ने का इरादा है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी सूचना अभी सब जिलों से प्राप्त नहीं हो सकी है, सूचना प्राप्त की जा रही है, इसलिये इस प्रश्न को स्थगित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया नैक्स्ट ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं अध्यक्ष, महोदय, जो प्रॉपर्टीज लाखों करोड़ों की राजगामी सम्पत्ति राज्य सरकार में वेस्ट होती है, उसके सम्बन्ध में कुछ तो सूचना देनी चाहिये। अगर सरकार के पास 31 अगस्त, 1968 तक की सूचना उपलब्ध नहीं है तो 31 अगस्त, 1967 तक की दे दें, 31 अगस्त, 1966 तक की सूचना दे दें कि राजस्थान में राजगामी सम्पत्ति अधिनियम के अन्तर्गत कितनी सम्पत्ति राज्य सरकार में निहित हुई है । इसकी जानकारी राज्य सरकार के पास है या नहीं, आखिर लाखों करोड़ों की सम्पत्ति का सवाल है ?

श्री गंगाराम चौधरी : सूचना जिलेवार मंगवाई गई है। 20 जिलों से प्राप्त हुई है, दूसरों से प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह हुआ, अध्यक्ष महोदय, कि राजगामी सम्पत्ति अधिनियम के अन्तर्गत जो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी राज्य सरकार में वेस्ट होती है, उसका राज्य सरकार के पास कोई हिसाब किताब नहीं है, उसका राज्य सरकार को कोई पता नहीं है, उसका कोई कन्ट्रोल, सुपरविजन नहीं है, उस सम्पत्ति की व्यवस्था का कोई आधार कोई प्रक्रिया राज्य सरकार ने तय नहीं कर रखी है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसकी तो सूचना मिलनी चाहिये लाखों करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी अन्डर दी कॉन्स्टीट्यूशन राज्य सरकार में वेस्ट होती है। जो लोग लावारिस फौत हो जाते हैं, उनकी लाखों करोड़ों की सम्पत्ति राज्य सरकार में वेस्ट होती है, उसका राज्य सरकार को पता नहीं कि कितनी है ।

श्री गंगाराम चौधरी : सूचना प्राप्त की जा रही है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो बिल्कुल दयनीय स्थिति है, लावारिसों के फौत होने पर जो लावारिसों की मिल्कियत सरकार को प्राप्त होती है, उसका सरकार के पास कोई हिसाब नहीं है। इसका तो पूरा हिसाब किताब सरकार के पास होना चाहिये। आखिर यह सरकार है या भड़भूंजे की दुकान है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): नाराज होने की बात नहीं है... .....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): जो सूचना मांगी गई है, उसकी सूचना देवें ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं मश्कूर हूं आपके सुझाव का, इस सम्बन्ध में सब हैं...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : गायब हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं । सब रेकार्ड है पर अलग अलग जगह हैं, वहां से सूचना मंगाई हैं । इस सिलसिले में एक कन्सोलिडेटेड लिस्ट बने, वह जरूरी है, मुनासिब है पर अब तक बनी नहीं है । अब बना कर तैयार कर देंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 18 साल में जब से कॉन्स्टीट्यूशन लागू हुआ जितनी लावारिस प्रॉपर्टीज हैं वे सब गवर्नमेंट में वेस्ट करती हैं। लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी 18 साल में गवर्नमेंट में स्टेट लेवल पर वेस्ट हुई हैं, पर गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर उसकी लिस्ट नहीं बना पाई है। उस प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट कोई हिसाब नहीं रखे, उस पर कोई कन्ट्रोल नहीं रखे तो मैं समझता हूं इससे बढ़ कर सार्वजनिक सम्पत्ति का दुरुपयोग और कोई हो नहीं सकता ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । प्रश्न संख्या 423 ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : जिन क्लर्कों को सौ या दो सौ रुपया मिलता है, वे जवाब नहीं दे सकते हैं तो उनको सस्पेन्ड किया जाता है। इनको दो-दो, ढाई-ढाई हजार रुपये मिलते हैं तो अध्यक्ष महोदय, इनको क्यों नहीं सस्पेन्ड किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, नैक्स्ट ।

बीजों के भाव निर्धारित करने के आधार

423. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में ज्वार, बाजरा एवं मक्का का हाई ब्रीड एवं हाई यील्डिंग वेराइटीज का बीज काश्तकारों को किस भाव से वितरित किया जाता है ?

(2) उक्त बीज का भाव तय करने का क्या आधार है ? क्या बाजार भाव ध्यान में रखे जाते हैं ?

(3) यह बीज तैयार करने में प्रति एकड़ क्या खर्चा लगता है और प्रति एकड़ क्या पैदावार होती है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या नियम एवं पॉलिसी के आधार पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बीज काश्तकार तक बिना किसी लाभ-हानि उठाये पहुंचाया जावे ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) संकर बाजरा 8.00 रु० प्रति किलो ।

संकर ज्वार 7.50 रु० प्रति किलो ।

संकर मक्का 3.00 रु० प्रति किलो ।

(2) बीजों की कीमत निम्न आधार पर निर्धारित की जाती है :

(क) कीमत जिस पर राज्य सरकार काश्तकार से खरीदा करती है ।

(ख) कीमत जिस पर बीज राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा प्राप्त होता है तथा गोदाम से वितरण केन्द्र तक भेजने का खर्चा किया जाता है ।

(श्री हरिसिंह)

(ग) भण्डार करने का खर्चा ।

(घ) भण्डार में सूख आदि ।

(च) अन्य विविध खर्चे ।

संकर बीजों की कीमत निर्धारित करते समय बाजार भाव को ध्यान में रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि बाजार में यह बीज उपलब्ध नहीं है ।

(3) तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(4) जी हां ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय मुझे प्रश्न 3 के अन्तर्गत तालिका दी है, वह तालिका नहीं है, बल्कि उसमें संकर बाजरे का प्रति एकड़ खर्चा 790 बता दिया, संकर ज्वार का 976 बता दिया और संकर मक्का का 181 रुपया प्रति एकड़ खर्चा बता दिया । मैं तो यह जानना चाहता था कि कितना खर्चा किस आधार पर आता है ? मैंने तो विवरण मांगा था न कि खर्चे के आंकड़े मांगे थे ।

श्री हरिसिंह : आप किस क्रॉप का विवरण चाहते हैं ?

श्री पृथ्वीसिंह : तीनों ही का विवरण मैंने मांगा था, आपने खर्चा बता दिया ।

श्री हरिसिंह : मेरे पास सारा विवरण है, आप कहें तो पढ़ दूं ?

श्री पृथ्वीसिंह : आप फर्मा दीजिये । वैसे मैंने तालिका मांगी थी ।

श्री अध्यक्ष : ज्वार का पहले ले लें ।

श्री हरिसिंह : तालिका वैसे सदन की मेज पर नहीं रखी गई है, पर मैं सुना देता हूं । जहां ज्वार का सवाल है, क्या एक एक खर्चा बताऊं ? आप नोट करिये । कीमत फाउन्डेशन पर 45 रुपया रासायनिक खाद.......

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : अध्यक्ष महोदय तालिका मांगी थी, वह क्यों नहीं दी ? इस तरह से सदन का समय खर्च होता है......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस तरह समझ में भी नहीं आयेगा ।

श्री डूंगाराम राजौरिया : यह सारे सदन का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को तालिका दे दें ।

श्री डूंगाराम राजौरिया : इससे तो पता ही नहीं चलेगा.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज, प्रश्नकर्त्ता !

श्री पृथ्वीसिंह : पहले प्रश्न के उत्तर में आपने बताया कि बाजरे की 8 रुपया प्रति किलो वितरण की दर है, 7½ ज्वार की और मक्का की 3 रुपया प्रति किलो वितरण दर है । तो बाजार भाव को देखते हुए छोटे काश्तकारों से जो यह रेट वसूल की जाती है यह अत्यन्त अधिक है, यह देख कर छोटे किसान बहुत परेशान होते हैं । मैं अर्ज कर दूं कि जबरदस्ती से उनको बीज दिया जाता है और काश्तकार इस तरह के बीज को आधे भाव पर बेचने को तैयार रहते हैं । इस तरह के सुमेरपुर में कई उदाहरण बता सकता हूं

(श्री पृथ्वीसिंह)
कि काश्तकारों नें 4 रुपया प्रति किलो के भाव से इस बाजरे के बीज को वापिस बेचा है

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री हरिसिंह : माननीय सदस्य जो कहते हैं उसको मैं उचित नहीं समझता, इसकी कीमत बताई है वह यह है कि बाजार में न्यूक्लीयर सीड प्राप्त नहीं हो सकता, उससे तुलना करें यह उचित नहीं है। जो प्रणाली इस बीज के लिए अपनाई जाती है जितना खर्चा इस पर किया जाता है, दवाइयां वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, खाद देना पड़ता है, उसमें खर्चा पड़ता है, इसके बगैर उसमें अपेक्षित क्षमता नहीं आ सकती। आपका यह कहना कि बड़े काश्तकारों के लिये यह योजना है, यह गलत है। बाजार भाव से इसको जोड़ना उचित नहीं है। राज्य सरकार किस भाव में बेचती है यह तो प्रश्न के उत्तर में निवेदन कर दिया, और किस भाव से किसान से लेते हैं वह है संकर बाजरा 6 रुपये प्रति किलो, संकर ज्वार 6 रुपये प्रति किलो और संकर मक्का ढाई रुपये प्रति किलो ।

श्री दौलतराम सारण : दो रुपये प्रति किलो की मार्जिन से आप ज्यादा लेते हैं इसका क्या आधार है ?

श्री हरिसिंह : ये आधार भी प्रश्न 3 के उत्तर में निवेदन कर दिया गया है, उन्हीं आधारों पर ये विभिन्न खर्चे जोड़ करके लिया जाता है। गोदाम में रखने का खर्चा, ड्राइएज (सूखना) का अन्तर, ट्रांस्पोर्ट के चार्जेज वगैरा मिलाकर मार्जिन रखा जाता है।

श्री दौलतराम सारण : किसान से जो बीज लिया जाता है वह तो दो रुपये प्रति किलो सस्ता लिया जाता है और सरकार 2 रुपये प्रति किलो अधिक लेती है, तो सरकार को करीब दो रुपये प्रति किलो मुनाफा होता है।

श्री पृथ्वीसिंह : यह तो 100 रुपये प्रति बोरी पड़ जाता है।

श्री हरिसिंह : दो एजेंसीज से बीज प्राप्त किया जाता है, प्रगतिशील किसानों से और नेशनल सीड्स कार्पोरेशन से। नेशनल सीड्स कार्पोरेशन से जिस भाव से राज्य सरकार खरीदती है वह मैंने निवेदन नहीं किया। वह यह है :

संकर बाजरा	8.50 प्रति किलो।
संकर ज्वार	7.50 प्रति किलो।
संकर मक्का	2.95 प्रति किलो।

अब इस स्थिति में प्रॉफिट कमाने का प्रश्न कहां खड़ा होता है ? 8.50 में आप ट्रांस्पोर्ट चार्जेज वगैरा जोड़ें तो जब आठ रुपये प्रति किलो में हम बेचते हैं तो प्रॉफिट का तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, प्रश्न कर्त्ता ! जिन्होंने प्रश्न पूछा है वह माननीय सदस्य।

श्री पृथ्वीसिंह : संकर बाजरा का खर्चा 790 रुपया प्रति एकड़ बताया और पैदावार 2 क्विटल प्रति एकड़ बताया, और बाजार में बेचने का भाव आपने रखा है 800 रुपये प्रति क्विटल, तो इस तरह से आप डबल रेट चार्ज करते हैं। पैदावार का खर्चा तो है 400 रुपये और बेचने का भाव रखा है 800 रुपये प्रति क्विटल। एकदम डबल भाव छोटे काश्तकारों से वसूल किया जाता है तो यह ध्यान आकर्षित करने की बात है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : क्या सरकार नो लास नो प्रॉफिट पर बीज देती है या मुनाफा करती है ?

श्री हरिसिंह : सुनाई नहीं दिया ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या सरकार नो लास नो प्रॉफिट के आधार पर बीज देती है या मुनाफा करती है ?

श्री हरिसिंह : मैंने निवेदन किया मुनाफे का कोई सवाल ही नहीं है । साढ़े आठ रुपये प्रति किलो में नैशनल सीड्स कार्पोरेशन से लेते हैं और आठ रुपये प्रति किलो में वेचते हैं तो प्रॉफिट करने का सवाल कहां आता है ? इसके अलावा हमें ट्रांसपोर्ट चार्जेज और दूसरे तरह के खर्चे करने पड़ते हैं । इसलिए मुनाफे का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता । और सभी जगह एक ही यूनीफार्म रेट रखा है हमने, कोई गंगानगर में खरीदे चाहे भरतपुर या अलवर में खरीदे, आठ रुपयेप्रति किलो के भाव से ही हम देते हैं । ऊपर का खर्चा राज्य सरकार खुद भुगतती है ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : तो नो लॉस नो प्रॉफिट के वेसिस पर देती है ?

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, दूसरे प्रान्तों में क्या रेट है, किस आधार पर रेट फिक्स किया जाता है, इसकी जानकारी कृपया मंत्री महोदय दे दें ।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न में पूछा नहीं गया है, लेकिन कास्ट आफ प्रोडक्शन के आधार पर बीज लिया जाता है और कास्ट आफ प्रोडक्शन अलग अलग प्रांतों में वैरी कर सकता है । उसी के आधार पर नैशनल सीड्स कार्पोरेशन ने साढ़े आठ रुपये प्रति किलो का भाव रखा है ।

श्री पृथ्वीसिंह : यह प्रश्न के आधार पर ही सप्लीमेंटरी है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री कृष्ण कुमार गोयल ।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो जानकारी होनी चाहिये राज्य सरकार को कि दूसरे प्रान्तों में किस भाव से वेचा जाता है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री पृथ्वीसिंह : किस आधार पर और किस भाव पर दूसरे प्रान्तों में खरीद कर दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 424 ।

पाकिस्तान से आये विस्थापितों की नियुक्तियां

424. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर),

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या गृह मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे :–

(1) सन् 1965 के भारत-पाक संघर्ष के समय व उसके पश्चात् कितने व्यक्ति पाकिस्तान से राजस्थान में आकर आबाद हुए हैं ?

(2) इनमें से कितने व्यक्तियों को भारत की नागरिकता के अधिकार प्रदान हो गये हैं, कितनों को नहीं और क्यों ?

(3) इन व्यक्तियों में कौन पाकिस्तान के किस-किस विभाग में राज्य कर्मचारी थे ?

Page No. 19

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
इन्हें भारत में आबाद होने पर कब कब किस किस पद पर नियुक्त किया गया है ? यदि किन्हीं व्यक्तियों को नियुक्ति नहीं मिली तो क्यों ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है इसलिये मैं इसे स्थगित करने के लिये प्रार्थना करूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : एक सूचना दे दीजिये, बाकी की नहीं चाहिये । जो लोग पाकिस्तान से आये हैं उनको सिटीजनशिप के राइट्स दिये गये हैं या नहीं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इनमें से 371 व्यक्तियों को सिटीजनशिप राइट्स दे दिये गये हैं ।

श्री भैरोंसिंह : बाकी के ?

श्री हीरालाल देवपुरा : बाकी की जांच चल रही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ये हैं 5,421 ।

श्री भैरोंसिंह : बाकी लोगों को क्यों नहीं दिये गये ?

श्री हीरालाल देवपुरा : बाकी के लिये जांच हो रही है, जांच रिपोर्ट सरकार के पास आ जायेगी.....

श्री भैरोंसिंह : जब जांच रिपोर्ट सरकार के पास आचुकी है उसके बाद भी नागरिकता के राइटस उनको क्यों नहीं दिये जा रहे हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उनकी जांच अभी हो रही है, कई केसेज पैंडिंग हैं । उनकी जांच होने के बाद जैसी स्थिति होगी उसी प्रकार ऑर्डर्स दिये जायेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : किस लेवल पर जांच चल रही है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, कुछ पुलिस के पास हैं, अलग अलग स्थितियों में हैं ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है । 1965 में लोग पाकिस्तान से आये, उनमें चार हजार लोग ऐसे पड़े हैं जिनको सिटीजनशिप राइटस नहीं हैं और इसलिये उनको कोई सरकारी फैसिलिटी जैसे तकावी वगैरा उपलब्ध नहीं होती है । इसलिये मैं सरकार से जानकारी करना चाहूंगा कि इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है और सरकार इन लोगों को कब तक राजनीतिक अधिकार दे देगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसीलिये तो मैंने निवेदन किया है कि अभी पूरी जानकारी नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह प्रश्न कोई विशेष जानकारी करने का नहीं है । पाकिस्तान से लोग आये उनके लिये जनता ने काफी पैसे खर्च करके उनको रिलीफ दिया और सरकार के लिये केवल इतना काम छोड़ा कि उनको नागरिकता के अधिकार दे दें, लेकिन तीन साल के बाद भी सरकार यह काम भी नहीं कर सकी है। और दूसरी तरफ जो लोग पाकिस्तान चले गये उनके राइट्स सरकार खत्म नहीं करती, उनके राइट्स बरकरार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं । तो आज एक राष्ट्रीय क्राइसिस पैदा कर दी है । समाज-विरोधी लोगों को तो राइट्स वहीं के वहीं रखते हैं और जो लोग पाकिस्तान से आये उन्हें आप नागरिकता के अधिकार नहीं दे रहे हैं इससे बढ़कर लज्जा की बात नहीं हो सकती है ।

गृह मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, अभी अभी जिन लोगों को नागरिकता के अधिकार दे दिये गये हैं उनकी तादाद बताई गई और जिनको नहीं दिये गये हैं उनके क्या कारण हैं उसकी एनक्वायरी हो रही है । हम इसी ख्याल से इसको स्थगित कराना चाहते हैं । हम सारी जानकारी करके दे देंगे । और यह हम सदन को विश्वास दिलाते हैं कि जिनको नागरिकता के अधिकार मिलने चाहियें उनको जल्दी से जल्दी हम दिलायेंगे, इसमें कोई डिले नहीं करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री चुन्नीलाल ।

जिला सवाई माधोपुर में पटवारियों को नियुक्तियां

425. **श्री चुन्नीलाल जेलिया** (खण्डार सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में जुलाई सन् 67 से जुलाई सन् 68 तक कितने नये पटवारियों की नियुक्ति की गई और कितने प्रत्याशी पटवार ट्रेनिंग में भेजे गये ? कृपया नाम व पता सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि पटवारियों की नई नियुक्ति जो इस अर्से में की गई उस में ऐसे पटवारी भी हैं कि जिन्होंने प्रशिक्षण तक प्राप्त नहीं किया ? यदि हां, तो ऐसे किन किन पटवारियों को किन किन कारणों से नियुक्त किया ? कृपया ऐसे पटवारियों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या जो पटवारी उक्त अवधि में ट्रेनिंग में भेजे गये अथवा स्थाई अथवा अस्थाई नये नियुक्त किये गये वे सब जिला नियोजन कार्यालय के माध्यम से ही लिये गये अथवा इनमें से कई ऐसे भी हैं कि जो जिला नियोजन कार्यालय के माध्यम से नहीं लिये गये ? यदि हां, तो ऐसे जिन जिन पटवारियों को ट्रेनिंग में भेजा गया अथवा पटवारी नियुक्त किया गया उनके नाम सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : जिला सवाई माधोपुर में जुलाई सन् 67 से जुलाई, 68 तक 57 नये पटवारियों की नियुक्ति की गई और 24 प्रत्याशी पटवार प्रशिक्षण में भेजे गये हैं । जिनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(2) जी हां । बिना प्रशिक्षण प्राप्त किये पटवारियों की जो नियुक्ति की गई उसका कारण यह था कि जो पटवारीगण ट्रेनिग में भेजे गये थे अथवा रिटायर हो गये थे उनके स्थान खाली पड़े थे । ट्रेन्ड पटवारी उपलब्ध नहीं थे लम्बे अर्से तक इन जगहों को खाली रखना वसूली एवं अन्य महत्वपूर्ण राज्य-कार्यों के हित में नहीं था । अतः राज्य कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये कुछ अन-ट्रेन्ड पटवारियों की नियुक्ति बिलकुल अस्थाई तौर पर की गई थी ऐसे पटवारियों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(3) ट्रेनिंग में भेजे जाने के लिये रेवेन्यू बोर्ड के घोषणा-पत्र के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र आते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू लैन्ड रिकार्ड्स रूल्स. 1957 के रूल 272 के अन्तर्गत भी आवेदन-पत्र मांगे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिला नियोजन कार्यालय से भी प्रत्याशी भेजे जाते हैं। इन तीनों तरीकों से आये हुए समस्त प्रत्याशियों का साक्षात्कार द्वारा चयन किया जाकर समय समय पर 24 पटवारी प्रशिक्षण के लिये उक्त अवधि में भेजे गये। जिनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

अस्थाई तौर पर नियुक्त किये सब पटवारियों को जिला नियोजन कार्यालय के माध्यम से चयन किया गया। केवल एक पटवारी को नियुक्ति जिला नियोजन कार्यालय के माध्यम के बिना बिलकुल अस्थाई तौर पर की गई जिसको भी बाद में जिला नियोजन के माध्यम से चयन कर अस्थाई तौर पर नियुक्त किया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री चुन्नीलाल जेलिया : अध्यक्ष महोदय, मुझे जो सूची मिली है उसके अनुसार मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि कितने शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को उसमें लिया गया है और कितने मुसलमान हैं और कितने अन्य जातियों के हैं ?

श्री अध्यक्ष : कितने शिड्यूल्ड कास्ट के हैं और कितने अन्य जातियों के हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : शिड्यूल्ड कास्ट की सूची मांगी नहीं गई है।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न पूछिये।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय मंत्री महोदय यह बता दें कि शिड्यूल्ड कास्ट का कोटा है उसकी पूर्ति इसमें कर ली गयी है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री लादूराम सुलानिया: क्या उन नियमों का पालन किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न कैसे है ? रिलेवेन्ट प्रश्न है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा है। जानकारी नहीं है तो करा लीजिये।

श्री अध्यक्ष : यह इसके अन्तर्गत नहीं आता है। अलग से पूछ लिया जाय।

श्री चुन्नीलाल : दरख्वास्तें आयी हैं उनमें किसी का नम्बर नहीं छोड़ा, जिलाधीश दौरे पर आते हैं तो चेतावनी देकर आते हैं। लेकिन योग्य लड़के रह जाते हैं और जिलाधीश, सवाईमाधोपुर ने साम्प्रदायिकता का वातावरण फैला रखा है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री गंगाराम चौधरी : जानकारी करली जावेगी।

श्री लादूराम सुलानिया : 57 पटवारियों को लिया जिसमें से 8 शिड्यूल्ड कास्ट के लिये। 11 मुसलमानों के लड़कों को पटवारियों में लिया। आपके डिपार्टमेन्ट में यह रूल है

(श्री लादूराम सुलानिया)
कि इस वर्ष का जितना कोटा बकाया है वह पूरा हो जाने के बाद अन्य लोगों को लिया जावेगा क्या आपने इस बात को मद्देनजर रखा है ?

श्री गंगाराम चौधरी : जो प्रश्न में पूछी गयी बातें हैं वह स्पष्टत: निवेदन कर दी गयी हैं। इस विषय में जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी नहीं है। अलग से प्रश्न है। प्रश्न पूछा जाता है तो जानकारी कर ली जावेगी।

श्री चुन्नीलाल : क्या ऐसी गलतियां जिलाधीश करता है तो भविष्य में क्या कार्यवाही की जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : वापिस प्रश्न करिये।

श्री चुन्नीलाल : जो गलती जिलाधीश द्वारा की गई है योग्य लड़कों को चान्स मिलना चाहिये था उनको नहीं दिया और जातिवाद के कारण दूसरों को लिया.....

श्री अध्यक्ष : जातिवाद के प्रश्न को देख लें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या आप यह उचित नहीं समझते हैं कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष : उसको मैं उचित नहीं समझता।

श्री लादूराम सुलानिया : राज्य सरकार के ऐसे आदेश हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट का कोटा पूरा नहीं कर लिया जावेगा तब तक और नियुक्ति नहीं की जावेगी। माननीय मंत्री ने कह दिया कि जानकारी नहीं है। जब कि इसमें साफ लिखा है। उप-मंत्रीजी को पता है कि इसमें वह आता है। सरकार इसको मद्देनजर नहीं रखती है और मनमाने ढंग से नियुक्तियां करती है। कलेक्टर साहब ने भी ऐसा रवैया अपनाया है। आसन से हम चाहते हैं कि आप चेतावनी दें मंत्री महोदय को कि इसमें शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को छोड़ कर अन्यों को भर्ती किया है उन सब को सस्पेन्ड करके बाद में नियुक्तियां वापिस करें।

श्री अध्यक्ष : मद्देनजर रखें।

श्री विश्नोई !

सरपंच, खारा को विकास कार्यों के लिये राशि

426. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरपंच, खारा को पिछले तीन सालों में विकास कार्यों के लिये पंचायत समिति द्वारा काफी रकमें दी गई थीं ? अगर हां, तो किस-किस साल में कितनी-कितनी रकमें एवं किन-किन कार्यों के लिये दी गईं ?

(2) क्या यह सही है कि सरपंच खारा ने दी हुई विकास कार्यों की रकमें पूरी खर्च नहीं कीं और गलत हिसाब बना कर पेश कर दिया है ? क्या यह भी सही है कि सार्वजनिक बेरा बंधाने के लिये जो रकम ली थी, वह बिलकुल काम में नहीं लाई गई है ? अगर हां, तो इस बारे में क्या सरकार कोई जांच कराना उचित समझेगी ? अगर हां, तो वह जांच कब तक करा दी जावेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

Page No. 23

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) अगर ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच नें सरकारी रकम का दुरुपयोग किया है तो उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) केवल दो कार्यों के लिये। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी नहीं। ऐसी शिकायत नहीं है। अतः जांच का प्रश्न नहीं है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई : गांव वालों की दरख्वास्तें आयी हैं। नोट लगाकर भेजा है। 360 रुपये दिये उसमें से कुछ पैसा नहीं लगा। फर्जी तौर पर अंगूठे लगा कर हिसाब पेश कर दिया। आप जांच करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : किसको दी ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : जिलाधिकारी, जालोर को।

श्री परसराम मदेरणा : मैं मालूम कर लूंगा कि आपकी कम्पलेन्ट कब मिली है और उस पार क्या कार्यवाही की है। दो कुओं को अलग अलग पैसा दिया। प्रमाण पत्र युटिलाइजेशन के प्राप्त होने के बाद ही दूसरी किश्तें दी गई।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : आवाज नहीं आ रही है। माननीय रघुनाथजी को ही समझा रहे हैं या हम को भी सुना रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं किसी को समझा नहीं रहा हूं। मैं तो सूचना दे रहा हूं। आपको सूचना चाहिये तो आप भी कान खोल कर बैठिये।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : हम तो कान खोल कर बैठे हैं लेकिन आपकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : हम तो कान खोल कर बैठे हैं लेकिन आपके मुंह में आलू है।

श्री परसराम मदेरणा : समझने का प्रश्न है। आप कहेंगे तो मैं आपको भी समझा दूंगा।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : आप साफ पूरी तरह से बोलिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये ?

श्री परसराम मदेराण : खारा में कुए के लिये 3,860) रु० स्वीकृत हुए और दूसरे बोढा में जो कुआ है उसके लिये 2,000) रु० स्वीकृत हुए। जिस कुए के लिये 3,860) रु० दिये गये हैं उसकी तीसरी किश्त नहीं दी गयी। दो हजार रुपया जिस कुए के लिये दिया गया उसको दो किश्तें दी जा चुकी हैं, तीसरी प्रमाण पत्र पेश होने पर दी जावेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इन्होंने फर्जी हिसाब बनाये हैं। किश्त इसीलिये रोकी है, काम नहीं हुआ है। युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पेश नहीं हुआ है। आप उचित समझते हैं तो इसकी जांच करायेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : कौनसे काम के लिये कह रहे हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : दूसरे वोढ़ा वाले कुए के लिये ।

श्री परसराम मदेरणा : तीसरी किश्त उस समय दी जाती है जब युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पेश हो ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके अनुसार कितना काम हुआ है ? पूरी जानकारी दे दीजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : पूरी जानकारी पंचायत समिति में रखी जाती है । जितनी डिटेल्स में यहां पूछी जाती है उतनी डिटेल्स में वहां भी पूछी जाती है । मैं टैक्निकल आदमी तो नहीं हूं । युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पेश हो तब ही तीसरी किश्त दी जाती है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

टी० बी० क्लिनिकों के कर्मचारियों को स्पेशल पे

427. **श्री गंगा सहाय** (कठूमर सु०): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टी०बी० क्लिनिकों में कार्य करने वाले स्टाफ को 20) रु० प्रति मास विशेष वेतन (स्पेशल पे) 1959 से मिल रहा है ?

(2) टी०बी० क्लिनिकों में कार्य करने वाले स्टाफ को यह विशेष वेतन किस आधार पर स्वीकृत किया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस वेतन के बन्द होने से उक्त स्टाफ के मंहगाई भत्ते पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है अर्थात् मंहगाई भत्ता घटा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि टी० बी० क्लिनिकों में कार्य करने वाले चिकित्सकों का विशेष वेतन (स्पेशल पे) बढ़ा दिया गया है ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा): (1) जी नहीं, राज्य सरकार के आदेश क्रमांक डी/11454/59 एफ 18(1)(177) एम.पी. एच/56 दिनांक 20-6-60 द्वारा 1 मार्च, 1960 से टी० बी० क्लिनिकों में कार्य करने वालों को विशेष वेतन स्वीकृत किया गया था ।

(2) टी० बी० संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारी छूत की बीमारी की जोखम वहन करने के कारण विशेष वेतन स्वीकृत किया गया था ।

(3) जी हां ।

(4) जी हां, 50) रु० प्रति माह से 75) रु० प्रति माह कर दिया गया है ।

श्री गंगा सहाय : प्रश्न के खंड 2 में यह बताया गया कि जोखम को वहन करने वाले कर्मचारियों को विशेष वेतन स्वीकार किया गया है । क्या अब उन अस्पतालों से हटा दिया गया जिसके कारण विशेष वेतन बंद कर दिया गया है ?

(12 मध्यान्ह)

श्रीमती सुमित्रा : वह जोखम तो नहीं है लेकिन सन् 1966 के अन्दर कुछ टी० बी० क्लिनिक्स के अलावा कुछ सैनेटोरियम्स और टी० बी० अस्पताल थे जहां पर यह विशेष वेतन नहीं मिल रहा था और जिस आदेश के अनुसार उनको इन्क्लूड किया गया, उसमें गल्ती से टी० बी० क्लिनिक शब्द रह गया ।

Page No. 25

श्री गंगासहाय : जब डाक्टरों का वेतन बढाया गया, तो वह विशेष वेतन कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया ?

श्रीमती सुमित्रा : मैंने निवेदन किया न कि जो 1966 के अन्दर विज्ञप्ति निकली उसमें अस्पताल, सैनेटोरियम शामिल नहीं थे और जब शामिल किए गए तो उसमें टी. बी. क्लीनिक शब्द रह गया । इसलिये क्लीनिक्स के सारे कर्मचारी विशेष वेतन से वंचित रह गये ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : तो क्या सरकार जो 1966 से गल्ती कर चुकी है दो शब्द रह जाने के कारण, तो वापस उन कर्मचारियों को 1966 से स्पेशल पे देने की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती सुमित्रा : जी हाँ, प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : जब गल्ती मानते हो तो फिर विचाराधीन होने का क्या प्रश्न है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सरकार की मन्शा थी स्पेशल पे देने की लेकिन गल्ती रह गई शब्द रह गया तो फिर विचाराधीन प्रश्न क्या है । सिद्धांत का प्रश्न है, सरकार को देना चाहिए था, सरकार देना चाहती थी, अब सरकार को महसूस हुआ है तो सरकार को आश्वासन देना चाहिये ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (चिकित्सा मंत्री) : कोई भी आर्डर फाइनेन्स विभाग की सहमति से वेट होकर निकलता है । वित्त विभाग की स्वीकृति आते ही आदेश जारी करेंगे ।

श्री डूंगाराम रातौरिया (दौसा-सु.) : यह सरकार की गल्ती थी तब तो प्रश्न ही पूछा गया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह ।

खादी बोर्ड के अध्यक्ष

428. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान खादी बोर्ड के अध्यक्ष पद पर इस समय किसे नियुक्त किया गया है ?

(2) इनकी क्या क्वालिफिकेशन्स हैं ?

(3) इनको कितने समय के लिए किस वेतन पर नियुक्त किया है ?

खादी ग्रामोद्योग मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : (1) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत हुए संशोधन के फलस्वरूप 27 जून, 1968 को श्री माणिक लाल जी वर्मा की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है ।

(2) अधिनियम में अध्यक्ष के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है ।

(3) अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत सदस्यों के लिए 3 वर्ष की अवधि निर्धारित है । राज्य सरकार ने मंत्रीमंडल स्तर की सुविधा इन्हें दी है जिसके फलस्वरूप 1250) रु० मासिक वेतन इन्हें दिया जा सकता है लेकिन श्री वर्मा जी ने केवल 500) रु० ही मासिक वेतन प्राप्त करना स्वीकार किया है ।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि श्री माणिक लाल पहले भी इस खादी बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : जी नहीं ।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि श्री माणिक लाल जहां जहां भी अध्यक्ष रहे हैं, वहां गड़बड़ घोटाले हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि इसी माणिक लाल को उदयपुर के अंदर राज्य सरकार द्वारा 300 बीघा जमीन दी गई है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि श्री माणिक लाल इसलिए अध्यक्ष बनाए गए क्योंकि पहले के जो मंत्री थे, वे इनके मुकाबले में अयोग्य थे ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि श्री वर्मा के दामाद जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, उनके कारण ही उनको नियुक्त किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री लादुराम सुलानिया : क्या यह सही है कि खादी में काम करने वाले जितने लोग हैं, खादी तैयार करने वाले वे तमाम लोग शिड्यूल्ड कास्ट्स के होते हैं तो क्या शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी को अध्यक्ष पद पर नियुक्त करना अच्छा नहीं होता ?

श्री अध्यक्ष : क्या अच्छा होता ?

श्री अमृतलाल यादव : यह कोई जरूरी नहीं है कि खादी में काम करने वाले सब शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं और इसलिए शिड्यूल्ड कास्ट का ही कोई अध्यक्ष होना चाहिए। कोई भी इस काम के लिए उपयोगी आदमी इसका अध्यक्ष हो सकता है।

श्री लादुराम सुलानिया (फागी-सु०) : आज बहुमत का जमाना है। जहां ज्यादा वोट होते हैं उनकी सरकार बनती है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया है कि आवश्यक नहीं है।

श्री लादुराम सुलानिया : इसमें अधिकतर लोग शिड्यूल्ड कास्ट के हैं और उसी बेसिस पर चुनाव कराये जायें तो श्री माणिक लाल नहीं आ सकते हैं, शिड्यूल्ड का कास्ट आदमी आ सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्या इस पद के लिए कोई एज लिमिट मुकर्रर नहीं होनी चाहिए ?

श्री अमृतलाल यादव : जरूरी नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तो क्यों नहीं जरूरी है ? यह आरबीट्रेरी रूल क्यों ?

श्री अमृतलाल यादव : इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि एज लिमिट हो।

श्री केशरीसिंह : प्रावधान क्यों नहीं है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सरकार की मर्जी मुबारक पर मुनहसर होता है।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि श्री माणिक लाल को अध्यक्ष पद पर नियुक्त करते ही श्री मोहनलाल सुखाड़िया साहब ने उनके दामाद जो नवयुवक हैं, उनका मंत्री पद से पत्ता काट दिया ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री केशरीसिंह हाडा।

सहकारी उपभोक्ता भण्डार, लाखेरी

429. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिण्डोली): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि लाखेरी जिला बूंदी में सहकारी उपभोक्ता भंडार की स्थापना हेतु गत वर्ष लगभग 400 सदस्य बनाए गए थे ? तथा इसकी स्थापना हुए सवा साल से अधिक हो गया है ?

(2) यदि हां, तो अभी तक यहां पर जनता के व सीमेंट फेक्टरी के मजदूरों को उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध करने के लिए इसका कार्य क्यों रोक रखा है ?

(3) क्या सरकार जल्द से जल्द इस सहकारी भंडार का कार्य आरम्भ कराकर जन साधारण को राहत दिलाना चाहती है ?

(4) क्या यह सत्य है कि इस भंडार के अध्यक्ष ने भी जिलाधीश बूंदी को शिकायत की है ? यह शिकायत कब की और इस पर जिलाधीश ने अब तक कोई प्रवन्ध क्यों नहीं किया ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री रामदेवसिंह) : (1) जी हां । लाखेरी में बूंदी सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लि० की शाखा स्थापित करने हेतु 440 सदस्य वर्ष 66-67 में बनाए गए थे । कस्वा लाखेरी में यह शाखा 19-9-67 को स्थापित की गई थी दिनांक 15-9-68 को इस शाखा की स्थापना हुए एक वर्ष होगा ।

(2) शाखा खुलने के बाद लाखेरी कस्बे के नागरिक तथा सीमेंट फेक्ट्री के मजदूरों को उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध कराया जा रहा है । शाखा का कार्य किसी के द्वारा नहीं रोका गया है ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

(4) जिलाधीश बूंदी स्वयं ही होलसेल भंडार के अध्यक्ष हैं अतः अध्यक्ष द्वारा जिलाधीश को कोई शिकायत करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री केशरीसिंह हाडा : उपभोक्ता भंडार की शाखा खुलने के कितने समय बाद कार्य शुरू किया गया ?

सहकारी मंत्री (श्री शोभाराम) : दूसरे दिन ही कार्य शुरू किया गया ।

श्री केशरीसिंह हाडा : जब दूसरे दिन शुरू किया गया तो फिर जिलाधीश जो इसके अध्यक्ष हैं उनको किस कारण से लिखा गया ?

श्री शोभाराम : भंडार के अध्यक्ष का और शाखा का मतलब दूसरा होता है । अगर प्रश्न करते कि अध्यक्ष को पत्र लिखा तो दूसरी बात थी । एक बात और थी । करीब 30,000) की बिक्री की जा चुकी है ।

श्री केशरीसिंह हाडा : मेरे प्रश्न पूछने का अर्थ यह है कि शाखा खुलने के बाद काफी समय तक कार्य नहीं शुरू करने के उपरांत जनता और सीमेंट फेक्टरी के मजदूरों ने जिलाधीश को लिखा ? कार्य न शुरू करने के क्या कारण थे ?

श्री शोभाराम : आपका प्रश्न है कि क्या सरकार जल्द से जल्द इस सहकारी भंडार का कार्य आरम्भ कराकर जन साधारण को राहत दिलाना चाहती है ? इसका मतलब कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ ?

(श्री शोभाराम)
इसका जवाब मैं देता हूं कि 30 हजार की करीब बिक्री हो चुकी है तो प्रश्न वैसे ही गलत हो जाता है। कार्य शुरू हो गया परन्तु कह सकते हैं कि 17 सितम्बर न होकर कुछ देर से हुआ हो, यह प्रश्न जो आपने रखा है.....

श्री केशरीसिंह हाडा : खंड चार में मैंने स्पष्ट लिखा है कि क्या यह सत्य है कि इस भंडार के अध्यक्ष याने जिलाधीश को भी लिखा गया, आपने फरमाया कि जिलाधीश ही इसके अध्यक्ष हैं। जब जिलाधीश अध्यक्ष हैं तो उनको लिखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। काम शुरू नहीं हुआ इसलिए जिलाधीश को लिखा और जिलाधीश ने क्यों काम नहीं शुरू करवाया.....

श्री शोभाराम : ब्रांच का अध्यक्ष जो होता है वह अध्यक्ष नहीं कहलाता। आपका प्रश्न था कि भंडार के अध्यक्ष, होलसेल भंडार के अध्यक्ष कलेक्टर हैं इसलिए यह सही नहीं है कि लाखेरी ब्रांच का कोई अध्यक्ष है। भंडार का अध्यक्ष कलेक्टर है। जो आपका प्रश्न है उससे भंडार के अध्यक्ष का मतलब निकलता है।

श्री अध्यक्ष : श्री राम सिंह कुड़ी।

आई० टी० आई०, नागौर के भवन को हानि

430. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नागौर में बनी आई० टी० आई० की इमारत बनते ही गिर पड़ी? यदि हां तो उससे सरकार को कितनी हानि हुई एवं ऐसी हानि के लिए कौन इंजीनियर जिम्मेदार है एवं उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

(2) नागौर नगर में निर्माणाधीन आई० टी० आई० की इमारत को अहाते के तथा नर्सेज का होस्टल जो नागौर अस्पताल में जुड़ता हुआ बनाया जा रहा है, उन दोनों के निर्माण कार्य के संबंध में क्या किसी नागरिक ने सरकार को व विभाग को सूचना दी है? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(2) शिकायत प्राप्त हुई है उसकी जांच की जा रही है।

एक माननीय सदस्य : नहीं उठता।

श्री केशरीसिंह : च्यवनप्राश खा लो।

श्री रामसिंह कुड़ी : मैंने स्वयं ने देखा था मकान गिर गया था, आप कहते हैं जी नहीं प्रश्न नहीं उठता। मैं वहां का रहने वाला हूं, रात दिन वहां रहता हूं।

श्री माधोसिंह : मैटर विचाराधीन है। ठेकेदार ने 7-8 फुट से ऊपर दीवार बनाई, बड़े वेग से आंधी आई, दीवार गिर गई है। आपने इमारत के लिए कहा, मैंने कहा जी नहीं। छत गिरी नहीं उससे पहले ही दीवार गिर गई।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट! श्री हरिवल्लभ शर्मा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : प्रश्न संख्या 431।

भुडेरडा ग्राम में मकान तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

431. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि एस० पी० सवाई माधोपुर एवं पुलिस के उच्चाधिकारियों के पास इसही महीने में श्रीवल्लभ नाम के व्यक्ति की यह शिकायत प्रस्तुत हुई थी कि सीमेन्ट फेक्टरी के कर्मचारियों ने भुडेरडा ग्राम स्थित उसके मकानात तोड़ दिये और उनकी सारी ईंटें तथा मलवा उठाकर फेक्टरी कर्मचारी ले गये ? यदि हां तो इस पर पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई और अब तक की जांच से पुलिस ने इस मामले में कहां तक सत्यता पाई ?

(2) उक्त शिकायत के मिलने पर अभियुक्तों के विरुद्ध कोई मुकदमा भी दर्ज रजिस्टर किया गया अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) श्री श्रीवल्लभ ने ता० 1-8-68 को सीमेन्ट फेक्ट्री के मेनेजमेन्ट के खिलाफ यह आरोप लगाते हुए दरख्वास्त दी कि फेक्टरी के ओवरसीयर तथा कई व्यक्तियों ने जाकर उनके मकान को गिरा दिया और ईंटें व मलवा उठाकर गधों पर लाद कर ले गये। उनके मना करने पर फेक्टरी के कर्मचारियों ने श्रीवल्लभ को धमकियां दी उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने तर इन्चार्ज, चौकी मानटाउन तथा एस०एच०ओ० कोतवाली, सवाई माधोपुर ने मौका देखा व फिर एक केस ह०द० 379।427 दर्ज कर तफतीश प्रारम्भ की।

(2) इस मामले में एक मु० नं० 140 ह०द० 379।427 आई०पी०सी० दर्ज किया जाकर तफतीश जारी है।

श्री श्रवणलाल : इसकी तफतीश कौन कर रहा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सब-इन्सपेक्टर, सवाई माधोपुर।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री ओमदत्त भाटी।

श्री ओमदत्त भाटी : प्रश्न संख्या 432।

महात्मा गांधी अस्पताल के एच०पी०स्ट्रेलाईजर्स

432. **श्री ओमदत्त भाटा** (सरदार पुरा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किन किन 'अ' व 'ब' श्रेणी के अस्पतालों में कितने कितने एच०पी०-स्ट्रेलाईजर्स हैं ? सूची सदन की मेज पर रखावें। किन किन अस्पतालों में इनके (एच. पी. स्ट्रेलाइजर्स) अतिरिक्त एलीमेन्ट्स हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में तारीख 8 अप्रेल, 1968 से 14 अप्रेल, 1968 तक करीब सभी एच०पी० स्ट्रेलाइजर्स खराब स्थिति में थे ? क्या यह भी सत्य है कि एच०पी० स्ट्रेलाइजर्स खराब होने के कारण एक सप्ताह तक सभी साधारण आपरेशन स्थगित किये गये तथा आवश्यक एच०पी० स्ट्रेलाइजर्स आपरेशन का सामान उम्मेद अस्पताल से स्ट्रेलाइज किया गया ? अगर हां तो इस अव्यवस्था का क्या कारण था ?

(3) किन किन अस्पतालों में एच०पी० स्ट्रेलाइजर्स की स्टेरिलिटी परीक्षण करने

(श्री ओमदत्त भाटी)

के साधन उपलब्ध हैं जैसे पायरोमीटर व कलर पेपर्स व ट्यूब (रॉड्स) इत्यादि तथा क्या इनका रिकार्ड रखा जाता है ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) : (1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां, इन मशीनों में से एक तो बहुत ही पुरानी है जिसका एलीमेन्ट अकस्मात टूट गया था और दूसरी मशीन का स्विच जल गया था।

(3) केवल जे० एल० एन० अस्पताल अजमेर व एम० जी० अस्पताल जोधपुर में पायरोमीटर व ट्यूब (रॉड्स) द्वारा स्ट्रेलाईजेशन टेस्ट करने की व्यवस्था है, जो हर महीने की जाती है और इसका रिकार्ड रखा जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री ओमदत्त भाटी : आपकी सूचना के अनुसार, अध्यक्ष महोदय, अजमेर में 5, बीकानेर में 3, जयपुर में 13, जोधपुर में 3 और अलवर में 4 हैं। आबादी को देखते हुए जोधपुर की पापुलेशन, अलवर, अजमेर, बीकानेर उदयपुर से डबल है। क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगी कि इस कमी को दूर किया जावेगा ?

श्रीमती सुमित्रा : इस कमी को ध्यान में रखते हुए सन् 68-69 के बजट में 70,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

श्री ओमदत्त भाटी : सन् 68-69 के बजट से वहां काम नहीं चलेगा। वहां काम में हर्जा हो रहा है। क्या आप वहां दो और स्ट्रेलाइजेशन देने की सेंक्शन देंगी ?

श्रीमती सुमित्रा : वह ठीक करकर दिया गया है।

श्री ओमदत्त भाटी : अभी आपने कहा कि जोधपुर में एलीमेन्ट्स नहीं हैं। दूसरी जगह नहीं हैं। वह क्यों नहीं रहे ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : ता: 20-5-68 को 70 हजार की सेंक्शन सरकार ने दी है। इसकी स्वीकृति होगई है। उसके बाद आर्डर दिया जायेगा और उसके बाद माल आयेगा। इसमें कुछ टाइम तो लगेगा।

श्री ओमदत्त भाटी : जोधपुर के अस्पताल के संबंध में जोधपुर डिविजन के सदस्य कान खोल कर सुन लें कि जोधपुर के साथ में बहुत ही उपेक्षा बरती जा रही है, जोधपुर का महात्मा गांधी अस्पताल उत्तरी भारत के सबसे अच्छे अस्पतालों में से था, उसमें आज बेड्स नहीं हैं। वहां आपरेशन डबल होते हैं। आउटडोर पेशन्टस का नम्बर दूसरी जगह से डबल है। इन्डोर पेशन्ट की संख्या भी दूसरों से ज्यादा है, फिर भी उसकी क्यों उपेक्षा बरती गयी ? उसको 'सी' श्रेणी का अस्पताल बना दिया गया है ?

श्रीमती सुमित्रा : उपेक्षा बरतने का सवाल पैदा नहीं होता। जोधपुर के दोनों अस्पताल महात्मा गांधी अस्पताल और उम्मेद अस्पताल 'ए' श्रेणी के अस्पताल हैं।

श्री ओमदत्त भाटी : 'ए' श्रेणी का है किन्तु बजट क्या देते हो। 'सी' श्रेणी का।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गवर्नमेन्ट ने 70,000 रुपये की स्वीकृति दे दी है। सामान खरीदने में टाइम लगता है। इसके लिये

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
प्रस्ताव बनाये जायेंगे और फिर आर्डर दिया जायेगा। इस सब में थोड़ा बहुत टाइम लग जाना सम्भव है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रावतराम (छापर सु.) आन ए पाइंट आफ आर्डर सर। मेरे एक प्रश्न के संबंध में दुवारा जांच कर कहने के बारे में कहा गया था, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह पाइंट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री रावतराम : रिक्वेस्ट समझ लें।

श्री अध्यक्ष : सभी प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 5 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

किसानों से पैनल्टी के रूप में वसूल की गई राशि

476. **महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) इस वर्ष डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में किसानों से पैनल्टी के रूप में कुल कितनी धनराशि वसूल की गई है? कृपया तहसीलवार सूची दिलावें।

(2) तीन वर्ष की दुष्काल की स्थिति के बाद किसानों से पैनल्टी की वसूली क्यों की गई है?

(3) पैनल्टी की वसूली के संबंध में सामान्यतः राज्य की क्या नीति है? क्या उसमें कोई परिवर्तन करने का सरकार विचार करेगी?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा में रु० 2,75,676) डूंगरपुर में रु० 67,269) वसूली की गई है। तहसीलवार सूची संलग्न है।

(2) दुष्काल की स्थिति में भू-राजस्व की वसूली स्थगित की जाती है पैनल्टी नहीं। क्योंकि यह भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नाजायज कब्जा करने पर जुर्माना है।

(3) इसके लिये नियमों में प्रावधान है जिनमें इसी प्रकार के परिवर्तन की अब आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

कृषि सहकारी समिति, ग्राम बूंटिया द्वारा मृतकों को ऋण

477. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले के ग्राम बूंटिया की एक कृषि सहकारी समिति गत कई वर्ष से ऐसे व्यक्तियों को भी ऋण का भुगतान करती रही है जिनकी मृत्यु 5-6 वर्ष पूर्व हो चुकी है?

(2) क्या उक्त ऋणदाताओं के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही की है? यदि की है तो क्या, और नहीं की है, तो क्यों नहीं की?

Page No. 32

(सहकारिता-मंत्री)

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

सहकारी समिति, कापरेन द्वारा ऋण

478. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिण्डोली): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कापरेन की सहकारी समिति किस साल में रजिस्टर्ड हुई?

(2) समिति के रजिस्ट्रेशन के पश्चात् इसको कितना ऋण दिया गया था और कब कब?

(3) समिति द्वारा किस किस को ऋण दिया गया और कब कब व किस किस काम के लिये?

(4) जो ऋण दिया गया था उसके उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किये गये अथवा नहीं?

(5) सहकारी समिति ने अपने शेयर होल्डर्स को कितना मुनाफा बांटा और कब?

उत्तर

(1) कापरेन बचत व साख सहकारी समिति सन् 1954 में (दिनांक 19-4-54 को) रजिस्टर्ड हुई।

(2) समिति को रजिस्ट्रेशन के पश्चात् जो ऋण दिया गया उसकी सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) समिति द्वारा किसको कब कब ऋण दिया गया व किस कार्य के लिए, की सूचना परिशिष्ट (ब) पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ट्रेक्टर ट्राली के लिए ऋण

479. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, कोटा ने खाद के वितरण व तैयारी हेतु ट्रेक्टर ट्राली के लिये सरकार से ऋण प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है? अगर हां, तो कब?

(2) इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां। सन् 1965 में।

(2) 1965 में स्वीकृत ऋण नगर परिषद् ने उस वर्ष नहीं उठाया। दूसरे वर्ष में नगर परिषद् ने जो प्रार्थना-पत्र सितम्बर, 66 को ऋण के लिए भेजा वह निर्धारित पत्र पर नहीं था इसलिए उनसे अनुरोध किया गया कि ऋण का प्रार्थना-पत्र निर्धारित पत्र पर भर कर जिलाधीश, जिला कृषि अधिकारी व निदेशक, स्थानीय निकाय की सिफारिशों के साथ इस कार्यालय को भेजें किन्तु दुबारा उनका प्रार्थना-पत्र आज तक प्राप्त नहीं हुआ है।

क्लॉथ शाप सब्जी मण्डी, कोटा का ऑडिट

480. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा उपभोक्ता होलसेल सहकारी भंडार लिमिटेड क्लॉथ शॉप सब्जी मण्डी, कोटा की स्थापना कब हुई ?

(2) उपरोक्त शॉप पर कुल कितनी राशि व कब कब कितनी कितनी राशि इन्वेस्ट की गई ?

(3) उपरोक्त शॉप का ऑडिट कब कब किसके द्वारा किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि ऑडिट रिपोर्ट जून 66 के अनुसार उक्त शॉप पर भयंकर अनियमितताएं बताई गई हैं व नुकसान बताया गया है ? अगर हां, तो कुल कितना नुकसान हुआ व इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) कोटा सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि०, कोटा की क्लाथ शॉप सब्जी मण्डी, कोटा की स्थापना माह नवम्बर, 1965 में हुई थी।

(2) उपरोक्त क्लॉथ शॉप पर कपड़ा खरीद में निम्नानुसार राशि व्यय की गई:—

वर्ष	राशि
1965-66	2,03,716.79 पैसे
1966-67	65,191.70 पैसे
1967-68	3,126.89 पैसे
कुल राशि..	2,72,035.38 पैसे

इसके अतिरिक्त फर्नीचर्स एवं फिक्चर्स में निम्नानुसार राशि खर्च की गई :—

18-6-66	6,350.00
26-9-66	2,125.00
कुल ..	8,475.00

(3) इस शाखा का पृथक से ऑडिट नहीं किया गया है कान्करेन्ट ऑडिटर द्वारा जिसकी नियुक्ति होलसैल भण्डार, कोटा में है, ने समय समय पर शाखा के एकाउन्टस देखकर एवं जांच कर होलसेल भण्डार की इकजाई रिपोर्ट में वर्ष वार उस शाखा के बारे में उल्लेख किया है अतः इस शाखा के ऑडिट करने की तिथि दिया जाना सम्भव नहीं है। वर्ष 1965-66 में आज तक निम्न ऑडिटरों ने ऑडिट किया है :—

वर्ष	ऑडिटर
65-66	श्री प्रेमचन्द गुप्ता एवं इन्द्रदेव शुक्ला।
66-67	श्री इन्द्रदेव शुक्ला।
67-68	1 अक्टूबर, 67 से श्री वी० डी० गुप्ता।

(4) जी हां। वर्ष 65-66 में प्रशासनिक व्यय एवं छीजत के अलावा 4,335.77 की हानि हुई थी। वर्ष 1965-66 की ऑडिट रिपोर्ट में बताई गई अनियमितताओं के निराकरण हेतु स्पेशल ऑडिटर एवं उप-रजिस्ट्रार द्वारा होलसैल भण्डार के संचालकों को समय समय पर लिखा जाता रहा है। उप-रजिस्ट्रार, कोटा को जांच कर हानि का उत्तरदायित्व निश्चित करने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।

सवाई मानसिंह अस्पताल में विभिन्न श्रेणी के कमरे

481. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में किराये के कमरे कितने हैं ? भिन्न

Page No. 34

(श्री विजयसिंह)
भिन्न श्रेणी के कमरों का क्या किराया है व उनको किराये पर देने का अधिकार किसको है ?

(2) इन कमरों को किराये पर लेने के क्या नियम हैं तथा इनका किस प्रकार वितरण किया जाता है ?

उत्तर

(1) इस अस्पताल में 54 किराये के कमरे हैं ये कमरे निम्न श्रेणी के हैं :—

श्रेणी नाम	प्रति दिन का किराया
ए० डिलक्स	15.00 रु०
सी० काटेज	7.50 रु०
ई० क्यूबीकल	2.25 रु०

(2) इन कमरों के आवंटन का अधिकार अस्पताल के उप-अधीक्षक को दिया हुआ है।

इन कमरों का वितरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है:—

(क) रोगियों की कमरे वितरण हेतु एक पंजिका रखी जाती है जिसमें कि रोगी का नाम तथा जिस डाक्टर के इलाज में है उसकी लिखित सिफारिश पर नाम लिखा जाता है। कमरा पंजिका के क्रम संख्या के हिसाब से दिया जाता है।

(ख) इसके अतिरिक्त बीमार की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मेडिकल सुपरिन्टेंडेन्ट द्वारा प्राथमिकता दी जाती है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोविन्दगढ़ के स्टाफ क्वार्टर

482. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोविन्दगढ़ के स्टाफ क्वार्टरों की नींव भरे 10-12 साल हो चुकने के बाद भी निर्माण आज तक भी नहीं हो पाया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। स्टॉफ क्वार्टर्स का निर्माण हो चुका है परन्तु कुछ कमी रह गयी है जिसके लिए प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा अधिशासी अभियन्ता, पथ एवं भवन निर्माण विभाग को लिखा जा चुका है।

ग्राम बन्तामा में अग्नि दुर्घटना से क्षति

483. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम बन्तामा, तहसील नागौर में अग्नि दुर्घटना में किन किन व्यक्तियों को व कितनी कितनी राशि के बराबर की क्षति इस वर्ष में हुई ?

(2) क्या इन अग्नि पीड़ितों को कोई सहायता दी गई? यदि नहीं तो क्यों? अब कब तक दी जा सकेगी?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

ग्राम पंचायत मांगरोल

484. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिला के ग्राम पंचायत, मांगरोल की कुल कितनी आबादी है?

(2) क्या यह सही है कि मांगरोल ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पास करके भेजा था कि मांगरोल की आबादी को ध्यान में रखते

(श्री देवीदत्त गाडिया)
हुए मांगरोल को ग्राम पंचायत से हटाकर नगरपालिका क्षेत्र बनाया जाये ?

(3) क्या यह सही है कि कोटा जिला के संबंधित अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि मांगरोल क्षेत्र को नगर-पालिका क्षेत्र बना दिया जाये ?

(4) क्या सरकार मांगरोल में नगर-पालिका स्थापित करने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) सन् 1961 की जनगणना के अनुसार मांगरोल की आबादी 8146 है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) प्रश्न विचाराधीन है।

गेहूं पर लेवी

485. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिण्डोली) :- क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने गेहूं पर जो लेवी लेना तय किया है, वह आबी के अतिरिक्त क्या बारानी से भी वसूल की जावेगी ?

(2) क्या यह सत्य है कि जो भाव सरकार ने गेहूं के निर्धारित किए हैं, वह बाजार भाव से बहुत कम हैं ? यदि हां, तो सरकार मंडी के भाव से लेवी के गेहूं की कीमत क्यों नहीं चुकाती ?

(3) क्या पेटा काश्त की भी लेवी ली जावेगी ?

उत्तर

(1) गेहूं पर किसी प्रकार की लेवी नहीं ली जा रही है ?

(2) राज्य सरकार द्वारा गेहूं के भाव निर्धारित नहीं हैं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

नैनवा के सुपरवाइजर एवं राजस्व क्लर्क द्वारा टी० ए० बिल में जीप में सफर और बस द्वारा किराये का इन्द्राज

486. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिण्डोली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि एस० डी० एम०, नैनवा ने तारीख 5-8-67 को हिण्डोली में बूंदी जिला पूल की जीप में सफर किया था ?

(2) क्या इस जीप में नैनवा का सुपरवाईजर श्री अब्दुल गफार व राजस्व क्लर्क भी साथ थे ?

(3) क्या श्री अब्दुल गफार व रेवेन्यू क्लर्क ने बस में सफर नहीं करते हुए भी बस का किराया अपने टी० ए० में शुमार किया है ?

(4) क्या सरकार इस मामले की जांच करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, सिर्फ इलेक्शन सुपरवाईजर, श्री अब्दुल गफ्फार साथ थे।

(श्री राजस्व मंत्री)

(3) श्री अब्दुल गफ्फार ने बस का किराया टी० ए० में शुमार नहीं किया।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

करवा खिरनी के चरागाह में काश्त

487. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा खिरनी तहसील मलारना चौड, बोंली में इस वर्ष भी लोगों ने चरागाह काश्त कर लिया है ? यदि हां, तो कितना रकवा चरागाह का काश्त हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि इस विषय की शिकायत इस फसल पर भी ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंचायत समिति के प्रधान ने अधिकारियों को की है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारियों ने इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, 32 बीघा।

(2) इस विषय की शिकायत पंचायत के सरपंच व पंचायत समिति के प्रधान ने उप-जिलाधीश, सवाई माधोपुर व तहसीलदार बोंली के समक्ष पेश की जिस पर नायब तहसीलदार बोंली द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये तथा बेदखली की कार्यवाही अति० तहसीलदार बोंली द्वारा की जा रही है।

बूंदी के भूतपूर्व सैनिकों के प्रार्थना-पत्र

488. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिण्डोली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के भूतपूर्व सैनिकों ने 98 प्रार्थना-पत्र जमीन और नकद रुपये देने बाबत प्रस्तुत किये हैं ? यदि हां, तो क्या उन पर कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है ?

(2) क्या यह सही है कि एक प्रार्थना-पत्र स्वयं प्रश्नकर्ता ने मुख्य मंत्री महोदय को प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो उस संबंध में अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

(3) क्या यह सही है कि भूतपूर्व बूंदी रियासत के समय भूतपूर्व सैनिकों को जमीन दिये जाने की स्वीकृति हुई थी ?

(4) क्या यह सही है कि नकद रकम देने का आश्वासन भी दिया गया था ? यदि हां, तो नकद रकम किस किस को मिल सकी और किस किस को नहीं ?

उत्तर

(1) बूंदी जिले में 309 प्रार्थना-पत्र भूमि आवंटन के लिए प्राप्त हुए जिनमें से 250 प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया गया 26 प्रार्थियों को 341 बीघा भूमि आवंटित की गई। 224 प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये गये अब केवल 59 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

(2) मुख्य मंत्री महोदय जी को याद नहीं आता कि प्रार्थना-पत्र कब दिया।

(3) इस विभाग को इस संबंध में जानकारी नहीं है।

(श्री राजस्व मंत्री)

(4) इस संबंध में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

कोयला सड़क की मरम्मत

489. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां क्षेत्र में कोयला सड़क निर्माण में कुल कितने रुपये का खर्चा हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क पर अभी तक डामर नहीं हुआ है और जिसके कारण सड़क पर बड़े बड़े खड्डे पड़ गये हैं तथा उसकी बहुत बुरी हालत हो गई है ?

(3) क्या सरकार इस सड़क की मरम्मत करवा कर इस पर डामर करवाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक डामर हो जावेगी ?

उत्तर

(1) 1,10,626) रु० खर्च हुआ है।

(2) डामर कार्य स्वीकृत नहीं है विभागीय गैंग द्वारा मरम्मत कार्य किया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

श्री गंगानगर जिले की सड़कों की मरम्मत पर व्यय

490. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सड़कों की मरम्मत के नाम से सालाना कुल कितना खर्च प्रति माह व प्रति वर्ष सन् 1966–67 व 67–68 में हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि जिला श्री गंगानगर की सड़कों की मरम्मत नहीं की जा रही है जब कि सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गये हैं और वर्षा से सड़कों के दोनों तरफ की मिट्टी बहकर जगह जगह गड्ढे पड़ रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो नोहर-रावतसर सड़क मुकरका गांव के पास मोड़ पर 2 फीट के गड्ढे 4 फर्लांग तक पड़े हुए हैं, उनकी मरम्मत क्यों नहीं की जाती ?

(3) क्या यह सही है कि नोहर रावतसर व नोहर-भादरा, रावतसर-सरदार. शहर व रावतसर–हनुमानगढ़ सड़कों की मरम्मत पर वर्ष 67–68 में काफी रुपये खर्च हुए हैं ? यदि हां, तो कुल कितने रुपये मरम्मत के लिए जिला श्री गंगानगर में दिए गए और उनमें कौनसी सड़क पर कितने कितने रुपए मरम्मत पर खर्च किए गए और बाकी कितने रुपये मरम्मत के बाद बचे ? सड़क वाईज सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(4) क्या यह सही है कि सड़कों पर दैनिक मजदूरों की हाज़री झूठी लगाई जाकर सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो कुल कितने परमानेंट मजदूर काम कर रहे हैं और कितने अस्थायी मजदूर सन् 1967–68 में सड़कों पर काम पर आए ? अब कितने मजदूर प्रत्येक सड़क पर काम करते हैं ? सड़क वाईज सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

हरीबड़ला ग्राम के पास बरामद लाशें

491. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ जिले में हरीबड़ला

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गांव के पास एक गड्ढे से एक कुम्हार परिवार के 5 व्यक्तियों की जो लाशें बरामद हुई थीं उस मामले की जांच के बाद यह मामला हत्या का पाया गया या आत्महत्या का ?

(2) इस जिले में गत दो वर्षों में आत्महत्याओं के कुल कितने मामले दर्ज हुए हैं ?

उत्तर

(1) इस अभियोग की जांच गुप्तचर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराई गई थी । जांच से यह मामला हत्या का पाया गया ।

(2) जिले चित्तौडगढ़ में सन् 1966 से जून, 1968 तक आत्महत्या के निम्नलिखित मामले पंजिबद्ध हुए हैं :--

1. सन् 1966	23
2. सन् 1967	13
3. जून 1968 तक	12

प्लाटून कमांडर्स के ग्रेड इन्क्रीमेन्ट्स का भुगतान

492. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : (कोटा) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि आर० ए० सी० की ग्यारहवीं बटालियन में कुछ ऐसे प्लाटन कमान्डर्स हैं जिन्हें ग्रेड इन्क्रीमेन्ट स्वीकृति के बावजूद वेतन बिल में क्लेम नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो कृपया उनके नाम व कारण बताने का कष्ट करें ।

उत्तर

11 वीं बटालियन आर० ए० सी० को दिनांक 1-4-68 से केन्द्रीय सरकार ने ले लिया है अतः राज्य सरकार उत्तर देने में असमर्थ है ।

प्लाटून कमान्डर्स का तबादला

493. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि आर०ए०सी० के कुछ प्लाटून कमान्डर्स को आर्म्ड पुलिस व पुलिस विभाग में ट्रान्सफर किया गया है ?

(2) अगर हां, तो क्यों ?

(3) कृपया उनके नामों की सूची मय तारीखों के बताने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) प्रशासनिक कारणोंवश ।

(3) सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

ग्राम लक्ष्मीपुरा की चौकी के मकान की मरम्मत

494. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिण्डोली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) जिला बूंदी के थाना तालेड़ा में ग्राम लक्ष्मीपुरा की चौकी किस के मकान में है ?

(श्री केशरीसिंह हाडा)

(2) इस मकान में क्या कभी थाना भी रहा था ? यदि हां, तो पुलिस कब से इस मकान पर कब्जा किये हुए है ?

(3) क्या पुलिस विभाग ने इस की मरम्मत भी कभी कराई है ? अगर मरम्मत कराई गई तो कितनी धनराशि व्यय की गई और कब ?

(4) इस मकान का किराया क्या विभाग द्वारा दिया जाता है ? अगर दिया जाता है, तो कितना ?

उत्तर

(1) यह चौकी बूंदी महाराजा साहब के मकान में है ।

(2) बूंदी राज्य के समय से ही इस मकान में पुलिस थाना था और तब ही से यह मकान पुलिस के कब्जे में चला आ रहा है ।

(3) पुलिस विभाग द्वारा गत 5 वर्ष में इसकी मरम्मत नहीं कराई गई है ।

(4) जी नहीं ।

विभिन्न जिलों में गिरफ्तारियां

495. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिण्डोली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान में दिनांक 12, 13 व 14 सितम्बर, 1966 को पुलिस द्वारा गिरफ्तारियां क्यों हुई थीं ?

(2) राजस्थान में इन दिनों में अलग अलग जिलों में कितनी गिरफ्तारियां की गई ?

(3) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को किस श्रेणी के वन्दी सरकार द्वारा घोषित किया गया था ?

(4) क्या यह सत्य है कि इनको राजनैतिक वंदी नहीं समझा गया ?

उत्तर

(1) राजस्थान में दिनांक 12, 13, 14 सितम्बर, 66 को भारतीय जनसंघ द्वारा बढ़ती हुई महंगाई, केन्द्रीय सरकार की अवमूल्यन एवं पंचवर्षीय योजना की नीति के विरुद्ध राज्य व्यापी आन्दोलन एवं सरकारी कार्यालयों पर धरना देने का प्रोग्राम घोषित किया गया था । कुछ नगरों में जिला प्रशासन द्वारा इस पृष्ठभूमि में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये धारा 144 भी लगाई गई थी । उक्त तारीखों पर धारा 144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों व शान्ति एवं व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को साधारण वन्दी ही समझा गया था किन्तु चुने हुए प्रतिनिधियों यानि चैयरमेन, म्यूनीसिपल बोर्ड व प्रधानों को विधान सभा सदस्य की भांति स्पेशल क्लास दी गई थी । गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को स्वीकृत खुराक में चाय भी देने का प्रबन्ध किया गया था ।

(4) राजस्थान जेल मेन्यूअल में बन्दियों का जो वर्गीकरण है उसमें राजनैतिक बन्दी नाम की कोई श्रेणी नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

जस्सूसर थाने के पास मिली लाश

496. **प्रोफेसर केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर में (नया शहर थाना) जस्सूसर थाने के पास नवम्बर, 1967 में एक कालेज छात्र की लाश कुंडी में पाई गई ?

(2) जिस मकान व कुंडी में लाश मिली व किसका मकान था तथा किसके पास किराये पर था तथा उसमें कौन कौन रहते थे ?

(3) क्या यह सही है कि लाश को कुछ लोग चुपचाप निकाल कर सुजानगढ़ ले गये ?

(4) इस हत्या की घटना की सूचना पुलिस थाने में किसने कब दी ? क्या इसकी एफ० आई० आर० दर्ज है ? यदि हां, तो उसकी नकल सदन की मेज पर रखी जाय।

(5) पुलिस को घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने फौरन क्या कार्यवाही की ?

(6) क्या लाश को जलाने के पूर्व उसे पुलिस ने कब्जे में कर लिया था ?

(7) क्या इसके पूर्व भी कोई कार्यवाही लाश लेजाने वाले ने की थी ? यदि हां, तो क्या ?

(8) क्या पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया था ? यदि हां, तो किससे और उसकी क्या रिपोर्ट है ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जाय।

(9) पुलिस ने इस संबंध में किस किस की गिरफ्तारी की है तथा अब तक क्या कार्यवाही की है ? हत्यारा पकड़ा गया या नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, किन्तु यह उल्लेखनीय है कि लाश दिनांक 27-10-67 को नयाशहर, बीकानेर के पानी के कुन्डे में पाई गई थी।

(2) इस मकान का मालिक श्री मंगलचन्द आचार्य, निवासी बीकानेर हैं। श्री हजारीलाल त्यागी के किराये पर यह मकान था। श्री हजारीलाल के अतिरिक्त मृतक चतरसिंह उसका भाई, कमलसिंह, लक्ष्मीनारायण एवं सत्यनारायन भी उक्त मकान में घटना के दिवस रह रहे थे।

(3) जी हां।

(4) इस घटना की प्रथम सूचना श्री सत्यनारायण भाई लक्ष्मीनारायण, ठेकेदार ने थाना नयाशहर पर दिनांक 27-10-67 समय 10-30 ए० एम० पर दी थी इसकी एफ० आर० दर्ज हुई है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(5) पुलिस को सूचना दिये जाने पर भारसाधक पदाधिकारी थाना नयाशहर फौरन अस्पताल, बीकानेर पहुंचा वहां पर चतरसिंह मृतक को न पाकर उसने भारसाधक पदाधिकारी, थाना सुजानगढ़ को ट्रंक से कहा कि यदि चतरसिंह सुजानगढ़ ले जाया गया हो और मर गया हो तो उसका पोस्ट-मार्टम कराया जावे।

(6) जी हां। पुलिस ने लाश को जलाने से पहले अपने कब्जे में कर लिया था।

(श्री गृह मंत्री)

(7) थाना पर रिपोर्ट करने से पहले ले जाने वाले व्यक्तियों ने इधर उधर बीकानेर में चतरसिंह की तलाश की थी, व कुछ समय बाद कुंड से लाश को निकाला था और उसके बाद लाश को सुजानगढ़ ले गये।

(8) जी हां, पोस्ट मार्टम डाक्टर श्री बी. वी. व्यास प्रभारी, अस्पताल ने किया था प्रतिलिपि पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट संलग्न है।

(9) पुलिस ने इस सम्बन्ध में अपराध सं० 64, दिनांक 31-10-67, धारा 302, भा० द० सं० कायम कर तफतीश की एवं दिनांक 24-3-68 को सर्व श्री अमरसिंह सत्यनारायण एवं लक्ष्मीनारायण को गिरफ्तार किया। हजारी फरार हो गया जिसके विरुद्ध धारा 87-88, भा० द० सं० के तहत कार्यवाही कराई गई। इसके बाद श्री हजारी ने राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत कराली अब दिनांक 12-6-68 उपरोक्त चारों व्यक्तियों का चालान संबंधित न्यायालय में कर दिया गया है जहां कि अपराध जेर तजवीज है। हत्यारे पकड़े जा चुके हैं।

पंचायत डीडवाना के सरपंच तथा अध्यापक की गिरफ्तारी

497. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या यह सही है कि पंचायत डीडवाना, तहसील लालसोट के सरपंच व स्कूल के अध्यापक को दिनांक 17-6-67 को दो बोरी दानेदार चीनी को ले जाते हुए थानेदार, लालसोट ने डोब के नाले में मय ऊंट के गिरफ्तार करके थाने में बन्द कर दिया? यदि हां, तो उन दोनों के खिलाफ अब क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

यह सही नहीं है कि पंचायत डीडवाना, तहसील लालसोट (जयपुर) के सरपंच श्री रामस्वरूप को दिनांक 17-6-67 को डोब के नाले में दो बोरी दानेदार चीनी मय ऊंट के साथ थानेदार, लालसोट ने गिरफ्तार किया।

बल्कि सत्य यह है कि श्री मदनसिंह पुत्र श्री गोकुलसिंह राजपूत सा० डोब को दिनांक 17-6-67 को लालसोट के डोब के नाले में मय एक ऊंट जिसपर दो बोरियों में दानेदार चीनी वजनी 67।। किलो थी के गिरफ्तार किया और उसी तारीख को श्री शंकरलाल मास्टर पुत्र श्रवण लाल, नि० डीडवाना (लालसोट) को एफ० आई० आर० में नामजद होने के कारण थाने में तलब कर गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारियां अभियोग संख्या 38, दि० 17-6-67, धारा 125 डी०आई०आर० 3/7 ईसेन्शियल कामोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया जाकर की गई थी। प्रथम सूचना की प्रतिलिपि संलग्न है, जो रामेश्वर प्रसाद बराया पुत्र रामजीलाल मंत्री स्वतन्त्र पार्टी, लालसोट के द्वारा दर्ज हुई थी।

इन दोनों मुलजिमान को दि० 18-6-67 को 2,000) रु० की जमानत मय मुचलका पर पुलिस ने आजाद किया और तफतीश की गई तो गवर्नमेन्ट ऑफ राजस्थान फूड एण्ड सिविल सप्लाई डि० नोटीफिकेशन नं० एफ०12 (31) फूड/सप्लाई/67 डि० जयपुर दि० दिसम्बर 7, 1967 के तहत यह शक्कर, निर्धारित मात्रा याने 5 क्विन्टल शक्कर (चीनी)

(श्री गृह मंत्री)

से कम होन के नाते से कोई जुर्म होना नहीं पाया गया । जिसकी कोपी संलग्न है। अतः दिनांक 10-2-68 को फाइनल रिपोर्ट अदम वकुवा दी गई। सब-इन्सपेक्टर द्वारा जुर्म न बनने पर भी गिरफ्तारी की इसलिए उसके खिलाफ महकमाना कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

पुलिस थाना, कनवास

498. **श्री जुझारसिंह** (रामगंजमंडी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कनवास, जिला कोटा में पुलिस का नया थाना कब बनाया जाना मंजूर हुआ था और कब तक बन कर तैयार हो जाने की उम्मीद है? कृपया यह भी बतावें कि इस थाने को बनाने में कुल कितना धन खर्च होगा?

(2) कनवास में पुलिस थाना कब से कायम हुआ था और अब तक किस इमारत में चल रहा है? कृपया यह भी बतावें कि मौजूदा इमारत से बदल कर नये स्थान पर लाने में सरकार को क्या फायदा है?

उत्तर

(1) थाना कनवास, जिला कोटा में नया बनाने की राज्य सरकार ने अपने पत्र सं० एफ० 4/बी/14, एच० ई० 11164, दिनांक 30-7-64 द्वारा स्वीकृति दी थी इसका निर्माण कार्य चालू है। इसके बनाने में प्रशासनिक मद में 43,620) व आवास में 35,775) रु० व्यय होने की संभावना है।

(2) कनवास में पुलिस थाना राजस्थान निर्माण के समय से ही कायम किया गया था वर्तमान में तहसील कनवास के भवन में चल रहा है। वर्तमान बिल्डिंग थाने की आवश्यकताओं को देखते हुए अपर्याप्त होने से, नई बिल्डिंग मय स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण कराई जा रही है।

डेली वेजेज पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

499. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य पथ परिवहन निगम की सेवा में कितने लोगों को अब तक डेली वेजेज पर रखा गया है? हर साल के आंकड़े हर पद के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सच है कि जिन लोगों को डेली वेजेज पर बहुत कम वेतन पर रखा जाता है उनको भी चार चार माह तक वेतन नहीं दिया जाता है?

(3) क्या यह भी सच है कि कन्डक्टर की पोस्ट्स पर ज्यादातर डेली वेजेज कर्मचारी रखे जाते हैं और उनको एक दो महीने रख कर हटा देते हैं? जिससे उनकी यह भावना होती है कि इस छोटे से समय में जितना भी कमाया जावे कमावें और इस भावना से रोडवेज को भारी नुकसान होता है? यदि हां, तो इसको दूर करने की क्या कार्य- वाही की जा रही है?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

रेशा उद्योग केन्द्र

500. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान खादी बोर्ड द्वारा स्वयं की सीधी देख-रेख में कितने रेशा उद्योग केन्द्र चलाये जा रहे हैं तथा कितने ऐसे उद्योग अन्य सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं और कहां कहां चलाए जा रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इनमें से कितने केन्द्र अभी चल रहे हैं और कितने बन्द पड़े हैं तथा बन्द होने के क्या कारण हैं ?

(3) इन केन्द्रों की प्रत्येक की वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या है ?

उत्तर

(1) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सीधी देख-रेख में रेशा उद्योग का कोई केन्द्र नहीं चलाया जा रहा है। बोर्ड द्वारा 29 संस्था व सहकारी समितियों को संलग्न सूची के अनुसार रेशा उद्योग का कार्य करने के लिए ऋण व अनुदान दिया गया है जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

खादी आश्रम, राजगढ़

501. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खादी आश्रम, राजगढ़ में कुल कितने बुनकरों का नाम पंजीकृत किया गया है ?

(2) प्रत्येक बुनकर का कितना कितना रुपया सूत भेंटे (सिक्युरिटी) के रूप में जमा है ?

(3) क्या खादी आश्रम सभी बुनकरों को पूरे समय के लिए रोजगार देता रहा है और क्या आज भी दे रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या बुनकरों से कपड़े की खरीदी हर पखवाड़े नियमित रूप से होती है ? यदि नहीं हो रही, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि उल्टे बट के सूत के कारण बुनकरों की कठिनाई बढ़ी है ?

(6) क्या यह सही है कि उल्टे बट के सूत के कारण बुनाई में बुनकरों को परेशानी बढ़ने से उन लोगों ने खादी बुनाई कार्य छोड़ दिया है ?

उत्तर

(1) खादी आश्रम, राजगढ़ के अंतर्गत 56 बुनकर पंजीकृत है।

(2) जानकारी प्राप्त नहीं है।

(3) खादी के धंधे में लगे हुए बुनकरों को अपेक्षित कार्य पूर्ण करवाकर रोजगार दिया जाता है।

(श्री खादी ग्रामोद्योग मंत्री)

(4) नियमित रूप से खरीद की जाती है।

(5) वर्तमान में बुनकरों को कोई कठिनाई नहीं है।

(6) जी नहीं।

निवाई-डिग्गी वाया डांगरथल रूट की बसें

502. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निवाई से डिग्गी वाया डांगरथल रूट पर कब से कितनी बसें पास हैं ? क्या अब वे रोज चलती हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनता की परेशानी को देख कर दूसरे लोगों को परमिट देने का विचार कर रही है ?

(2) क्या यह भी सच है कि निवाई तहसील हैडक्वार्टर से ग्राम राहोली बहुत दूर होने से लोगों को रोज आने जाने में परेशानी है ? यदि हां, तो क्या उस रूट पर बस का परमिट देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) निवाई से डिग्गी वाया डांगरथल होकर कोई बस नहीं चल रही है। इस मार्ग के लिए जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं उन पर आर० टी० ए० द्वारा 24-9-68 की बैठक में विचार किया जायगा।

(2) ग्राम राहोली उपर्युक्त मार्ग पर स्थित है और इस मार्ग के लिए बस परमिट देने का निर्णय आर० टी० ए० द्वारा 24-9-68 की बैठक में होना निश्चित है।

कृषि औजारों के उत्पादन पर व्यय

503. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि इंजीनियरिंग मण्डल राजस्थान द्वारा आरम्भ से 1967 के अन्त तक कितना रुपया कृषि औजारों के उत्पादन पर खर्च किया गया है ? इससे कृषि क्षेत्र को क्या क्या लाभ हुए हैं ?

(2) उक्त मण्डल द्वारा बनाये गये यन्त्रों (औजारों) की खरीद पंचायत समितियों द्वारा कितनी हुई है तथा अन्य (प्राइवेट) रूप से कितनी हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान कृषि यन्त्रालय, जयपुर की स्थापना के पश्चात् सन् 1961-62 से 1966-67 तक छः वर्ष में कृषि यंत्रों एवं अन्य कार्यों के निर्माण आदि कार्यों पर 92.00 लाख रुपये का व्यय किया गया। कृषि यंत्रों के उत्पादन से कार्यों में निम्नलिखित लाभ हुए हैं।

1. उन्नत कृषि यंत्रों का निर्माण एवं विकास, राजस्थान की जलवायु मिट्टी कृषकों की आवश्यकता के आधार पर किया गया है।

2. 61-62 से 66-67 को छः वर्ष की अवधि में 60,000 जुताई यंत्र, 13,300 बुवाई यंत्र एवं 3,500 विधायन यंत्र (Processing equipment) जैसे मक्का शैलर। कुट्टी काटने, स्वचालित बीज व उर्वरक ड्रिल एवं ट्रेक्टर चालित यंत्रों का निर्माण एवं वितरण हुआ। उन्नत कृषि यंत्र जो कृषक के कृषि कार्यों का समय एवं श्रम बचाने के साथ साथ उन पर आने वाले खर्च को कम

(श्री कृषि मंत्री)
करते हैं। जिससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। प्रेषकर कार्यक्रमों में कृषि यंत्रों का मुख्य रूप से योगदान रहा है।

3. कृषि यंत्रों के अतिरिक्त कृषि कार्यों से संबंधित अन्य कार्यों में आने वाली मशीनें, जैसे ट्रेक्टर, पम्पिंग सेट, भारी मिट्टी वाहक मशीनों की देख-रेख एवं आवश्यकतानुसार उनका जीर्णोद्धार एवं संधारण आदि सुविधायें दी जाती हैं।

4. कृषि सम्बन्धित अन्य कार्य जैसे फेंसिग पोल। फार्म स्ट्रक्चर आदि का निर्माण कार्य हुआ है।

(2) 61-62 से 66-67 की अवधि में कुल बिक्री 57.07 लाख रुपये की हुई। जिसमें उन्नत कृषि यंत्र, ट्रेक्टर एवं अन्य वाहनों का जीर्णोद्धार कृषि कार्य में आने वाली विभिन्न प्रकार की मशीनों का जीर्णोद्धार तथा फेंसिग पोल फार्म स्ट्रक्चर आदि की बिक्री सम्मिलित है। इसमें ही पंचायत समितियों द्वारा खरीद भी शामिल है इनका अलग से कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

बाबा कोऑपरेटिव सोसाइटी, कठूमर

504. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दी बाबा कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, कठूमर का चुनाव निर्माण होने के बाद से आज तक नहीं हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सहकारी समिति की आम सभा गत 3-4 साल से नहीं बुलाई गई है ?

(3) क्या यह सही है कि समिति का लेखा जोखा आज तक कभी भी सदस्यों के सामने नहीं आया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। समिति की अन्तिम साधारण सभा दिनांक 3-7-68 को हुई थी।

(3) समिति के कार्यवाही रजिस्टर के अनुसार समिति की आम सभाओं में जो दिनांक 13-4-63 व 3-7-68 को हुई उनमें सदस्यों के लेखा-जोखा समझाने का उल्लेख है।

सहकारी समितियों में गबन के मामले

505. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सहकारी समितियों पर कितने गबन के मामले चल रहे हैं, उनमें कितनों की विभागीय जांच हो चुकी है या हो रही है और कितनों पर केस चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कितनी सहकारी समितियों पर आडिट रिपोर्ट द्वारा गबन या धन का दुरुपयोग के चार्ज लगाये गये हैं ? समितिवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सच है कि अधिकतर सहकारी समितियां आडिट रिपोर्ट के ऐतराजों का अनुपालन नहीं करती हैं ? यदि हां, तो ऐसी सहकारी समितियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करती है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

भेड़-ऊन विभाग में घाटा

506. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के भेड़ ऊन पालन विभाग में गत 3-4 वर्षों में कितने रुपयों का घाटा रहा और किस किस कारण से हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) इस घाटे के कारणों को दूर करने के सम्बन्ध में सरकार क्या विचार कर रही ह ?

उत्तर

(1) ऊन के क्रय-विक्रय सम्बन्धी आंकड़ों की सूची संलग्न प्रपत्र 'क' पर है ।

न केवल राजस्थान में वरन् समूचे देश में ऊन का वर्गीकरण करन के उपरान्त विक्रय की यह प्रथम योजना है जो कि राज्य में लागू की गई है । इस प्रकार की वर्गीकृत ऊन का प्रयोग किस किस उद्योग में हो सकता है इस सम्बन्ध में भी ऊनी उद्योग वाली फर्मों ने प्रयास आरम्भ किया है । अतः एकाएक विक्रय में पूरी कीमत मिलना भी कठिन प्रतीत हुआ है । इस सम्बन्ध में जो वर्गीकरण की श्रेणियां बनाई गई हैं उनमें मांग के अनुसार रद्दो बदल की जा रही है ।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को व्यापारिक क्षेत्र में कार्य करते देखकर जो वर्षों से व्यापारी इस उद्योग में लगे हुए हैं उनमें भी एक स्पर्धा जागृत हो गई और गांवों में ऊन की खरीददारी इन व्यापारियों के द्वारा स्पर्धी क्रय की दरों पर की गई जिससे कि गांवों में क्रय की दरों में एक वृद्धि पाई गई । जिस प्रकार कि व्यापारी वर्ग तोल आदि में ऊन खरीदते समय अनेकों गलत प्रणालियों का प्रयोग करके भेड़पालक का शोषण करते हैं । उस नीति से परे होकर राज्य सरकार ने सही ढंग से तोल आदि करके भेड़पालकों को उचित कीमतें दी हैं जिससे कि भेड़ पालक इन व्यापारियों या उनके बिचोलियों के शोषण से बच सकें । अतः सदियों से चली आ रही प्रथाओं को बदलने में समय और मुद्रा दोनों का ही व्यय अधिक होता है । अतः प्रारम्भिक अवस्था में घाटे का होना कोई बड़े महत्व की बात नहीं है । और ऐसी विकासशील योजना में इसे इतना महत्व भी दिया जाना चाहिए । कुछ अंशों तक प्रशासनिक नियोजन की कठिनाइयां भी इसका कारण बनी हैं परन्तु विभाग इस ओर से पूर्ण जागरुक होकर अब कार्य कर रहा है और प्रशासन को और कठोर किया जा रहा है ।

(2) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार पूर्णतया जागरुक होकर प्रशासन सम्बन्धी व विनिमय सम्बन्धी सभी कारणों को दूर करने की चेष्टा कर रही है । इसके अतिरिक्त इस व्यापारिक एवं विकास कार्यो को नियोजित करने के लिए पशुपालन उप-मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसमें कि विभागीय निदेशक महोदय समिति के सचिव नियुक्त किये गये थे और विदेशी विशेषज्ञ एवं अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य संस्थान के प्रोजेक्ट आफिसर श्री स्काट समिति के सदस्य थे । इन कारणों की जांच करने एवं उन्हें दूर करने सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट समिति ने राज्य सरकार को प्रेषित करदी है । इस रिपोर्ट के अन्तर्गत अन्य सुझावों के अतिरिक्त एक यह भी सुझाव रखा गया है कि व्यापारिक एवं विकास

(श्री कृषि मन्त्री)

कार्य के लिए राज्य में एक वूल बोर्ड की स्थापना की जावे। वूल बोर्ड बनाने की योजना भी विधि संहिता के आधार पर राज्य सरकार के विचाराधीन है।

ऊन के क्रय सम्बन्धी कार्य-प्रणाली में उचित प्रशासनिक कठोरता लाने के अनुशासनिक प्रयास किए जा रहे हैं तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर दंडित भी किया गया है। इसके अन्तर्गत 14 कर्मचारियों को दंडित किया जा चुका है। शेष के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति, अचरोल द्वारा चीनी का वितरण

507. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (वारां): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील जमवा रामगढ़ के ग्राम अचरोल की क्रय-विक्रय सहकारी समिति अचरोल में सन् 1965-66 में एक करीब 290 बोरी चीनी वितरण हेतु आई थी? यदि हां, तो यह चीनी किस स्थान से खरीदी गई और उसकी कुल रकम किस किस प्रकार से जमा कराई गई?

(2) इस सोसाइटी में आई 290 बोरी का वितरण किस अधिकारी के किस परमिट नम्बर द्वारा मय तारीख के किस किस प्रकार से वितरण की गई की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त समिति ने जो 143 बोरी चीनी के बिल्स काटे उस पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं?

(4) क्या यह सही है कि समिति ने 101 बोरी चीनी का वितरण श्री लल्लूराम आकड़ जम्वा रामगढ़ द्वारा वितरण किया गया बतलाया है?

(5) क्या यह सही है कि समिति ने 26 बोरी का वितरण रामकिशोर राही मैनेजर सोसाइटी द्वारा वितरण की गई बतलाया है?

(6) क्या यह सही है कि समिति के हिसाब में 6 या 8 बोरी का गबन होना पाया जाता है?

(7) क्या इस चीनी के हिसाब की जांच सहकारी विभाग के किसी ऑडिटर ने की है? यदि हां, तो किस अधिकारी ने जांच की है और क्या उस जांच रिपोर्ट में चीनी की बोरियों के वितरण में भारी गोलमाल व भ्रष्टाचार से सम्बन्धित आरोप अपने जांच रिपोर्ट में लगाये हैं? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

किशनगढ़ पंचायत समिति में संकर बाजरे के बीज की खरीद

508. **श्री गंगासहाय** (कठूमर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) किशनगढ़ पंचायत समिति के किस किस ग्राम के कृषि फार्म (नाम फार्म) से संकर बाजरे का बीज तैयार कराया गया था?

(श्री गंगासहाय)

(2) क्या यह बीज शुद्ध (सही) रूप में संकर बाजरे का बीज तैयार हुआ था?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने इस बाजरे को उक्त फार्म से 6 रु. प्रति किलो की दर से खरीदा तथा 8 रु. प्रति किलो के भाव से बेचा ? कुल कितनी रकम का बीज उक्त फार्म से खरीदा गया ?

उत्तर

(1) किशनगढ़ पंचायत समिति में निम्न 6 काश्तकारों के यहां संकर बाजरे का बीज तैयार कराया गया था ।

नाम काश्तकार

1. श्री शम्भू सिंह, किशनगढ़ ।
2. श्री उदयसिंह मोहेन्दु ।
3. श्री फतेह सिंह ।
4. श्री किशोरसिंह, मोहेन्दु ।
5. श्री सहदेव सिंह ।
6. श्री मूलचन्द मोनोत ।

(2) जी हां । यह सारा ही बीज राष्ट्रीय बीज निगम ने प्रमाणित किया है ।

(3) जी हां । 9,126 रुपयों का बीज खरीदा ।

(12.16 म० प०)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था में माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्न स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने हेतु पैंडिंग रखा गया था । इन पर मेरा निर्णय इस प्रकार है :—

(1) सीकर जिले की फतहपुर व लक्ष्मणगढ़ तहसीलों में हैजे की बीमारी फैलने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री आलम अली खां, श्री किशनलाल शाह, श्री चुन्नीलाल (खण्डेला) व श्री कन्हैयालाल (बस्सी) द्वारा स्थगन प्रस्तव ।

(2) सिरोही से 40 मील की दूरी पर आबू रोड तहसील के ग्राम कारोली में एक परिवार के व्यक्ति द्वारा दूसरे परिवार के 9 व्यक्तियों की हत्या कर देने के बारे में श्री केशरीसिंह हाडा द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

मैं इन दोनों स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं किन्तु मैं माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु यह चाहूंगा कि संबंधित मन्त्री महोदय स्थिति को स्पष्ट करते हुए इन पर सोमवार दिनांक 16 सितम्बर, 1968 को वक्तव्य देने की कृपा करें ।

इसके अतिरिक्त निम्न स्थगन प्रस्तावों को भी प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं :—

(1) सुबोध कालेज, जयपुर के हड़ताली छात्रों के साथ कालेज के प्रिन्सीपल के व्यवहार के बारे में श्री विजयसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(2) जयपुर शहर में रामगंज बाजार की चोपड़ के निकट स्थित प्रसूति गृह को हटाने की संभावना से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री श्रवणलाल व श्री प्रेमसिंह सिंघवी द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(श्री अध्यक्ष)

(3) ग्राम पांचू, तहसील नोखा, जिला बीकानेर में वाटर सप्लाई ठप्प होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री चुन्नीलाल इंदलिया द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(4) तहसील नोहर, जिला श्रीगंगानगर के बारानी क्षेत्र में साबका काश्तकारों को व भूमिहीन काश्तकारों को कई ग्रामों में रकवा एलाट न किये जाने के बारे में श्री रामचन्द्र आर्य, श्री दौलतराम सारण, श्री हीराभाई व श्री हरजीराम बुरड़क द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(5) बजाज नगर, जयपुर में कच्ची झोंपड़ियों को हटाने के संबंध में श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(6) जिला भरतपुर के ग्राम कुम्हेर के थानेदार द्वारा दिनांक 11-8-68 को ग्राम सुपावस के कई ग्रामवासियों को पीटने व गिरफ्तार करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री देवीदत्त गाड़िया व श्री बालसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि श्री डूंगाराम व श्री नाथूलाल करोल ने रामगढ़ के बंधे की पाल से पानी के लिकेज के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय में पहले से ही एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री दुर्गालाल बाढदार से प्राप्त हो चुकी है।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल से प्राप्त हुई है जिसमें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को दिनांक 1-10-67 से बढ़ाये गये महंगाई भत्ता न देन और बोनस न देने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है ।

उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की गई है। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होने पर उन पर निर्णय लिये जाकर माननीय सदस्यों को सूचित किया जायगा ।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचना देनी है कि प्रतापगढ नगरपालिका के पांच सदस्यों द्वारा कल प्रातः 10 बजे से विधान सभा के समक्ष धरना देने के बारे में श्री भैरोंसिंह, श्री कृष्ण कुमार गोयल, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री देवं दत्त गाड़िया, श्री प्रेमसिंह सिंघवी, श्री ओमदत्त भाटी, श्री गंगासहाय, श्री श्रवणलाल, श्री नन्दलाल, श्री हरलाल सिंह व श्री लाभचन्द वैद से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। इस विषय में मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि स्वायत्त शासन मन्त्री जी स्थिति को स्पष्ट करते हुए सोमवार दिनांक 16 सितम्बर, 1968 को वक्तव्य देने की कृपा करें। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामकिशन सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें यह बतलाया है कि राज्य के पब्लिक स्कूलों में विशेषतः सैन्ट जैवियर महारानी गायत्री देवी पब्लिक स्कूल की कक्षा 5वीं में जो इंडियाज फाउन्डेशन्स नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है उसमें मीरा का गलत चरित्र चित्रण किया गया है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी इस विषय में स्थिति को स्पष्ट करते हुए सोमवार को

(श्री अध्यक्ष)
वक्तव्य देने की कृपा करें। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इसके अतिरिक्त निम्न स्थगन प्रस्तावों की भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें उल्लिखित मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर आज विचार किया जाय। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

1. कस्वा नोहर के वाटर वर्क्स के कुओं का पानी खारा हो जाने से उत्पन्न स्थिति के वारे में श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

2. झुन्झुनू जिले में गत वर्ष व इस वर्ष अकाल की विषम स्थिति के वारे में श्री मोहनलाल मोदी द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

3. ग्राम जसवन्तगढ़, जिला नागौर को जल प्रदाय योजना से खारा पानी दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के वारे में श्री हरजीराम वुरडक द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

4. राणा प्रताप सागर वांध की डूब में आये गांवों के विस्थापितों को वसाने की समस्या के वारे में श्री रामकुमार नंदवाना द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

5. उदयपुर जिले में तालाव के निर्माण में नर वलि देने के वारे में श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छवड़ा) : दौसा में जो कत्ल हुआ उसके संवंध में मेरा स्थगन प्रस्ताव है एक दस साल का लड़का था....

श्री अध्यक्ष : आज 11 वजे आया है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : पहले भी दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : एक प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया ने दी थी 10-9-68 को जिसको अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (वारां) : इस संवंधी प्रस्ताव तो दस रोज पहले प्रस्तुत कर चुका हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी वाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, दौसा में हुए कत्ल के संवंध में जो स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है वह इसी तरह का कत्ल है जैसा कि कोटड़ा मादड़ी पंचायत समिति में एक तालाव के निर्माण में वारह वर्षीय गुमानसिंह की नर वलि दी गई। दुर्भाग्य यह है कि माननीय सदस्यों ने जव मांग की कि उसके पिता को आर्थिक सहायता दी जाय और निन्दा का प्रस्ताव उसके खिलाफ पास किया जाय। इस सारे सवाल को हमारी सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उस लड़के के वाप के लिये एक हजार रुपये की सहायता भिजवाई और उन्होंने वड़े गहरे शब्दों में इस कृत्य की निन्दा की है और उन्होंने यह भी कहा है कि जिन लोगों की गफलत के कारण यह हुआ है उनको दंड दिया जाय। लेकिन इतना होने पर भी इस राज्य सरकार ने उसको वहुत ही हल्के तरीके से लिया है।

इसी तरह से एक छः साल के लड़के को कुए में डाल दिया गया उसमें दौसा के नगर-पालिका के कांग्रेसी सदस्य श्री रामकिशोर जी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
उनको आठ दिन तक थाने में रखा गया लेकिन अब कांग्रेसी नेताओं के दबाव से उस रामकिशोर और बाकी मुल्जिमों को पुलिस की हिरासत से रिहा कर दिया गया। पुलिस पर दबाव डाला जा रहा है कि इस मामले को दबा दिया जाय। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा इस तरह से छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं की जायें और आप उस पर मौन साधे बैठे रहें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह कांग्रेस पार्टी के लिये बलि चढ़ाई गई है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : मैं कई मर्तबा यह प्रस्ताव सदन के सामने रख चुका हूं। बारानी क्षेत्र में जो काश्तकार हैं उसमें बीस हजार के करीब सालाना अलोटीज हैं उनको समय पर जमीन अलोट न होने की वजह से उन पर तावान लगता है आज तक उनको जमीन अलोट नहीं की। मैं निवेदन करूंगा कि संबंधित मंत्री से वक्तव्य दिलाया जाय ताकि आयन्दा काश्तकारों को इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ नगरपालिका के संबंध में जो आपने व्यवस्था दी है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस नगरपालिका के बारे में सरकार आरम्भ से ही खिलवाड़ करती आ रही है। जून 66 में जो चुनाव हुए उसके परिणामस्वरूप वहां पर विरोधी जनसंघ स्वतन्त्र पार्टी दोनों की सदस्य संख्या 14 में से दस थी और उस समय बहुमत के आधार पर चेयरमेन का चुनाव हुआ था। चेयरमेन के चुनाव के बाद तीन और सदस्यों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली फिर भी बहुमत जनसंघ के पास था। जनसंघ ने वहां के चेयरमेन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखा। उसके लिए तारीख निश्चित की गई। पहली तारीख पर एस०डी०एम० उपस्थित नहीं हो सके किसी कारण वश। दूसरी तारीख रखी उस तारीख को एस०डी०एम० ने बदल दिया और इसके बाद पांच जनसंघी सदस्यों को, चेयरमेन के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पारित न हो, उनको सस्पेन्ड कर दिया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रेसीडेण्ट रूल के आने के बाद उन सस्पेण्ड किये गये सदस्यों को वापिस रिइन्स्टेट कर दिया गया उसके बाद जब छः महीने की अवधि हो गई...

श्री अध्यक्ष : यह तो प्रस्ताव में उल्लेख है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन को तो जानकारी मिलनी चाहिये। जो सरकार लोकतन्त्र का दावा करती है उसका व्यवहार प्रतापगढ़ नगरपालिका जो जनसंघ की नगरपालिका थी उसके साथ किस प्रकार रहा है.....

श्री कृष्ण कुमार गोयल : प्रेसीडेण्ट रूल में उन पांच आदमियों को वापिस रिइन्स्टेट कर दिया गया। छः महीने की अवधि में पुनः अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तारीख निश्चित हुई। लेकिन ए० डी० एम० नहीं आये। दुबारा तारीख पर जब ए०डी० एम० वोट लेने आये, दुबारा फिर उनको सस्पेण्ड कर दिया गया। इस तरह से दो दो बार अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं करने दिया गया। अन्त में स्थिति यहां तक आ गई कि 25 अप्रेल, 67 से आज तक सितम्बर, 68 तक एक भी

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

जनरल मीटिंग नहीं बुलाई गई। 18 महीने हो गये वहां के चेयरमेन ने बोर्ड का बजट बिना मीटिंग बुलाये ही बगैर पास किये उसको स्वीकार करके भेज दिया। लोग आपत्ति कर रहे हैं बजट पास नहीं हुआ। लेकिन उस बजट को सरकार ने स्वीकार कर लिया। जनता की मांग है कि वहां के प्रेसीडेण्ट से अधिकार छीन लिये जायं। पैसा खर्च करता चला जा रहा है। सरकार किसी प्रकार भी उसमें दखल देना नहीं चाहती क्योंकि वह देखती है उसको तो बहुमत है नहीं। इसलिए चेयरमेन मनमानी कर रहा है। उनके खिलाफ पांच मेम्बर नगरपालिका के सदन के सामने धरना दिये बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय! यह प्रश्न नगरपालिका प्रतापगढ़ से ही संबंधित नहीं है सारी राजस्थान की नगरपालिकाओं से संबंधित है। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं सरकार इस प्रकार मनमानी करके रहेगी तो वे धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे यह केवल एक ही जगह तक सीमित नहीं रहेगी इसके लिये राजस्थान व्यापी आन्दोलन होगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने वक्तव्य देने के लिये कह दिया। इस प्रश्न पर भाषण नहीं होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं स्वयं प्रतापगढ जाकर आया हूं। वहां की स्थिति की मुझे सही जानकारी है मैं वह देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर! कृपया आप स्थान ग्रहण करें मैंने इस बारे में वक्तव्य देने को कहा है और जल्दी से जल्दी तारीख निश्चित की है जिस दिन वक्तव्य होगा उस दिन माननीय सदस्य सारांश में अपनी भावनाओं को प्रगट कर सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हम चेयर का सम्मान करते हैं चेयर को भी चाहिये कि वह भी हमारी बातों को सुनें। मैं स्वयं प्रतापगढ जाकर आया हूं.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य वक्तव्य दिया जा रहा है। आप वहां हो आये हैं तो उस दिन आपको मौका मिल सकता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वहां की जनता जलूस निकाल रही है नगरपालिका अस्त-व्यस्त हो रही है.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर! माननीय सदस्य नियमों का पालन करें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : पंचायत समिति पर धरना है सारे प्रतापगढ़ में हड़ताल है इस गंभीरता को देखते हुए स्टेटमेन्ट दिलवाइये।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : प्रतापगढ़ के बारे में स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया है आसन की तरफ से उस पर व्यवस्था दे दी गई। गोयल साहब ने इस मामले की चर्चा भी की है यह मामला राजस्थान हाई कोर्ट के विचाराधीन है। अतः इस मामले पर चर्चा किया जाना कहां तक उपयुक्त होगा यह आसन के देखने की बात है मेरी राय में इस पर चर्चा करना कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। आपने वक्तव्य देने का आदेश दिया है आसन की व्यवस्था का आदर करते हुए यह चूंकि हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है सरकार द्वारा वक्तव्य दिलाया जाना कहां तक उपयुक्त होगा इस पर भी आसन विचार करे।

Page No. 53

श्री अध्यक्ष : यह भी मैं अपने दृष्टिकोण में रखूंगा। (श्री गाड़िया के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हूं। माननीय सदस्य बैठें।

(शोरगुल-अश्रव्य)

वक्तव्य देने के लिये कहा गया है। अगर आप अभी ही इस पर चर्चा करना चाहते हैं वक्तव्य न देने से पूर्व तो मैं इसकी इजाजत देने में असमर्थ हूं। मैं चाहता हूं आप इसकी चर्चा अभी न करें। अभी कहा गया यह सब-जुडिस है.....

श्री देवीदत्त गाड़िया : सब जुडिस नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मंडावा के भरोसे कह दिया है। उसकी भी यही हालत हो गई है।

श्री अध्यक्ष : सब-जुडिस पर विचार करूंगा। कोई प्रश्न आवेगा तो माननीय सदस्यों के विचार भी इस पर ले लूंगा। इसलिए अभी प्रश्न पैदा नहीं होता। यह आब्जेक्शन है क्लेरिफिकेशन सीक कर लूंगा माननीय सदस्यों से। कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इसमें।

श्री भैरोंसिंह : 16 तारीख तक वह वक्तव्य दिलाने की बात कह रहे हैं। पर उधर लोग धरने पर बैठे हैं। यह देखते हुए क्या सरकार आज शाम तक नहीं दे सकती ? ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। पेचीदगी नहीं है। निलम्बित क्यों किया गया ? यह बताना है। निलम्बन का क्वेश्चन डिसकस नहीं होगा तो दो बातें बतावें। दो साल से बोर्ड की बैठक नहीं होती है। बिना सूचित किये बजट पारित कर दिया। यह भी बता दें एडवान्स के लिये बैठक बुलाई गई या नहीं। ये बातें ऐसी हैं जो सरकार को तुरन्त बता देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने देखिये इस प्रश्न के महत्व को समझते हुए जानकारी भी प्राप्त नहीं की है और बिना जानकारी प्राप्त किये ही वक्तव्य देने की बात कह दी है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी कृपा है।

श्री अध्यक्ष : कृपा का नहीं है, वक्तव्य का है प्रश्न। प्रश्न यह है कि आज लिया जावे या 16 को। मैं इस प्रश्न पर राज्य सरकार को बाध्य नहीं कर सकता कि वे आज ही दें। आज ही वे देना चाहें तो मुझे आपत्ति नहीं होगी क्योंकि बिजनेस भी इतना है। आज ही ले लें तो दूसरा बिजनेस भी हिण्डर होगा इसलिए राज्य सरकार ने भी सुविधा के प्रश्न पर 16 तारीख रक्खी है। माननीय सदस्य, आशा है, स्वीकार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर सर।

अध्यक्ष महोदय, आपने अपना अभी जो वक्तव्य दिया या किसी प्रकार की व्यवस्था दी है उसमें आपने एक बात कही है कि मैं राज्य सरकार को बाध्य नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि चेयर अपने स्वयं के अधिकारों के विषय में अभी तक पूर्णतया जागरूक नहीं मालूम हो रही है। मैं समझता हूं कि एडजोर्नमेन्ट मोशन के विषय में चेयर सरकार को बाध्य कर सकती है।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर । मैं अपने अधिकारों के संबंध में सजग हूं । अधिकारों के साथ साथ सुविधा का प्रश्न हमेशा रहता है । अधिकार कर्कशता के साथ नहीं सद्-भावना के साथ अच्छा लगता है । मैं उनके प्रति बहुत सजग हूं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल : चेयर अपने अधिकारों को भूल जाती है ।

श्री अध्यक्ष : चेयर भूलता भी नहीं है और भूलती भी नहीं है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह किसानों का बड़ा ही महत्व का प्रस्ताव था 30 हजार किसानों के सामने आज तमाम झगड़ों का प्रश्न पैदा हो गया है और उस प्रस्ताव को अगर आसन द्वारा रिजेक्ट कर दिया है तो इसके लिये मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जितने भी प्रस्ताव दिये जाते हैं मेरी तरफ से करीब करीब सारे ही रिजेक्ट होते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर ! प्लीज आॅर्डर !

श्री रामचन्द्र आर्य : इस पर पुनः विचार किया जावे । यह जन जीवन के साथ इस तरह से खिलवाड़ न किया जावे क्योंकि तहसील नोहर में आये साल इस तरह हजारों किसानों के तावान लगते हैं और आज भी आरजी भूमि अलोट कर दी जाती है वह अलोट नहीं की गई है । तो आप इस पर पुनः विचार करेंगे । यही निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । श्री मथुरादास माथुर, वित्त मन्त्री, हाई टेक प्रेसीजन ग्लास लिमिटेड, धौलपुर की 30 सितम्बर, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और लेखों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : मेरा भी सैकन्ड प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष : अभी समय नहीं दूंगा । मैंने आगे का बिजनैस ले लिया है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : और इस प्रकार से काश्तकारों के साथ जुल्म किया जावे और लूटा जावे इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता । आये साल यह होता है ।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, आॅर्डर । माननीय सदस्य ।

(श्री आर्य के बोलते रहने पर)

रिकार्ड नहीं किया जावे ।

श्री दौलतराम सारण : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है । वह यह है ...

श्री रामचन्द्र आर्य : माननीय अध्यक्ष....

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोलें ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (अश्रव्य) .....सदन की मेज पर रखता हूं ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री दौलतराम सारण : अलाटमेन्ट होना चाहिये ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

राज्य सरकार की ओर से अलॉटमेन्ट नहीं हुए । अलॉटमेन्ट नहीं होने पर भी काश्तकार

(श्री दौलतराम सारण)
अपने पुराने कब्जों पर काबिज हैं। हर वर्ष अलॉटमेन्ट सरकार करती है। बिना अलॉटमेन्ट जो काबिज हैं उन किसानों को तावान लगेगा नियमानुसार। इसलिये हजारों किसानों के रोजगार से संबंधित यह सवाल है इसलिये आपसे निवेदन है कि राज्य सरकार से आप एक वक्तव्य इस पर अवश्य दिलवाने की कृपा करावें। यह साधारण मसला नहीं है। बहुत लोगों के जीवन यापन का यह मसला है। यह आवश्यक मसला है।

श्री रामनारायण (मंडावा) : एक स्थगन प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जावे या अस्वीकार किया जावे इस निर्णय के हो जाने के बाद कोई डिबेट नहीं होती। कोई इनफोर्मेशन सीक नहीं की जाती। ऐसे बहुत से प्रश्न उठाये जाते हैं। दोनों माननीय सदस्यों ने कहा है कि अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं इसको वापिस देख लूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे। वैसे तो नियम 50 की तरफ ध्यान आकर्षित कर दूंगा। लेकिन आपको स्मरण होगा कि पिछले बजट अधिवेशन में जिस समय बजट अधिवेशन प्रारम्भ हुआ था तो विरोधी दल की तरफ से अनइकोनोमिक होल्डिंग्स पर राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के दौरान जो छोटी सी घोषणा की थी और जिसको राज्य सरकार ने वापिस लिया उसके संबंध में एक निन्दा प्रस्ताव की सूचना समस्त विरोधी दल की ओर से दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय, निन्दा प्रस्ताव के सम्बन्ध में सेंशर मोशन के सिलसिले में यद्यपि नियमों में सेंपरेट उल्लेख नहीं है परन्तु लोक सभा और विधान सभाओं की परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए उस निन्दा प्रस्ताव को सर्वप्रथम पहले ही दिन सूची में रखा था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारी विधान सभाओं और लोक सभा की परम्परा है कि निन्दा प्रस्ताव सारे बिजनैस पर प्रायोरिटी से लेते हैं।

इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और भूतपूर्व राजस्व मंत्री बृजसुन्दर जी शर्मा के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव की सूचना दी है। कोटा बून्दी जिले में जिस प्रकार चम्बल कमाण्ड एरिया में सैंकड़ों बीघा भूमि उन्होंने नाजायज तौर तरीकों से सरकारी अधिकारियों पर दबाव डालकर अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करके और भ्रष्टाचारी तरीके से जमीन हड़पी है उस सम्बन्ध में निन्दा प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष : मैं यह बात नहीं सुनूंगा। I am possessed of the fact. आप उठाना चाहते हैं।

मैं आपके प्रश्न को समझ गया हूं। यह एजेण्डे पर नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह प्रस्ताव एजेण्डे पर आना चाहिये। यही मामला चार दिन पहले भी उठाया था। मैंने उन सम्बन्धित अधिकारियों के टेप रेकार्ड और बयान रिकार्ड पर लिये हुए दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास हैं वे। मैं उनसे इन्कार नहीं करता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो इजाजत दी जावे। प्रायोरिटी दी जावे।

Page No. 56

श्री अध्यक्ष : यह इस वक्त इजाजत देने का प्रश्न या प्रायोरिटी देने का प्रश्न नहीं है। आपने जो प्रस्ताव दिया है, दस्तावेज दिये हैं, टेप रेकार्ड भी दिये हैं। उसका प्रोसीजर है माननीय सदस्य। मैं उसको लेने के पेश्तर उसमें जिन माननीय सदस्यों या मंत्री के विरुद्ध जो शिकायतें या आरोप हैं उनका स्पष्टीकरण मांगूंगा। मुख्य मंत्री महोदय को भी इससे सूचित किया है। उनसे स्पष्टीकरण मांगा है वह प्रोसीजर जब तक पूरा नहीं हो जाता है, मैं उस प्रस्ताव को जहां तक उसको स्वीकार करने और अस्वीकार करने का प्रश्न है मैं निर्णय नहीं दे सकता। मेरे पास जो प्रश्न है उसको स्वीकार किया जाय या नहीं किया जाय। मंत्री महोदय से भी और मुख्य मंत्री महोदय से भी इस सम्बन्ध में जानकारी चाही है। ये जब तक न आ जाय आप प्रश्न को उठा रहे हैं कोई एडमिशिबिलिटी के प्रश्न पर निर्णय दे सकूं? मेरा विश्वास है और मैंने आग्रह किया है जल्दी से जल्दी क्लेरिफिकेशन आ जाय, आ जाने के बाद मैं इस स्थिति में हूंगा कि निर्णय दूं। आप यह चाहते हैं प्रायोरिटी प्रायोरिटी सबजेक्ट टू प्रोसीजर जो प्रोसीजर का उल्लेख है वह सम्पन्न होने के बाद प्रायोरिटी का सम्बन्ध उठता है। इसलिये मैं चाहता हूं माननीय सदस्य इस प्रश्न को न उठायें। इस समय इसका प्रोसीजर कम्पलाईन्स विधिपूर्वक नियमानुसार, परम्परा के अनुसार मैं कम्प-लाइन्स करा रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह कहा है कि उनसे क्लेरिफिकेशन मांगा है। वह कब तक आ जायगा और कितने दिन अध्ययन करने में लगेंगे? कम से कम यह मालूम हो जाय। आपने क्लेरिफिकेशन मांगा है, बहुत मामूली सी जानकारी है आपको क्लेरिफिकेशन मांगे भी बहुत दिन हो गये ह। कम से कम यह बताया जाय कि माननीय मंत्री महोदय को क्लेरिफिकेशन देने के लिये पाबन्द किया है या नहीं? अफसोस इस बात का नहीं है कि क्लेरिफिकेशन मांगा है लेकिन अफसोस तो यह है कि यह क्लेरिफिकेशन कितने दिन में आ जायगा इसके लिये कुछ पाबन्दी की है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस प्रश्न के महत्व को समझ रहे हैं। प्रस्ताव एक समय दिया है उसका अमेन्डमेंट दूसरी बार। अमेन्डमेंट में कई पत्रावलियां, महत्वपूर्ण कागजात आदि का उल्लेख है। इसलिये मुझको बाईन्डिग किया जाना कि मैं कब निर्णय दे दूंगा, मुझको ठीक नहीं लगता है।

श्री भैरोंसिंह : बाईन्डिग आपको नहीं है, गवर्नमेंट से है।

श्री अध्यक्ष : दूसरा अमेन्डमेंट जो प्रस्तुत हुआ है वह विभिन्न इलाकों से संबंधित है इसलिये मुझको वह सुविधा जो सामान्यतः उपयुक्त होती है वह दी जाय कि सारे प्रश्नों को अध्ययन करके प्रस्तुत करूं। इसलिये मैं यही कह सकता हूं कि सत्र समाप्त होने के पूर्व मैं यह चाह रहा हूं कि इसका स्पष्टीकरण आ जाय।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब है कि 18 तारीख को 5 बजे स्पष्टीकरण आ जाय।

श्री अध्यक्ष : आप इसको बाईन्डिग-अप नहीं करें तो अच्छा है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो सरकार की पाबन्दी का सवाल है। यदि आप उनको

(श्री भैरोंसिंह)
पाबन्द नहीं करते हैं तो वे कभी भी जवाब नहीं देंगे और इस सत्र में जवाब नहीं आयेगा। सरकार जान-बूझ कर इस प्रश्न को अवाईड कर रही है। न आपको उत्तर देती है और न आपके द्वारा सदन को सूचना मिलें मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आसन सरकार की चाल में न फंस जाय।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : यदि ऐसी स्थिति है कि इस आसन पर यह शंका रखते हैं तो मैं उस प्रश्न को डिप्टी स्पीकर को देने के लिये तैयार हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह शंका बिलकुल नहीं है। सरकार के कुकर्मों को देखते हुये शंका पैदा हो जाती है। आसन के प्रति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं बार बार माननीय सदस्यों की ओर से ऐसी शंकायें आसन की ओर हुआ करती हैं। माननीय सदस्य को कोई मौका मिल जाय इस आसन पर बैठने का दुर्भाग्य से या सद्भाग्य से इस दायित्व की क्षमता को सम्भालने का उस समय समझेंगे।

श्री भैरोंसिंह : यह पद कोई कठिन है क्या? और आप यह समझते हैं कि आपके बजाय कोई नहीं कर सकता? आप किसी को भी बैठाकर देख सकते हैं, वह कर सकता है या नहीं?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न परम्परा ......

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर-अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। मैं उपयुक्त नहीं समझता। अभी कोई बात नहीं हुई है। मैं यह बार बार कहना चाहता हूं कि यह बड़ा सस्तापन हो जाता है—दायित्व का प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने कोई सस्तेपन से नहीं लगाया है, बड़ी जिम्मेदारी से लगाया है......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर।

मैं निवेदन करूंगा कि वे दायित्व के आधार पर सोचें...

श्री भैरोंसिंह : मैंने तो दायित्व के आधार पर ही सोचा है।

श्री अध्यक्ष : आप शंका करते हैं, मैं यह मानकर चलूं।

श्री भैरोंसिंह : हमें नहीं है शंका। गवर्नमेंट फलाऊड कर रही है चेयर को टेप में ले रही है ......

श्री अध्यक्ष : चेयर ने अतीत में फलाऊड रही है, न वर्तमान में है और न भविष्य म ही रहेगी। प्रश्न यह है, मेरे और राज्य सरकार के बीच में —मेरे और मंत्री जी के बीच में, क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, इस सदन में उल्लेख नहीं करूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं इस प्रश्न पर निर्णय लेना, इसलिये यह प्रश्न आसन के बीच में रहे। अभी सदन का प्रश्न नहीं है, अतः मैं मौन रहना उपयुक्त समझता हूं। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं

(श्री अध्यक्ष)

कि जो उग्रता सदन की है उसके प्रति आसन जागरूक है। भले ही कुछ माननीय सदस्य कुछ भी कहें, मैं उसको अनरेस्ट नहीं कहता। उस प्रश्न के प्रति जो उग्रता है उसके प्रति वे कह सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा प्रश्न विधान सभाओं और लोक सभा में बहुत कम आये हैं और जितना यह महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व भी है। यह मैं जानता हूं माननीय सदस्य इस आसन पर बैठें तो वे कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं ड्यूटी इसमें। लेकिन परिस्थितियां भिन्न हुआ करती हैं इसलिये उन भिन्न परिस्थितियों में आपको बैठने का मौका मिलेगा तो मैं मौन रहना उपयुक्त समझता हूं और कुछ कहना नहीं चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह: मैंने आपसे खुद ने रिक्वेस्ट की थी सरकार ट्रेप करना चाहती है आप को ट्रेजरी बैंच पर न ले जायं।

श्री अध्यक्ष: ट्रेजरी बैंच का प्रश्न नहीं उठता। इस प्रकार का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। बैंक बैंचेज पर जा सकता हूं मैं इस पर सक्रिय हूं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं।

श्री विजयसिंह : अथाह समुद्र है इसका तो......

श्री कृष्ण कुमार गोयल: मैं एक निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है? (विराम) प्रश्न कौनसा है?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : बृजसुन्दर जी के मामले में नहीं है। चम्बल के कमान्ड ऐरिया के बारे में है जिसमें कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, थानेदार, एस० पी०, डीवाई० एस० पी० आदि सब जमीनें खा रहे हैं अध्यक्ष महोदय के निर्णय पर कुछ प्रभाव डाल रहे है।

श्री अध्यक्ष : नहीं डाल रहे हैं।

मंत्री महोदय।

सदन पटल पर रखे जाने वाले पत्र

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं हाई टेक प्रिसिजन ग्लास लिमिटेड, धौलपुर की 30 सितम्बर...

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : जोर से बोल।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और लेखों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यह रिपोर्ट कब मिली?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन कब मिला?

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : 30 सितम्बर, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट—हाई टेक की यह राज्य सरकार को कब प्राप्त हुई?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राज्य सरकार को कब प्राप्त हुई, इसकी सूचना अभी मेरे पास नहीं है?

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : बजट सैशन से पहले प्राप्त हो गई थी क्या?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उससे पूर्व नहीं हुई थी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्रीमती लक्ष्मी० कुमारी चूण्डावत।

Page No. 59

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल: श्री हरिदेव जोशी का है पहले।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न पत्र सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) मेसर्स जे० के० सिन्थेटिक्स लिमिटेड की वर्ष 1966-67 से सम्बन्धित 24वीं रिपोर्ट एवं लेखे तथा

(2) एसोसियेटेड आयरन एन्ड स्टील इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, रामगंज मण्डी का छठा वार्षिक प्रतिवेदन, 1967।

प्राक्कलन समिति का पशुपालन विभाग सम्बधी प्रतिवेदन का उप स्थापन

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : (सभानेत्री, प्राक्कलन समिति) अध्यक्ष महोदय, मैं पशुपालन विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 1964-65 के 17वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों के संबंध में प्राक्कलन समिति 1968-69 के 5वे प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

भरतपुर जिले की कुम्हेर पंचायत समिति से संबंधित पंचायत मंत्री का वक्तव्य

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री): अध्यक्ष महोदय..........

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : कुम्हेर को भी प्रतापगढ़ मत बनाना।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में इस प्रश्न के ऊपर विधि विभाग की राय लेनी जरूरी था इसलिये पत्रावलि विधि विभाग को भेजी गई है। मेरा अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि सोमवार को मुझे वक्तव्य देने के लिये कहा जाये और जब तक मैं समझता हूं कि विधि विभाग से राय मुझे प्राप्त हो जायेगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, इसमें और भी प्रश्न हैं। एक तो यह कि आपके विधि विभाग की राय कब तक आयेगी और कब तक इस पर वक्तव्य सदन में दे दिया जायेगा ? सवाल यह है कि सरकार 17 तारीख को यह उप-चुनाव करा रही है और अल्पमत को बहुमत में बदलने का कुचक्र रच रहे हैं और लोगों को सस्पेन्शन में डाल रहे हैं ताकि अविश्वास का प्रस्ताव पास नहीं हो सके। यहां पर ऐसी बातें कहकर कि विधि विभाग के पास राय के लिए केस गया है इसलिए वक्तव्य देना नहीं चाहते हैं और उस प्रश्न को जानबूझ कर टालने की बात है और इस सदन के विशेषाधिकारों का हनन है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका मतलब समझ गया।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, कई बार हमने इस बात पर जोर दिया है और कल भी आपने कहा और यह वक्तव्य कल भी दे सकते थे। हमने मंत्री महोदय को इसकी ग्रेविटी से पूर्ण परिचित कराया है। 17 तारीख को यह चुनाव होने वाले हैं और 16 तारीख को वहां चुनाव कराने वाले अधिकारी चले जायेंगे। कल की छुट्टी है। आखिर इस तरह से टाइम लेकर मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि इस प्रश्न को टाला जाये। जो कार्यवाही उनके जिला अधिकारी ने शुरू कर दी है वह गैर कानूनी कार्यवाही

(श्री नत्थीसिंह)
है और अवैधानिक कार्यवाही है और इसको पूरी कर दी जाये इसके लिए मंत्री महोदय टाइम चाहते हैं। या मंत्री महोदय मुझे कोई ऐतराज नहीं है विधि विभाग की राय आ जाये और चुनाव 17 तारीख को नहीं 30 तारीख को हो सकते हैं, 2 को हो सकते हैं, 5 को हो सकते हैं। मंत्री महोदय अच्छी तरह से इस संबंध में विधि विभाग की राय ले लें, मझे इससे कोई गुरेज नहीं है लेकिन यह कहूंगा कि 17 तारीख को चुनाव नहीं करें। पहले हाउस में इसका जवाब पूरा आ जाये उसके बाद में हाउस की राय जान ली जायेगी उसके बाद में इस बारे में कोई निर्णय होगा।

दूसरी बात मैं यह चाहता हूं कि इसमें दो प्रश्न है। जो प्रतापगढ़ वाली बात आई वहां सरकार की ओर से सरपंच को मुअत्तिल करन की कार्यवाही की जा रही है और इसका नोटिस नहीं दिया गया है। इस एडजोर्नमेंट मोशन आने के बाद उनको नोटिस दिया गया है। इस पर हमें आश्वासन मंत्री महोदय की ओर से आना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, कोई टालने का प्रश्न नहीं है। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि 17 को चुनाव के लिए तारीख तय की है वह जिलाधीश, भरतपुर ने की है और उसी कानूनी पहलू पर मुझे विधि विभाग से राय लेना आवश्यक है। यह चुनाव 17 तारीख को है म 16 को ही स्टेटमेन्ट देने जा रहा हूं…

श्री रामकिशन (वैर) : उससे क्या हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : उन्हें स्पष्टीकरण तो करने दीजिए।

श्री रामकिशन : 17 तारीख के बजाय 22 तारीख कर दो या 25 तारीख कर दो…

अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : तारीख को बदलने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। अगर तारीख मुकर्रर कर दी गई है तो उसके पहले ही याने 16 तारीख को मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं और चुनाव सही हो रहे हों या गलत हो रहे हैं अगर सही हो रहे हैं तो भी डिसीजन वही होन वाला है जो 16 को स्टेटमेंट देने से होने वाला है और 17 को चुनाव होने वाला है। मैं सदन को इस मामले में कान्फीडेन्स में लेना चाहता हूं और विधि विभाग की राय आन दीजिए और मुझे मालूम होता है और अध्यक्ष महोदय, यह भी मैं निवेदन कर रहा था कि जिलाधीश ने सूचना निकाल कर जब तारीख निश्चित कर दी थी तो आप को निवेदन किया था कि मेरे पास राइटिंग में फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं है और उसके अभाव में मैं कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकूंगा जिसे कि ऑथेन्टिक कहा जाना चाहिये। यह परसों शाम को मेरे पास कागज आया है और कल ही मैंने विधि विभाग को भेजे हैं। अगर मुझे इसकी इत्तला होती कि आज मुझे स्टेटमेंट देना है तो मैं विधि विभाग से इसकी राय जल्दी से जल्दी लेता और स्टेटमेंट दे देता लेकिन मुझे इत्तला आज सुबह 9।। बजे विधान सभा सचिवालय से मिली है कि आज मुझे स्टेटमेन्ट देना है और इतने जल्दी तो विधि विभाग की राय आ नहीं सकती और इसके अलावा मैं उनको कुछ कह भी नहीं सकता वह चाहे जब राय भेजें—वैसे मुझे यह नहीं कहना चाहिए। तो भी मैं 16 तारीख को स्टेटमेन्ट देने जा रहा

(श्री परसराम मदेरणा)
हूं और जहां तक इसके लीगल ववेश्चन का प्रश्न है उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं हैं।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम इस सदन के पटल पर माननीय मंत्री महोदय यह आश्वासन तो दें कि 28 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर जो बहस होने वाली है इस पंचायत समिति के किसी भी सदस्य को मुअत्तिल नहीं करेंगे। कम से कम यह तो सदन को आश्वासन दे दें कि किसी भी व्यक्ति को मुअत्तिल नहीं किया जायेगा ताकि प्रतापगढ़ जसी घटना की पुनरावृत्ति न हों।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, किस व्यक्ति की यह बात कह रहे हैं समझ में नहीं आता। अब क्या उस सरपंच के बारे में कह रहे हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही चल रही हैं। अब उसमें क्या एलीगेशन्स हैं क्या नहीं है यह मुझे नहीं मालूम है। मुझे बताया गया है, दो सरपंचों के मामले जेर तजवीज हैं और विधान सभा का सत्र होने से ज्यादातर हमारा सदन के बिजनेस को अटेन्ड करने में समय लग जाता हैं इसलिये मैंने उनको देखा नहीं है। इसलिये मैं नहीं कह सकता कि उनके खिलाफ क्या चार्जेज हैं, उसमें आश्वासन देने की बात कहीं नहीं आती है और यहां यह कहना कि जान बूझकर एलीगेशन्स के पाइन्ट आफ व्यू से कार्यवाही करने जा रहे ह यह कतई प्रश्न नहीं है। एडजोर्नमेन्ट मोशन आने के बाद थोडा प्रश्न तो आपका हल हुआ है। अब यदि मेरे इस कथन पर अविश्वास है कि मैंने विधि विभाग को यह कागज भेजे हैं या नहीं तो अध्यक्ष महोदय चाहें तो विधि विभाग के पास जो फाइल गयी है उसमें क्या नोटिंग है वह फाइल आज मैं अध्यक्ष महोदय को दिखा दूंगा...

श्री रामकिशन : हम शंका नहीं कर रहे है।

श्री परसराम मदेरणा : जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, इसलिये मैं कह रहा हूं। वैसे 16 तारीख को जो मैं स्टेटमेन्ट देने जा रहा हूं तो स्थिति में फर्क पड़ने वाला नहीं है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो फाइल के लिए कहा उसके लिए पूरी निष्ठा और सच्चाई से स्वीकार करते हैं लेकिन मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि सरकार वक्तव्य जिस रूप में देना चाहती है। इसका अनुभव मुझे भी है। आपकी सरकार की जानकारी है। अध्यक्ष महोदय, जिस सन्दर्भ से हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था उसका मकसद पूरा नहीं होता है यदि इतनी देरी से स्टेटमेंट दिया जाता है। वहां पर चुनाव 17 तारीख को होने वाले हैं और 28 तारीख को अविश्वास का प्रस्ताव आने वाला है और उसी बीच में सरपंच के खिलाफ कार्यवाही चल रही है। उनका कोई गलत काम है तो वह आज का नहीं है बल्कि 5 साल पहले का है और 5 साल पहले उनकी कार्यवाही को पूरा क्यों नहीं किया गया और अब वह कार्यवाही क्यों की जा रही है। जो सीटें खाली हैं उनका चुनाव नहीं होना चाहिए। हमें सरकार की मन्शा अपवित्र मालूम होती है। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप कई मामलों को व्यक्तिगत रूप से लेकर करते हैं मैं चाहूंगा कि आप परिस्थिति को दखकर आप को वक्तव्य आज ही दे देना चाहिये विधि विभाग से जो राय लेनी है वह ले लें। प्रसंग तो यहां नहीं है उपाध्यक्ष महोदय लेकिन यहां ऐसे

(श्री रामाकिशन)
मामले भी आये हैं जिसमें सुबह विधि विभाग को कागज गया और 15 मिनट में राय आ गयी है और कलेक्टर ने अमल कर दिया है और कब्जा दिला दिया गया है। तो इस तरह के भी उदाहरण हमारे यहां सदन में सामने आये है। मेरा सोचना है कि अगर आप गम्भीर हैं और सीरियस हैं और आप साबित करना चाहते हैं कि सरकार निष्पक्ष है तो आज शाम तक हाउस के एडजोर्न होने के पहले पहले स्टेटमेन्ट आपको देना चाहिए। इसमें आपको दिक्कत क्या है? जो कार्यवाही 5 साल से पेंन्डिग है उसको आप 29 को कीजिए और 28 को मत कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो हम समझेंगे कि जानबूझकर सरकारी मशीनरी का सरकार दुरुपयोग कर रही है।

(1 म० प०)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया कि विधि विभाग की राय लेने से पूर्व मैं कोई भी स्टेटमेंट इस सदन में नहीं दे सकता। जहां तक इस चुनाव की तारीख निश्चित करने का प्रश्न है, वहां के सरपंचों के बाई-इलेक्शन का प्रश्न है, कुछ सरपंचों को नोटिस देने का प्रश्न है यह सब कार्य जिलाधीश के स्तर पर किये गये हैं। इस संबंध में राज्य सरकार ने कोई भी आदेश नहीं दिया है और न किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया है। कोई भी हस्तक्षेप टेलीफोन के जरिये करने का माननीय सदस्य आरोप लगा सकते हैं और बता सकते हैं.....

श्री रामकिशन : राज्य सरकार का हस्तक्षेप हुआ है और हम जानते हैं कि किस मंत्री ने टेलीफोन किया है.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज! स्पष्टीकरण आने दें।

श्री परसराम मदेरणा : इसके बारे में राज्य सरकार को स्थगन-प्रस्ताव का नोटिस मिला उसके पहले कतई जानकारी नहीं थी उसकी नॉलेज में नहीं था कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आया है। उसके बाद में जो जानकारी टेलीफोन से लेने की थी वह टेलीफोन से ली और रिटेन में फेक्चुअल रिपोर्ट मांगी और उसके बाद में चूंकि कानूनी मुद्दा था और जैसा कि मैं कल माननीय सदस्यों से बात कर रहा था कि यह कानूनी मुद्दा है तो मेरा और मेरे विभाग के द्वारा कोई इन्टरप्रिटेशन देना ठीक नहीं था क्योंकि माननीय सदस्य मेरे बारे में और मेरे विभाग के बारे में उस इन्टरप्रिटेशन के इन्टेन्शन के बारे में कई प्रकार की शंकाएं उठा सकते हैं इसलिए लॉ डिपार्टमेन्ट को रेफर करना चाहिये और लॉ डिपार्टमेन्ट की लीगल राय ऑबटेन करना चाहिये, और लीगल राय ऑबटेन करने के लिये विधि विभाग को लिख दिया है। उनकी राय आने के बाद 16 तारीख को स्टेटमेंट दूंगा।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, शाम तक दे दें तो क्या दिक्कत है। उस समय तक विधि विभाग से आ सकती है राय।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं आये तो?

श्री रामकिशन : आपका यह जो कहना है कि टेलीफोन नहीं किया है तो आपने टेलीफोन नहीं किया लेकिन राज्य सरकार में परसरामजी ही नहीं हैं। चालीस मंत्री हैं और चालीस टेलीफोन होते हैं। अगर टेलीफोन की बात है तो मैं बता दूं कि किन्होंने टेलीफोन किया है। इसलिए मेहरबानी करके शाम तक दे दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! डी०ए०वी० कॉलेज, अजमेर, कृषि संस्थान ।

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : माननीय अध्यक्षजी, डी० ए० वी० कालेज, जयपुर की ग्रान्ट-इन-एड में जो कटौती की गई है इस वर्ष उसके सिलसिले में कुछ माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया था उस पर मुझे आज वक्तव्य देना है....

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, एक सूचना चाहिये.....

श्री अध्यक्ष : अब नहीं । आर्डर प्लीज । प्रारम्भ हो गया है । मैं दूसरे वक्तव्य की इजाजत नहीं दूंगा । माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री शोभाराम : इस राज्य में इन्जीनियरिंग स्नातकों की बेरोजगारी के संबंध में तो बात सदन के ध्यान में होगी । राज्य के योजना विभाग के मैन शक्ति शाखा ने कुछ अध्ययन कर यह अनुमान लगाया है कि कृषि क्षेत्र म भी बेरोजगारी का प्रश्न सामने आ गया है और इस अनुमान के अनुसार अगले पांच वर्षों में करीब करीब 670 कृषि-स्नातकों की आवश्यकता होगी, और अगर कॉलेजों की वर्तमान अन्तर्ग्रहण क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं किया जाय तो इस अवधि में करीब 1,470 स्नातक उपलब्ध होंगे । इसके साथ साथ यह अनुमान है कि इन दो वर्षों में कृषि-स्नातक जो इन संस्थानों से निकले हैं, इनमें से लगभग आधे बेरोजगार हैं । इससे स्पष्ट है कि अगले पांच वर्षों में 1 600 के बजाय 1,850 स्नातक उपलब्ध होंगे, परन्तु कुल 670 स्नातक ही रोजगार प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात् चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 1,180 स्नातक सरप्लस होंगे । अगर इन संस्थाओं की अन्तर्ग्रहण क्षमता को कम नहीं किया जाता तो लगभग 1,600 स्नातक इन कॉलेजों से पांचवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में और उपलब्ध हो जायेंगे इस प्रकार कुल 1,780 स्नातक नियोजनों के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के अन्त में प्राप्त होंगे । इसके विपरीत जो मांग चौथी योजना में मानी गई हैं यदि उतनी ही पांचवीं योजना में मान ली जाय तो वह करीब 2,110 स्नातक सरप्लस होंगे ।

जो निर्णय कॉलेजों की अन्तर्ग्रहण क्षमता को कम करने के बारे में लिया गया है उसके बादजूद भी 432 स्नातक पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में सरप्लस होंगे, क्योंकि इस निर्णय का प्रभाव चौथी योजना पर विशेष न होकर पांचवीं योजना पर अधिक पड़ेगा । इसलिए निम्न निर्णय जो राज्य सरकार ने कॉलेजों की अन्तर्ग्रहण क्षमता को कम करने के संबंध में लिए हैं वे उपयुक्त हैं :—

(1) उदयपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत जो कॉलेज उदयपुर और जोबनेर में चल रहे हैं उनमें अन्तर्ग्रहण क्षमता 320 से कम करके 80 कर दी जाय, और उन्होंने इस वक्त क्षमता भी कम कर दी है ।

(2) उपरोक्त अनुमानों को ध्यान में रखते हुए यह भी सोचा गया कि उक्त स्नातकों की मांग उदयपुर विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे कालेजों से ही पूरा हो जायगा, अतः डी०ए०वी०कॉलेज व सांगरिया महाविद्यालय को सूचित कर दिया गया कि वह चालू सत्र से ही कृषि विषय में भर्ती न करे । डी०ए०वी०कॉलेज, अजमेर को यह भी कहा गया था कि वे इस वर्ष कोई भर्ती नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने गत वर्ष के मुकाबले में 26 के करीब और ज्यादा भर्ती किये ।

(श्री शोभाराम)

जो सूचना हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार करीब 130 विद्यार्थी उन्होंने इस साल दाखिल किये। इसके बावजूद भी भर्ती करने के पश्चात् भी यदि दयानन्द महाविद्यालय के प्रिन्सीपल यह भरोसा दिलायें कि अगले सत्र में राज्य सरकार के निर्णय का पालन करेंगे तो इस योजना के सीलिंग को ध्यान में रखकर अनुदान में कितनी राहत दे सकते हैं उस पर जरूर गौर करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो अभी वक्तव्य दिया है और डी० ए० वी० कॉलेज के कृषि संकाय के सम्बन्ध में जो अनुदान में कटौती की गई है उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उसको रेस्टोर करने के सम्बन्ध में जो आश्वासन दिया है........

श्री शोभाराम : यह नहीं कहा कि रेस्टोर कर दिया जायगा, पर यह कहा कि कितनी राहत दिला सकते ह।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुछ अंश तक उसको रेस्टोर करने के सम्बन्ध में जो आपने आश्वासन दिया हैं, पूरा नहीं, सेन्ट पर्सेन्ट नहीं जितना भी हो सके करने का कोई आश्वासन तो है ना आपका ?

श्री शोभाराम : सिर्फ इसी वर्ष के लिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस एक वर्ष के लिए उसको रेस्टोर करने के संबंध में आश्वासन दिया है उस दृष्टि से मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि माननीय मंत्री महोदय ने जो तथ्य सदन के सामने रखे हैं वे बहुत ही एलार्मिंग हैं, और वे इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि राजस्थान में आगे आने वाली चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के काल में राजस्थान के अन्दर जैसा कि पिछली बार में इन्जीनियर्स की बेकारी का सवाल उठाया गया था, और राजस्थान में राज्य सरकार ने राजस्थान के इन्जीनियरिंग कॉलेजेज की इन्टेक को कम किया था, उन पर पाबन्दी लगाई थी, प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या को कम किया था, अब ऐसा लगता है कि राजस्थान के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में राजस्थान के अन्दर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की आवश्यकता सिर्फ 670 ही रह गई है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो इन्टेक कैपेसिटी है कॉलेजेज के अन्दर, विश्वविद्यालय के अन्दर, सांगरिया या दूसरे स्थानों पर उसके अनुसार अब राजस्थान के अन्दर लगभग 1,600 विद्यार्थियों की कैपेसिटी है और 250 के करीब एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स आज बेकार फिर रहे हैं सब मिलाकर 1,850 हो गये हैं और करीब 700 को ही एब्जार्व कर पायेंगे आगे आने वाले पांच सालों में यानी लगभग एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स के दो-तिहाई जो इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में राजस्थान के ॉलेजों से निकलेंगे उनको सरकार कोई काम नहीं दे सकती है। मैं समझता हूं मंत्री महोदय का यह संकेत राजस्थान की वित्तीय स्थिति, राजस्थान की योजनाओं की प्रगति उसके ऊपर सारा पानी फेर दिया है, और राजस्थान किस तरह की योजनाओं के माध्यम से तरक्की कर रहा है यह इस बात का पर्दाफाश करता है जहां कि 9 करोड़ या साढ़े आठ करोड़ के लगभग भूमि एलाटमेंट के काबिल है, जहां कि राजस्थान के एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज को युटिलाइज करने की दृष्टि से आज एक तरफ चम्बल, दूसरी तरफ भाखरा, और दूसरे माइनर और मीडियम प्रोजेक्ट्स हमने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हाथ में लिये हैं और कृषि के क्षेत्र में, राजस्थान के मुख्य मंत्री के शब्दों में, "राजस्थान हिन्दुस्तान के अन्दर एक सरप्लस स्टेट सिद्ध हो सकता है", उस राजस्थान के अन्दर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स 250 बेकार फिरें और आगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में बारह एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को काम नहीं दे सकें इसलिए उनकी संख्या में कटौती करें, उनको भर्ती करने की संख्या में कटौती करें, कॉलेजों में इनकी संख्या को कम करें–मैं यह समझता हूं कि यह शर्म की बात है, यह राजस्थान की योजना के नाम पर कलंक है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार इन सारे सवालों पर गम्भीरता से विचार करे और इस सदन को भी इन सारे सवालों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि भर्ती की संख्या में कटौती करना इस समस्या का इलाज नहीं है, जो संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है उसमें कटौती करना इस समस्या का इलाज नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि मंत्रीजी कृषि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करेंगे, आज राजस्थान एक कृषि प्रदान प्रदेश है, यहां पर कृषि का उत्पादन बढ़ाने का स्कोप है, कृषि की सम्भावनाओं को एक्स्प्लोइट करने की योजनायें बनाई जा रही हैं। इस दृष्टिकोण से विचार करके आगे के सालों के लिए आप योजनायें बनायेंगे। इसके साथ ही इस स्थगन प्रस्ताव के जरिए डी०ए०वी० कॉलेज को कृषि विद्यार्थियों के लिए जो अनुदान दिया जाता है उसको पूरे साल के लिए आप रेस्टोर करें और इस संबंध में मंत्री महोदय विचार करेंगे। केवल इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री केदारनाथ : मैं एक जानकारी करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आधे घण्टे की चर्चा !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : रामगढ़ बन्धे के बारे में माननीय मंत्री वक्तव्य देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : दोनों प्रश्न हैं।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष जी, पांच कॉलेजों में हड़ताल चल रही है उसको समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने क्या प्रयत्न किये ? जो स्थिति है यह राजस्थान के प्लान को रिफलैक्ट करती है। इस ओर राजस्थान सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। कॉलेजों से कितना आउटपुट निकलेगा, कितनी एम्प्लायमेंट की पोटेंशिएलिटी है–इनमें बैलेन्स क्रियेट नहीं कर पाई राजस्थान सरकार। आयन्दा कितनी पोटेंशियलिटी बी० एस० सी० एग्रीकल्चर को एम्प्लायमेंट देने की है–इसके लिए कोई योजनायें बनायें, कमेटी सैट करें और सारी पोटेंशिएलिटी को एक्स्प्लोइट कैसे किया जा सके, कैसे कृषि का विकास हो सके–इस संबंध में विचार किया जाय।

आपने अजमेर के बारे में फर्माया, स वर्ष कुछ अनुदान देंगे, कम नहीं करेंगे। क्योंकि स्टुडेंट एडमिट हो गये हैं इसलिए अनुदान कम नहीं करेंगे। लेकिन आपने सांगरिया के बारे में आश्वासन नहीं दिया। वहां भी एडमीशन हो गये हैं और इन्टेक कैपेसिटी को कम कर रहे हैं। तो सांगरिया के बारे में भी आप थोड़ा कह दें।

श्री शोभाराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, सांगरिया महाविद्यालय के लिए। मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं इतनी बात कह सकता हूं कि जिन

(श्री शोभाराम)

परिस्थितियों में हमें दयानन्द कॉलेज के बारे में पुनर्विचार करना पड़ा अगर उस प्रकार की परिस्थितियां हुईं तो उसके बारे में विचार कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्य को एक बात कहना चाहता हूं सारी स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई, आप ताज्जुब करेंगे कि जहां एग्रीकल्चर कालेज जो गवर्नमेंट के चलते ·· दो, जोबनेर और उदयपुर में, जहां 320 ··ड़कों का दाखिला किया जाता था उसके मुकाबले इस वक्त चालीस चालीस इन कालेजों में भर्ती किये गये हैं और उन्होंने हमारे निर्णय को माना। यहां पर क्या हुआ, इस निर्णय के बाद भी जहां कि एक भी नहीं लेना चाहिए वहां 130 दाखिल किये और गत वर्ष के अनुमान लगायें तो किसी वर्ष 105, 106 से ज्यादा विद्यार्थी दाखिल नहीं हुए। इसलिये यह कन्डीशन्स डवलप हो गईं। लड़के भर्ती हो गये, ऐसी स्थिति म आज हम कहें कि बिल्कुल नहीं देंगे और ग्रान्ट-इन-एड के सम्बंध में रिजिड एटीट्यूड लें तो कॉलेज की वित्तीय अवस्था की दृष्टि से यह मुनासिब नहीं समझा जायगा। मैंने साथ साथ यह भी निवेदन किया जो प्लान सीलिंग की लिमिट है उसको ध्यान में रखते हुए हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सांगरिया के बारे में मुझसे बात करें डिटेल्स में तो मैं उस सम्बंध में ज्यादा स्पष्टतया प्रकाश डालने में समर्थ हो सकूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सिंचाई मंत्री !

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री दुर्गालाल बाददार, द्वारा रामगढ़ बांध के बारे में स्थगन प्रस्ताव पेश करने की सूचना दी गई थी और माननीय अध्यक्ष द्वारा इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने का आदेश हुआ है। वस्तुतः स्थिति इस प्रकार है:

"रामगढ़ बांध की लम्बाई लगभग 64.5 चैन है। दोनों ओर की फ्लेन्क्स बीच में स्थित एक रेत के टीले (जो कि लगभग 2,000 फीट लम्बा है) से सटी हुई है। तालाब का पूर्ण भराव 60 फीट है।

"इस वर्ष तालाब में अत्यधिक भराव 53 फीट 9 इंच का दिनांक 21-8-1968 को हुआ। 10-9-1968 को सिंचाई विभाग को, 1964-65 में टीले के पीछे बनाये गये फिल्टर में से रिसाव का पानी बढ़ने लगा तथा पानी भी गंदला निकलने लगा और टीले में खड्डा पड़ने लगा, यह सूचना मिलते ही जयपुर से सिंचाई विभाग व जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर तुरन्त पहुंच गये। टीले में जहां मिट्टी निकल जाने से लगभग 50 फीट इन्टू 10 फीट इन्टू 7 फीट का गड्डा हो गया था उसमें मिट्टी भरे हुए कट्टे भरवाये गये तथा टीले से कुछ हट कर एक सीपेज ड्रेन खुदवाई गई। 11-9-68 को प्रातःकाल स्थिति नियंत्रण में हो गई। 10-9-68 को अत्यधिक रिसाव लगभग 4 से 5 क्यूसेक था जो स्थिति पर नियंत्रण पाते ही 11-9-68 को 1 क्यूसेक से भी कम हो गया। धीरे धीरे रिसाव का पानी भी साफ होने लगा तथा टीले में खड्डा पड़ना भी बन्द हो गया।

"यह सही नहीं है कि पानी पाल के नीचे से निकला। पानी रेत के टीले में से निकला। यह टीला बांध बना तब से ही मौजूद है। इसमें पहले भी 1957 तथा 1964 में रिसाव हुआ है तथा विभाग द्वारा उचित व्यवस्था की गई और आवश्यक कार्य किये गये। 1957 के रिसाव के बाद लगभग 32,000

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)
रुपये का कार्य किया गया, जिसमें टीले में प्रभावित स्थान पर आगे की ओर एक पडल ट्रेंच बनवाई गई थी तथा पीछे की ओर एक फिल्टर बनवाया गया था। 1964 के रिसाव को देखते हुए टीले के पीछे की ओर एक अन्य प्रभावित स्थान पर भी फिल्टर का निर्माण लगभग 15,000 रुपये की लागत से किया गया था। यह टीला इस स्थान पर लगभग 500 फीट चौड़ा है, अतः यह अनुमान लगाना असम्भव है कि किस वक्त किस स्थान पर इस टीले में यह स्थिति पैदा हो सकती है, विशेष तौर से जब कि यह टीला इतना अधिक चौड़ा और ऊंचा है, तथा जब से यह बांध बना है (1903) इसमें कोई गम्भीर स्थिति पैदा नहीं हुई, मिट्टी के बांधों में इस प्रकार की स्थिति पैदा होना कोई आश्चर्य की अथवा अनहोनी बात नहीं है। इन तथ्यों को देखते हुए सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाना न्यायसंगत नहीं है। अधिकारियों द्वारा 24 घंटे इस टीले पर निगरानी रखी जा रही है।

10-9-68 को बांध में पानी का गेज 52 फीट 9 इंच था। नहर में भी पानी 10-9-68 की रात्रि में खोल दिया गया था ताकि पानी के स्तर को कम किया जा सके जिससे रिसाव की मात्रा में कुछ कमी हो जाये। वर्तमान गेज 52 फीट 6 इंच है। पिछले तजुर्बे से यह मालूम पड़ता है कि यह समस्या बांध में जल स्तर 50 फीट के गेज से ऊपर जाने पर उत्पन्न होती है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आदेश दिये गये हैं कि पूरी टैक्नीकल जांच करके इस टीले में उत्पन्न होने वाली समस्या को पूरी तरह रोकने की योजना बना लें ताकि उसके क्रियान्वित होने पश्चात् फिर ऐसी समस्या की पुनरावृत्ति न होने पाये।"

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के वक्तव्य से दो तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं कि इस बांध में 1957 में भी जिस टीले में आज रिसाव मंत्री महोदय बताते हैं वहां एक रिसाव हुआ था। 1957 से लेकर 1968 तक कई बार ऐसी स्थिति आ चुकी है कि रामगढ़ बांध में इतना भराव नहीं हुआ, बहुत कुछ खाली हो गया। राज्य सरकार ने ग्यारह वर्ष के अर्से में आज तक इस बात का पता लगाने की चेष्टा नहीं की कि आखिर वह रिसाव पाल को काट कर कहां से आता है? दूसरी स्थिति मंत्री महोदय और स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, लापरवाही के साथ उदाहरण देते हैं कि कच्चे बांधों में इस प्रकार रिसाव निकलना, कटाव होना अनहोनी बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निश्चित रूप से यह बताना चाहता हूं कि 1924 में सबसे पहले रियासत के जमाने में इस बांध का जीर्णोद्धार हुआ था, लाखों रुपये लगाने के बाद इस स्थिति में इस बांध को बनाया गया था कि जयपुर की पोपूलेशन कितनी ही बढ़ जाय, बढ़ने के बाद भी पानी की आवश्यकता के प्रश्न को यह बांध, यह अब तक अनुभव रहा है, पूरा करता रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की स्थिति बदल चुकी है, जयपुर नगर राजस्थान की राजधानी है, जयपुर वह स्थान है, जहां विधान सभा बैठती है, जयपुर वह स्थान है जहां अध्यक्ष महोदय, आप अपना आसन लगा कर बैठते हैं, और मैं यह निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि 49 से 68 तक जहां राजस्थान की राजधानी होने के कारण जयपुर में हजारों पर्यटक आते हैं, शहर में ऐसा कोई स्थान नहीं है, सिवाय रामगढ़ के बन्धे के, जहां राजस्थान सरकार ने पर्यटकों की सुविधा के लिये, पर्यटकों के

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
विश्राम के लिये, पर्यटकों के मनोविनोद के लिये रामगढ़ के बन्धे का डेवेलपमेंट करना चाहिये था, पर राजस्थान सरकार ने इसके लिये कुछ भी नहीं किया। मिर्जा इस्माईल के जमाने में, जो स्टेट टाइम में यहां प्राइम मिनिस्टर रहे, इस रामगढ़ के बन्धे के डेवलपमेंट के लिये एक योजना बनी थी, उसके बाद राजस्थान राज्य बना पर वह कागजात किस खत्ते में डाल दिया और कहां उस योजना को दबा रखा है, इसका कोई पता नहीं।

आज पर्यटकों के आकर्षण के लिये, पर्यटकों की सुविधा के लिये पर्यटकों के मनोरंजन के लिये देश के विभिन्न भागों में पहाड़ों के ऊपर........

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार :-संक्षिप्त में निवेदन कर रहा हूं, लाखों करोड़ों रुपया लगा कर सुन्दर सुन्दर स्थान बनाये जाते हैं, पर हमारे यहां सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया जाता है। राजस्थान हमारा है, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, प्रत्येक नगर की उन्नति होनी चाहिये, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जयपुर की तरफ राजस्थान सरकार की उपेक्षा वृत्ति रही है। आपने अध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार का रास्ता छोड़ दिया, सवाई मानसिंह हाई वे से आते जाते हैं, इस तरह की उपेक्षा जयपुर शहर के प्रति राज्य सरकार बरत रही है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार :--किस प्रकार की उपेक्षा जयपुर के प्रति राजस्थान सरकार रखती है, उसके लिये इस स्थगन प्रस्ताव से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक रुपया रामगढ़ के बन्धे पर लगा कर उसका डेवलपमेंट करना चाहिये और बन्धे की बराबर मरम्मत करानी चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

यदि रामगढ़ का बन्ध टूट गया तो निश्चित रूप से मानिये कि सूखे से तो अनाज नहीं मिलेगा पर यह रामगढ़ का बन्धा टूट गया तो पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा और मंत्री महोदय, आप तो जयपुर छोड़ कर अपने जिले में, अपने घर पर चले जायेंगे पर व्यास जी, अभी यहां से चले गये, यहां पर हैं नहीं, नहीं तो उनसे पूछता कि वे कहां जायेंगे, वे तो अपना घर छोड़कर नहीं जायेंगे। तो इस स्थिति पर भी ध्यान दें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक अंतिम बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि रामगढ़ बन्धे के डेवेलपमेंट के लिए थोड़ा सा रुपया पर्यटकों को सुविधा देने के लिए खर्च करेंगे? आपको फोरेन एक्स्चेन्ज पर्यटकों द्वारा मिलता है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, हजारों पर्यटक यहां पर आते हैं, यहां पर पर्यटकों के आकर्षण का एक ही स्थान है और वह है रामगढ़ का बन्ध तो क्या थोड़ा सा रुपया निरन्तर रूप से इसके डेवेलपमेंट के लिए खर्च करते रहेंगे? यदि ऐसा करेंगे तो इससे राज्य सरकार को भी लाभ होगा और जो आज इस बन्ध की स्थिति हो रही है, वह भी नहीं होगी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक सैकिन्ड में एक बात कह देना चाहता हूं। जब कभी इस सार्वजनिक काम के लिये सावजनिक निर्माण मंत्री से इस सार्वजनिक समस्या के हल के लिये कोशिश करते हैं तो वे कहते हैं कि सिंचाई मंत्री के पास जाइये यह उनसे ताल्लुक रखता है, सिंचाई मंत्री के पास जाते हैं तो कहते हैं कि इसका सम्बंध मेरे से नहीं है, वे यह भी जवाब दे सकते हैं कि खनिज मंत्री के पास जाओ।

श्री अध्यक्ष : कल्पना में मत उड़िये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, मैं कल्पना में नहीं उड़ता, सदन में यह बात रखते हैं तो टालने की कोशिश करते हैं, आखिर यह सरकार है या भड़भूजे की दुकान है ?

श्री अध्यक्ष : भड़भूजे की दुकान से अर्थ गरीब की दुकान से है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं यही कहता हूं।

श्री रामकिशन : यह तो भड़भूजे की दुकान से मोहनलाल सुखाड़िया की दुकान समझ रहे थे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप अपने क्षेत्र को डेवेलप करिये, पर जहां आप रहते हैं, इतना तो अहसान मानें कि हमने पनाह दे रखी है।

श्री अध्यक्ष : सब माननीय सदस्यों को पनाह दे रखी है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसमें बढ़ाई की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय, 184 माननीय सदस्य, हवामहल, मेरे क्षेत्र में आकर बैठते हैं, इतना गर्व तो मुझे है ही।

श्री अध्यक्ष : गर्व कहिये, पनाह नहीं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जो नहर द्वारा पानी छोड़ा है, उसके लिये बताइये कि उसका क्या उपयोग कर रहे हैं, फिर मैं निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : एक के अलावा और भी प्रश्न हों तो पूछ लीजिये।

श्री डूंगाराम राजोरिया : वह तो बाद में पूछूंगा, इसका उत्तर दे दें तब।

श्री अध्यक्ष : बाद में नहीं, एक साथ जितने प्रश्न हों सब पूछ लीजिये।

श्री डूंगाराम राजोरिया : एक तो यह प्रश्न है, जो आपको बताया, यह तो शुरू में ही बता देना चाहिये था, क्योंकि मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में यह पूछा है

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपका प्रस्ताव तो मुझे मिला ही नहीं, मैंने तो माननीय बाढ़दारजी के प्रस्ताव पर वक्तव्य दे दिया। रामगढ़ बन्ध के बारे में पूछना हो तो पूछ लीजिये। आपके प्रस्ताव के लिये तो आज ही निर्णय हुआ था, जानकारी की जा रही है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं यह निवेदन करना चाहता था, क्योंकि मंत्री महोदय ने उत्तर दे कर हमें संतुष्ट करने की कोशिश की है कि ब ध में हमने इस प्रकार मरम्मत की है और उसको टूटने से बचाया है, चारों तरफ से मरम्मत की है। तो पहले तो मैं यह निवेदन करता हूं कि सबसे बड़ी भूल तो यह की है कि 50 फीट का चौडा टीवा मंत्री जी ने बताया और उस टीबे से पानी रोकना

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

चाहा । रेत के टीबे से पानी रुकना असंभव है, वह तो पानी की लपेट में कभी भी आ सकता है । बालू के टीबे से जो पानी निकलने के लिये कहा, बालू का टीला आगे जाकर खतरनाक हो सकता है ।

एक बात मैं यह कहूंगा कि जैसी कि आपके अधिकारियों ने विज्ञप्ति निकाली कि बांध में पानी चूना चालू है । मैं कहूंगा बांध में चूना बहुत पहले से चालू है, तो यह विज्ञप्ति निकाल कर विभाग ने अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने की कोशिश की है कि बांध में कोई बात हो जायगी तो हमारे ऊपर आक्षेप नहीं आयेगा । मुझे सूचना मिली है कि इस बांध में लीकेज पहले से था लेकिन सरकार के सिंचाई विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया है । इसका जिम्मेदार आपका डिपार्टमेंट ही है अगर कोई दुर्घटना हो गई तो ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! ऑर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं अपनी बात तो रखूंगा ।

एक बात यह निवेदन करूंगा, मन्त्री महोदय ने फरमाया कि जब भराव 49-50 फीट से ऊपर चला जाता है तो यह स्थिति पैदा हो जाती है । मैं यह निवेदन करूंगा कि जब यह बन्ध बना था तो इससे सिंचाई करने की सहूलियत रखी गई थी पर आपने इससे सिंचाई को बन्द कर दिया है कि इससे ज्यादा पानी सिंचाई के लिये नहीं दिया जायगा, 44-45 फुट का भराव हो गया तो सिंचाई के लिये इतना पानी दे देंगे पर जो वास्तविक स्थिति है उसके सम्बंध में निवेदन करूंगा कि पौने त्रेपन फीट पानी पहुंच गया फिर भी सिंचाई के लिये पानी नहीं दिया गया । 64 में 45 फीट पानी का भराव था उस समय सिंचाई के लिये पानी दिया गया था 8 फीट और उसके बाद 67 में इस बन्ध का भराव 52¾ फीट 9 इंच हो गया, फिर भी आपने सिंचाई के लिये पानी नहीं दिया जब कि 45 फीट के भराव से सिंचाई के लिये दिया था । जो लोग बांध से पिलाई करते थे उनको 52¾ फीट का भराव इस बन्ध का हो जाने पर भी पानी नहीं दिया गया । अगर आपने उन किसानों को सिंचाई के लिये पानी दिया होता तो आपको भी फायदा हो सकता था, किसानों को भी फायदा हो सकता था और 52¾ फीट के भराव से जो यह स्थिति बन्ध की पैदा हुई वह स्थिति भी पैदा नहीं होती और हजारों बीघा जमीन की सिंचाई होती, अन्न का उत्पादन होता तो इससे विभाग को क्या नुकसान था ? यह आपके विभाग की गैर जिम्मेदारी है कि उनको पानी नहीं दिया गया, गये वक्त जो इसके मंत्री थे उन्होंने भी गैर अक्लमन्दी का काम किया है कि 52¾ फीट पानी का भराव होने पर भी किसानों को पानी नहीं दिया है ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि जो सिंचाई के लिये पानी बांधा गया था निर्धारित किया गया था, वह पानी दिया क्या ?

एक बात यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर के लिए सीमित कर दिया कि सिंचाई के लिये पानी देंगे ही नहीं, जयपुर को सिंचाई के लिये पानी देते हैं, उसका एवरेज बता देना चाहता हूं आपने 1967 में बंधे में 9 फुट और 3 इंच पानी दिया । 10 फुट या 9 फुट पानी का देना है तो क्या

(श्री डूंगाराम राजोरिया)
अधिकार है बंधे का पानी रोकने का ? सिंचाई वालों को पानी क्यों नहीं देते हो ? जबकि 9 फुट या 10 फुट आपके शहर के लिए चाहिये तो किसानों का आपने गला घोंट रखा है। जो जमीन असिंचित पड़ी है अगर वहां भी कुए खोद कर पानी निकाला जावे तो वहां का पानी भी खारा है और साख को जला देता है इसलिये उस जमीन को बांध से पानी मिलना चाहिये । जबसे पानी मिलना बन्द हुआ है वह जमीन बंजर पड़ी है सरकार को ख्याल करना चाहिए था कि जयपुर को जितने पानी की आवश्यकता है उससे बेसी जो पानी था उसको सिंचाई के लिये दिया जाय । पानी नहीं मिलने से किसान खेती से वंचित रहा है जो हर साल लगान देता है । तीसरी बात इस बांध से पानी नहीं मिलने से चांदराणा बांध बनाने की स्कीम बनी थी उस बांध की योजना सरकार ने 10 साल पहले योजना बनाई है। एस्टीमेट बना लिया, आज तक खत्ते में डाल रखा है । इसलिये मंत्रीजी उस बांध की भी जानकारी दें उसका कब क्या होगा ? आप पूरी जानकारी देंगे तो मुझे और मेरे क्षेत्र के लोगों को संतोष हो जायगा ।

श्री नाथूराम करोल (जमुवा रामगढ़) : आपने फरमाया कि स्थिति काबू में है, लेकिन आज सुबह तक पानी बराबर चालू है। दूसरी बात आपने बतलायी कि जो पानी आप नहर द्वारा जो निकाल रहे हैं और पानी कुओं की तरफ फैल रहा है, कितने दिनों तक जारी रहेगा, किसानों को देंगे या नहीं । तीसरी बात अब तक जो पानी निकला है, तीन दिन से नहर चालू है, बंधे में से कितना पानी टूटा ? एक फुट या दो फुट निकल गया, आपने वक्तव्य में स्पष्ट नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष (श्री दुर्गालाल के खड़े होने पर) : स्थान ग्रहण करें । दुबारा नहीं होगा । आपने प्रश्न पूछ लिया ।

श्री दुर्गालाल बादढदार : स्थिति काबू में है ? मिट्टी तो रोक दी है लेकिन.....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं बताता हूं । मैंने जो यह कहा कि रिसाव पहले 5-6 क्यूसेक्स तक बढ़ गया था और अब एक क्यूसेक कम हो गया है, तो रिसाव का मतलब है सीपेज । हर टैंक में सीपेज होता है, वह खतरनाक तब होता है जब पानी में मिट्टी आ जाय, तालाब में मिट्टी जायगी तो सीपेज बढ़ जायगा और हानि हो जायगी। जब नियंत्रण में हो गया और एक क्यूसेक से कम आ गया तो पानी के साथ जो मिट्टी जाती थी, वह बंद हो गई। सीपेज ऐसी चीज है जो हर बांध में थोड़ा बहुत चाहे कैसा भी मजबूत बनाएं सीपेज तो होता ही है। इसलिये मिट्टी नहीं जाती है केवल क्लीयर वाटर जिसे फिल्टर्ड वाटर कह सकते हैं, वह थोड़ा निकलता है एक क्यूसेक से कम तो एक या दो चड़स इतना पानी बड़े बंधे से निकले तो चिंता का विषय नहीं हो सकता। 1903 में सबसे पहले यह बांध बना उस समय सिंचाई के ही काम में आता था लेकिन 1932 में इस बांध से वाटर सप्लाई को छोड़ते हैं और तब से जयपुर को वहां से पानी मिलता है। धीरे धीरे जयपुर कस्बे की आबादी बढ़ी, रहन सहन बदला और पानी की अधिक आवश्यकता हुई तो सिंचाई भी होती रहे और पानी भी मिलता रहे यह संभव नहीं था। इसलिये 1964 में यह फैसला किया गया कि अब केवल पीने के पानी के काम में ही लिया जाय और अंत में यह तालाब जो सिंचाई विभाग के अंतर्गत था उसको जन स्वास्थ्य

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

विभाग को सरकार ने ट्रांसफर कर दिया। अब सवाल उठता है कि सिंचाई के लिए पानी पहले दिया जाता था अब क्यों नहीं दिया जा रहा है और उतना क्यों नहीं दिया जा रहा है जितना किसी जमाने में दिया जाता था। एक तरफ दुर्गालाल जी कहते हैं कि जयपुर बड़ा कस्बा है उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए पूरी सुविधायें दी जानी चाहिए।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : पानी देने के लिए मैं कब कह रहा हूं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दूसरी तरफ कहते हैं कि सिंचाई की सुविधायें बरकरार होनी चाहिए, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। बांध केवल जयपुर के पानी पीने के लिए रहता है। अभी हमने पानी इसलिये छोड़ा कि जसा मैंने निवेदन किया कि जो रिसाव बढ़ा था उस समय जब पानी 50 के ऊपर गेज था इसलिये अनुमान लगाया कि जब 50 से ऊपर जाने पर रिसाव बढ़ जाता है, मिट्टी उसमें जाने लग जाती है। इसलिये कम से कम इस से कम न हो तो 50 के रिसाव के बढ़ाव तक बढ़ा दें। यदि यह अनुमान सही है तो रिसाव हानिकारक सिद्ध नहीं होता। पानी वेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ा। किसानों को हिदायत की गई कि नहर से पानी छोड़ रहे हैं और खरीफ की फसलों को आवश्यकतानुसार पानी दिया जा रहा है और उस समय तक दिया जाता रहेगा जब तक इसका गेज 50 तक पहुंच जाता है।

तीसरी बात आखिर पानी तो निकल रहा है, कितना गेज था कितना रह गया। जिस समय सीपेज की शिकायत आई उस दिन इसका गेज 52.9 था आज सवेरे 52.6 है अभी तक 3 इंच पानी इसमें 11 तारीख से लगातार आज तक कम हुआ है, जिसमें जयपुर को पानी पीने के लिए आ रहा है वह भी शामिल है। तो ऐसी हालत में यह नहीं कहा जा सकता कि सीपेज से कोई खास खतरा निकला हो। एक क्यूसेक का मतलब है एक दो चड़स पानी बंधे से निकला है। जो तीन इंच कम हुआ है वह जयपुर वाटर सप्लाई स्कीम के अंतर्गत आने वाला पानी है और जो नहरों से आने वाला सिंचाई के लिए खोला है वह 10 तारीख की रात से तीन इंच कम हुआ है इसलिए खतरे की बात नहीं है और राज्य सरकार जागरुक है इस प्रश्न पर कि कौनसा तरीका निकालें जिससे इसका मुस्तकिल हल हो जाय और भविष्य में 50 से 60 तक पानी पहुंचे तो खतरा पैदा न हो। इसलिए आदेश दे दिए हैं कि टेक्नीकल इग्जैमिनेशन किया जाय उस योजना की मन्जूरी के बाद क्रियान्वित करके हमेशा के लिए एक क्यूसेक का भी सीपेज न हो सके। अगर ऐसा हम कर सकते ह तो करने का प्रयत्न करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इससे माननीय सदस्यों को संतोष हो सकेगा।

दूसरी जो बात कही गई, कि इस पर कितना दिया जाय, इसका इस रिजोल्यूशन से संबंध नहीं और इस विभाग से भी संबंध नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : एक सूचना चाहता हूं।

(श्री मुकुटविहारी लाल गोयल)

भारत सरकार के उप-मंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया भुसावर में कब्रिस्तान को बर्वाद करके.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस बीच में आप कोई सूचना मांगेंगे तो मैं देने के लिये तैयार नहीं हूं।

आप (श्री डूंगाराम): क्या प्रश्न पूछना चाहते थे ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं आपके जरिये से यह निवेदन कर दूं माननीय मंत्री जी को कि जयपुर शहर में 9 या दस फीट पानी दिया जाता है।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : कई बार बरसात नहीं होती है तो पानी रिजर्वेशन में रखना पड़ता है यहां की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। तीन वर्ष भी अगर बरसात न बरसे तो रामगढ़ का बंधा जयपुर शहर के निवासियों को प्यासा नहीं रखेगा। यदि इस प्रकार की व्यवस्था न की जाय और कदाचित वर्षा न हो तो तत्काल में कुछ घंटो में यहां पानी नहीं ला सकते। जब तक कि बनास की योजना जयपुर के लिये बनाई जा रही है वह कार्यान्वित होकर पूरी न हो जाय तब तक के लिये यह व्यवस्था करनी बहुत आवश्यक है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : प्रश्न यह है..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। अब आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री डूंगाराम राजोरिया : कोई भी प्रश्न......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : पानी बेकार जाता हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : माननीय अध्यक्ष.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(स्थान ग्रहण न करने पर) मैं माननीय सदस्य को नाम से पुकारता हूं माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(श्री डूंगाराम के स्थान ग्रहण करने पर) येस।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट बात है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूं कि 62-63 में 45 फीट पानी आया। 8 फीट पानी छोड़ा गया। 3 साल अकाल पड़ा। फिर भी 39 फीट पानी रहा। तीन साल का अकाल होने के बाद भी पानी इसमें रहता है तो फिर कैसे कहते हैं कि बांध से सिंचाई के लिये पानी नहीं उपलब्ध हो सकता ? चार साल भी अकाल हो जाय तो भी पानी की कमी नहीं रहेगी इसमें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न समझ में आ गया।

माननीय मंत्री महोदय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष, शायद माननीय सदस्य इसकी कैपेसिटी से और जयपुर की आवश्यकताओं से परिचित नहीं हैं इसलिये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आज उसमें 52.6 फीट पानी है जो 1200 एनसी एफटी पानी होता है। जयपुर की रिक्वायरमेंट है 600 एनसी एफटी। रिक्वायरमेन्ट, लोसेज वगैरह और घर में पहुंचता है। जो भी पानी का नुक्सान होता है उन सबको देखते हुए 52 फीट भरा हुआ पानी इतना नहीं है कि जो जयपुर की सारी आवश्यकताओं की पूर्ती करता हो और सारे नुक्सान को पूरा करने के बाद भी कितनी बेचत हो जाय कि हजार एकड जमीन को पानी दे सकें उस सूरत में तीन साल के लिये विशे परिस्थितियों के लिये पानी को रिजर्व रखना पड़ता है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : 60 फीट था जब भी कमी नहीं हुई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 60 फीट भी है तो चाहिए।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आपने ज्यादा है—

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य।

जयसमन्द झील में मछली पकड़ने का ठेका देने के सम्बन्ध में श्री देवीदत्त गाड़िया आधे घंटे की चर्चा उठायेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल : उस प्रश्न को आप कब ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मेरे सामने माननीय मंत्री महोदय का पत्र आया है। वह प्रिविलेज क्लेम करने का है।

श्री नत्थीसिंह : वह कब ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न ले लिया है। मैं सूचना दे दूंगा।

श्री रामकिशन : मछली से कब्र का ज्यादा महत्व है।

श्री अध्यक्ष : मछली वालों के लिये मछली का और कब्र वालों के लिये कब्र का महत्व है।

माननीय मंत्री महोदय।

आधे घण्टे की चर्चा

राज्य मंत्री (श्री मनफूलसिंह) : मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को सूचना दी है कि यह केस डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में चल रहा है और इसकी चर्चा पहले क्वेश्चन के सम्बन्ध में आ गयी है। 5 सितम्बर को यहां इसकी चर्चा हो चुकी थी और, माननीय उप-मंत्री जी ने इसके सम्बन्ध में काफी संतोषपूर्ण जवाब दे दिया था। सदन में यह चर्चा फिर आयगी और कोर्ट में मामला चल रहा है इसलिये मैं यह उचित समझूंगा कि जब तक कोर्ट का फैसला न हो जाय इस चर्चा को यहां न उठाया जाय।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर ही आप प्रकाश डालेंगे। यह केस सिविल जज के यहां कोर्ट में चल रहा है। उनके अधिकार में है। प्रिविलेज क्लेम किया है इसलिए इसके ऊपर वाद-विवाद न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयसमन्द में मछली पकड़ने के ठेके के सम्बन्ध में कोर्ट में यह केस पेन्डिंग है कि अगले वर्ष के लिये ठेका न दिया जाय। स्टे इस पर अदालत से मिला है। बाकी की

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
बातों का अदालत से सम्बन्ध नहीं है। अदालत ने ठेकेदार को स्टे दे रखा है। 5 तारीख को यह आया उससे पहले ही यह प्रश्न दिया हुआ था। माननीय मंत्री जी को अदालत की चिन्ता थी तो उस समय इसको रोकते। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोर्ट से यह सरकार इसका ठेका नीलाम न करे इस बात का स्टे दे रखा है। लाखों रुपयों का घोटाला इस ठेके में है। उससे बचने के लिये माननीय मंत्री जी ने सदन के अन्दर चर्चा न हो इसलिये इस प्रकार लिख कर दिया है। आधे घंटे की चर्चा के लिये आप स्वीकृति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय का जो पत्र आया है उसके आधार पर यह जयसमंद में मछली पकड़ने के ठेके का प्रश्न सिविल जज, जयपुर के यहां विचाराधीन है और डिस्ट्रिक्ट जज, जयपुर के यहां भी यह विचाराधीन है। ठेका देने का मुद्दा वहां पर विचाराधीन है इसलिये यह प्रश्न सब-जुडिस है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सब-जुडिस होने के नाते अदालत में कौनसा मटर है जिस पर कार्यवाही कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही यह चल रही है कि अगले वर्ष ठेका न दे सकें। राजस्थान गवर्नमेंट दूसरों को ठेका देना चाहती थी उस पर स्टे लाया गया है। बाकी जो मुद्दे उठाये जाने वाले हैं वे इस प्रश्न पर हैं कि किस प्रकार गड़बड़ियां की गयी हैं।

श्री अध्यक्ष : चूंकि प्रिविलेज का प्रश्न आया है इसलिये और भी प्रिकोशन्स लेना चाहूंगा। इसको इस समय सब-जुडिस मान कर स्थगित करता हूं इसलिये कोई प्रश्न यहां उठाने की इजाजत नहीं देना चाहूंगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, किसी मामले को सब-जुडिस कर देना केवल मंत्री महोदय एक लाइन में यह लिख कर कह दें कि केस कोर्ट में चल रहा है और बोलने का अधिकार नहीं है तो यह हमारे अधिकारों पर कुठाराघात होगा। आप इस निर्णय पर सरकार को बाध्य करें कि कौनसा मैटर किस रूप में कोर्ट मे चल रहा है और किस प्रकार का स्टे ऑर्डर है जो कोर्ट ने इश्यू किया है, वह पेश करें। यहां पर मामला आपके सामने आया है तो परव्यू भी सामने आ जावेगा किस किस पर बहस की जा सकती है और किन पोइन्ट्स पर पार्टी ने गवर्नमेंट को चलेन्ज किया है।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक है। मैं आपके सुझाव को मानता हूं। राज्य सरकार को भी कहूंगा कि किन मुद्दों पर मुकदमा चल रहा है और किन मुद्दों पर स्टे है और माननीय सदस्य किन मुद्दों पर यहां बहस उठाना चाहते हैं।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव तहसील सांगोद जिला कोटा म पुरानी बकाया की एक मुश्त वसूली पर सामदायिक विकास मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

श्री नत्थीसिंह : माननीय मुकुटविहारीलाल जी ने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उस पर आपने यह व्यवस्था दी थी कि कल या परसों, वह परसों आज है, मंत्री महोदय द्वारा स्टेटमेन्ट दिया जायेगा। तो क्या आज वह स्टटमन्ट दिया जाना है?

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : वह आज नहीं हो रहा है तो परसों के लिये स्थगित कर दीजिये। हमें जल्दबाजी नहीं है। सिर्फ हम सूचना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया आपके मन्तव्य को। माननीय सदस्य मुझसे मिले हैं। उन्होंने कुछ दस्तावेज जो वे लाये हैं, मुझे बताने का प्रयत्न किया है। मैंने उनसे कहा है कि मैं और वे, दोनों बैठकर इसका अध्ययन करेंगे। श्री रामकिशनजी भी मुझसे मिले हैं। मैंने इस विषय में उनका भी ध्यान आकर्षित किया है। इसलिये मिलने के बाद, विचार विनिमय होने के बाद फिर यह प्रश्न सदस्य सदन के प्रांगण में उठाना चाहें, मुझसे कोई निर्णय लेना चाहें, यह उचित नहीं है। वक्तव्य का प्रश्न आपसे मिलने के बाद ही पैदा होता है। मैं उसका पुनर्निरीक्षण करूंगा। मेरी भी कुछ शंकाएं हैं। इसलिये विश्वास लेना चाहता हूं। वक्तव्य भी फोरटीफाइड होना चाहिये। प्रश्न महत्व का है। आप चूंकि चले गये। मैं आपकी इन्तजार में रहा कि आप कुछ ला रहे हैं। आपके सारे पत्रों को देखकर ही वक्तव्य दिया जाय? मैं आज ही निर्णय ले लूंगा?

मंत्री महोदय, सामुदायकि विकास विभाग का तहसील सांगोद, जिला कोटा में पुरानी बकाया की एक मुश्त वसूली के संबंध में ध्यान आर्कषित करेंगे—श्री जुझारसिंह।

श्री रामकुमार नंदवाना: अध्यक्ष महोदय मेरा भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। उसकी कोई सूचना मुझे नहीं मिली है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की यहां सूचना नहीं दी जाती।

श्री जुझारसिंह (रामगंजमण्डी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव सीधा सादा है। सांगोद तहसील में पिछले कुछ वर्षों की बकाया, जो कई वर्षों की इक्ट्ठी हो गई और वसूल नहीं हुई और जिसका रिकार्ड भी पंचायत समिति ने कम्पलाई नहीं किया। सन् 1958 के बाद का सन् 1968 तक। पिछले दस सालों का रिकार्ड एक साथ इक्ट्ठा करके, वे सारी फाइलें इक्ट्ठी करके, कम्पलाय करके, इक्ट्ठी रकम काश्तकारों से मांगी जा रही है, जिसको देने की परिस्थिति में वह आज नहीं है। मैं मंत्री महोदय का अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं कि सांगोद तहसील में इस साल अकाल की परिस्थिति है। वहां पर 32 इंच का ऐवरेज रैनफाल का हुआ करता है और इस साल 12, 13 इंच ही बरसात हुई है। फसलें सूखने लग गई हैं और दूसरी तरफ उनसे जो मांग की जा रही है, वह इतनी भारी है कि उसके कुछ आंकड़े म सदन के सामने रखना चाहता हूं। जितनी बकाया मांगी जा रही है, मेरी जानकारी के माफिक वह 4 लाख 83 हजार, 188 रुपये 72 पैसे है। उसमें जो मूल रकम है वह 2 लाख 90 हजार के करीब है। ब्याज की रकम 1 लाख 92 हजार 735 रुपये 72 पैसा है। इसमें से सादा ब्याज की रकम 67 हजार 895 है। पेनल इन्टरेस्ट 1 लाख 22 हजार 840 रुपये 72 पैसा है। इस तरह इस रकम में जो वसूली की जा रही है उसमें 50 परसेन्ट एडवान्स है और 50 परसेन्ट के करीब ब्याज की है। ब्याज की 2/3 रकम पेनल इन्टरेस्ट की है। अध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत में मंत्री महोदय का ध्यान आर्कषित करना चाहूंगा कि पेनल इन्टरस्ट राजस्थान के पंचायत के कानन के तहत 15 दिसम्बर, 66 से लागू हुआ था। जो एडवान्सेस हैं वे सन् 66 से पूर्व के हैं। इससे

(श्री जुझारसिंह)

पहले की रकम पर पेनल इन्टरेस्ट लगाने का कोई प्रावीजन राज्य के नियमों में नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो पेनल इन्टरेस्ट की वसूली की जा रही है, वह वसूली नहीं की जानी चाहिये। पेनल इन्टरेस्ट की वसूली जब वाजिब होती है, जब काश्तकार ने जो कर्जा लिया है, वह जिस परपज के लिये लिया गया है, उसको दूसरे काम में ले लिया हो। उस पर पेनल इन्टरेस्ट लेने का प्रावधान था। यह जो रकम वसूल की जा रही है, वह सन् 60 से लेकर 66 और उससे पहले से संबंधित है। इसलिये उस पर पेनल इन्टरेस्ट लगाना अन्याय है, ज्यादती है। जो रकम मांगी गई है, पहली डिमाण्ड जो की गयी है, वह 26 अगस्त, 68 को की गई है। काश्तकारों के खेती का माल मार्च, अप्रेल, मई में आ जाता है और जून और मई के महीने में वे उसकी बिक्री कर देते हैं। राज्य के नियमों के अनुसार काश्तकारों से जो मांग की जाय, वह अप्रेल या मई महीने में की जानी चाहिये। उस वक्त उसके पास मांग की पूर्ति करने की गुंजाइश रहती है। परन्तु यह मांग 26 अगस्त, 68 को की गई है जबकि काश्तकार का माल बिक चुका होता है या बरसात की वजह से उसको अन्दर रख देता है। इसलिये इस टाइम पर जो मांग की गई है, वह वाजिब नहीं है।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि यह डिमाण्ड वेग है। इस डिमाण्ड में काश्तकारों से जो डिमाण्ड की गई है, वह रकम वे दे चुके हैं। पंचायत को रकम जमा करा चुके हैं किन्तु पंचायतों ने हिसाब नहीं रखा है। एक काश्तकार ने रकम पंचायत समिति में जमा करा दी, किन्तु उसका कोई हिसाब नहीं है। कितनी रकम किस आदमी से लेना है? यह हिसाब नहीं है और हर व्यक्ति से मांग की जा रही है। मैं इसका एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। एक श्री शकूर मोहम्मद अली मोहम्मद है। उससे 648.50 पैसे की मांग 26-8-68 को राज्य सरकार द्वारा मांग प्रस्तुत की गई है। उसके हिसाब को देखने से मालूम हुआ कि उसकी तरफ पंचायत समिति में केवल 160) रुपये निकलते हैं, जबकि 648) रुपये के लिये पंचायत समिति को तहसील ने लिखा है। इस हिसाब में गड़बड़ है। इसको रिवाईज करें। नियमों के अनुसार इस डिमाण्ड को जो पेश की जा सकी है, उसको रिवाइज करने का अधिकार कलेक्टर को है। तहसीलदार, पंचायत समिति रिवाइज नहीं कर सकते। इसी तरह से गोपाल लाल वल्द गिरधारीलाल और जानकीलाल वल्द नाथूलाल का केस है। उनसे जो रकम मांगी गई है वह उन्होंने जमा करा दी है और उनसे वापिस मांगी जा रही है। उनके हिसाब को देखकर पंचायत समिति ने अनुभव किया कि उनके हिसाब में गड़बड़ी है। अब चूंकि मांग कर दी गई है और कलेक्टर जब तक आदेश नहीं दे तहसील उसको विथड्रा नहीं कर सकती। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस रकम की वसूली स्थगित की जानी चाहिये। अकाल की परिस्थिति है। लोग-बाग देने की स्थिति में नहीं हैं। पेनल इन्टरेस्ट का हिसाब दूर किया जाना चाहिये। काश्तकारों की स्थिति को देखते हुए फिलहाल इस रकम की वसूली को स्थगित किया जाय। एक मुश्त न लेकर किश्तों में लिया जाय तो वहां के काश्तकारों को राहत मिल सकेगी।

(2 म० प०)

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान

(श्री परसराम मदेरणा)

सरकार द्वारा पंचायत समितियों को दीर्घकालीन, मध्यकालीन व अल्पकालीन ऋण दिये जाते हैं। ये ऋण पंचायत समितियां कृषकों को राजस्थान पंचायत समिति (ऋण नियमों) के अनुसार वितरण करती हैं एवं वसूल करती हैं। पिछले कुछ वर्षों से यह अनुभव रहा है कि पंचायत समितियां ऋण वसूली में पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही हैं और इससे जितनी राशि वसूल होनी चाहिये थी उतनी वसूल नहीं हो रही थी। इससे एक ओर तो ऋण की वसूली ठप्प हो ही रही थी, साथ में दूसरी ओर पंचायत समितियों को जब राज्य-सरकार को राशि चुकानी होती थी तो वे अपनी नई आवंटित राशि में से दे देती थीं। इस पर काफी गम्भीरता से राज्य स्तर पर विचार किया गया और यह उपयुक्त समझा गया कि पंचायत समितियों को इस बात का आव्हान किया जाय कि वे ऋणियों से समय पर वसूली करें और वसूल की हुई राशि को समय पर राज्य सरकार के खाते में जमा कराती रहें। इसमें सब से बड़ी कठिनाई यह आ रही थी कि पंचायत समितियों के ऋणों के खाते पूरे नहीं थे इसलिये विभाग से भिन्न भिन्न पंचायत समितियों में आवश्यकतानुसार पार्टियां भेज कर, जिला स्तर पर लेखाकार नियुक्त कराने का एवं समय समय पर निर्देश जारी कराकर, यह कार्य पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है।

(2.2 म०प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

वसूली की कुल राशि जो राज्य सरकार को देय है वह 12 करोड़ 21 लाख के लगभग है। इस राशि को वसूल किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन इस बात को भी राज्य सरकार ने ध्यान में रखा है कि एक साथ वसूली न कर उचित मात्रा में ही वसूली नियमित रूप से की जाय ताकि कृषकों के ऊपर अत्यधिक भार न पड़े। इस उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि दीर्घकालीन ऋण के लिये एक साथ दो से अधिक किश्तें वसूल नहीं की जावेंगी।

इसके अलावा ऋण नियमों में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति ऋण का उपयोग न करे अथवा दुरुपयोग करे तो उससे एक मुश्त में ऋण की राशि मय दण्डनीय ब्याज के वसूल की जा सकती है। यह प्रावधान उचित ही है और इस प्रकार के ऋणियों से जो ऋण का सदुपयोग नहीं करते हैं किसी प्रकार की भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए।

अतः जहां तक दीर्घकालीन ऋण का प्रश्न है किसी भी ऐसे ऋणी से जिसने ऋण का सदुपयोग कर लिया हो तो उससे एक साथ दो किश्तों से अधिक ऋण की वसूली नहीं की जा रही है लेकिन ऐसे ऋणियों से जिन्होंने ऋण का दुरुपयोग किया है अथवा ऋण का निश्चित अवधि में उपयोग नहीं किया है उनसे राशि एक मुश्त में मय दण्डनीय ब्याज के नियमों के अनुसार वसूल की जा रही है।

अल्पकालीन ऋण के बारे में स्थिति इस प्रकार है कि यह ऋण खाद व बीज के लिये ही कृषकों को दिया जाता है। नियमों में यह प्रावधान है कि इस ऋण का चुकारा कृषक अगली फसल आने पर कर देवे। यदि कृषक फसल के ऊपर स्वतः ही पंचायत समिति को ऋण को भुगतान नहीं करते हैं

(श्री परसराम मदेरणा)

अथवा पंचायत समिति ऋण वसूल करने में असमर्थ रहती है, तब ही इस ऋण की वसूली की मांग तहसील को दी जाती है। राज्य सरकार जब खाद और बीज खरीदने के लिये कृषकों को पर्याप्त सुविधा प्रदान करती है तो यह अपेक्षित है कि इस प्रकार की सुविधा का यथोचित लाभ उठाकर कृषक समय पर फसल आने पर अपने ऋण का भुगतान कर देवें। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। अब भारत सरकार से भी अल्पकालीन ऋण मिलना निरन्तर कम होता जा रहा है और इसके वसूली की अवधि भी 6 माह कर दी गई है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि अल्पकालीन ऋण की वसूली अविलम्ब की जावे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अल्पकालीन ऋण की वसूली की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा 31-3-68 तक पंचायत समिति, सांगोद को निम्न राशि का ऋण किया गया था:

अल्पकालीन ऋण	7,26,223.94 पैसे
अन्य ऋण	12,43,058.68 पैसे

इसमें से पंचायत समिति से पिछली रबी तक वसूली योग्य राशि 4.58 लाख अल्पकालीन ऋण व 0.21 लाख अन्य ऋण की रही है। पंचायत समिति, सांगोद ने 21-1-68, 15-5-68, 14-6-68 व 23-8-68 को जैसे जैसे ऋण के खाते पूरे होते गए मांग-पत्र तहसील को भेजे हैं। इन मांग-पत्रों के आधार पर तहसील लगान के साथ ऋण की वसूली करती है। विकास विभाग को जो मासिक विवरण-पत्र जिलाधीश से प्राप्त होते हैं उनके अनुसार राजस्व अधिकारियों के माध्यम से पंचायत समिति, सांगोद की ऋण की वसूली निम्न प्रकार हुई है:

अप्रेल	7,165
मई	15,347
जून	50,694
जुलाई	76,061
योग ...	1,49,267

अतः ऐसी स्थिति में यह कहना उचित नहीं होगा कि वसूली की कार्यवाही 26 अगस्त, 1968 से ही शुरू की गई है।

पंचायत समिति, सांगोद ने निम्न रकम के मांग-पत्र दीर्घकालीन व अल्पकालीन व अल्पकालीन ऋण के तहसील को भिजवाये हैं:

ऋण की किस्म	मूल	ब्याज
दीर्घकालीन	2,92,435	1,90,753
अल्पकालीन	2,76,935	93,371

इस प्रकार पंचायत समिति,सांगोद ने मांग-पत्र कुल 8,53,494 रु० के जिसमें मूल धन की वसूली 5,69,370 रु० व 2,84,124 रु० ब्याज की वसूली भी सम्मिलित की गई। ब्याज की राशि में दण्डनीय ब्याज की राशि कितनी है ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

15 दिसम्बर, 1966 के पूर्व जो पंचायत समिति ऋण नियम लागू थे उनमें भी दण्डनीय ब्याज लेने का प्रावधान था। यह सही है कि उन ऋण नियमों में दण्डनीय ब्याज के बारे में विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया था। इसी उद्देश्य से नये ऋण नियम लागू किये गये। लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं होगा

(श्री परसराम मदेरणा)

कि पूर्व के नियमों में दण्डनीय ब्याज का प्रावधान ही नहीं था। पुराने ऋण नियमों में निम्न प्रकार प्रावधान था:

"In case of mis-use of loan or diversion thereof to any use other than that for which it has been sanctioned, or on failure to comply with any of the conditions of loan, the Panchayat Samiti shall recover it in one instalment within two months from the date of such mis-use or diversion, as the case may be, and in such a case, penal interest at the rate of 12% shall also be chargeable on the amount due."

इससे स्पष्ट है कि यदि कोई ऋणी ऋण का दुरुपयोग करता है या ऋण की शर्तों का उलंघन करता है तो उससे ऋण की राशि एक मुश्त में मय दंडनीय ब्याज के वसूल की जा सकती है। यह गलत है कि ऋणियों से साढ़े 6 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज याने कुल साढ़े 18 प्रतिशत वसूल किया जा रहा है। सत्य यह है कि ऐसे ऋणियों से केवल 12 प्रतिशत ही दण्डनीय ब्याज वसूल किया जा रहा है।

यह सही है कि अल्पकालीन ऋण की वसूली के मांग पत्र तहसील को पूर्व म नहीं भेजे गये थे। लेकिन दीर्घकालीन ऋण के मांग-पत्र समय पर भेजे जाते रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही था कि पंचायत समिति के लेखे पूर्ण नहीं थे। वे अब जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया पूरे करवाये गये हैं।

श्री जुझारसिंह : अल्पकालीन ऋण के अकाउन्ट पंचायत समिति में तैयार नहीं थे इस वजह से हर साल वसूल होना चाहिये वह वसूल नहीं हुआ। यह कहना कि काश्तकारों ने उस ऋण को देना नहीं चाहा यह गलत बात है। ऐसे भी मौके हमारे सामने आये हैं जब काश्तकार खुद पंचायत समिति में आये हैं और प्रधान से विकास अधिकारी से कहा है हमें ऋण का भुगतान करना है। चूंकि यह वसूली तहसील के मार्फत होती है रिपोर्ट तैयार नहीं थी अब जब तैयार हो गई तो सब से एक मुश्त जो मांगा जाता है इस जरिये शार्ट-टर्म लोन जो समय पर वसूल नहीं हो सका उसको एक मुश्त वसूल नहीं करके किश्तों में वसूल करने के आदेश जारी करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह सीधा सादा प्रश्न है। तो मेरा भी सीधा सादा जवाब है। पहले लोन की सूची तैयार नहीं हुई थी और वह पंचायत समिति में ही नहीं हो सकी थी। राजस्थान में विकेन्द्रीकरण की स्थापना के समय एग्रीकल्चर विभाग का बीज और खाद आदि पंचायतों के पास था और उनका रिकार्ड तैयार नहीं हो सका था। फिर राज्य स्तर पर बात आई तो अकाउन्ट्स क्लर्क रख कर ऐसी सूची तैयार कराई गई। ज्योंही तैयार होती है वह तहसील में भेज देते हैं।

किसान को पहले भी शार्ट-टर्म लोन दिया जाता था और आज भी दिया जा रहा है तो लोन लेने वाले को चाहिए कि वह अपने आप ही अपनी किश्त शर्त के अनुसार पंचायत समिति में जमा करा देनी चाहिये थी। अगर उसने ऐसा नहीं किया और इधर हमने सब लेखा एक साथ तयार किया और पंचायत

(श्री परसराम मदेरणा)

समिति ने उस हिसाब से डिमाण्ड नोट जारी कर दिये । पहले जो शार्ट-टर्म लोन की वसूली के नियम थे उसमें भारत सरकार ने काफी परिवर्तन किये हैं । अब उन्होंने शार्ट-टर्म लोन के लिये 6 महीने का समय निर्धारित किया है वह राजस्थान के लिये ही नहीं, सारे देश के लिए है ।

आज करोड़ों लोगों का लोन बाकी है । एक तरफ वसूली के लिए सख्ती करने की बात आप ही कहते ह और सरकार इसे मान कर वसूली की ताकीद करती है तो आप शिकायतें भी लाते हैं । यह सही है कि जिस तरह की बात इन्डिविजुअल केसों में आपने बताई और उदाहरण दिया शकूर अली और शंकर लाल आदि का तो ऐसे केसों को अलग से देखा जा सकता है । अगर कोई आप स्पेसिफिक बात ध्यान में लावेंगे तो विचार कर लिया जावेगा । डिमाण्ड में तरमीम नहीं हो सकेगी, ऐसी बात नहीं है । राज्य सरकार तो पंचायत समिति को लम्प-सम में दे देती है । तो राज्य सरकार द्वारा वसूली करने का सवाल भी नहीं है । पंचायत समिति डिमाण्ड बनाकर भेजती है । और वह ओटोनोमस बॉडी है । वहां की परिस्थिति और कन्डीशन के अनुसार ही वसूली होनी है । हम तो तकाजा कर रहे थे लोन के ब्याज के लिये । मूलधन तो दूर रहा । इस सारी रकम पर सरकार को अपने कन्सोलिडेटेड फण्ड से ब्याज चुकाना पड़ रहा है जोकि हमें नहीं मिल रहा है उन लोगों से । तो इन सब बातों को देखते हुए पंचायत समितियों से हमने कहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है माननीय सदस्य ।

श्री जुझारसिंह : एक बात की ओर थोड़ा ध्यान आकर्षित कर दूं ।

इस साल वहां अकाल की स्थिति बन गई है । सांगोद की तहसील भी इससे बची नहीं है । पिछले साल भी 132 गांवों में अकाल पड़ा । तब भी एक गांव में राहत नहीं मिली । इस साल उससे भी ज्यादा भयंकर स्थिति है । काश्तकार बारह महीने भी कैसे गुजारा करेगा और निकालेगा यह सवाल है । इस सूरत में कन्सोलिडेटेड अमाउन्ट को एकमुश्त वसूल करना और किश्तों में नहीं करना यह बड़ी कठिनाई पैदा कर देगा उनके लिये । आपके वक्तव्य से तो वैसे मैं भी एग्री करता हूं कि ढिलाई वसूली में नहीं रखनी चाहिये । डिफाल्टर्स को राहत नहीं दी जानी चाहिये पर जो इन्नोसेन्ट हैं किसी कारण से समय पर जिनसे मांग नहीं की गई उनके मामले में विचार करके और खास परिस्थिति को देखकर और अकाल का भी ध्यान रखते हुए किश्तों में वसूल करेंगे तो काफी ठीक रहेगा, इतना ही मेरा निवेदन करना है ।

श्री परसराम मदेरणा : है तो मामला सीधा सादा पर यह दलील वजन की हुई है । इसलिये आश्वासन दे सकता हूं कि राजस्थान में अकाल की स्थिति को देखते ए जो एकदम डिमाण्ड आई है और सूखे की स्थिति के कारण काश्तकारों की पूरी ऋण चुकाने की स्थिति नहीं है तो इस प्रश्न पर गम्भीर विचार हम करने जा रहे हैं और मैं इस मसले को मन्त्रि-मण्डल में ले जा रहा हूं ।

राणावत वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार। श्री शंकरलाल।

श्री मूलचन्द डागा : पहले जो संशोधन रखा है वे नहीं बोलेंगे प्रस्ताव पर ?

श्री उपाध्यक्ष : बाद में आपकी टर्न ले ली जावेगी।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सेवाओं के संबंध में राणावत आयोग की रिपोर्ट और उसपर सरकारी निर्णय के संबंध में इस सदन में हम चर्चा कर रहे हैं।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि राजस्थान के अन्दर इस बात की आवश्यकता थी कि राज की सेवाओं के संबंध में आवश्यक नियम या आधार नियत किये जाते ताकि सेवाओं में निश्चिन्तता आती।

राजस्थान बनने के बाद अलग अलग रियासतों की इकाईयों के विलीनीकरण के बाद 1-4-50 को एक वेतनमान बनाया गया और इसके बाद में कोई नियम न होने के कारण 1-3-56 को उस वेतनमान में संशोधन किया गया। फिर हरिश्चन्द्र माथुर की प्रशासनिक सुधार समिति के भी सुझाव आये। पर इन सारी समितियों के सुझावों के बावजूद इस बात को महसूस किया जा रहा था कि राजस्थान में सेवाओं में जिस प्रकार की अविश्रृंखलता है उसे फिर से दुरुस्त किया जावे और इस पर हमारे राज्यपाल महोदय ने 4 मई, 67 को इस एक सदस्यीय वेतन आयोग की घोषणा की। इसकी रिपोर्ट हमारे सामने है।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत सेवाओं के अन्दर जो एक क्रान्तिकारी कदम आया और 309 के अन्तर्गत जो विधान मण्डल और संसद के अन्दर जो भी नियम बनाने के अधिकार हैं उनके संबंध में जिस बात को आधार निश्चित किया जाना था बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था जिसके लिये राजस्थान के लोक राज की सेवाओं और दूसरे संबंधित लोगों का भाग्य निर्धारित हो।

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय इस समय जो निर्णय है, रिपोर्ट है उसको कहां तक कार्यान्वित किया जाय इसके बारे में या कौन सेवाओं के बारे में उपयुक्त है, कौन सेवाओं के बारे में अनुपयुक्त है इसमें जाने से पूर्व राजस्थान की पूरी स्थिति को देखते हैं तब महसूस करते हैं कि राज्य के अन्दर एक तरफ हमारे गांवों के लाखों प्राणियों पर अकाल के बादल मंडरा रहे हैं, गांवों में लोग यह महसूस कर रहे हैं कि हमारे पेय जल की व्यवस्था कैसे होगी ? मवेशियों को चारा कहां से मिलेगा ? खाना कैसे मिलेगा ? रोजगार लोगों को कैसे मिलेगा ? यहां सदन में बैठकर इस बात पर विचार करें कि राजकीय सेवाओं के लिए जिनको हजार मिलता है तो उसको पन्द्रह सौ कैसे दिया जाय ? 1 500 जिनको मिलता है उनको 2,500 कैसे दिया जाय ? इस वातावरण में यह हास्यास्पद ही होगा। 4।। करोड़ की जगह 3।। करोड़ कर दिया जाय। यह सब तब हम करने जा रहे हैं कि जब हम अकाल का सामना करने के लिए 22 करोड़ के लगभग की धनराशि की आवश्यकता

(श्री शंकरलाल)

महसूस कर रहे हैं। इसम से कितनी धन-राशि भारत सरकार देगी कितनी धनराशि हम बर्दाश्त करेंगे जहां हम महसूस करते हैं कि राजस्थान नहर जैसी आवश्यक निर्माण कार्य के लिये 500 करोड़ की आवश्यकता है। ऐसे समय में हम दिल से सोचें कि क्या इस रिपोर्ट पर विचार करना और सरकारी निर्णयों को कार्यान्वित करना आवश्यक है।

कर्तव्य के नाते कहता हूं जब तक अकाल की स्थिति राजस्थान में दूर नहीं होती तब तक सेवाओं में यह पैसा बांटने की बात हमें नहीं करनी चाहिये। आज राजस्थान में भयंकर अकाल की स्थिति बनती जा रही है, लोगों की खाने पीने की समस्या भयंकर रूप धारण करती जा रही है, मवेशियों के लिये चारे की समस्या हमारे सामने भीषण रूप में खड़ी है, कई वर्षों के अकाल के निरन्तर बने रहने के कारण रोजगार की समस्या सामने आ रही है। 12 पैसे की मजदूरी ज्यादा है या कम जब हम यह बहस कर रहे हैं रोज सुबह शाम को मजदूर मजदूरी चाहता है ऐसी हालत में हम सेवाओं को पैसा बांटने की बात करें तो यह शोभाजनक बात नहीं होगी। यह सही है विचार करें इस पर, पर क्या इस रिपोट को फिलहाल स्थगित नहीं कर सकते ? मैं समझता हूं और आपके और माननीय सदस्यों के सामने मैं प्रमाण रखूंगा कि फिलहाल इसको स्थगित कर देना चाहिये। इसकी क्रियान्विति को स्थगित कर देना चाहिये। राजस्थान की जो आज हालत बनी हुई है मैं समझता हूं राजकीय कर्मचारी भी इस बारे में काफी सचेत होंगे, वे भी राजस्थान के रहने वाले हैं, उनको भी मैं अपील करूंगा, चाहे वे बड़े हों चाहे छोटे, कि वे भी इस बात को सोचें। वे केवल अपने अधिकारों के लिये नहीं लड़ें। वे लड़ें, इस पर मुझे ऐतराज नहीं, लेकिन समय को भी देखें। समय को पहचानें। क्या इस वक्त राजस्थान में उपयुक्त समय है इस तरह आन्दोलन करने का या और बातें करने का ? जब राजस्थान के लाखों परिवारों के लिये खाने की व्यवस्था नहीं, उस वक्त इस तरह साढ़े तीन करोड़ रुपये कर्मचारियों पर खर्च करने के बजाय ये रुपये अकाल ग्रस्त क्षेत्रों पर लगा देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट को एक सितम्बर से लागू भी कर दिया। मुझे इस बात पर बहुत आपत्ति है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जब इस सदन में यह चर्चा का विषय भी था तो उसको पहले लागू नहीं करना चाहिये था। सदन की बैठकें हो रही थीं, और जिन लोगों को इसमें आपत्तियां थीं उनकी भी चर्चा इस सदन में हो जाती। माननीय सदस्यों के विचारों को सुनकर बाद में ही घोषणा होती तो कौनसी आफत की बात हो जाती ? इतने वर्षों के बाद हमने एक पे-कमिशन बिठाया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, अब उस रिपोर्ट को लागू करने में अगर एक या दो महीने की देरी हो जाती तो ऐसी कौन सी आफत आ रही थी ? एक या दो महीने में क्या हो जाता अगर लागू नहीं करते तो ? सदन में चर्चा होकर, माननीय सदस्यों के विचार सुनकर बाद में ही कोई निर्णय लेती सरकार और बाद में इसको क्रियान्वित करते तो अच्छा होता। वैसे हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बताया कि जो सरकारी अधि-कारियों की रिप्रेजेन्टेशन्स आई हैं उन पर पुनर्विचार किया जायेगा। मैं समझता हूं राज्य सरकार सारी बातों पर पुनर्विचार करेगी। कल विरोधी पक्ष में बैठने वाले

(श्री शंकरलाल)

माननीय सदस्यों ने कहा कि इस पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाये । कहने का मतलब यह है कि उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी महसूस किया है कि इस रिपोर्ट पर पुनर्विचार होना चाहिये और इसकी गहराई से स्टडी होनी चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों को देखते हुए, एक तरफ तो राजस्थान में अकाल की स्थिति और दूसरी तरफ पुनर्विचार करने की आवश्यकता, इन दोनों बातों को देखकर इस रिपोर्ट की क्रियान्विति स्थगित करनी चाहिये ।

अब मैं उन बातों को आपके सामने रखूंगा जिसके लिये कहा गया है कि वेतन आयोग की रिपोट और राज्य सरकार का निर्णय समाजवादी समाज के प्रतिकूल है । मुझे खेद है कि एक तरफ तो जहां वेतन आयोग ने अधिकतम वेतन 2,350 रखी थी वहां सरकार ने उसको बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया । हम तो आशा करते थे कि ऊंची तनख्वाहों को नीचा किया जायेगा और वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, उन्होंने नीचा करने को कहा था, लेकिन सरकार ने और ऊंचा कर दिया । यह क्या बात है कि जिस लोकतन्त्र के अन्दर हमारी समाज क्या आगे बढ़ी जहां 2,350 पाने वाला व्यक्ति भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता ? उसको भी तनख्वाह बढ़ा कर 2,500 रुपये करने की आवश्यकता है ? और दूसरी तरफ 125 रुपये पाने वाले से कहा गया है कि तुम तो अपना परिवार 125 रुपये में ही चलाओ 125 रुपये में वह अपने बच्चों को पढावें, दवा-दारू का खर्चा करे और समाज म ऊंचा हो कर चले । यह कैसे मुमकिन है ? 125 रुपय एक परिवार के लिए बहुत ही कम हैं । मैं आपसे कई वर्ष पहले कांग्रेस के उस निर्णय का हवाला देना चाहूंगा जिसमें कहा गया था कि आजादी आने के बाद हम देखेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी को 500 रुपये से अधिक तनख्वाह नहीं मिलेगी । कह सकते हैं कि आज महंगाई हो गई है, भाव ऊंचे हो गये हैं, लेकिन फिर भी, उपाध्यक्ष महोदय, 500 को बढ़ाकर 1,000 कर सकते हैं । एक तरफ जब आप कहते हैं कि 125 रुपये में ही अपना परिवार चलाओ तो उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ आपको 1,000 से अधिक तो किसी हालत में नहीं देना चहिए, और सबसे ऊंची तनख्वाह आप 2,000 ही रखिये । हजारों परिवार 125 पाने वाले हैं । समाजवाद में समान स्तर लाने के लिए कम से कम उनको 250 नहीं तो 200 तो कर ही दीजिये । इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी भी सिद्धान्त से, और खास तौर से समाजवाद के सिद्धान्त से, यह जरूरी है कि इन लोगों की तनख्वाह बढ़ाकर ऊंची तनख्वाहों को कम करना चाहिये ।

राजस्थान के पशुपालन विभाग के निदेशक का ग्रेड 1,650 से 2,000 वेतन आयोग ने ज्यादा समझा और उन्होंने 1,500 से 1,800 का ग्रेड के लिये सिफारिश की । मैं समझता हूं उन्होंने ठीक ही रिकमंड किया, मेरे खयाल में तो यह भी ज्यादा ह लेकिन हमारी उदार सरकार ने इसको भी बढ़ाकर 1,800 से 2,250 का ग्रेड कर दिया । एक डाइरेक्टर के लिये, उपाध्यक्ष महोदय, 1,800 रु० कम हैं । उसके लिये यह 1,800 रु० कम हैं इसलिये उसको बढ़ाकर 2,250 कर दिया । मैं समझता हूं सरकार को सारे निर्णयों को रद्द कर देना चाहिये और इस पर पुनर्विचार

(श्री शंकरलाल)

करना चाहिये । आप ध्यान से देखें, आपने बहुत ही जल्दबाजी में निर्णय किये हैं, वे जल्दबाजी के निर्णय पूरे समाज को अफैक्ट करने वाले हैं, इसलिये इस पर सदन को पुनर्विचार करना चाहिये ।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुरातत्व संग्रहाध्यक्ष का ग्रेड 600 से 1,250 था, वेतन आयोग ने 800 से 1,300 का ग्रेड रिकमेंड किया लेकिन सरकार ने कहा कि 1,300 रुपये कम हैं और उसको बढ़ा कर 1,500 कर दिया। 1,800 वालों को 2,250 और 1,300 वालों को 1,500, और नीचे वालों के लिए 125 ही काफी है । इस प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य अभियन्ता के लिए जहां 2,500 तनख्वाह थी, वहां आयोग ने कहा कि 2,250 ही रखना चाहिये, हालांकि मेरे विचार में यह भी ज्यादा है, लेकिन सरकार ने कहा, नहीं 2,500 ही होना चाहिये । समझ में नहीं आता कि जिन बड़ी तनख्वाहों को वेतन आयोग ने नीचा करने के लिए कहा, वहां सरकार ने और आगे क्यों बढ़ा दिया । इस प्रकार सचिवालय में उप-सचिवों की तनख्वाह 1,500 कर दी गई। मैं कहता हूं कि उप-सचिव की जो यह पोस्ट है वह बिल्कुल बेकार है । यह तो पोस्ट आफिस की पोस्ट है । असिस्टेंट सेक्रेटरी अलग, डिप्टी सेक्रेटरी अलग और सेक्रेटरी अलग । अननेसेसरी रेड टेपिज्म होता है । उन डिप्टी सेक्रेटरीज को 1,000 रुपये देने की बात कही गई है जो लोग केवल कुर्सी पर बैठ कर, कागजों को नीचे से ऊपर करके रेड टेपिज्म बढ़ाते हैं, जिनकी सेवाओं की कोई आवश्यकता ही नहीं । आज मजदूरी करने वाले मजदूर को तो आप कहते हैं कि 125 ही काफी हैं, जिन को दिन भर दौड़ना पड़ता है उनके लिये तो 125 काफी हैं, और इन डिप्टी सेक्रेटरीज के लिए 1,000 रुपये चाहिये । समझ में नहीं आता कि आखिर इस का आधार क्या है। वास्तव में हमारे सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, कई प्रकार की सेवायें बताई हैं । उप-निदेशकों को 1,100 रु० देना चाहिये, भाषा विभाग के डाइरेक्टर को 1,500 रु०। यह कोई भाषा विभाग विभाग में विभाग है ? बोमा के डाईरेक्टर को 2,500 मिलना चाहिये यह जं ऊंची ऊंची वेतन के पे स्केल्स रखे गये हैं। हमें इस बात का दुख होता है कि इन लोगों की पे स्केल्स ज्यादा हैं। हमारी पे स्केल्स पहले 38 थी, वेतन आयोग ने 28 बनाई और मंत्रिमण्डल ने 33 बनाई। इन वेतन मानों को देखें तो मैं समझता हूं जो 14 आईटम हैं जिनकी 450 तक वेतन है, उनके बारे में विचार किया जा सकता है। उनके बारे में बढ़ाने की बात सोची जा सकती है। इस मद में जो एल० डी० सी०, यू० डी० सी०, पटवारी, अध्यापक, क्या ग्राम सेवक या ग्रुप सचिव जो छोटे छोटे वेतन पाने वाले हैं, जो रात दिन दौड़ने भागने वाले हैं, उनके वेतन पर विचार कीजिये । आईटम नं० 14 तक विचार करें लेकिन 800 से अधिक पाने वाले कर्मचारी के उपाध्यक्ष महोदय, आपको कम करने पड़ेंगे। उनको कट करना पड़ेगा। यह जो 33 तक ले गये—इन 33 तक जो वेतनमान हैं उनको करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अलावा जो मूल भूत बातें हैं उनको हम देखें तो सरकारी कर्मचारी जो 125 रु० पाने वाले हैं, और दूसरी तरफ जो सरकारी कर्मचारी ढाई हजार पाने वाले हैं उनको सरकार की तरफ

(श्री शंकरलाल)
से जो सुविधायें दी जाती हैं वह बराबर हैं। 125 रु० वेतन पाने वाले को मेडिकल की फैसिलिटी दी और ढाई हजार वेतन पाने वाले को भी वही मेडिकल की फैसिलिटि दी। उपाध्यक्ष महोदय, वे ढाई हजार का दूसरा बिल उठा लेते ह, चिकित्सा बिल आदि कई बिल उठा लेते हैं। उनके लिये भी यह सुविधा और 125 रु० पाने वाले के लिय भी यह सुविधा। आप क्या आधार रखते हैं? आप वेतन बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी सुविधायें हैं, बड़े अफसरों की वह कम करें।

श्री विजयसिंह (मकराना) : समाजवाद का बहाना है।

श्री दौलतराम सारण : 125 रु० वाले तो गरीब आदमी हैं।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं स्पेशल पे और चाहिये। यह स्पेशल पे क्या बला है? जो आदमी अधिक श्रम करता है उनको स्पेशल पे चाहिये, उसको मोटर खरीदने के लिये ऋण चाहिये, उनको मकान बनाने के लिये ऋण चाहिये, उनको बंगले चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मेडिकल की फैसिलिटि है जिस आदमी की 600 रु० से ऊपर आमदनी है उनको यह कतई फसिलिटि बन्द कर दें और आप देखेंगे कि कितने लाखों रुपयों का फायदा होता है। 125 रु० पाने वाले हजारों कर्मचारी हैं कितना भार पड़ेगा। मान लीजिये वसे तो 44 हजार हैं लेकिन 50 हजार मान लीजिये एक करोड़ का भार पड़ेगा। ये जो दूसरी फसिलिटि दी जाती है उसको देखिये उपाध्यक्ष महोदय मैं कहता हूं बन्द करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जो जैसा काम करने वाले हैं उसके अनुसार वेजेज होनी चाहिये। अकाल के कार्यों में चौकड़ी खोदी जाती है उनको बहुत कम दिया जाता है। हमने अकाल मंत्रीजी को भी कहा था। यह चौकड़ी दो फुट चौडी और उतनी ही लम्बी खोदी जाती है उसको दो रुपये मिलते हैं, उसको बहुत कम पैसा मिलता है और जो दो ढाई हजार के वेतन पाने वाले हैं उनको आप देखिये कितने घंटे काम करते हैं। समय पर वे नहीं आते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। लंच में चले जायें तो कोई पूछने वाला नहीं, छुट्टी पर चले जायें तो कोई पूछने वाला नहीं बेचारा एल० डी० सी०, यू० डी० सी० है वह सारा काम करता है, नोट बनाकर देता है। आखिर वह कितना काम करता है। अगर आप ज्यादा वेतन देना चाहते हैं तो उसके काम पर दीजिये। ये कोई भाषा वालों का कोई पद हुआ? इस पद को कोई वेतन मत दीजिये। जिस तरह मजदूर को काम दिया जाता है, मैं राज्य सरकार से अपील करूंगा कि वे इस प्रकार की समिति गठन करें। चाहे वह सदन के सदस्यों की हो जो सरकारी नौकरी में काम करन वाले आदमी हैं, उनका वर्क लोड देखें, उनका काम दखें कि कितने घंटे काम करते हैं। आज हमारे मिनिस्टर लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, उनको लोग चैन नहीं लेने देते हैं और सरकारी अधिकारी घूमते फिरते हैं। जब हम देखते हैं कि मिनिस्टरों को 1,500 रु० और उनके नीचे काम करने वाले को ढाई हजार रुपये मिलें। मिनिस्टरों से उनको ज्यादा मिलें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि वेतन वर्क लोड पर निर्धारित होना चाहिये। इ[illegible] लिये एक समिति का गठन होना चा[illegible] जो राजकीय सेवा के लोग हैं उनके काम को देखकर जो फालतू के पद हैं उनको आप तो

Page No. 87

(श्री शंकरलाल)

दीजिये। फालतू काम करने वालों को पैसा मत दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहूंगा हमारे साम्यवादी माननीय सदस्य हैं रामानन्दजी उन्होंने कहा था एक आन्दोलनात्मक बात कह डाली। मैं उसके बारे में कुछ आपत्ति करता हूं उपाध्यक्ष महोदय, वे कहते हैं कि 125 रु० वेतन कम है, मैं भी कहता हूं कि 125 रु० वेतन कम है लेकिन वे साम्यवाद के नाम से लोगों और कर्मचारियों को भड़काना चाहते हैं। आम बतायें आपके केरल का उदाहरण है। क्या केरल में आपके राज होने के बाद उन्हें 125 रु० से ज्यादा कर दिया? मुझे मालूम है वहां भी 125 रु० हैं। केवल कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने वाले लोग हैं। मेरा कहना है कि इसको पार्टी के आधार पर मत उठाइये आप इसको समाज के आधार पर उठावें स्वतन्त्र पार्टी के विपक्ष के नेता कह रहे थे प्राईसेस को कन्ट्रोल करिये। प्राईसेस कम होनी चाहये। उपाध्यक्ष महोदय आप कम प्राईसेस करना चाहते हैं जो 57 में थी उससे किसान का भला होने वाला नहीं है। आज किसान की हालत सुधरी है, उन भावों को गिरने नहीं दिया जाय। बढ़ने भी नहीं दिया जाय इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि प्राईसेस को नीचे गिरा दीजिये। नीचे गिरने से समाज का जो स्ट्रक्चर बना है, जो प्रगति बनी है उसकी क्या हालत होगी? किसान की क्या हालत होगी? एक तरफ हमारा कृषि उत्पादन नहीं और दूसरी तरफ कह 57 वाले भाव लाये जायं यह संभव नहीं है। वास्तव में ज्यादा भी न हों, कम भी न हो यह मेरा सुझाव है जिससे न किसान को नुकसान हो, न कन्ज्यूमर, को नुकसान हो। किसान भी यह सोचें कि उसका अनाज सस्ते भाव पर नहीं बिक रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के ऊपर जो निर्णय लिये गये हैं उनके बारे में एक दो बातें आई हैं और वह यह है कि प्रोत्साहन देने की बात कही गई है और प्रोत्साहन के साथ साथ जो सर्विसेस हैं उनके बारे में आज दिन तक हमने देखा है कि जो पदोन्नतियां होती हैं और जिन लोगों के प्रमोशन्स होते हैं उनके बारे में कान्फीडेन्शियल रिपोर्टस का बहुत महत्व बताया है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अनुभव है और कई कर्मचारी मेरे पास आये ह और उनकी बातों को मैंने सुना है। यह एक सरकारी कर्मचारी जो आपके नीचे है, उसको गुलामी में रखने का हथकण्डा मात्र है। जो सरकारी कर्मचारी आपके कहने के अनुसार नहीं चले उसको आप लिख देंगे 'बिलो एवरेज' अब यह बिलो एवरेज कैसे लिख दिया? इसको कोई पूछने वाला नहीं है। यह कान्फीडेन्शियल रिपोर्ट एक ढकोसला है। मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि आप उसके काम को देखो। सरकारी कर्मचारियों की कान्फीडेन्शियल रिपोर्ट के ऊपर पदोन्नति नहीं की जाये। यह जो सेवाओं के अन्दर गुलामी की प्रवृति बनती जा रही हैं यह ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राज्य की सेवा वालों को गुलामी से निकालने के लिए कान्फीडेन्शियल रिपोर्ट नाम की जो चीज है उसको हटाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ सेवाओं के ऊपर जो इसमें अन्याय नजर आया ह उसके बारे में कहना चाहूंगा जिनके रिप्रेजेन्टेशन्स आये हैं और मैं समझता हूं कि रिप्रेजेन्टशन्स बिलकुल सही हैं। एक तो शिक्षा विभाग के अन्दर जो एस० डी० आई० है

(श्री शंकरलाल)
उनका जो पे स्केल है वह बहुत कम है। अगर आप उनके पहले के पे स्केल को देखें और वर्तमान पे स्केल को देखें तो आपको मालूम होगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। इसी प्रकार जो टीचर्स है उनके साथ भी अन्याय हुआ है। उनकी तनख्वाह और जो ग्रेड 5 साल तक मिडिल स्कूल के अन्दर हेडमास्टर रहे जो बी० ए० और बी०एड० हैं और जिनको 5 साल का एक्सपीरिएन्स है उसके बाद भी आप उनकी ग्रेड को कम रखना चाहते हैं। अध्यापकों का ग्रेड नहीं बढ़ाया तो असन्तोष होना स्वाभाविक है। यह जो वन विभाग की सर्विसेस हैं उसके अन्दर जो वन विभाग के उप-वन संरक्षण और अधिशासी अभियंता का ग्रेड 600 से 1,100 रखा है जबकि वेतन आयोग ने उसके लिए 700 से 1,200 की सिफारिश की थी। आखिर मंत्रिमण्डल ने इस मामले पर वेतन आयोग की रिपोर्ट को क्यों नहीं माना ? यह हमको इस रिपोर्ट में नहीं बताया गया है और दूसरी सेवाओं की ग्रेड्स बढ़ा दी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जो न्यायिक सेवायें हैं और जुडीशियरी के लिए हम चाहते हैं कि जुडीशियरी की बहुत ही पवित्र सेवायें रहें। उनके अन्दर ऐसी भावनाये नहीं आयें, ऐसा असन्तोष नहीं आये कि जिससे उनके अन्दर ऐसी भावना पैदा हो जायें कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। राजस्थान में जो सिविल जजेज हैं उनकी एक बैठक हुई थी। उन्होंने कई माननीय सदस्यों से बातचीत की और हमने भी उनकी बातों को सुना और हमें महसूस हुआ कि वहां पर उनके साथ भी अन्याय किया गया है। उनके लिए 700 से 1200 की बात कही गई है और उनकी 500 से 1000 की बात यहां रखी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, 700 से 1200 का ग्रेड मैं समझता हूं कि सिविल जज के लिए एक उपयुक्त ग्रेड है। जहां मुन्सिफ की अपीलें होती हैं और जहां न्याय करने वाले लोग हैं, जिनकी करप्शन की भावना नहीं है ऐसे पद पर जो लोग हैं उनकी तनख्वाह के ऊपर विचार करना पड़ेगा। उनकी तनख्वाह को कम करने की बात सरकार ने की है। वह सरकार का निर्णय ठीक नहीं है। वेतन आयोग ने जो सिफारिश की है सिविल जजेज के बारे में वह उनकी सिफारिश उपयुक्त है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारे राजस्थान के अन्दर जो नर्सिंग स्टाफ है जिनकी सेवाएं हमको शफाखाने के मार्फत मिलती है उनकी ग्रेड्स को देखें, उनके ऊपर लिय गये सरकारी निर्णय को देखें तो ऐसा महसूस होता है कि उनके प्रति भी अन्याय किया गया है। आज जो सिस्टर ट्यूटर्स हैं उनकी तनख्वाह सिस्टर्स के बराबर है। पढ़ाने वाला और पढ़ने वाले दोनों की तनख्वाह बराबर है। कहते हैं कि ऑल इन्डिया के ऊपर जो नर्सिंग की यूनियन बनी हुई है और दूसरे प्रान्त में इनकी सर्विसेस है वह असिस्टेन्ट मैट्रन के समकक्ष मानी गई है और इस सरकारी निर्णय से उनको नुकसान हुआ है। वह यह चाहते थे कि इससे उनको नुकसान नहीं हो। आप देखेंगे कि उनकी तनख्वाह 170-385 का ग्रेड और 50 रु० स्पेशल पे है। अब उनका ग्रेड 170-390 का कर दिया है याने मेक्सिमम में 5 रु० बढ़ाये गये हैं। लेकिन उधर स्पेशल पे 50 रु० के बजाय 30 रु० कर दी। यह ऐसे वर्ग के लोग हैं कि अगर सरकार के निर्णय क्रियान्वित हो जाते हैं तो इनका

(श्री शंकरलाल)

25 रु० का नुकसान होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर किसी को नुकसान देने की बात नहीं कही गई लेकिन इनको नुकसान क्यों दिया जा रहा है जो कि शफाखाने में रहकर रात दिन सेवा करते हैं जिनके लिए समय का प्रावधान नहीं, छुट्टियों का प्रावधान नहीं। उनके साथ आप अन्याय नहीं करें और उन्होंने जो मीमो रखा है वह बहुत उपयुक्त है और उनकी सेवाओं की हमको कद्र करके उनको बढ़ावा देना चाहिए।

नर्सिंग स्टाफ के लिए एक बात और कहना चाहता था कि वेतन आयोग ने कहा है कि डाक्टरों की प्राईवेट प्रैक्टिस बन्द कर दी जानी चाहिए। सरकार ने निर्णय लिया कि यह सिफारिश ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार का निर्णय इस संबंध में ठीक है। अगर आप प्राईवेट प्रैक्टिस बन्द करेंगे और उनको प्रैक्टिस का भत्ता देगें तो वह भत्ता तो अलग लेंगे और वह प्राईवेट प्रैक्टिस भी बन्द नहीं करेंगे। उनकी यों की यों प्रैक्टिस चालू रहेगी। तो यह जो प्राईवेट प्रैक्टिस बन्द करने के नाम पर भत्ता देने की बात है उसके लिए मैं कहता हूं कि कोई भत्ता नहीं मिलना चाहिए। जो वह प्रैक्टिस करते हैं वह उनको करने दीजिए। जो लोग ज्यादा तनख्वाह पाने वाले हैं उनसे पैसा लेने दीजिए और जिनको ज्यादा तनख्वाह मिलती है उनको मेडिकल का रीइम्बर्समेंट नहीं होना चाहिए। तो उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों बातों को कहते हुए कहना चाहूंगा कि मौजूदा समय के अन्दर सदन के माननीय सदस्य भी महसूस करेंगे और कल भी बहुत से लोगों ने महसूस किया है कि यह जो रिपोर्ट है और सरकार के निर्णय हैं उनके ऊपर पुर्नविचार करना चाहिए। हमको न्याय करना है और क्योंकि राजस्थान में अकाल की स्थिति है इसलिए इसके जो निर्णय हैं इनको स्थगित करके एक कमेटी बैठानी चाहिए। वेतन आयोग की रिपोर्ट कोई खुदा की रिपोर्ट नहीं है। राणावत साहब एक नौकरी से आये हुए सदस्य थ। मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जहां उन्होंने कई जगहों पर तनख्वाह कम करने की बात की है वह उचित नहीं है। वैसे उन्होंने उसूलन माना है। मेरा तात्पर्य है कि बड़ी तनख्वाह वालों को आप नीचे लायें और नीचे वालों को ऊपर लायें। फिर यह दुहाई दी जाती है कि यू० पी० के अन्दर 134 है और दूसरी जगह 125 है तो आप दूसरे प्रान्तों को क्यों देखते हैं? जिस तरह से पंचायती राज्य के मामले में और दूसरे कामों में आप राजस्थान को अगुआ करना चाहते हैं राजस्थान का नाम रोशन करना चाहते हैं तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा और सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वह सरकार को इस बात के लिए कहे और सरकार भी इसको महसूस करे कि राजस्थान इस बात में अगुआ है और दूसरे प्रान्तों का हवाला देकर नहीं मगर इस बात को आगे रखकर राजस्थान का नाम रोशन कीजिए कि जो इतनी बड़ी सेवाओं में डिस्पेरिटी है उसको हम कम करना चाहते हैं।

उसको कार्यरूप में परिणित किया जाय। उसको कार्यरूप में किस तरह से करें। हम यह चाहते हैं कि 125 रु० पाने वाले की तनख्वाह 200 रु० हो। एक तरफ जहां छोटी जोत वालों का लगान माफ किया और उसको वापिस ले लिया उस पर भी हमने एतराज नहीं किया, क्योंकि हम लगान दे सकते हैं। दूसरी ओर जब सीलिंग की बात

(श्री शंकर लाल)
आई लागू करने की लेकिन वह भी रह गई। जब समाजवादी समाज की स्थापना की कोई स्टेज आती है और उस स्टेज की क्रियान्विति नहीं होती है तो हमारी आत्मा जलती है। समाज के बारे में हमारा कर्तव्य है। समाज के बारे में हम वफादार रहना चाहते हैं। हम समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। तो ऐसे अवसर आते हैं उनका लाभ उठाना चाहिए। यह अवसर है राज्य सरकार के पास कि इतने बड़े अन्तर को कम किया जा सकता है। हम उसके खिलाफ आवाज उठायें कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और पुनर्विचार करके इस अन्तर को जो कि बढ़ा हुआ है उसको कम करें और अकाल की स्थिति को देखते हुए फिलहाल इस रिपोर्ट की क्रियान्विति स्थगित रखें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दौलतराम सारण!

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय........

श्री मूलचन्द डागा : समय निर्धारित कर दें, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री दौलतराम सारण : ...वेतन आयोग का प्रतिवेदन विचारार्थ प्रस्तुत है.....

श्री मूलचन्द डागा : समय आपके पास थोड़ा है इसलिए समय निर्धारित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! समय निर्धारित मैं बाद में करूंगा।

कांग्रेस पक्ष से एक माननीय सदस्य : चेयर हमारा भी ध्यान रख।

श्री उपाध्यक्ष : आपके व्हिप महोदय ने जो मुझको लिस्ट दी है उसी के अनुसार नाम पुकारे जायेंगे।

वही माननीय सदस्य : व्हिप महोदय केवल उनका ही नाम देते हैं। हमें भी बोलने का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपकी पार्टी का आन्तरिक मामला है।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, 4 मई, 67 को राज्यपाल महोदय ने 67-68 के विधान सभा के बजट सत्र के अभिभाषण के समय कहा था कि बढ़ती हुई कीमतों एवं विकासमान अर्थ व्यवस्था में आवश्यकताओं के संदर्भ में राजस्थान में उपलब्ध वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वेतनमान संरचना का पुनरावलोकन करने के लिए एक सदस्यीय वेतन आयोग बनाने की घोषणा की है। उसी संदर्भ में 7 जून 1967 को राज्य सरकार ने कर्मचारियों की वेतन सरंचना की तथा पदोन्नति के लिए नीति अथवा कार्यविधि आदि के मामलों में अपनी सिफारिश देने हेतु एक सदस्यीय राणावत आयोग की नियुक्ति की। राणावत आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1 जून, 1968 को राज्य सरकार को प्रस्तुत की। यह प्रतिवेदन तीन भागों में विभाजित है–प्रथम भाग में सामान्य सिद्धान्त एवं विचार, द्वितीय में वेतन संरचना और तृतीय में परिशिष्ट दिया गया है।

आयोग ने विस्तार में जाकर सर्विसेज का मामला रखा है। उनकी नियुक्ति, भर्ती, चयन, पदोन्नति और वेतनमान सब पर काफी गहराई में जाकर सोचने का प्रयास आयोग ने किया है। उन्होंने इससे पूर्व राज्य म,

(श्री दौलतराम सारण)

अन्य राज्यों म और केन्द्रों में नियुक्त हुई समितियों और आयोगों की रिपोर्ट का भी अध्ययन किया प्रतीत होता है। उनका भी उल्लेख इस प्रतिवेदन में आया है। तो इस कार आयोग ने यह चेष्टा की है कि वह कुछ महत्वपूर्ण सुझाव राज्य सरकार के सामने रख। लेकिन हम खद है कि आयोग ने सैद्धान्तिक रूप से सारी बातों को स्वीकार करते हुए भी सिफारिशें जो रिपोर्ट में दी हैं, जो वेतनमान निर्देशित किये हैं, उनमें बहुत सी आपत्तियां हैं। उस सम्बंध में तो मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर आऊं मैं यह कहना चाहता हूं कि वेतन आयोग न अपने सुझावों के अनुसार 5 करोड़ के लगभग व्यय भार का संकेत किया था। राज्य सरकार ने वेतन आयोग की रिपोर्ट पर अपन निर्णय लिये हैं उन्हें 1 सितम्बर से लागू करने का निर्णय लिया है उसके अनुसार लगभग साढ़े तीन करोड़ का व्यय भार नये वेतनमान स्वीकार करने से बढ़ेगा। यह इतना अन्तर इसके बाद भी आया है कि वेतन आयोग ने कुल 28 या 29 वेतनमान रखे थे, उनका यह सुझाव था। राज्य सरकार ने उनकी जगह पर 33 वेतनमान बनाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार न, लगता है कि वेतन आयोग की जो भी सिफारिशें थीं उनको भी गहराई से नहीं लिया है। राज्य सरकार का जो प्रतिवेदन या जो निर्णय के कागजात हमको मिले हैं उनमें जो परिवर्तन किये गये हैं वेतन आयोग की रिपोर्ट के सुझावों म उन परिवर्तनों का कोई कारण निर्देशित नहीं किया गया है, कोई आधार नहीं मिलता है। मनमाने तरीके से परिवर्तन किये गये हैं। न पुराने वेतनमान का खयाल रखा गया है, न नये वेतनमान को बढ़ाने में किसी आधार को अपनाया गया है। कहीं 400, 450 या 500 रु० तक बढा दिये हैं और कहीं साधारण बढ़ोत्तरी की गई है। पर एक बात स्पष्ट है कि बड़े अधिकारियों के वेतनमान बढाये गये हैं। छोटे कर्मचारियों के वेतनों की राज्य सरकार ने भी उपेक्षा की है। राज्य सरकार और वेतन आयोग दोनों लगभग इस बात से एकमत हैं कि छोटे कर्मचारियों को कम से कम 125 रु० मिलने चाहिए। वेतन आयोग यह मानता है कि एक और 15-16 से अधिक का अन्तर न्यूनतम और अधिकतम में नहीं रहना चाहिए। इस से अधिक अन्तर बढ़ता है तो विषमता बढती है और उन विषमताओं की प्रतिक्रिया समाज पर अच्छी नहीं होती है। वह भी समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की बात कहता है, विकासशील अर्थ-व्यवस्था का उद्धरण देता है। काम और उपयोगिता की समानता का आधार भी नहीं लेता है, लेकिन वेतन आयोग जहां समान काम के लिए समान वेतन का आधार मानने की बात कहता है, जहां मजदूरी से उत्पादन को जोड़ने की आवश्यकता को आवश्यक बतलाया है वहां वेतनमान निर्धारित करते समय या सुझाव देते समय वह अपने द्वारा इंगित सिद्धान्त को नहीं उतारता है। आज जीवन के लिए जो उपभोग की वस्तुऐं हैं, जो साधारण खाद्यान्न और दूसरी वस्तुऐं हैं उन उपभोग की वस्तुओं का भावसूचक अंक है वह आज किस स्तर पर जा रहा है ? आज मंहगाई किस स्तर पर है ? आज कितना जीवन दूभर हो रहा है ? इन जरूरी बातों पर ध्यान वेतन आयोग ने नहीं दिया प्रतीत होता है। अगर वेतन आयोग इस बात पर ध्यान देता और अगर समान काम के लिए गम्भीरता के साथ समान वेतन के आधार को मानता,

(श्री दौलतराम सारण)

और उत्पादन के साथ आवश्यकता को जोड़ने की बात को मानता तो जो सुझाव वेतन आयोग ने दिये हैं, जिनके संबंध में मैं बाद में कहूंगा, वे सुझाव युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होते हैं। वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन का जो आधार रखा है वह न्यूनतम वेतन का आधार किसी भी सूरत में युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि न्यूनतम वेतन वह होता है जो जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं और आवश्यक आवश्यकताओं की एक सीमा तक कम से कम पूर्ति करे। जीवन-निर्वाह को कम से कम संभव बनायें, उनके बाल बच्चों के लिए रोटी का साधन तो कम से कम मुहैय्या करे, लज्जा रखने के लिए कपड़े का कम से कम प्रावधान करें, ऐसी स्थिति तो हो कि कम से कम जिसकी वजह से वह परिवार के साथ इज्जत और आबरू के साथ स्वास्थ्यकर वातावरण में रह सके और उचित स्थिति में जीवन-यापन कर सके। लेकिन जो न्यूनतम वेतन दरें बताई गई हैं उनको देखते हुए यह स्थिति ऐसी नहीं है।

(3 म० प०)

उपाध्यक्ष महोदय, आज एक चपरासी की हालत देखते हैं, आज एक पुलिस के कान्सटेबल की हालत देखते ह, आज गांव के स्कूल के प्राथमिक स्कूल के मास्टर की हालत देखते हैं, आज साधारण चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की हालत देखते हैं तो इनकी हालत दयनीय है। यह कार्य भार से दबे हुए हैं, सबसे अधिक कार्य का बोझ इनके कन्धों पर है। एक सिपाही को चौबीस घण्टे एक जगह खड़ा रहना पड़ता है, उसकी स्थिति दयनीय है, उसकी कमर पर बैल्ट बंधी हुई है उसके भूखे पेट पर पट्टी बंधी हुई है, उसके पेट में ज्वार का दलिया डालने की व्यवस्था भी यह सरकार नहीं कर पाई है। आज जो गांव की प्राथमिक शाला का मास्टर है उस मास्टर पर देश के भावी कर्णधारों का निर्माण करने का बोझ है, उस शिक्षक की हालत यह है कि वह अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता है, उसको आन्दोलन करना पड़ता है अपने अधिकारों के लिए, उसको रोटी मांगने के लिए हड़ताल करनी पड़ती है। आज उसको नोटिस देना पड़ता है इस बात का कि मुझे रोटी दो, मुझे मेरे बच्चों का पेट पालने के लिए पैसा दो, मेरे बच्चों की शिक्षा का इन्तजाम करो, मेरे बच्चों के लिए खाने का इन्तजाम करो। यह सबसे भयावह स्थिति है। उपाध्यक्ष महोदय, जो शासन अपनी सेवाओं की अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकता, जो शासन अपनी सेवाओं में अनुशासन नहीं रख सकता, जो शासन अपनी सेवाओं में सक्रियता पैदा नहीं कर सकता, जो शासन अपनी सेवाओं में नियमितता पैदा नहीं कर सकता, जो शासन अपनी सेवाओं में विश्वास पैदा नहीं कर सकता, वह शासन कभी भी एक कुशल शासन की स्थिति में नहीं आ सकता, वह शासन शासन कहलाने के लायक नहीं है। तो मैं यह कह रहा था कि आज स्थिति यह है, आज राज्य सरकार पर, शासन पर राज्य के कर्मचारियों का भरोसा नहीं है। राज्य के कर्मचारी नियुक्ति के सम्बन्ध में, राज्य के कर्मचारी चयन के सम्बंध में, राज्य के कर्मचारी पदोन्नति के सम्बन्ध में, राज्य के कर्मचारी दूसरी सुविधायें प्राप्त करने के सम्बंध में आज ज्ञापन देते ह, आज हड़ताल करते हैं, आज हाई कोर्ट की शरण लेते हैं, हाई कोर्ट में कितनी ही रिट पिटीशन चलती हैं, सीनियरिटी बदल दी जाती है, नियमों में रोज परिवर्तन कर दिये जाते हैं, व्यक्तियों के लिए पद बनाये जाते हैं, व्यक्तियों के लिए सीनियरिटी क्रियेट की

(श्री दौलतराम सारण)

जाती है। आज यह स्थिति शासन की है कि शासन जिस पर टिका हुआ है, जो समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है आज वही शासन का पुर्जा हिल उठा है, आज वह भयभीत हो गया है, आज शासन के ऊपर से सेवाओं का विश्वास डगमगा गया है, आज शासन के ऊपर सेवाओं का विश्वास नहीं रहा है। आज हमारे इस शासन के कर्मचारी विधायकों के पास जाते हैं, विधायकों को वह रोटी नहीं खाने देते, विधायकों को पढ़ने नहीं देते, उनको कहते हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। यही नहीं, वह हमसे उम्मीद लगाये बैठे रहते हैं

मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि हमें कर्मचारियों में आन्दोलन की स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिये। मैं मानता हूं कि सर्विसेज में आन्दोलन की स्थिति पैदा करना उचित नहीं है। लेकिन आन्दोलन की स्थिति क्यों पैदा होती है? आन्दोलन की स्थिति तब पैदा होती है जब शासन उनकी वाजिब मांगों को स्वीकार नहीं करता है, जब शासन उनकी मांगों की उपेक्षा करता है। जब उनकी मांगों को उचित समझ कर उनकी उपेक्षा की जाती है, और उचित तरीके से उनकी समस्यायें हल नहीं की जाती हैं तब कर्मचारियों को बाध्य होकर, मजबूर होकर आन्दोलन का सहारा लेना पड़ता है, जब उनके सामने हड़ताल करने के सिवाय कोई चारा नहीं रहता है। आज कर्मचारियों की मांगों का हल सरकार किस प्रकार निकाल रही है। सरकार कहती है कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है और आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से इनकी मांग नहीं स्वीकार कर सकते। वेतन आयोग कहता है कि आर्थिक स्थिति के कारण, अस्थिर आर्थिक स्थिति की गड़बड़ी के कारण कर्मचारियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यहां तक वेतन आयोग कहता है लेकिन जब वह निर्णय लेता है तब जनरल वे में निर्णय पर पहुंचता है, जैसा विभागाध्यक्ष कहता है, जो सुझाव देता है वह मान लेता है। वह कहता है कि मेरे पी० ए० के सीधे दो सौ रुपये बढ़ा देने चाहिये तो निजी सहायक का वेतन, वेतन आयोग फौरन बढ़ा देता है। उन गरीब कर्मचारियों का, जिनका कोई प्रतिवेदन देने वाला नहीं है, जिनकी वकालत करने वाला कोई अधिकारी नहीं है, इस वेतन आयोग को ध्यान नहीं है। सरकार का यह हिसाब है कि आयोग बनते जायं, कमेटी बनती जायं, उनकी रिपोर्ट आती जायं और उस रिपोर्ट पर विचार करने को फिर कमेटी बना दें और फिर भी मिले कुछ नहीं। यह स्थिति अच्छी नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूं, अगर आप समाजवाद लाना चाहते हैं, लोकतन्त्र को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो आपके लिये यह आवश्यक है, शासन के लिए जरूरी है कि शासन तंत्र में, सर्विसेज में, सेवाओं में निष्ठा पैदा होनी चाहिए। सेवाओं में शासन के प्रति विश्वास पैदा होना चाहिए। सेवाओं में कुशलता, क्षमता और ईमानदारी बढ़नी चाहिए। सेवाओं में कुशलता, क्षमता और ईमानदारी और प्रमाणिकता नहीं होगी तो शासन के प्रति निष्ठा नहीं होगी, कभी भी शासन के प्रति सेवाओं के अन्दर दायित्व की भावना नहीं रह सकेगी। सेवाओं में यह चीज तब आती है जब सेवाओं के प्रति शासन का व्यवहार निष्पक्ष नहीं होता है। इस कारण से शासन का कर्तव्य है कि वह सेवाओं की कमियों को, उनकी असुविधाओं

Page No. 94

(श्री दौलतराम सारण)

को और उनकी कठिनाइयों को देखें। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज का शासन जनता के लिये तो पूरी तरह से उत्तरदायित्व समझता ही नहीं है लेकिन अपने कर्मचारियों, अपने अधिकारियों के प्रति भी उत्तरदायित्व नहीं समझता, इसलिए ही उनका सरकार में विश्वास नहीं है और उनको भी आन्दोलन करने पड़ते हैं, जनता को भी आन्दोलन करने पड़ते हैं। विद्यार्थी आन्दोलन करें, मजदूर आन्दोलन करें, किसान आन्दोलन करें, व्यापारी आन्दोलन करें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब यह स्थिति आ गई है कि अपने प्रतिवेदन लेकर जो आन्दोलनकारी जिनके पास आना चाहते हैं वह भी आन्दोलन कर रहे हैं, अब तो कर्मचारी भी आन्दोलन पर हैं। अब शासन को कौन चलायेगा, कौन जनता की सुविधाओं का ख्याल रखेगा ? यह भयावह स्थिति इस शासन ने कर दी है आज लोकतंत्र को खतरा है, देश की आजादी को खतरा है—यह स्थिति है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में समाजवाद में बुनियादी तत्व जो हैं, वह आपके कर्मचारी हैं, वह आपकी लोक सेवायें हैं इसलिए लोकतंत्र में सेवाओं को कुशल, सक्षम होना चहिए, तत्परता से अपने उत्तरदायित्व को निभाने वाली सेवायें होनी चाहिए। यदि आप यह चाहते हैं तो उनकी नियुक्ति में, उनके चयन में, उनकी पदोन्नति में और उनको जो सुविधायें दी जाती हैं उनमें निष्पक्षता हो–उस तरह का व्यवहार कीजिये, उनकी आवश्यकताओं को देखिये, उनके जीवन की अनिवार्य आवश्यकतायें पूरी होनी चाहिए।

मुझे बड़ा खेद होता है कि समाजवाद का नारा लगाने वाला आयोग एक तरफ तो 2250 तक वेतनमान ले जाकर स्थगित करता है लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार 2500 तक ले जाती है। यदि राज्य सरकार या मंत्रिमण्डल 2250 से नीचे दो हजार तक वेतन मान ले जाता तो संतोष की बात होती लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय किया है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आइटम 20 के बाद जो आइटम्स 33 तक हैं वह राज्य कोष पर विशेष भार डालने वाले हैं और उनमें बड़ी बड़ी छलांग लगाई गई है, किसी में चार सौ, किसी में तीन सौ, किसी में पांच सौ–अगर मैं रिपोर्ट में से एक एक आइटम पढ़ कर सुनाऊं तो अधिक समय की आवश्यकता होगी, और उनके बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा वेतनमान स्वीकार करने में और सर्विसेज में, सेवाओं में कुशलता, सक्षमता और कार्यकुशलता लाने में यह आवश्यक रूप से देखें कि उनकी आवश्यकतायें क्या हैं। वह उनकी आवश्यकताओं की तरफ देख और न्यूनतम वेतन पाने वालों की तरफ देखें, चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों, प्राथमिक शाला के अध्यापक की तरफ देखें। वेतन आयोग के द्वारा सिफारिश किये गये वेतनमानों म मैंने देखा है कि एक समान काम करने वालों का एक समान वेतन नहीं है, शिक्षा में एक समान समय लगने वालों का वेतन एक समान नहीं है, और एक समान योग्यता रखने वालों का वेतन एक समान नहीं है। इस तरह की जो असमानता इस आयोग के प्रतिवेदन में और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत रिपोर्ट में रखी है वह किसी तरह भी उपयुक्त नहीं है।

(श्री दौलतराम सारण)

मैं यह कहना चाहता हूं कि विधान सभा चल नहीं रही थी और राज्य सरकार ने एक महीने में विधान सभा को आमंत्रित करने का निश्चय कर लिया था तो इस रिपोर्ट को स्वीकृति देने से पूर्व राज्य सरकार को चाहिए था कि वह विधान सभा के सुझाव लेती और इस पर विधान सभा के दृष्टिकोण को जानने के बाद राज्य सरकार निर्णय करती तो ज्यादा उचित होता । लेकिन ऐसा नहीं किया गया । खैर, यह राज्य सरकार जाने और उसका काम जाने, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अव्यवस्था इसलिए पैदा हुई है, आर्थिक व्यवस्था इसलिए डांवाडोल हो गई है, कि उत्पादन योजनायें आपकी अस्थिर, अव्यवस्थित हो गई हैं, उत्पादन ठप्प हो गया है और उत्पादन और उपभोग में, उत्पादन और वितरण में समानता नहीं है, इनमें कोई तालमेल नहीं है । आज से कुछ दिन पहले बाजार में लेने वाले नहीं थे अनाज को और गोदाम नहीं थे शासन के द्वारा अनाज को खरीद कर रखने के लिए, अनाज को खरीदने को तैयार नहीं था, उस समय अनाज सड़ रहा था, किसान रो रहे थे, आज स्थिति यह है कि बाजार में से माल गायब हो गया है, माल नहीं रहा है । जिस गेहूं को कोई सत्तर रुपये क्विन्टल में लेने को तैयार नहीं था वही गेहूं आज 130 रुपये क्विन्टल के भाव पर चला गया है । इस तरह की आपकी व्यवस्था है, इस तरह का आपका प्राइस कन्ट्रोल है । आप 125 रुपये देकर क्या दो सौ रुपये देकर भी सर्विसेज की सुरक्षा नहीं कर सकते, आप उनके जीवनस्तर को ठीक प्रकार से नहीं बना सकते । मेरा आपसे निवेदन है कि आप वाकई समाजवाद लाना चाहते हैं, आप वाकई चाहते हैं कि लोगों का जीवन यापन ठीक तरह से चल सके, सेवाओं में संतोष हो और आप चाहते हैं कि जीवन-स्तर कम से कम न्यूनतम स्तर तक रह सके तो आपको चाहिए कि आप निश्चित रूप से न्यूनतम वेतनमान तय करें और आप अधिकतम आधार भी तय करें, न्यूनतम आधार भी तय करें । यदि न्यूनतम आधार और अधिकतम आधार तय नहीं करेंगे तो असमानता बढ़ेगी, आर्थिक विषमता बढ़ती जायेगी और शोषण बढ़ता जायगा । आप स्वयं शोषण को बढ़ाते हैं । आपके नियम शोषण को बढ़ाते हैं, आपकी व्यवस्था शोषण को बढ़ाती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस तरफ ध्यान दें । मेरे पास इतना समय नहीं है कि सब बातों पर विस्तार में जाकर प्रकाश डालूं । नहीं तो मैं कहना चाहता था कि लोगों का जीवनस्तर नीचे क्यों गिरा, लोगों का जीवनस्तर ऊंचा क्यों नहीं उठा, क्यों आर्थिक विषमता बढ़ गई, उपभोग्य वस्तुओं का अभाव क्यों है ? यह सब आपकी नीतियों की विफलता, आपकी गलत नीतियों और अदूरदर्शिता का परिणाम है । वेतनमान का संबंध केवल पैसे से ही नहीं है, वेतनमान का संबंध देश की आर्थिक संतुलित व्यवस्था से है, उपभोग्य वस्तुओं के संतुलित वितरण और विनियम से है । अगर उपभोग में आने वाली वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, प्राइस लाइन ठीक नहीं होगी, बैंकों का नियन्त्रण नहीं होगा, बेढ़ंगे तरीके से लोग पैसों का वस्तुओं का होर्डिंग करेंगे तो आप किसी भी तरह से समानता नहीं ला सकेंगे, यह विषमता दिन ब दिन बढ़ती जायगी, देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली जायगी...

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) ऑन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर सर, यह तो ठीक है कि मन्त्रिमण्डल की जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी

(श्रीमति लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)
है, किन्तु यह इतना महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, वित्त मंत्रीजी यहां आकर बैठें तो उपयुक्त होगा।

श्री देवेन्द्र कुमार (गोगुन्दा-सु०) : सदन म कई बार यह चुर्चा हो चुकी है कि मंत्री महोदय सदन में रहें.....

श्री दौलतराम सारण : तो मैं यह कह रहा था कि जो मैंने निवेदन किया, स्वयं आयोग ने माना है कि आयोग के सामने जो विचारार्थ विषय ह वह यह है कि राज्य सरकार के सभी वर्गों के कर्मचारियों के कर्त्तव्यों, उत्तरदायित्वों, अर्हताओं और उनकी नियुक्ति के तरीकों को ध्यान में रखते हुए उनकी वर्तमान वेतन संरचना का पुनर्विलोकन करना और उनके जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु आयोग बनाया गया है।

यह जो वेतनमान इस प्रतिवेदन में कहे गये हैं उन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, वेतन आयोग ने भी पहली भूल की कि जो पुराना ढांचा चल रहा था उस पर ही सुझाव दे दिये । वेतन आयोग ने यहां तक गलती की कि कई पूर्व निर्धारित वेतन श्रृंखलाओं में भी कमी कर दी, इसके अनेकों उदाहरण हैं । कुछ में प्रारम्भिक वेतनमान में कटौतियां कर दीं और कुछ में अन्तिम में कटौतियां दर्शाई हैं ।

राज्य सरकार ने तो बहुत उदारता से ऊपर वालों पर महरबानी की है पर नीचे वालों की तरफ ध्यान नहीं दिया । पुलिस की तरफ ध्यान दिया जाय, पुलिस के सिपाही को क्या मिलता है, अध्यापक के वेतन को देखा जाय, अध्यापक के वेतन की बड़ी दयनीय स्थिति है, उसका पेट भरना मुश्किल है । समान काम के लिये समान वेतन की बात कितनी खोखली है, यह भी मैं बताना चाहता हूं । जैसे शिक्षा के क्षेत्र में लेक्चरार का और सीनियर टीचर का सवाल है, लेक्चरार का ग्रेड अधिक और सीनियर टीचर का ग्रेड कम रखा है । जहां तक कार्य का और वर्क लोड का सवाल है सीनियर टीचर पर ज्यादा वर्क लोड है । जहां तक इन दोनों की क्वालिफिकेशन का सवाल है सीनियर टीचर को ज्यादा समय लगाना पड़ता है दोनों सेकिन्ड क्लास एम० ए० मांगे जाते हैं, सीनियर टीचर को बी० एड० करना पड़ता है, लेक्चरार को 375 से 850 का ग्रेड दिया गया है और सीनियर टीचर को 225 से 525 यह कितनी अजीब स्थिति है । तो इस तरह न तो वेतनमान काम के साथ समान वेतन की थ्योरी को माना गया है जैसा कि प्रतिवेदन में कहा गया है । दूसरा जो आधार वेतन से उत्पादन और काम को जोड़ने का माना है उस आधार पर ही यह वेतनमान स्थिर नहीं किया गया है । मैं तफसील में न जा कर इतना ही कहना चाहता हूं कि जो वेतन मान इस प्रतिवेदन में सुझाये गये हैं, उनम संशोधन होना चाहिये। मेरा यह सुझाव है कि न्यूनतम वेतन वर्तमान मंहगाई को देख कर निर्धारित किया जाना चाहिये और कम से कम 150 रु० से कम नहीं होना चाहिये, 150 से कम न्यूनतम वेतन रखते हैं तो यह किसी सूरत में उपयुक्त नहीं होगा ।

श्री रामनारायण चौधरी : डबल कर दो आप तो ।

श्री दौलतराम सारण : मैं कह रहा था कि छोटे न्यूनतम वेतन वाले कर्मचारियों

(श्री दौलतराम सारण)

की तरफ, चाहे वे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हों चाहे तृतीय श्रेणी के हों, उनकी तरफ ध्यान देना है, जिन पर कार्यभार अधिक है। जैसे अध्यापक हैं, और दूसरे हार्ड ड्यूटी देने वाले लोग हैं, उनकी तरफ खास तौर से ध्यान देना चाहिये।

आज तक जो सुविधाएं दी जाती ह, उन पर भी आयोग ने सुझाव दिये हैं कि इनमें कटौतियां की जायं, ठीक किया जाये, उचित तरीके से इस्तेमाल किया जाये तो बचत हो सकती है। जैसे यात्रा भत्ते पर और टेलीफोन पर सुझाव दिये हैं कि बहुत से टेलीफोनों पर व्यर्थ का खर्चा किया जाता है, उनका मिस्यूज किया जाता है, इस खर्चे में कमी की जानी चाहियें। इसी तरह वर्क चार्ज आधार पर आकस्मिक श्रमिकों के नियोजन करने का अधिकारियों को जो अधिकार है, उसका दुरुपयोग किया जाता है, इसमें सुधार करने का भी सुझाव दिया है। चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये नई योजना का सुझाव दिया है कि मेडिकल बीमा हो, इस अवसर पर मैं इसके बारे में नहीं जाऊंगा।

जीपों और वाहनों के बारे म भी सुझाव दिया है कि अधिकारियों को मनमानें ढंग से जीपों के उपयोग की छूट है, वह बन्द होनी चाहिये। जीपों और वाहनों के दुरुपयोग को रोकने के लिये सुझाव दिया है कि गाडियों का पूल होना चाहिये और पूल से ही आवश्यक कार्यों के लिये गाड़ियां मिलनी चाहिये, गाड़ियों के उपयोग पर कड़ा नियन्त्रण होना चाहिये। आज कल तो सिनेमा देखने में अपनी फेमिलीज को दूर दूर की सैर कराने में राज्य की गाड़ियों का उपयोग किया जाता है और जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को इस तरह से बर्बाद किया जाता है।

इसी तरह से परिपत्रों, रजिस्टरों और प्रोफोर्माज के सम्बन्ध में भी कहा है कि इनमें सुधार किया जाय इनमें कमी की जाय क्योंकि बहुत से प्रोफोर्माज, परिपत्र रजिस्टर अनावश्यक हैं और अलाभकारी हैं।

कार्यालयों में उपस्थिति के बारे में भी कहा है कि बड़े आफीसर दो दो, तीन तीन घंटे बीच में गायब रहते हैं, लंच में और चाय में गायब रहते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: (वित्त मंत्रीजी की ओर मुखापेक्ष हो) सुन तो लेवो, सुनने में ही उपेक्षा करते हो तो देने में तो बहुत उपेक्षा करोगे।

श्री मथुरादास माथुर: स्पीकर साहब ने बुलाया था इसलिये गया था।

श्री दौलतराम सारण: आपके इस कहने का कोई असर नहीं। चीकणा घड़ा पर पाणी कितोई पटको पण एक भी छांट वीं पर नहीं ठहरे।

श्री मथुरादास माथुर: कोई महत्वपूर्ण बात भी नहीं कही।

श्री दौलतराम सारण: वित्त मंत्री उस संस्कृति के पोषक हैं जो यहां बड़े पदों द्वारा निर्मित की जा रही है, क्लब की संस्कृति सुरा, सुन्दरी और रमी की संस्कृति कहलाती है। आज ऐसा वर्ग क्रियेट कर दिया है जो रमी, शराब और दूसरी तरह के नाच गानों के अन्दर अपनी एक नई क्लास रखते हैं, नई तफरियां करते हैं, इस संस्कृति को बढ़ावा

(श्री दौलतराम सारण)

दिया गया है इन वेतनमानों में । इसलिये मैं यह कहूंगा कि राजस्थान की गरीव जनता से कर भार से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वह इस क्लव संस्कृति को पनपाने में खर्च किया जा रहा है। कितनी विडम्वना है, एक हरिजन को घर बनाने के लिये 750 की सहायता दी जाती है और दो ढाई हजार तनख्वाह पाने वाले को यह छूट है कि वह चाहे जितना ऋण ले ले, 5 लाख का बंगला वना कर 50 हजार का बंगला वता दे। रिश्वत के पैसे को छुपाने की और छूट । और हम जयपुर में देख रहे हैं कि बड़े आलीशान रंगीन, चिकने चमकीले बंगले इन अधिकारियों के नजर आते हैं उनमें चलते हुए की अपनी तस्वीर नजर आ जाती है। उन बंगलों को किस तरह सजाया है, किस तरह उनमें समाज का शोषण वोल रहा है, उन बंगलों में संस्कृति...

श्री देवीदत्त गाड़िया : उनमें माथुर साहब की शक्ल दिखती है या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : उन बंगलों का निर्माण गरीब करदाता के पैसे से नहीं करना चाहिये । इसलिये जिनको ज्यादा वेतन दिया जाता है, उममें कटौती की जाय और चपरासियों, सिपाहियों और चतुर्थ श्रेणी के लोगों का वेतन वढ़ाया जाये, उनकी सुविधायें अधिक वढ़ाई जायें। वड़े अधिकारियों के रीइम्वर्समेंट के वड़े वड़े विल वने रहते हैं, डाक्टर मिल जाता है, आफिसर मिल जाता है। फिर तनख्वाह किस वात की देते हैं उनको ? विशेप वेतन और दिया जाते हैं कहीं 200 कहीं 75। इसलिये ये जो अनुचित सुविधायें दी जाती हैं वे वंद की जानी चाहिए । ये जआ, नाच और शराव को प्रोत्साहन दे रहे हैं । गरीवों की तरफ ध्यान दिया जाय, तकनीकी कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के वेतनमान में भी कंजूसी की गई है। कहीं आरंभ में और कहीं अंत में कटौती की गई है, जो वाजिव नहीं है। तकनीकी कर्मचारियों की और स्किल्ड लेवर के वेतनमान ज्यादा प्रोत्साहन देने वाली होनी चाहिए जिससे वे निर्माण कार्यों में ज्यादा संलग्न हो सकें लेकिन सरकार का दृष्टिकोण अजीव है। सरकार वातें समाजवाद की करती है और कार्य पूंजीवाद के करती है। पूंजीवाद के करे तो भी कोई एतराज नहीं लेकिन पूंजीवाद में भी गई गुजरी शोषण पर आधारित नीति को सरकार जमने देती है। सरकार को इस प्रतिवेदन पर पुनः विचार करते समय चाहिए कि उन लोगों की तरफ ध्यान दें जो उपेक्षित हैं, जो वोल नहीं सकते, जो संगठित होकर आंदोलन करने की क्षमता नहीं रखते हैं या जिनको आंदोलन करने से पाबंद कर रखा है उनको देखें ताकि वे आपको दुआएं देंगे और आभार मानेंगे, उनके वच्चों को जरा रिलीफ दें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छवड़ा) : माथुर साहव जानते हैं कि दुआओं का इन पर असर नहीं होने वाला है।

श्री दौलतराम सारण : वेतन आयोग ने सेवाओं में कुशलता और क्षमता अधिक लाने के लिए और भी सुझाव दिए हैं। उनके चयन की प्रक्रिया, नियवित उनकी पदोन्नति में और दूसरी वातों के सुझाव दिए हैं। जैसे उनकी सी० आर० लिखी जाती है उस संबंध में सुझाव दिए हैं । खैर, उस संबंध में म विस्तार से नहीं जाना चाहता। लेकिन राज्य सरकार के निर्णयों में और वेतन आयोग के प्रतिवेदन में काफी विरोधाभास है। राज्य

(श्री दौलतराम सारण)

सरकार के निर्णयों के संबंध में कोई तथ्य, दलील और विवरण नहीं दिए गए हैं। इसलिये उनको समझने में मैं असमर्थ हूं। सारी बातों को देखते हुए मेरा निवेदन है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट पर सदन के सदस्यों की कमेटी बनाई जाय जो इस संबंध में जांच करके अपना प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करें और इसमें जो खामियां हैं, कमियां रही हैं और आशंकायें पैदा हुई हैं, उनके निराकरण करके अच्छी तरह से रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि आज जो असंतोष फैला हुआ है सेवाओं में, वह दूर हो सके और हमारी सेवाएं कुशल हो सकें, उनको प्रोत्साहन मिल सके और उनका विश्वास शासन के प्रति जम सके ताकि वे जनता के निर्माण और विकास कार्यो में अपना योगदान दे सकें लेकिन आज जनता का शासन पर विश्वास नहीं और सेवाओं पर विश्वास नहीं, सेवाओं का शासन में विश्वास नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार इस सारी स्थिति पर गौर करे और समय रहते इसका निराकरण करे, नहीं तो शासन और सेवाऐं दोनों ही विडंबना बन जायेंगे। काम करने वाले असंतुष्ट हैं और उपेक्षित हैं तो किसी भी हालत में काम नहीं हो सकेगा, लक्ष्य पूरे नहीं हो सकेंगे, इसलिये आपकी परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था में या विकासशील अर्थव्यवस्था को नई गति देनी है, अगर आपको नई दिशा देनी है, लोकतंत्र को अधिक मजबूत करना है, आपको उत्पादन बढ़ाना है तो उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाले स्किल्ड लेबर, स्किल्ड कर्मचारियों की तरफ, टेक्निकल कर्मचारियों की तरफ आप ध्यान दें। अगर आपको नई नीति का ठीक निर्माण करना है, अनुशासन लाना है, अच्छे नागरिक पैदा करने हैं तो अध्यापकों की तरफ ध्यान दें, अगर आपको कानून और व्यवस्था बनाए रखना है तो पुलिस के जवान की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज पुलिस के जवान टी० बी० के मरीज हैं, उनको खाने को नहीं मिलता, उनकी हालत दयनीय है। चपरासियों का तो अधिकारियों के बरतन मांजने का काम है, इसलिये उनकी भी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। इन सारी बातों को देखते हुए, मैं यह आवश्यक समझता हूं कि इस प्रतिवेदन और राज्य सरकार द्वारा जो निर्णय इस संबंध में लिए गए हैं उन पर विचार करने के लिए इस सदन की एक समिति बनाई जाय और उसकी रिपोर्ट पर उसके बाद ही इस प्रतिवेदन पर अंतिम निर्णय लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचंद डागा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसका क्रम किस प्रकार से रखा है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य का संशोधन प्रस्ताव है। आपका प्रस्ताव बाद में आ जायगा।

श्री मूलचंद डागा: जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें निम्न शब्द जोड़ने के लिए प्रार्थना की है:

"9 सदस्यों की एक विशेष समिति नियुक्त की जाय जो वेतन आयोग की सिफारिशों और राज्य सरकार के निर्णयों पर विचार करके अपनी सिफारिशें सदन के समक्ष 10 दिन में प्रस्तुत कर सके लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धातों को ध्यान में रखते हुए ।"

उपाध्यक्षजी, इन्साफ सांप को छोड़ता हुआ देख सकता है और किसने छोड़ा है उसको

(श्री मूलचन्द डागा)

भी देख सकता है। जब इन्साफ इतना अंधा नहीं है कि विषेला सांप और जहरीले नाग को किसने छोड़ा है, उसको देख सकता है तो जब हम इन्साफ करने के लिए जाते हैं तो हमारे दिमाग म आता है कि यह रिपोर्ट किस ने पेश की ? चाहे उस व्यक्ति की अदालत में महात्मा गांधी का फोटो हो चाहे पूजनीय राष्ट्रपिता का फोटो हो लेकिन यह दिमा की बात है। उनके दिमाग मे है लेकिन उनके दिल म महात्मा गांधी के विचार थे या नहीं हम जान चुके हैं कि हम लोकतांत्रिक समाजवाद को कायम करना चाहते हैं, हम उस समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे चरण और आगे बढ़ रहे हैं लेकिन इस जहरीले नाग की जो रिपोर्ट है वह समाज को खा जायगी, शासन को खा जायगी और देश को पीछे रख देगी, इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा ? महात्मा गांधी के शब्द क्या थे, इस समाजवाद के लिए। पूजनीय बापू के शब्दों को याद दिलाना चाहताहूं। क्या है लोकतन्त्र ? लोकतन्त्र तो एक जीवन की पद्धत्ति है, जीने का एक तरीका है। गारन्टी ऑफ लिविंग। लोक पद्धति है, लोकजीवन है, तन्त्र जीने का एक तरीका। आप लोग बहस करते हैं और बताना चाहते हैं कि आय की विषमताओं को कम कर दें। आमदनी को कम कर दो। मैं कहता हूं कि जीवन में तब्दीली लानी होगी, जीवन को पलटना होगा और जीवन जीन के लिये पलटना होगा इसलिये भुवनेश्वर में कांग्रेस न प्रस्ताव पास किया था और कहा था कि समाजवाद का केवल अर्थ आर्थिक परिवर्तन नहीं है बल्कि सामाजिक गठन, लोगों के सोचने और रहने का जो तरीका है उसमें बुनियादी परिवर्तन लाना है। यह समाजवाद की वह तस्वीर है जिसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कल्पना की थी। हम केवल यह नहीं चाहते थे कि आय कम हो। वह ड्राइवर जो मोटर चलाता है, जब आप डिनर की टेबल पर बैठते हैं वह भी आस पास आपके पास आकर बैठे, आप उस समय महसूस करें कि आपका वह ड्राइवर नहीं है, आपका वह नौकर नहीं है, आपका वह साथी है। समाजवाद में नयी प्रथा कायम करना है । हम समाजवाद लाना चाहते थे लेकिन ऐसा समाजवाद लाना नहीं चाहते थे कि आय को घटावें । यदि यही हम समझें समाजवाद तो फिर राजाओं का राज नहीं लेते, जागीरदारी को खत्म नहीं करते। लेकिन हम उस अंग्रेजी नौकर-शाही को खत्म करना चाहते हैं जिसने लोक-तन्त्र को डस लिया है। खा लिया है। इस नौकरशाही ने भेद पैदा कर दिया है। हम मानव मानव के बीच में भेद नहीं करना चाहते, लेकिन यह नौकरशाही भेद पैदा करना चाहती है। ऐसा नहीं था तो पूंजीवाद को समाप्त करने की बात नहीं की जाती। हम उन नौकरों को नहीं चाहते थे जो दवाइयों और इन्जेक्शन पर जीयें और हमारे टूटे फूटे बिके हुए आदमी सड़कों पर फिरें। हम चाहते थे तुम्हारी मोटरें छुड़ाकर तुमको सड़कों पर लाना। काम करने के तरीकों में हम परिवर्तन चाहते थे। गांधी जी ने कहा था लोकतन्त्रीय समाज कायम करना चाहिये। राणावत साहब ने यह रिपोर्ट लिखी। किसको एक्जामिन किया था ? किसका पैसा लेकर किसको देना चाहिये । जजेज का फैसला होता है तो देश काल और स्थिति को देख कर होता है। राणावत साहब ने जिन्दगी में आराम ही आराम देखा होगा। गर्मी नहीं सही होगी । सवाल क्या है ? समाज के जितने वर्ग हैं उन वर्गों की जितनी दौलत है, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, आर्थिक

(श्री मूलचन्द डागा)

दौलत हो, उस सबका सही ढंग से समान रूप में बंटवारा हो उस कला को, विज्ञान को लोकतन्त्र कहते हैं। हमारे लोकतन्त्र की परिभाषा यह है समाज की वह दौलत, पूंजी चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे भौतिक हो, आर्थिक हो उस सारी दौलत का सही ढंग से बंटवारा हो समाज में और वह बिलकुल न्यायपूर्ण ढंग से हो। मानवीय अस्तित्व को कायम रखने के लिये उसका आधार न्याय है, इन्साफ है। न्याय का गला घोंट दिया गया है। राणावत जी ने रिपोर्ट लिखी । रिपोर्ट लिखते हुए किसी गरीब को पूछा कि किस प्रकार जिंदगी बसर कर रहे हो, किस प्रकार रहना चाहते हो। इस अफसरशाही को खत्म करना चाहते हैं जिनके पैरों के जूतों की कसों को नौकर बांधता है। हम उन लोगों को खत्म करना चाहते हैं, जो पर्दे के पीछे सोने की अंगूठियां पहिन कर सोते हैं। योजनायें बनाईं। न योजनायें गतिशील हुई और न ही सफलता प्राप्त की। तीन लाख सरकारी कर्मचारी लोग हैं। समाज को पीछे धकेल दिया है। किसी प्रकार का उनके साथ न्याय होता गया और देश में आवाज हुई कि इस प्रकार करेंगे। आप रीजन्स दीजिये। वेतन आयोग ने रीजन्स दिये हैं। कितने सुन्दर रीजन्स हैं। बड़े बड़े जजेज ने एक बात लिखी है। हिन्दुस्तान में कमी किस बात की। हमारे देश में कहीं यह न हो जाय जैसा लोग कहते हैं हमारे देश में बैंड बजाने वाले और तम्बू उठाने वाले लोग न रह जायं। अच्छे लोगों का काल पड़ गया है। जजेज लोग सेन्टेंसेज की इधर उधर नकल करते हैं। कोई बताये मझे। रीजन्स दे रहे हैं फैसले में। समाजवाद में क्या लेना चाहते हैं? क अफसर को पर्दे से निकाल दीजिये जो चुनौती देता है और क्या कहता है 'कोउ नृप होउ हमेंहि का हानि'। लोकतन्त्र में आपकी और हमारी जिन्दगी में 18 फीट ऊंचाई है। चाहे केबिनेट ने राणावत वेतन आयोग पर सात दिन बैठ कर विचार किया हो, रीजन्स सोचे हों, हम तर्क, बुद्धि और ज्ञान के आधार पर चुनौती देते हैं, इस प्रकार की रिपोर्टस को। यह रिपोर्ट लिखी है। हम ऐसे अफसरों को समाज में फेंकते हैं 400 रुपया से अधिक कमा लें तो मुझे कहें। एक आई० ए० एस०, एक जोइन्ट सेक्रेटरी, को चुनौती देना चाहता हूं वे ऑफिसर्स लोग समझ जायं और कहें कि हम इतना काम कर सकते हैं और इतना काम करने के अधिकारी हैं। प्रिन्सीपल ऑफ पे में एक दो सेन्टेन्स लिख हैं। किसी की राय ली थी? सरकारी कर्मचारी आ गये। किसी एम० एल० ए० से पूछा था जो समाजवाद में और लोकतन्त्र में विश्वास करता है? आप क्या कहते हैं:-

"It has to be accepted as guide line principle that the pay scales in Government services should bear some relation to remuneration paid to staff employed outside Govt. on comparable positions if not in a few top concerns, but atleast in good medium concerns taking into account differences in conditions and character of services."

आप रीजन्स देते हैं कि हम वेतन श्रृंखलाओं के मामले में इन बातों को सोचेंगे कि जो वेतन श्रृंखलायें दूसरे धन्धे में प्राइवेट बिजनिस में मिलती हैं।

"It may not be considered reasonable to apply the theory of

(श्री मूलचन्द डागा)

market value test because it runs counter to the maintenance of efficiency and also against the accepted ideas in the labour world in this regard."

एक सेन्टेन्स में सारा खत्म कर देते हैं और राणावत साहब कहते हैं कि मार्केट रेट वेल्यू की सोच नहीं सकते। किसी प्रिन्सीपल को लागू करने के लिये यह पे कमीशन बिठाते हैं। 31 करोड़ का भार हमारे देश को उठाने के लिये किस प्रकार कहते हैं, क्वेश्चन आवर में जो प्रश्नों की बोछार होती है, कभी आपने देखा आपके दिल में और आई० ए० एस० के दिमाग में कोई परिवर्तन आया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह आ नहीं सकता। एक बहुत बड़ी बात है। हिन्दुस्तान के लोग पुरातनवादी हैं, नसीब पर चलने वाले हैं। आखों में नयी रोशनी हो, हाथों में मशाल हो, दुनिया में हम नयी चीज चाहते हैं। कभी आपने सोचा है इस बात को कि आई० ए० एस० आफिसर क्या कर सकता है! उसने एक आर्टिकल लिखा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर। उसमें उन्होंने क्या पाइंट लिखे। उससे क्या पिक्चर बनती है। अगर ये लोग यह कहें कि पंजाब में, केरल में यह पे दी जाती है तो यह सवाल यहां नहीं है। हमें अपने दिमाग को....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप विषयान्तर हो रहे हैं। आई० ए० एस० इसमें नहीं आते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : ऑफिसर्स जो 1100 से ऊपर तनख्वाह पाते हैं, वे आते हैं। यह विषयान्तर नहीं होगा। लोकतान्त्रिक समाजवाद के आधार पर इस रिपोर्ट को आप दुनियां म पेश करना चाहते हैं। मैं चैलेन्ज कर चाहता हूं। लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा को, उसकी बात को नहीं समझते हैं। राणावतजी लोकतांत्रिक समाजवाद नहीं जानते हैं। आपको अधिकार नहीं है। 18 करोड़ आदमी हैं उनको इसका अधिकार है। आपके शासकों और शासितों में भेद पैदा करते हैं। शासकों और शासितों में नौकरशाही ने एक दीवार खड़ी कर दी है। अगर ऐसा होता तो मुझे बताइये वेतन आयोग की रिपोर्ट पर कितनी हड़तालें हुई शहर में। कितने जुलूस निकले। दुनियां के लोग जानते हैं। हम लोगों को मालूम है कि आपकी कितनी शोहरत है। कितनी हमदर्दी है आपके साथ। यू०के० ने क्या किया ? बड़े बड़े ऑफिसर्स को प्राइवेट सर्विस में भेजते हैं ताकि उनको मालूम हो कि दुनियां क्या है ? सरकार के जो नौकर होते हैं वे पर्दे के पीछे बैठने वाले होते हैं :

" It is often argued that attractive service conditions by themselves may not produce sufficient zeal and enthusiasm in the employees as to make them serve the country with whole-hearted interest. Even when their emoluments were, when compared to the general level in the society, fairly high, public servants had exhibited deplorable apathy and disinterestedness in their functions. By every nature of their duties they have to isolate themselves there are general public life of the country and public scrupulously disinterested in the exercise of their authority. Their outlook consequently becomes narrow and they even get out of touch

(श्री मूलचन्द डागा)

with the great developments in the world outside their offices. This often makes them self-opinonated petulant and even querulous." ऐसा बताया है । पर्दे में बैठने वाले हैं। उनको क्या मालूम है कि गर्मी के अन्दर मजदूर, मेट काम कर रहे हैं। लोकतान्त्रिक समाजवाद में आप यह चाहते हैं, बुद्धिजीवी यह चाहते हैं कि श्रम की महत्ता न हो। एक तरफ महात्मा गांधी कहते हैं, क्या कहते हैं, सड़क पर काम करने वाली हरिजन महिला को भी जो अपने सिर पर वजन ढोती है, उसको भी टेबुल पर काम करने वाले ऑफिसर के काम के बराबर वेतन दिया जाएगा। उसका वेतन आफिसर के वेतन के बराबर होगा। किन्तु फिर भी आपने श्रम की महत्ता को नहीं समझा है और परिभाषा देते हैं। जो गंदी, सड़ी गलियां, मोहल्ले में काम करते हैं, उनकी तनख्वाह न बढाने की यह आपकी परिभाषा है। उन अफिसर्स की तनख्वाह के लिये आश्वासन देते हैं कि उनकी आरडियस ड्यूटी है। आपका आइडिया है। उस स्थान की विशिष्ट श्रम साध्य ड्यूटी। उसको आप स्पेशल पे देते हैं। उस स्थान के आसपास का वातावरण जिसमें कार्य किया है। जिसके आधार पर विशेष वेतन भी नियमित किया जाता है। इस प्रकार श्रम की महत्ता आपके यहां नहीं रही। आप उस समाज को, उस व्यक्ति को अच्छा समझते हैं जो टेबल पर बैठकर काम करता है और जो कडाके की सरदी में आपकी गलियों को साफ करता है, गन्दगी को उठाता है उसको आप कब तक टालेंगे। इस उपेक्षित और अपमानित व्यक्ति को आप कितना और अपमानित करेंगे। इन बातों को राणावत जी का हृदय टटोल नहीं सका। झकझोर नहीं सका। उनके दिमाग में नयी चीज पैदा नहीं हो सकी। आप कहते हैं स्पेशल पे देंगे। यह स्पेशल पे उन लोगों को दीजिये जो स्पेशल काम करते हैं। स्पेशल काम उनका है, जो काम करना जानते हैं। आपने अपने आइटम्स में लिखा है। आपकी परिभाषा, सिद्धान्त, आपकी बातें कहां तक हमारे दिमाग में असर कर सकती है यह हम लोग मान चुके हैं। देश में समाजवाद नहीं आया तो घोर असन्तोष व्याप्त होगा। व्यापक विद्रोह होगा। यह गरीब व्यक्तियों के द्वारा होगा। आज उनका स्वाभिमान जाग चुका है। आजादी के बाद वे भली प्रकार जान गये हैं कि ईश्वर के बनाये हुए आदमी और आदमी में अन्तर नहीं होता। उसका सम्मान, इज्जत सबके ऊपर है। इसलिये समाज में रहना चाहते हैं तो लोगों को काम करना होगा। हम लोगों को ऊपर से नीचे आना होगा। तनख्वाह कम करने से माननीय वित्त मन्त्री जी हमको लाभ होगा। जागीरदारों की जागीरें खतम हो गईं। जागीरदार ट्रैक्टर लेकर खेत में काम करने लग गये। चुनाव में उतर कर विधान सभा के सदस्य बन गये। इसलिये इन सरकारी अधिकारियों को स्पेशल पे और तनख्वाहें कम कर दीजिये। उनको बीमारी का पैसा देना कम कर दें। यह मेरा अनुभव है कि कम खाने से लोग जीते हैं और ज्यादा खाने से मरते हैं मैं तो एक टाईम खाता हूं। इसलिये मैं एक बात बताता हूं कि ज्यादा खाने वाले को ही दवाइयों की जरूरत होती है। सरकारी कर्मचारी परदे के पीछे, बिजली की रोशनी में काम करते हैं। वे सूरज की रोशनी में दुनियां को देखें तो कल्याण मानेंगे, गीत गायेंगे। उन्होंने हमारी योजनाओं को पंगु बना दिया है। इलेक्शन में हमारे मिनिस्टर्स की जो किरकिरी की जाती है, वह आपकी गल्तियों के कारण होती है। आपकी कमजोरियां

(श्री मूलचन्द डागा)

के कारण होती है और आप हमें बतलाना चाहते हैं, इस प्रकार से समझाना चाहते हैं और एक उदाहरण पेश करते हैं रिपोर्ट में। मैंने उस सिद्धान्त को पढ़ा है। यू० के० ने यह निर्णय किया कि ऐसे आफिसर्स को प्राइवेट सर्विस में भेजा जाये ताकि वे लोगों के साथ सोहार्दपूर्ण व्यवहार करना सीख सकें। भगवान जानते हैं यह बात कि नौकरशाही ने लोकतन्त्र को बढ़ा दिया? यह एक मुश्किल सवाल है, एक कठिन सवाल है। इसका एक तरीका है, और यह तरीका यह है कि हम लोग एक नया परिवर्तन लायें। नया परिवर्तन कब ला सकते हैं, उनकी जो यह 18 तरह की डिसपेरिटीज हैं उनको बदलकर। डिसपेरिटी की बात नहीं कहने के लिये हमें तौर तरीकों को बदलना होगा। श्रम की प्रतिष्ठा को कायम करना होगा। श्रम की प्रतिष्ठा करके, जीने के तरीके को बदल करके ही आप देश को आगे लेजा सकते हैं। हम लोगों ने एक नयी बात सीखी है। एक बात जो मैं कहना चाहता था, वह यह कि आपने तनख्वाहों में बढ़ोतरी की आपने सोचा है कि न्यायालय, जो न्याय के मन्दिर हैं, आपने सोचा है सिविल जज के बारे में, क्या आप यह चाहते हैं कि सिविल जज एक दम अलग रहें और अपना निर्णय ठीक करें ......

आपने इनके मामले में क्या सोचा? आपने आर० ए० एस० आफिसरों की और उनकी तनख्वाहों में फर्क कर दिया। वे लोग जो काम करना जानते हैं फैसला करना जानते हैं उनकी तनख्वाहों के बारे में जो आपका दृष्टिकोण रहा है वह उनके कार्यों के अनुकूल नहीं रहा। लोकतान्त्रिक समाजवाद का नारा देने वालों की तरफ से जिस प्रकार की रिपोर्ट निकली है, जो प्रतिवेदन पेश किया गया है वह लोकतान्त्रिक समाजवाद के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए उसमें परिवर्तन लाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में मन्जिले मकसूद तक वह नहीं पहुंच पायगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राणावत आयोग के संबंध में सदन में जो चर्चा हुई इस चर्चा के आधार पर वेतन आयोग ने जिस प्रकार की सिफारिश की है, और सरकार ने जिस रूप में संशोधन किया है और कुछ बातों पर अभी तक निर्णय नहीं किया है, उन सब बातों के आधार पर ऐसा लगता है इस वेतन आयोग की सिफारिशों से न तो सरकार को ही वांछित फल मिला है और न राज्य सरकार के कर्मचारियों को ही जो इस कमीशन से आकांक्षा किये हुए थे न उनको ही वांछित फल मिला है। मोटे रूप में यह कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वेतन आयोग से कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं हुआ बल्कि कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में जलन सी पैदा हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, वेतनमान के निर्धारित करने के प्रश्न पर, और कामकाज में एफीशियेन्सी लाने के साथ साथ अगर इस पर विचार किया जाता तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं न केवल प्रशासनिक दृष्टि से ही योग्यता बढ़ती बल्कि सरकारी कर्मचारियों में एफीसियेन्सी के नाते कम्पीटीशन के नाते एक फीलिंग क्रियेट होती।

दुर्भाग्य की बात यह है कि वेतन आयोग के प्रतिवेदन से काम में एफीसियेन्सी आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसके विपरीत

(श्री भैरोंसिंह)

इस प्रकार की स्थिति अवश्य निर्माण हुई जिसमें काम के आधार पर नहीं बल्कि काम के अतिरिक्त और एक्टीविटीज के आधार पर अपने से सीनियर लोगों को किस प्रकार से प्रसन्न रखा जाय और किस प्रकार से उनकी वेतन शृंखला में सुधार किया जाय इसी ओर ज्यादा ध्यान दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा इस बात की मांग की जाती रही थी कि उनका वेतन केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर हो और महंगाई भत्ता भी उनके बराबर किया जाय। राज्य कर्मचारियों के वेतन स्तर म और केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन स्तर में जिस प्रकार की डिस्पेरिटीज हैं उनको रिमूव किया जाय। दो बातों को लेकर इस कमीशन की नियुक्ति की गई लेकिन इसकी नियुक्ति के साथ साथ जो टर्म्स आफ रेफरेन्स सरकार द्वारा निश्चित किया गया इन दोनों में किसी प्रकार पेरिटी नहीं थी। कर्मचारियों की जिस प्रकार की मांग की थी उसको ओझल करने की चेष्टा की गई। कर्मचारियों ने जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता प्राप्त करने की मांग की थी इस सदन में इस संबंध में जो चर्चा हुई सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था इस मसले को केवल महंगाई भत्ते तक ही सीमित नहीं रखा जाय बल्कि राज्य और केन्द्रीय सर्विसेज के अन्तर को दूर करने की चेष्टा की जाय। यह संभव हो सकता है आज हम वित्तीय संकट के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में और राज्य सरकार के वेतन में समानता नहीं आ सकती। लेकिन इसमें कोई कठिनाई नहीं आती अगर कमीशन इस बात की राय जाहिर करता कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का वेतन स्तर तक पहुंचाने में राज्य कर्मचारियों को वेतन को ले जाने के लिये राज्य सरकार कोई फेज प्रोग्राम अपने सामने रखना चाहिये था। उसी के अनुसार इसके इम्पलीमेन्टेशन की कार्यवाही होनी चाहिये। इस प्रश्न पर वेतन आयोग ने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया।

अब प्रश्न आता है राज्य कर्मचारियों के और केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन में डिस्पेरिटी इसको स्वयं राज्य सरकार ने मन्जूर किया है जिस प्रकार की सिफारिशें इस कमीशन ने की हैं उससे इस प्रकार का आभास मिलता है राणावत हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं उनकी योग्यता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। वह जुडिशियरी के हाईएस्ट ओथोरिटी के हेड थे उनको इस कमीशन का एकमात्र नेता नियुक्त किया गया था। उस कमीशन की रिपोर्ट पर राज्य सरकार के तीन जूनियर अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई जिसको यह काम सौंपा गया था कि वे इसके बारे में सजेशन दें। और उन्होंने राणावत कमीशन की अनोमोलीज को रिमूव किया। उन अनोमोलीज के साथ साथ उन्होंने इस प्रकार का परिवर्तन कर दिया। राणावत साहब ने बिना अनोमोलीज के सिफारिश नहीं की और उन पर किसी प्रकार से भी निर्णय नहीं लिया जाना चाहिये। राज्य सरकार की इस कमेटी ने जो संशोधन प्रस्तावित किये हैं यह बात निश्चित रूप से सामने आती है राणावत आयोग ने कर्मचारियों के वेतन को निर्धारित करने में महनत अवश्य की होगी लेकिन जिन सिद्धान्तों को वह मानकर चले हैं उन पर आचरण नहीं किया जिस प्रकार की आकांक्षा राज्य कर्मचारी वर्ग लेकर चल रहा था।

(श्री भैरोंसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में कई बार कई विषयों पर कमीशन नियुक्त किये जाते रहे हैं। भारत सरकार ने भी दो पे कमीशन नियुक्त किये इसी प्रकार अन्य राज्य सरकारों ने भी पे कमीशन नियुक्त किये हैं। मेरे विचार से हिन्दुस्तान के इतिहास में यह पहला कमीशन होगा जिस कमीशन ने कुछ गायडिंग प्रिन्सीपल्स नियत करके उनके विपरीत आचरण किया होगा। मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं कि राज्य सरकार ने राणावत कमीशन की सिफारिशों में कुछ संशोधन करके उसमें सुधार किया है। अगर राणावत कमीशन की सिफारिशों को यों का यों राज्य कर्मचारियों पर लागू कर दिया जाता तो कर्मचारियों की हत्या हो जाती। कर्मचारियों के सारे हित खत्म कर दिये जाते। जैसा कमीशन का प्रतिवेदन आया है उसमें संशोधन कर लिया गया। क्या वे संशोधन पर्याप्त हैं क्या इन संशोधनों से कर्मचारियों को सन्तोष होगा?

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय पे कमीशन की नियुक्ति का और उसके कार्यक्रम का एलान हुआ राज्य के समस्त कर्मचारीवर्ग ने अपने एसोशियेशन्स के मार्फत पे कमीशन के सामने मेमोरेण्डम सब्मिट किये। पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद भी इन एसोसियेशन्स ने, इन सिफारिशों के खिलाफ अपने मेमोरेण्डम सरकार को सब्मिट किये और इस तरह से इस कमीशन की सिफारिशों पर सभी कर्मचारी एसोसियेशन्स ने असंतोष प्रगट किया। उसकी जांच के लिये एक कमेटी का निर्माण किया गया और उस कमेटी के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया। इसका मतलब यह हुआ कि कमीशन के प्रतिवेदन से न राज्य सरकार सन्तुष्ट हुई और न विभिन्न कर्मचारियों के संगठन ही सन्तुष्ट हुए। बल्कि कमीशन ने एक नया फार्मूला राजस्थान की जनता के सामने रख दिया। कमीशन जहां अपने स्वयं द्वारा निर्धारित सिद्धान्त के विपरीत निर्णय लेता है तो वह कमीशन किस स्थिति में चल सकेगा।

आज जब हम राजस्थान में वेतन निर्धारण करने की बात करते हैं समान काम के लिये समान वेतन। इस फार्मूले को सामने रखकर कई मित्रों ने यह कहा कि समान काम के लिये समान वेतन अच्छा है। समान काम के साथ साथ हमें यह जोड़ना होगा कि जिस व्यक्ति को हम यह वेतन दे रहे हैं उसकी रिक्वायरमेन्ट्स क्या हैं? आज हिन्दुस्तान में बदकिस्मती है कि हम किसी चीज पर भी राष्ट्रीय आधार पर निर्णय नहीं ले सके। आज हिन्दुस्तान की लैंगवेज पालिसी डिस्प्यूटेड, फुड पालिसी डिस्प्यूटेड, देश का राष्ट्रीय पहनावा क्या होना चाहिये वह डिस्प्यूटेड, हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय दृष्टि से जिन चीजों का निर्धारण होना चाहिये वे सारी चीजें डिस्प्यूटेड। इसी आधार पर यह चीज भी डिस्प्यूटेड है कि स्टेण्डर्ड आफ लिविंग, देश की जिन्दगी का मापदण्ड क्या होना चाहिये कि जिसके आधार पर मनुष्य के आधार पर यह कल्पना करके चल रहे हैं कि उसकी यह तो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट होनी चाहिये और उसको पूरा करना है।

(4 म० प०)

इस सारे प्रतिवेदन को देखने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से विचार ही नहीं किया गया। चाहे एल०डी०सी० का प्रश्न हो चाहे चपरासी का हो या चाहे उच्च अधिकारी का हो किसकी कितनी बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स पर वेतन

(श्री भैरोंसिंह)

का निर्धारण करके चलते हैं। उन्होंने एक वेतन से दूसरे वेतन में जाने के लिये तरीका बनाया। कहीं 50) का इन्क्रीमेन्ट दे दिया, कहीं दस का कहीं आठ का और कहीं 100) का इन्क्रीमेन्ट।

इस सरकार से मैं पूछता हूं कि क्या साइन्टिफिक बेसिस था इसके पीछे कि जिसके आधार पर एक वेतन श्रृंखला में तो आठ रुपये का इन्क्रीमेन्ट रक्खा है किसी में तीस का और किसी में 25 का रक्खा है।

इस सदन ने रिपोर्ट देखी है। सदन को ताज्जुब होगा कि क्रम संख्या 17 तक वेतन-क्रम निर्धारित किया है। इन्क्रीमेन्ट का परसेन्टेज रखा है, व्यवस्था की है इसकी इस व्यवस्था को देखने से पता लगेगा कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई साइन्टिफिक बेसिस नहीं था। एक से 17 तक छः रुपया, सात रुपया, दस रुपया, पन्द्रह और बीस, पच्चीस का इन्क्रीमेन्ट। इसी प्रकार दूसरी श्रृंखलाओं में बीस, इक्कीस, बाईस, और तेइस का स्केल एक तरफ और दूसरी तरफ सौ रुपया तक का इन्क्रीमेन्ट। 19 से 28 तक 125) से 350) का न्क्रीमेन्ट।

मैं पूछना चाहता हूं क्या सरकार पर ओब्लीगेशन है ऐसा कि इस वेतन क्रम में यह राशि बढाई जाय और उसमें इतनी बढ़ाई जाय क्या इसके लिये कमिटेड है किसी प्रकार का कमिटमेन्ट है। इस वेतन आयोग की रिपोर्ट पढ़ने के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि वेतन आयोग ने कोई ऐसा तं किया हो कि इस नार्म्स में सरकारी कर्मचारी काम करता है फिक्स पाता है तो उसे इस प्रकार का इमोल्यूमेन्ट दिया जायगा। यह प्रोमोशन पालिसी को डिसकस करते समय विस्तार से कहूंगा। पर यहां किसी तरह का मापदण्ड नहीं रक्खा। जिस प्रकार के रिप्रेजन्टेशन और मेमोरेण्डम छोटे लोगों ने दिये उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। पर सरकारी अधिकारियों ने सरकार के प्रतिनिधियों ने जो कहा उसके आधार पर यह सारा प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वयं राणावत ने स्वीकार किया कि इसमें जो अनोमोली है, गलतियां हैं इसका कारण उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया है कि कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने करेक्ट इन्फोर्मेशन और आंकड़े नहीं दिये हैं। कई जगह तो इनकरेक्ट इन्फोर्मेशन पर वर्क आउट करके निर्णय पर पहुंचे हैं। आज ऐसे कमीशन के सामने इस प्रकार की इनकरेक्ट फिगर्स चली जावें जिन पर बेस करके कमीशन अपना प्रतिवेदन दे यह बहुत ही लज्जा की बात है। सरकार के लिये लज्जा की बात है। रिपोर्ट देना भी शर्म की चीज है कि इनकरेक्ट इन्फोर्मेशन और फिगर्स के बेसिस पर सरकारी कर्मचारियों के समक्ष प्रतिवेदन रखा है। यह इनकरेक्ट फिगर्स क्यों दी, किसने दी, किस विभाग ने दी, और इसके लिये जिम्मेदारी किस पर है। क्यों नहीं करेक्ट फिगर्स दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य की फाइनेन्सियल स्थिति को उसके स्ट्रक्चर को सामने रखकर अनेलिसिस किया है कि कैसे वित्तीय संकट से राज्य सरकार गुजर रही है। इसका एक चेप्टर बनाया है। इसमें स्वयं कमीशन ने स्वीकार किया है कि इस ट्रान्जीशनल फेज में जैसी राज्य सरकार की इकोनोमिक कन्डीशन है उस आधार पर सरकारी कर्मचारियों की वाजिब मांगों पर किसी प्रकार

(श्री भैरोंसिंह)

का कुठाराघात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिये। पर स्वयं सरकार यह सोचकर चले कि वह बिगेस्ट एम्प्लोयर है तो क्या उसने बिगेस्ट के साथ साथ एग्जम्पलरी एम्पलोयर होने की स्थिति क्रीएट की है। एग्जम्पलरी एम्पलोयर नहीं है तो मार्केट का प्रश्न कमीशन के सामने खड़ा हुआ है। विधान सभा में भी वही प्रश्न खड़ा हुआ है।

अपने प्रतिवेदन में राज्य सरकार ने कह तो यह दिया कि 2500) ज्यादा से ज्यादा एक अधिकारी की तनख्वाह होगी और कम से कम 125) होगी। कमीशन का प्रतिवेदन इस बात पर आना चाहिए आज गैप जो समाज में है वह किस प्रकार से फिल् अप् कर दिया जावेगा। यह नहीं हो सकता कि इतना गैप बना रहेगा, पहले जो गैप था उसमें कोई विशेष कमी नहीं आई। तो आज जिस प्रकार की मान्यता लेकर चलते हैं उस पर कमीशन ने सरकार को क्या सुझाव दिया है कि कितने समय में यह गैप पूरा कर दिया जावेगा या क्या इसको एक नेशनल गैप मानकर चलें। या ऐसा मानकर चलें कि यह राजस्थान सरकार यह गैप पूरा नहीं कर सकती। 125) से ज्यादा वेतनक्रम लोएस्ट का नहीं हो सकता और 2,500) वाले का कम नहीं किया जावेगा। इस प्रकार की स्थिति स्वीकार करने में नहीं आवेगी। इस प्रकार गैप को कम करने का सुझाव आना चाहिये था हर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी का समान वेतन हो जावे उस वेतन तक पहुंचाने के लिये सिफारिशें किसी प्रकार की इस प्रतिवेदन में नहीं की गईं और सरकार ने भी स्वीकार नहीं किया।

इतना ही नहीं, इसके पहले राजस्थान की सारी भूमिका का अवलोकन करें। राजस्थान के कर्मचारियों की हालत किन परिस्थितियों और किन कठिनाइयों में से गुजरी है। 30 जून, 49 में राजस्थान बना। 7 मई को सब स्टेटों का एडमिनिस्ट्रेशन लिया गया। इसके साथ सर्विसेज की इन्टीग्रेशन का क्वेश्चन पैदा हुआ। इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया कमेटी अपोइन्ट करके। उसके लिये एक फार्मूला प्रेस्क्राइब किया गया। उस पर यूनीफाइड पे स्केल रूल्स, 1950 बनाये गये। इसके आधार पर सर्विसेज का थोड़ा बहुत इन्टीग्रेशन हुआ और वेतन क्रम उन रूल्स के आधार पर निर्धारित किये गये। इसके बाद इन्हीं पे रूल्स के आधार पर चक्कर आया। आज भी हम आप सब जानते हैं कई सरकारी अधिकारियों को मैं भी जानता हूं कि उस समय उनमें से जो उदयपुर स्टेट में नायब तहसीलदार थे, आज राजस्थान की हाइएस्ट आई० ए० एस० की सीनियर स्केल में बैठे हैं। लोगों ने रिप्रेजेन्टेशन किये, तो वेतनक्रम को फिर सुधारने के लिये दूसरी कमेटी बनाई जावे नये रूल्स बनाये जावें। इस पर 56 में राशनेलाइज्ड पे स्केल बनाये गये और इस वेतनक्रम को निर्धारित करने की कोशिश की। 3 फार्मूला तै किये गये। इन्क्रीमेन्ट के अर्निंग को बढ़ाया जावे, दूसरा यह जो पे स्केल में वेरियेशन्स हैं उनको कम किया जावे, तीसरा यह तै किया कि यू० पी०, मध्य प्रदेश जो हमारे पड़ोसी स्टेट हैं उनके अनुसार हमारा वेतनक्रम निर्धारित किया जावे। माननीय वित्त मंत्री जी, यह 56 में राजस्थान की सरकार मानकर चली थी।

जिस समय राशनेलाइज्ड पे स्केल का सवाल पैदा हुआ इसके बाद जब हाई पे स्केल में अनोमलीज क्रीएट हो गई तो क कमेटी अपोइन्ट की गई रावत कमेटी के नाम से

(श्री भैरोंसिंह)

कि वह एनोमलीज को भी दूर करे और यह भी सिफारिश करे कि पे स्केलों की जो संख्या है वे भी कम की जावें। साथ ही जो स्पेशल अलाउन्स और पे मिलती हैं उनको भी एबोलिश किया जावे और डीयरनस अलाउन्स को वेतन में मर्ज किया जावे। रावत कमेटी का प्रतिवेदन आया। उस पर यह समझकर चलते थे कि डीयरनैस अलाउन्स पे में मर्ज कर दिया जावेगा और स्पेशल पे और अलाउन्स समाप्त कर दिये जावेंगे और वेतनक्रम की लम्बी चौड़ी संख्या को घटा दिया जावेगा। पे स्केल 43 से 36 कर दी गई। फिर डी० ए० मर्ज करने का प्रश्न था। 17 नम्बर के कर्मचारी थे। उनका तो महंगाई भत्ता पे में शामिल नहीं किया गया। बल्कि ऊपर के सरकारी अधिकारियों का डी० ए० कुछ सीमा तक पे में मर्ज कर दिया गया। रावत कमेटी ने सिफारिश कर दी कि जो आर्डियस ड्यूटी देते हैं उनको स्पेशल पे दी जाती रहे। इस आधार पर इस बीच उपाध्यक्ष महोदय भारत सरकार ने दूसरा पे कमीशन नियुक्त किया था। उसने डी०ए० को पे में मर्ज किया पर राजस्थान सरकार ने इस डी० ए० को लो पेड् एम्पलोयीज के वेतन में मर्ज करने के लिये न्याय नहीं किया। ऊंचे वेतन भोगियों के लिये डी० ए० कैसे मर्ज किया जावे इसका फार्मूला प्रैस्क्राइब किया और अधिकांश का मिला दिया। इसके खिलाफ काफी रिप्रेजेन्टेशन्स आये। रावत कमेटी में भी जो खामियां रह गई थीं उनके बारे में भी रिप्रजेन्टेशन आये। राजस्थान की सरकार ने चीफ सेक्रेटरी और फाइनेन्स कमिश्नर की एक कमेटी अपोइन्ट की। इसी बीच हरिशचन्द्र जी माथुर की अध्यक्षता में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी की नियुक्ति की। दोनों ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। इसके आधार पर मैं समझता हूं कि उसने और आज राणावत कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की है उनका तुलनात्मक ज्ञान प्राप्त करें तो ऐसा लगता है कि राजस्थान के कर्मचारियों ने, राजस्थान सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी वेतन के संबंध में प्रतिवेदन दिये हैं उनको ताक में रखकर राणावत कमीशन ने अपना प्रतिवेदन दिया है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में वह कमीशन इस नतीजे पर कैसे पहुंचा। उसने लिखा है कि हम इस बात की खुशी है। राजस्थान के मुख्य सचिव के० पी० यू० मेनन और राजस्थान के आई० जी० श्री हनुमान प्रसाद शर्मा इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस कमीशन के प्रतिवेदन को देखें तो आपको जानकारी मिलेगी कि कमीशन ने जो ज्यादा वेट दिया है वह ऊंचे सरकारी प्रतिनिधियों को दिया है और मेमोरेण्डम पेश किया गया है विभिन्न कर्मचारियों के ऐसोसियेशन के द्वारा उनको किसी प्रकार से यह कहा हो कि या वेट दिया हो यह बात नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सारी स्थिति को राणावत कमीशन को देखा जाय तो लगता है कमीशन के अन्दर जो प्रतिवेदन आया है और जो निर्णय गवर्नमेंट ने लिए हैं उनका कोई आधार नहीं है— कोई आधार नहीं है, यदि आधार होता तो इकोनोमिक कन्डीशन में और खास तौर से उस सरकार के लिये जो समाजवाद की कल्पना लेकर चलती है, उस सरकार का यह कर्तव्य है, लोअर कर्मचारियों के प्रति अपना दृष्टिकोण रखे। हिन्दुस्तान में बजाय समाजवाद को ऊंचा उठाने के पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है। जहां समाजवाद चलेगा वहां समाजवाद चलेगा लेकिन राजस्थान, हिन्दुस्तान के कर्मचारीवर्ग में दोनों

(श्री भैरोंसिंह)

चीज एक साथ देखने को मिलेगी पूंजीवाद समाजवाद के ऊपर पनप रहा है । और सरकार उसको पनपाये जा रही है। सरकार न कभी इस वात की चिन्ता नहीं की होगी। उपाध्यक्ष महोदय आज सरकार कहती है कि राजस्थान में लगातार समाजवाद प्रगति कर रहा है ? मैं पूछना चाहता हूं जिस प्रकार अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं उन कमचारियों के संबंध में कमीशन ने क्या किया है, क्या यही आपका समाजवाद है ? मुझे ऐसा लगता है इस प्रतिवेदन को देखने के वाद कि राणावत वेतन आयोग ने इस वात को निकाल दिया कि राजस्थान में अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं और इन कर्मचारियों के लिए व्यवस्था करनी है और उस व्यवस्था को करने के लिए हमें कुछ कुर्बानी करनी है और उनके लिए राज्यकोष से पैसा निकालना है—यह सब बातें आयोग भूल गया । हमारे राजस्थान सरकार के पियोन्स, जमादार, टीचर्स कुल मिलाकर एक लाख 66 हजार 589 ऐसे कर्मचारी होते हैं जो इस वर्ग को देखें तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इनके लिये आयोग ने कुछ नहीं किया है। आयोग ने केवल 40 हजार 326 कर्मचारियों के लिये किया है। आयोग इन्हीं के लिये बनाया गया है। राजस्थान के एक लाख 66 हजार 589 के लिय नहीं बनाया गया है। चपरासियों के लिये नहीं बना, जमादारों के लिये नहीं बना, टीचर्स के लिये नहीं बना, पटवरियों के लिये नहीं वना, अमीन व ड्राइवरों के लिये नहीं बना, कम्पाउन्डर्स व नर्सों के लिये नहीं वना, वेक्सीनेटर फेमिली प्लानिंग के हैल्थ सेन्टर के लिये नहीं वना, स्टाकमेन और कम्पाउन्डरों के लिये बना यह वेतन आयोग केवल 40 हजार 326 कर्मचारियों के लिय वना है। आप इस प्रतिवेदन को अच्छी तरह से देखें तो स्पष्ट होगा कि इन लोगों को किसी प्रकार का फायदा नहीं मिला है। राजस्थान के बहुमत कर्मचारियों को नहीं मिला है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि राज्य सरकार ने इस राणावत कमीशन कि किस सिफारिश को माना है और किस सिफारिश को नहीं माना है यह तो आगे का सवाल है लेकिन एक सिफारिश राजस्थान की सरकार ने स्वीकार की है। राणावत कमीशन ने कहा है कि आज कर्मचारियों पर खर्चा बहुत है, इस खर्चे को कम करना चाहिये । अब वह खर्चा कैसे कम किया जाय । सरकार के वड़े वड़े अधिकारी हैं वह कम नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि उनका प्रभाव है। वे इस प्रकार कि रिपोर्ट सरकार को देते हैं । उनके कम करने का साहस नहीं हो सकता । चपरासियों को कम किया जाय । 8 आदमियों के ऊपर एक चपरासी माना जाय उसके ऊपर कम कर दिया जाय । 20-8-68 को राज्य सरकार ने आदेश निकाला है—इस सदन को जानकारी होगी, बाकी के इम्पलीमेन्टेशन तो दूर रहे राणावत कमीशन ने 1 जुलाई, 1968 से इसको लागू किया है । सरकार ने उसकी सिफारिश न मानकर उसको 1 सितम्बर से कर दिया । चपरासियों के लिये जो आदेश निकाला है, वह सदन में पढ़कर मैं सुनाना चाहता हूं लिखा है—उपाध्यक्ष महोदय विभिन्न राजकीय विभागों, कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या का मापदण्ड कैसा हो इसके लिये इन्टेग्रेशन डिपार्टमेन्ट का आदेश क्रमांक एफ० 1 (2) इन्टेग।ए।52 दिनांक 22 मार्च 1952 का निर्धारित किया है। यह उपाध्यक्ष महोदय, 1952 में किया गया। मितव्ययता के फलस्वरूप इन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 20

(श्री भैरोंसिंह)

को प्रतिशत कटौती की गई है। इसके अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का मापदण्ड निम्न प्रकार होगा--

(1) कार्यालय जिसमें प्रत्येक 8 व्यक्ति पर या उसके भाग पर 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।

(2) कार्यालय जहां पर 18 व्यक्ति या लिपिक से अधिक सीमा हो तो प्रत्येक 10 व्यक्ति पर 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होगा।

अत: राज्यपाल एतद्द्वारा आदेश प्रदान करते हैं कि विभिन्न राजकीय विभागों, कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या उपरोक्त मापदण्ड के अनुसार मानी जायगी और इससे अधिक समाप्त समझी जायगी। इतना ही नहीं आगे फिर कठोरता बता रहे हैं कि इस निर्णय को भली प्रकार क्रियान्वित करने की दृष्टि से राज्यपाल महोदय, प्रसन्न होकर यह आदेश प्रदान करते हैं "यह शब्द मेरा है" कि समस्त विभागाध्यक्षों व ड्राइंग एन्ड डिसपर्स अधिकारी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बिलों के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र देंगे कि उन्होंने उपरोक्त मापदण्ड से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अधिक नहीं हैं और कोषाध्यक्ष इस प्रमाण-पत्र के अभाव में कोई बिल सितम्बर, 1968 से पास नहीं करेंगे इससे ज्यादा मैं समझता हूं कोई शर्म की चीज नहीं हो सकती है। राज्य सरकार कर्मचारियों को किस प्रकार कम करके चल रही है, किस प्रकार के आदेश निकाल रही है-यह नमूना प्रस्तुत किया है कि हम सरकारी कर्मचारियों के संबंध में कोई ऐसा निर्णय लेकर नहीं चल रहे हैं जिस निर्णय के आधार पर सरकारी कर्मचारियों पर अन्याय होगा। चपरासियों के लिये झगड़ा कर दिया। 1952 में मापदण्ड तय किया गया 52 से लेकर आज तक सरकार सोती रही। 52 से राज्य सरकार के अधिकारियों न बराबर उनकी नियुक्ति की है। जिन लोगों ने 52 से लेकर अब तक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की निर्धारित संख्या से अधिक भरती की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाय तो सरकार की दलील समझ में आ सकती है। 52 से 68 तक आंख नहीं खोली और सरकार की अवहेलना करते रहे लेकिन सरकार ने चिन्ता नहीं की। वेतन आयोग की सिफारिश को देखें जो राणावत कमीशन ने निर्धारित किया है उससे आपको कम से कम यह जानकारी मिलेगी कि अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के इन्क्रीमेन्ट को कम करने की कोशिश की गई है जब कि दूसरे वेतन क्रमों के इन्क्रीमेन्ट की मात्रा को बढ़ाया गया है। राणावत आयोग ऐसा लगता है कि हमारे छोटे कर्मचारियों से उसको चिढ़ थी। उनके सामने यह कल्पना नहीं थी कि राजस्थान में कम वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं उनको राहत मिलनी चाहिये। मैं सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं बोरिंग चालक 170 से 400 की ग्रेड में थे अब उनको 130 से 300 में कर दिया, मिस्त्रियों का कम कर दिया। एल०डी०सीज० का 94-110 से 200 तक राणावत आयोग ने किया इसके लिये खुश किस्मती है कि सरकार ने 230 कर दिया। इसी प्रकार डिजाईनर्स, इन्सपेक्टर्स-वेट एन्ड मेजर्स के, डिप्टी जेलर्स, इलेक्ट्रिसियन, असिसटेन्ट इलेक्ट्रिसियन, मेकेनिक्स, फिटर, मोल्डर सब प्रकार के छोटे कर्मचारियों को राणावत आयोग ने घटाया है। इनके कुछ के वेतन में राज्य सरकार ने सुधार किया है लेकिन राणावत आयोग

(श्री भैरोंसिंह)

ने अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार के कर्मचारियों के वेतन को घटाने में और सारी स्थिति को नजर अन्दाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस रिपोर्ट का सारा वेतन क्रम का चेप्टर पढ़ेंगे एक तरफ जहां बड़े बड़े अधिकारियों का वेतन बढ़ा है वहां दूसरी तरफ अल्प वेतन कर्मचारियों का वेतन क्रम घटता गया है।

(4.20 म० प०)

(श्री केदारनाथ, सभापति, पदासीन)

अगर आप जिनका वेतन क्रम बढ़ा है उनकी संख्या को देखें तो उनमें डाइरेक्टर आफ आर्केलाजी, सुपरिन्टेन्डेन्ट का देखें, डाइरेक्टर आफ पब्लिक रिलेशन्स का देखें, सीनियर फोटोग्राफर का देखें, पुलिस डिपार्टमेन्ट के स्टेट रेडियो आफिसर का देखें, डाइरेक्टर आफ टूरिज्म का देखें, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर का देखें। इन सारे अधिकारियों को यदि आप तनख्वाह देने की दृष्टि से देखें तो एक तरफ अल्प वेतन भोगियों के साथ अन्याय किया गया है और दूसरी तरफ सीनियर स्केल वालों का वेतन निरन्तर बढ़ाने की कोशिश की गई है। सभापति महोदय, इसमें कई वैरीयेशन्श हैं। आज एल० डी० सी० और यू० डी० सी० और आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट का सवाल आता है आखिर हम व्यवस्था किस प्रकार की कर रहे हैं? क्या हम यह व्यवस्था करके नहीं चल सकते कि एल० डी० सी० कहीं भी हो उसका एक ही वेतन हो? हां, हम किन्हीं कारणों से कहीं पर स्पेशल पे दे सकते हैं लेकिन उनका ग्रेड अलग अलग नहीं किया जा सकता है। राजस्थान में बाकी के विभागों में जो अकाउन्टेन्ट काम करते थे उनकी तनख्वाह को कम किया गया और वही हाईकोर्ट में जो अकाउन्टेन्ट काम करता था जो राणावत साहब के व्यक्तिगत व्यक्ति होंगे उसकी ग्रेड को तो बढ़ाया गया है और बाकी के अकाउन्टेन्ट्स को कम किया गया है। यह किस बात का संकेत मिलता है? आज कई वर्ग ने और एसोसियेशन्स ने जो मेमोरेन्डम दिये उनमें जिस प्रकार की तनख्वाह की मांग नहीं की गई उससे अधिक मांग मन्जूर करके इस अकाउन्टेन्ट को वेतन मिला है। इससे मुझे ऐसा लगता है, सभापति महोदय, कि वेतन क्रम निर्धारित करने में राणावत साहब ने अपनी बुद्धि से काम नहीं किया बल्कि उनके जो सेक्रेटरी थे, अकाउन्टेन्ट थे जो ग्रेड्स डिपार्टमेन्ट की तरफ से पेश की गयीं उसके आधार पर निर्णय लेकर एक प्रतिवेदन के रूप में सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या जो कि कुल संख्या की अनुपात में कहीं अधिक है—आज होना तो यह चाहिए था कि उनका वेतन बढ़ाकर उनकी स्थिति में सुधार लायें लेकिन सुधार नहीं हुआ और, सभापति महोदय यही नहीं कुछ सिफारिशें और की हैं स्पेशल पे के बारे में इसको स्वयं कमीशन ने स्वीकार किया, इसी प्रकार डेपुटेशन अलाउन्स के बारे में कमीशन ने विचार किया। मैं कई बार कह चुका हूं, इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने कई बार इसको रखा है कि स्पेशल पे का एल्योरमेन्ट, डेपुटेशन अलाउन्स का एल्योरमेन्ट, प्राजेक्ट अलाउन्स का एल्योरमेन्ट ये सब जितने भी एल्योरमेन्ट्स हैं उनमें क्वालीफिकेशन्स की जगह पर व्यक्ति की पसन्दगी का ज्यादा सवाल आता है। सरकारी अधिकारी किस

(श्री भैरोंसिंह)

को स्पेशल पे देना चाहते हैं मंत्री महोदय किसको प्रोजेक्ट अलाउन्स और डेपुटेशन अलाउन्स देना चाहते हैं, राणावत आयोग ने स्वयं ने स्वीकार किया है और माननीय वित्त मंत्री जी आपने भी पढ़ा होगा स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन के अधिकारी और दूसरे विभाग के अधिकारियों के संबंध में स्वयं राणावत कमीशन ने लिखा है कि इनको डेपुटेशन अलाउन्स दिया जाय—मुझे इसका कोई जस्टीफिकेशन मालुम नहीं होता। यह मापदण्ड है सभापति महोदय कि सरकार स्पेशल पे के नाम पर सरकारी कर्मचारियों को उनके सामने घुटने टेकने की स्थिति में लाना है, उनकी इन्डीपेन्डेन्स को खतम करना है। आज किस बात की स्पेशल पे दी जाये? कितने लोगों को स्पेशल पे दी जाये? जो स्पेशल पे लेते हैं वह राजस्थान में 44,888 कर्मचारी हैं जिसमें 78,20,980 रुपये की स्पेशल पे दी जाती है। इनमें से स्टेट सर्विस में कुल 1,811 व्यक्ति हैं, सबआर्डीनेट सर्विस के 25,584 व्यक्ति हैं, मिनिस्ट्रियल 17,377 हैं। लेकिन आप अमाउन्ट देखें तो स्टेट सर्विस में जो 1,811 व्यक्ति हैं उनका 19,65,940 रुपया स्पेशल पे का होता है जब कि सबआर्डीनेट सर्विस वालों का 33,584 कर्मचारी है और इन पर कुल 34 लाख रुपयों का स्पेशल पे का पैसा मिलता है। सभापति महोदय, स्पेशल पे को देने का आपने प्रिन्सिपल तय किया है कि किन लोगों को स्पेशल पे दी जाये। मैं नहीं समझ पाया यह, सभापति महोदय, कि राजस्थान का अधिकारी सचिवालय में जाकर 11 से 5 बजे तक बैठता है और फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट का काम करता है, एक्साइज का भी काम करता है, सेल्स टैक्स का भी काम करता है और 11 से 5 के अलावा 5 से 11 बजे तक वह नहीं बैठता। उनको आर्डूयअस इसलिए माना है कि 11 से 5 बजे तक बैठने के बाद वह घर पर काम करते हैं। जो दफ्तर में गप्पे मारते हैं वह घर पर फाइलें ले जाते हैं और वहां पर कागजों को डिस्पोज आफ करने की बात करते हैं। यह स्पेशल पे किस बात की? यदि आर्डूयूअस ड्यूटीज हैं या वह ऐसी बस्ती में रहते हैं कि जिसके कारण से बीमारी आने की स्थिति है उन स्थानों के ऊपर किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाय तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि वह स्पेशल पे पाने का अधिकारी है। लेकिन यहां तो कैडर तय कर दिया गया है कि कोई सेक्रेटरियट में जायगा तो उसको स्पेशल पे दी जायगी। जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं स्पेशल पे उनके वेतन में शामिल करो ताकि स्पेशल पे का जो एल्योरमेन्ट है यह पालीटीकल बेसिस पर या सबमीशन के बसिस पर लागू नहीं किया जाय। उनके वेतन में मिलाकर उनको दिया जाय और बाकी के जो बड़े आफिसर्स हैं अगर उनकी आर्डूयूअस ड्यूटीज हैं तो उनको स्पेशल पे दी जानी चाहिए वर्ना स्पेशल पे देने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय, राज्य सरकार ने राणावत आयोग को 3 पक्ष दिये थे। एक तो सर्विसेज में इन्सेन्टिव क्रियेट करने के लिए क्या व्यवस्था की जाये। इन्सेन्टिव किस प्रकार से क्रियेट किया जाये उसका एक नमूना मैं आपको बताऊं। प्रमोशन की बात को लेकर इन्सेन्टिव एक तरीका है राज्य सरकार ने अपने फैसले में लिखा है कि वह इन्सेन्टिव किस प्रकार से क्रियेट किया जायेगा उसमें लिखा है :

"While accepting the scales of pay recommended by the

(श्री भैरोंसिंह)

Commision it was decided that a suitable number of existing posts in Jr. scale should be converted into posts in senior scales so, as to provide scope for promotion..."

सभापति महोदय, यह प्रश्न जूनियर्स, सीनियर्स और सलेक्शन ग्रेड्स तीनों के लिए किया गया है। यह प्रश्न तीन में आता है। अब तक जो 10 परसेंट का कोटा निर्धारित किया गया था जिसमें 1951 तक का वेज आ गया और अब जो सरकार ने 56 के वेज को करने की कोशिश की है। इस सदन को मैं बताना नहीं चाहता राज्य सरकार कुछ स्पेशल आफिसर्स को किस प्रकार से एकोमोडेट किया जाये उसके लिए प्रिन्सिपल बनाकर चलती है।

सभापति महोदय, राजस्थान में नहीं हिन्दुस्तान के संविधान के अनुसार राजस्थान की सर्विसेज को रेग्युलेट करने के लिए राज्य सरकार को कानून विधान में प्रस्तुत करने चाहिए थे। आज दिन तक राजस्थान म सर्विस रूल्स के एमेंडमेंटस की संख्या लगाई जाय तो इस सदन को ताज्जुब होगा कि कोई सर्विस राजस्थान की ऐसी नहीं है कि जिसमें व्यक्ति विशेष को एडजस्ट करने के लिए समय-समय पर संशोधन नहीं किये गये हों। किस प्रकार से स्पेशल पे दी जाय, किस प्रकार से प्रमोशन मिले? उन प्रमोशन्स के लिए समय समय पर रूल्स में परिवर्तन किये गये, और यही कारण है कि राजस्थान सरकार डरती है, इस राजस्थान विधान सभा में कान्स्टीट्यूशन के अनुसार सर्विसेज को रेग्यूलेट करने के लिए अधिनियम प्रस्तुत करने में वह डर रही है, उसका कारण केवल एक ही है कि जिन लोगों को इस प्रकार से एडजस्ट कर सकती है, उनको एडजस्ट नहीं कर पायेगी।

सभापति महोदय, प्रश्न यहीं तक नहीं है। स्पेशल पे के लिए और इस प्रकार से वेज को कवर करने की व्यवस्था राणावत कमीशन ने भी की और राणावत कमीशन के साथ सरकार ने अपनी मोहर लगा दी। इस मोहर से कुछ ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार जहां राणावत कमीशन के प्रतिवेदन में कुछ बातों का उल्लेख है, उस उल्लेख के बाद किन्हीं व्यक्तियों को एडजस्ट करना चाहती है तो उस एडजस्टमेंट के आधार पर अपने निर्णय लेकर चलें।

सभापति महोदय, पे स्केल्स में वेरियेशन कितने हैं वह मैं बाद में निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन इन्सेन्टिव कैसे मिले, प्रमोशन किस प्रकार से दिया जाय? पहले सीनियोरिटी के बेसिस पर प्रमोशन मिलता था, फिर सनियोरिटी-कम-मेरिट के बेसिस पर प्रमोशन मिला फिर मेरिट-कम-सीनियोरिटी के बेसिस पर प्रमोशन देने की व्यवस्था हुई है। इस प्रकार के ग्रेड बनाकर किस प्रकार से उसको निर्धारित किया जाय यह फार्मूला उसमें इन्वाल्व किया गया। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान की जनता के दुखों को देखकर, गवर्नमेंट के रेड टेपिज्म और गवर्नमेंट के प्रशासन को देखकर इस वेतन क्रम को निर्धारित करने में, इन्सेन्टिव देने में आपने इस बात की कोशिश की है कि प्रशासन देश का विकसित हो। सब इन्सपेक्टर का वेतन बढाने में, सब- इन्सपेक्टर को प्रमोशन देने में, गजेटेड आफिसर्स को प्रमोशन देने में कान्फीडेन्शल रिपोर्ट्स को मान कर चलते हैं। इस कमीशन ने भी इस बात को स्वीकार किया है, कि गवर्नमेंट के रूल्स बने हुए हैं कि कान्फीडेन्शल रिपोर्ट में उन एडवर्स एन्ट्रीज को उस अधिकारी को काम्युनिकेट करना

(श्री भैरोंसिंह)

चाहिए और काम्युनिकेट करने के बाद डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जब बैठे उस समय तक उसका डिसपोजल होना चाहिए, और यदि डिसपोजल नहीं होता है तो उस एडवर्स रिमार्क का डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी को विचार में नहीं लेना चाहिए, लेकिन यह कान्फीडेन्शल रिपोर्ट राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों में एक प्रकार से जलन पैदा करने का कारण हुई है। कोई सरकारी अधिकारी काम नहीं करता है, लेकिन राजनैतिक दृष्टि से प्रभाव रखता है उनकी कान्फीडन्शल रिपोर्ट में एडवर्स रिमार्क की एन्ट्री करने का साहस नहीं करते हैं, और साहस नहीं करते हैं इसलिये राजस्थान के कई अधिकारी एक से लेकर कई लोग बहुत जूनियर होने के बाद में भी सीनियर पोस्टों के ऊपर नियुक्त किये गये हैं। यह सब क्यों चलता है? मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार का यह सारा दकियानूसी तरीका है। आप प्रशासन म यदि सुधार लाना चाहते हैं तो देखिये इस बात को, एक सब-इन्सपेक्टर को प्रमोशन दें तो देखिये इस बात को कि इसके इलाके में कितनी चोरियां हुई हैं, कितनी डकैतियां हुई ह, किस पर्सेन्टेज में रिकवरी हुई है। यदि तहसील के काम में सुधार लाना चाहते हैं तो तहसीलदार को प्रमोशन के वक्त देखें कि उसके यहां कितना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, उसने कितने केसेज को डिसपोज ऑफ किये हैं। इसी प्रकार हर विभाग के सम्बंध में देखें एस० पी० का देखें तो केवल यह न देखें कि एस० पी० ने आकर सलाम ठोक लिया और टिपटाप अपने आपको रख लिया और जिले के कलेक्टर के लिए केवल यह न देखें कि कोई मंत्री गया तो उसके स्वागत सत्कार की ठीक व्यवस्था करता है। इससे इनको न्क्रीमट नहीं देना चाहिए। इन्क्रीमट का आधार यह होना चाहिए कि इस जिलाधीश के जिले में कितने इस प्रकार के केसेज क्रियेट हुए हैं जो कि केसेज क्रियेट नहीं होने चाहिए, कितने केसेज जो डिसपोज आफ करने चाहिये वे नहीं किये गये हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का रहा है, रेड टेपिज्म में कितनी कमी आई है। जनता की कम्प्लेन्ट किस आधार तक चलती है। उसी आधार पर एस० पी० को देखिये कि उसके जिले के अन्दर कितने केसेज हुए हैं, कितनी रिकवरी हुई है, कितने कितने डाकू पकड़े गये, कितनों को सजा हुई। इसके लिए आपको हर काम के लिए नार्म्स डिसाइड करने पड़ेंगे। वह नार्म्स आप डिसाइड कर दे तो आप यह मानकर चलिये कि विभाग में एफिशियन्सी बढ़ेगी और सरकारी कर्मचारियों में इन्क्रीमेंट की, प्रमोशन की फीलिंग क्रियेट होगी। ऐसी फीलिंग आप क्रियेट करना नहीं चाहते। कुछ फार्मूले लेकर एफिशियन्सी देखी जाय तो कैसे देखेंगे? एस० डी० एम० और कलेक्टर में झगड़ा है और अगर झगड़ा होगा तो वह चाहे कितना ही एफिशियन्ट हो—मुझे मालूम है कई ऐसे अधिकारी हैं जो जिले के अन्दर बड़े एफिशियन्ट रहे हैं लेकिन उनकी कान्फीडेन्शल रिपोर्ट में एडवर्स रिमार्क दे दिया तो एडवर्स रिमार्क मिलने से उनका केस प्रमोशन कमेटी में रेफर नहीं होता है तो जो जूनियर होते हैं उनका प्रमोशन हो जाता है। इससे उस आदमी को जलन होगी, और उस जलन के कारण जिस एफिशियन्सी से वह वर्क करता है उसकी वह एफिशियन्सी धीरे धीरे खत्म हो जाती है।

मैं इस बात का भी हामी नहीं हूं कि केवल सीनियोरिटी के बेसिस पर ही लोगों को प्रमोशन दिया जाय, और मैं इस बात का भी हामी नहीं हूं कि सीनियोरिटी को ताक में रखकर केवल मेरिट के ही फार्मूले को

(श्री भैरोंसिंह)

सामने रखकर उसको प्रमोशन दिया जाय। हमको सीनियोरिटी के वेसिस को लेकर चलना पड़ेगा और मेरिट को भी आधार करना पड़ेगा, लेकिन मेरिट को प्रेस्काइब करने के लिए नार्म्स डिसाइड करने पड़ेंगे। जब तक नार्म्स डिसाइड नहीं करते हैं, सभापति महोदय, मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि मेरिट इज दी ग्रेटेस्ट फाल्ट इन दी सर्विसेज आफ राजस्थान। आप चाहे निकाल कर देख लें। कभी भी इस प्रश्न पर विवाद करना चाहें तो जिन लोगों को मेरिट के वेसिस पर तरक्कियां दी हैं अधिकांश लोगों के वारे में उनकी कान्फीडेन्शल रिपोर्ट किस प्रकार से लिखी गई हैं, प्रमोशन किस प्रकार से दिया गया है। सीनियर और मेरिटोरियस सर्विस करने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार से सुपरसीड किया गया है, उनकी लिस्ट इस सदन में प्रस्तुत करने को तैयार हूं। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि मेरिट से देने का वेसिस मानते हैं तो नार्म्स डिसाइड करने चाहिए, और नार्म्स डिसाइड करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव एविलिटी यह नार्म्स का मेन फेक्टर होना चाहिए, जिस फेक्टर से लोगों में कम्पीटिशन की फीलिंग क्रियेट होती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार हो, लेकिन वह चीज चलेगी नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि वह इस चीज को भी अपने सामने रखकर चलें।

सभापति महोदय, वेतन आयोग ने जो 12 वर्ष की सेवा के ऊपर चले गये हैं उनको एक अग्रिम वेतन वृद्धि मिले, उसके लिए एक कन्डीशन इम्पोज की है। क्या कन्डीशन? वह यह है कि जो एक जुलाई से नई वेतन शृंखला को स्वीकार कर लेगा उनको जिस वेतन वृद्धि की जिस इन्क्रीमेंट की सिफारिश की है वह इन्क्रीमेंट मिलेगा। जिसने 1 जुलाई से स्वीकार नहीं की मैं इनसे और कमीशन से पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों ने 1 जुलाई या निर्धारित तारीख है उस तारीख से नयी वेतन शृंखला स्वीकार नहीं की तो उनके वारे में आप क्या करेंगे? उनके वारे में कमीशन साइलेन्ट है। उनके वारे में राज्य सरकार भी साइलेन्ट है। यह जो साइलेन्स है यह लोगों के अन्दर एक प्रकार का भ्रम क्रियट करके चलती है। राज्य सरकार को चाहिए था कि वेतन आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में जो चीजें हार्ट वर्निंग क्रियेट करती हैं उन चीजों को सबसे पहले रिमूव करती। वाकी की चीजों पर वाद में विचार किया जा सकता था, लेकिन राज्य सरकार ने इसकी चिन्ता नहीं की।

सभापति महोदय, वेतन आयोग ने कुछ ऐसे प्रश्नों को भी अपने हाथ में लिया है जिनमें वेतन आयोग को पूछा नहीं गया था। किस सरकार ने पूछा था कि वेतन आयोग चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिडक्शन के वारे में अपनी रिपोर्ट में सिफारिश करे? किस सरकार के टर्म्स आफ रेफरेंन्स में इस वात का उल्लेख है कि वेतन आयोग इस वात की सिफारिश करे कि 500 रु० से अधिक पाने वाले सरकारी अधिकारियों को प्रथम श्रेणी का यात्रा भत्ता दिया जाय? यह किसने पूछा था इस कमीशन को? किसी ने नहीं पूछा। इस कमीशन को यह भी नहीं पूछा, आखिर कमीशन की आदत होती है, कि 75 रु० सरकारी अधिकारियों को दिये जायं और रिडक्शन किया जाय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का। इस तरह के मखौल की वात हिन्दस्तान के किसी कमीशन में नहीं हो सकती। सभापति महोदय, जब हम कहते थे कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से सरकारी अफसर घरेलू काम लेते हैं सरकार इन्कार

(श्री भैरोंसिंह)

करती है, लेकिन आपकी इस इनकारी के ऊपर वेतन आयोग ने मोहर नहीं लगाई। वेतन आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो झगड़ा चलता है घरेलू काम लेने का इस झगड़े को समाप्त करने के लिए 75 रु० का एलाउन्स सरकारी अधिकारी को दे दिया जाय। क्या आप इस बात की गारन्टी दे सकते हैं कि 75 रु० का एलाउन्स लेने के बाद भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से उनके सरकारी अफसर घरेलू काम नहीं लेंगे? आपको इस भावना की कोई वेल्यू नहीं है। आज तक कोई कानून ऐसा सरकार का नहीं बना हुआ है जिसके द्वारा सरकारी अधिकारी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से अपने घर का काम लें। आपके आदेशों की अवहेलना करते हुए भी सरकारी कर्मचारी आज तक इस प्रकार का उपयोग करते रहे हैं।

सभापति महोदय, वेतन आयोग ने एक सिफारिश यह की है कि 15 दिन की जो केज्युअल लीव है इसको घटाकर 12 दिन की कर दी जाय। किसने पूछा था? किसने निमन्त्रण दिया था इस राय के दन के लिए? तो सरकार के टर्म्स आफ रेफरेन्स में इस बात का उल्लेख नहीं है। कहते हैं कि यह एफिशियन्सी बढ़ाने के लिए, वर्किंग आवर्स बढ़ाने के लिए यह जो केज्युअल लीव भारत सरकार के कर्मचारियों को 12 दिन की मिलती है इसलिये राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी 12 दिन की रख दी जाय। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन मिले इस बात को उसने स्वीकार नहीं किया, भत्ता मिले इस बात को उसने स्वीकार नहीं किया, लेकिन 12 दिन की केज्युअल लीव मिलती है इसलिये राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की भी 15 दिन से घटाकर 12 दिन की केज्युअल लीव कर दी जाय, मैं समझता हूं कि न तो वेतन आयोग यह कह सकता था और मैं सरकार को भी कहना चाहूंगा कि वेतन आयोग ने जो इस प्रकार के सुझाव बहुत से टर्म्स आफ रेफरेन्स के अगेन्स्ट में दिये हैं उनको मानने के लिए वह बाध्य नहीं होती है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, यहां पर कई प्रकार की चीजें चल रही हैं कि राजस्थान में हम लाना चाहते हैं इन्टेग्रिटी, राजस्थान में हम लाना चाहते हैं एफिशियेन्सी, इन्सेन्टिव क्रियेट करना चाहते हैं। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में जो असन्तोष है उसको कम करना चाहते हैं, और राज्य सरकार सोशियेलिस्ट पैटर्न पर मूव करना चाहती है मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में आई० ए० एस०, आर० ए० एस०, सबोंडिनेट सर्विस, फोर्थ क्लास सर्विस, इन्फीरिअर सर्विस–यह जो सारे केडर सरकार ने तैयार कर रखे हैं, मैं समझता हूं कि यह किसी भी डवलप्ड कन्ट्री के वातावरण के लिए उचित नहीं है। लेकिन यह केडर राजस्थान सर्विसेज में हैं, आई० ए० एस० सर्विस को आपने आल इंडिया लेवल की सर्विस बना रखा है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में आर० ए० एस० से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक केवल एक केडर होना चाहिए, उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। यह इन्फीरिअर ग्रेड के कर्मचारी, यह फोर्थ क्लास सर्विस, यह फर्स्ट क्लास सर्विस–तो यह फोर्थ-क्लास और फर्स्ट क्लास की कल्पना कहां से आई? यह ब्रिटिश सरकार की गुलामी की प्रवृत्ति को हम आज देखते हैं कि यह तो फर्स्ट क्लास सर्वेन्ट्स हैं और जो आफिस में

(श्री भैरोंसिंह)

झाड़ू लगाता है और आफिस खोलता है, और जब मंत्री जी आते हैं तो उनको सलाम करता है वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। इस सरकार को बने हुए आज बीस साल होने को आ गये हैं, यह सरकार जो यह कहती है कि हम समानता के आधार पर आचरण करना चाहते हैं, हम अपने कर्मचारियों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहते हैं वह सरकार कहती है कि यह फर्स्ट क्लास आफिसर है, यह फोर्थ क्लास आफिसर है, यह इन्फीरिअर ग्रेड का आफिसर है, यह लो पेड एम्प्लाई है। मैं कहना चाहूंगा कि ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी को आप अपने दिमाग से निकालें और यह जो ग्रेड हैं, कैडर हैं इनको आप एक करें। हिन्दुस्तान में न फर्स्ट क्लास सर्वेन्ट हैं और न फोर्थ क्लास सर्वेन्ट हैं, हिन्दुस्तान में सब पब्लिक सर्वेन्ट हैं। यह व्यवस्था करके चलें। लेकिन राजस्थान की सरकार शायद इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती।

राजस्थान में जुडिशियल सर्विस है इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर और सर्विसेज के मुकाबले में यह एक सर्विस है जिस सर्विस के द्वारा किसी को न्याय मिल सकेगा-इस प्रकार की आशा की जा सकती है । हालांकि यह दुर्भाग्य है कि पिछले वर्षों से इस आशा में कमी आने लगी है। जुडिशियरी का जो स्टेन्डर्ड 1952 में था, वह स्टेन्डर्ड 1957 में नहीं रहा, जो स्टेन्डर्ड 1957 में था वह स्टेन्डर्ड 1962 म नहीं रहा और जो स्टेन्डड 1962 में था वह स्टेन्डर्ड 1967 में नहीं रहा। सभापति महोदय, स्टेन्डर्ड धीरे धीरे गिरता जा रहा है लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजस्थान में आर० जे० एस० है, आर० पी० एस० है, आर० ए० एस० है। राजस्थान के सिविल जजेज हैं उन सिविल जजेज की ड्यूटी है वह कोई आर० ए० एस० से कम नहीं है, आर० पी० एस० से कम नहीं नहीं है। दोनों से ज्यादा उनकी जिम्मेदारी है और मोटे से मोटे मामले वह तय करते हैं। वेल्यूएशन के मामले में कम नहीं, बाकी क्रिमिनल केस में सजा दी जाय-उसमें कम नहीं। पावर्स में किसी प्रकार की कमी नहीं, ड्यूटीज में किसी प्रकार की कमी नहीं। जिनकी ओनारस ड्यूटी है, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वह इन्टीग्रिटी के साथ अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करें। तो जो इन्टीग्रिटी के साथ अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने वाले हैं उनको आर० ए० एस०, और आर० पी० एस० के नीचे लाकर छोड़ दिया है। (श्री मथुरादास माथुर से) बिल्कुल सही है। बिल्कुल यही इसमें लिखा है ....

श्री मथुरादास माथुर : खैर, आप कह दें।

श्री खेतसिंह : गलत है।

श्री भैरोंसिंह : गलत है या सही है, आपने तो रिपोर्ट देखी ही नहीं है। माथुर साहब कहें तो समझ में आ सकता है। राणावत कमीशन की रिपोर्ट का पहला पेज आपने देखा है, दूसरे पेज में किसकी फोटो है- इसका ही आपको पता नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आपकी बात सही है, मैं मानता हूं।

श्री भैरोंसिंह : इसलिय मैं कहता हूं कि कम से कम (विराम) मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिये बता दूं, आर० ए० एस० और आर० पी० एस० के लिए जूनियर स्केल है 375 से 800 और सीनियर स्केल 700 से 1200, जब कि आर० जे० एस० के लिए

(श्री भैरोंसिंह)

जूनियर स्केल है 375 से 850 और सीनियर स्केल है उसमें टू-थर्ड के लिए है 500 से 1000 जो उन्हें देने की व्यवस्था है और वन-थर्ड को 700 से 1200 की ग्रेड देने की व्यवस्था की है। आप अन्दाज लगाइये कि सीनियर स्केल जो 700 से 1200 का रखा है यह केवल वन-थर्ड को ग्रेड दी है और टू-थर्ड की नहीं दी है.....

श्री मथुरादास माथुर : यह कहें।

श्री भैरोंसिंह : मैं कहना चाहता हूं कि सिविल कैटेगरी में जो आर० पी० एस० बैठे हैं, तो आर० पी० एस० भले हैं या कैसे हैं, यह आप जानते हैं, और आर० पी० एस० बैठे हैं वह भले हैं या कैसे हैं उनको अधिकांश को आप जानते हैं। लेकिन मैं आर० जे० एस० के मुताल्लिक कहना चाहता हूं कि इस सर्विस को वाकई एल्योरमेंट से बचाना है, यह सर्विस करप्ट नहीं हो—आप इसकी व्यवस्था करें। यह न्यायपूर्वक जजमेंट दें—इसकी कल्पना करके चलते हैं तो इसके अनुसार आप आचरण करें। यह सिविल जजेज की तनख्वाह कम करते हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सिविल जजेज के सामने आपको कोई टेम्पटेशन या एल्योरमेंट नहीं रखना चाहिए। उनकी इन्टेग्रिटी को बनाये रखना है तो जितनी तनख्वाह की आवश्यकता है उतनी तनख्वाह की आप पूर्ति करें। इतना ही नहीं माननीय मंत्रीजी ने इस सदन को आश्वासन दिया था, जिस समय जुडिसियल आफिसर की सर्विस और पे स्केल्स के बारे में इस सदन में डिबेट हो रही थी, वित्त मंत्री जी आज आप शायद भूल गये होंगे, उस समय आपने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि राणावत कमीशन की जो सिफारिश होगी उसको स्वीकार किया जायगा। मुख्य मंत्री जी, आपको याद होगा, जोधपुर में जिस समय जुडिसियल आफिसर की कान्फ्रेन्स में आपने बहुत लम्बा चौड़ा भाषण दिया था, और जुडिसियल आफिसर्स से तालियां बजवाई थीं, वाहवाही कराई थी, आपने प्रशंसा लूटी थी तब आपने कहा था कि राजस्थान में जुडिसियल आफिसर्स की तनख्वाह बढ़े, उनका स्टन्डर्ड बढ़े इसके लिए आप कोई कसर उठाने वाले नहीं हैं। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी, दोनों से पूछना चाहता हूं कि आपके जोधपुर वाले एस्योरेन्स का क्या हुआ? और आपने जो सदन में एस्योरेन्स दिया था उसका क्या हुआ? सभापति महोदय, मैं उस चेप्टर में नहीं जाना चाहता, मैं केवल सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन सर्विसेज के अन्दर जो ग्रेड इन्क्रीमेंट तय किया है, सब-इन्सपेक्टर के लिए जो ग्रेड तय की है; वेटरिनरी में जो जूनियर डाक्टर हैं, उनको जो पहले तनख्वाह मिलती थी उसको आपने कम करने की व्यवस्था कर दी है इन सबके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, मैंने बड़ी मेहनत करके डिटेल्स निकाली हैं, आप चाहेंगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह एनोमोलीज क्रियेट कर दी हैं, सरकार ने कोई सुधार नहीं किया है। चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट के इन्जीनियर की हों, चाहे वह वेटेरिनरी के डाक्टर की हो इन सारी एनोमोलीजी को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कार्यवाही नहीं की है। भविष्य में वह कार्यवाही करे और किस प्रकार से भविष्य में एनोमोलीज नहीं रहे इस चिन्ता के साथ इन सारी चीजों को देख....

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री भैरोंसिंह: अन्त में सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सर्विसेज के ग्रेड का यह सारा प्रश्न है, यह सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे, इस सदन ने वड़ी गम्भीरता के साथ इस पर विचार किया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारियों के प्रति सरकार अपने रवैये में परिवर्तन करे। सरकारी कर्मचारी इस सरकार के एक अंग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के एक आधार हैं। जितना ज्यादा संतोष इनमें होगा उतना ही एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चलेगा। इस संतोष के लिए इनकी तनख्वाहों का निर्धारण करते समय, प्रमोशन देने के समय, वाकी के जो इन्सेन्टिव क्रियेट करने हैं उनको करने में जितना इन्डिपेंडेंटली आप काम करेंगे और फेवरिटिज्म कम होगा उससे सर्विसेज के अन्दर जिम्मेदारी की भावना, सीक्योरिटी की भावना क्रियेट होगी। इस वात को मेन्टेन करने के लिए हमारे वड़े वड़े अधिकारी और पूरा मंत्री-मण्डल निष्पक्ष हो इस वात की आशा लेकर हम चलते हैं। आज की हालत में आपके सरकारी कर्मचारी दुखी हैं और मेरे विचार से राणावत कमीशन ने एक वढ़िया काम किया है कि राजस्थान के सारे सरकारी कर्मचारियों को एक प्लेट फार्म पर लाकर छोड दिया है जैसे कोई पेंडोरा वाक्स खुलता है और दुनियां भर की समस्या जव क्रियेट होती है तो उनसे डर कर लोग इकट्ठे होते हैं, उसी तरह राणावत आयोग को मैं इस एक वात के लिए वधाई दूंगा कि राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को अपनी समस्यायें रखने के लिए एक प्लेट फार्म पर आने की स्थिति उसन पैदा कर दी। इस स्थिति पर गम्भीरता के साथ हमें विचार करना पड़ेगा, इस स्थिति के ऊपर सोचना पड़ेगा। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने 19 तारीख से हड़ताल करने की वात कही तो भारत सरकार ने आर्डीनेन्स इश्यू किये है। आर्डीनेन्सेज इश्यू किये जा कर लोगों के लेजिटिमेट राइट को प्राप्त करने के, और राइट को देने के लिए मांग करने के अधिकार पर कुठाराघात नहीं किया जा सकता। आप यह मान कर चलें कि आर्डीनेन्स के जरिये, पुलिस के जरिये, कानून के जरिय सरकारी कर्मचारियों को बन्द करके उनकी हड़ताल को बन्द कर देंगे और उनको तंग करके उनकी हड़ताल को असफल करने की स्थिति पैदा कर देंगे, तो मेरा निवेदन है कि इससे सरकारी कर्मचारियों की जलन को मिटा नहीं पायेंगे। उसको मिटाना सभ्य और सिविल सरकार के लिए जरुरी है। सभापति जी, आर्डीनेन्सेज जो भारत सरकार ने निकाले हैं, यह निश्चय ही भारत सरकार ने निन्दनीय काम किया है, उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं राजस्थान की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों को अधिक से अधिक संतोष दिलाने की दृष्टि से जो भी वात प्रतिवेदन में गलत रही है उसको दुरुस्त करे और जो गलतियां सरकारी निर्णय में रही हैं उनको दुरुस्त करे। सरकारी कर्मचारियों के रिप्रेजेंटेशन लें उनके मेमोरेन्डम लें और जो वात सही रूप में इस प्रतिवेदन में आई हैं उन्हें स्वीकार करते हुए वाकी मांगों के सम्बन्ध में संशोधन करके उनको संशोधन सहित स्वीकार करें। यह वात कहते हुए में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: माननीय आदित्येन्द्रजी।

श्री दुर्गालाल बादवार: (हवा महल, जयपुर) पाइन्ट आफ आर्डर सर, माननीय सभापति महोदय, मैंने प्रस्ताव दिया था, उसकी एडमिजिविलिटी के बारे में स्पीकर साहव ने निर्णय दिया और वह सदन की

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
कार्य सूची में आ गया, उस पर भी आसन आज्ञा नहीं देता है तो मुझे बाध्य होना पड़ेगा.....

श्री सभापति : आपको समय मिलेगा।

श्री आदित्येन्द्र (डीग) : सभापति महोदय, राजस्थान वेतन आयोग की सिफारिशों और राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों पर कल से बहस चालू है। कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं और कमीशन की काफी आलोचना भी हुई है। मैं समझता हूं यह आलोचना जितनी व्यक्त हुई है, शायद नहीं होती यदि राज्य सरकार से एक गलती नहीं हुई होती और वह गलती यह थी, मेरी यह मान्यता है कि इस कमीशन के गठन में ही गलती हुई कि एक सदस्यीय कमीशन का गठन किया। इसमें कम से कम तीन सदस्य होने चाहिए थे और उन सदस्यों में दूसरा सर्विसेज का आदमी भी और एक पब्लिक का जो सार्वजनिक सेवा में है, राजनैतिक पार्टियां हैं, उनमें से भी एक आदमी होना चाहिए था। लेकिन आज वह तो प्रश्न नहीं है क्योंकि यह तो गठन हो गया और कमीशन की रिपोर्ट भी हमारे सामने आ गई और उसके ऊपर राज्य सरकार ने भी कई रोज तक विचार किया, यद्यपि वे विचार अन्तिम रूप अभी तक नहीं ले सके।

कमीशन की नियुक्ति की क्यों आवश्यकता हुई, यह हम सब जानते हैं कि 1967 के चुनावों से पहले बहुत दिनों से इस प्रकार की बात आ रही थी और सर्विसेज में असंतोष भी था और यह असंतोष इसलिये था कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। महंगाई के कारण लोग बड़े दुखी थे, अपना गुजर कर नहीं सकते थे, इसलिये इस मांग की पूर्ति के लिये सरकार को कमीशन की नियुक्ति करनी पड़ी। यद्यपि यह कमीशन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया, यह प्रथम कमीशन था, इससे पहले यह बात जरूर है कि कई बार वेतनों में परिवर्तन किये गये, संशोधन किये गये और वह संशोधन 50 से प्रारम्भ हुए और अन्त में इस कमीशन की नियुक्ति की। सन् 66 में भी वेतनों में संशोधन किये गये। कहा यह गया था कि इस कमीशन की नियुक्ति से, इस कमीशन की सिफारिश आयेगी उससे लोगों में जो पहले असंतोष था वह खत्म हो जायगा लेकिन अब भी हम देखते हैं कि लोगों में काफी असंतोष है। हो सकता है कि थोड़े बहुत आदमियों के लिये शायद असंतोष नहीं हो। मैं तो यह कहूंगा कि 2 लाख से ऊपर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें से शायद 44-45 हजार, जिस प्रकार हमारे माननीय सदस्य ठाकुर भैरोंसिहजी ने कहा कि 44-45 हजार के लिये यह कमीशन बना, मैं कहता हूं 45 हजार के लिये भी नहीं बना यह केवल दो हजार व्यक्तियों के लिये बना वे व्यक्ति जिनको पहले से ही ज्यादा मिल रहा है, उनको और दिया गया है, जिनका 375 से 850 का ग्रेड है, उनका 1,200-1,300 का ग्रेड किया है। ऐसे कुल सरकारी कर्मचारियों की 2,000 संख्या है, शायद उनके लिये यह कमीशन बना। इस कमीशन की रिपोर्ट को अच्छी तरह से अध्ययन किया जाय तो उन्हीं के लिये ज्यादा लाभ होगा और सरकारी कर्मचारियों में जो ऐसे आदमी हैं, जिनको सबसे कम तनख्वाह मिलती है, जिनको हम चतुर्थ श्रेणी के लोग कहते हैं, या जिनको क्लेरिकल स्टाफ के कहते हैं जो छोटे और बड़े कनिष्ठ और वरिष्ठ लिपिक हैं, या जो पुलिस के कान्स्टेबल, हैड कान्स्टेबल और इसी तरह के दूसरे लोग हैं, इनके लिये

(श्री आदित्येन्द्र)

इसमें कोई लाभ नहीं हुआ और न उनको संतोष ही हो सकता है। जैसे कि मैं सबसे पहले इस प्रश्न को लेता हूं, चपरासी, जमादार, दफ्तरी, फर्राश ये जितने लोग हैं, जो चतुर्थ श्रेणी में आते ह, इनको पहले जो वेतन मिलता था वह 45 रु० से प्रारम्भ करते थे, अब जो कि कमीशन ने उनके लिये सिफारिश की है वह 60 रु० की है, 60 रुपय से उनको प्रारम्भ किया जायगा, 85 रु० पर उनको रोक दिया जायगा। इसी तरह ये जो दूसरे जमादार हैं, उनके लिय 66 से प्रारम्भ किया जायगा और 90 रुपय तक उनके वेतन म वृद्धि होगी, वह उनकी मेग्जिमम पे होगी। शायद सरकार न यह समझा हो, या कमीशन न भी यह समझा हो कि यदि हम इनकी कुछ तनख्वाह बढा देते हैं छोटे लोगों की जिनको कम से कम वेतन मिलता है उनके वेतन में 15 रुपये बढा देते हैं तो इससे हमारा नाम हो जायगा, हमारे बारे में कहा जायगा कि सबसे पहले मिनिमम वेजेज के बारे में न्यूनतम वेतन को निर्धारित कर दिया। न्यूनतम वेतन 125 निर्धारित कर दिया ठीक है। मैं भी मानता हूं कि आखिर न्यूनतम वेतन 125 ही निर्धारित किया पर इस तरह सही रास्ता पहली बार अपनाया....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

सदन की राय से सदन की बैठक का समय माननीय वित्त मंत्री के रिप्लाई तक बढाया जाता है।

श्री आदित्येन्द्र : लेकिन यह 125 का न्यूनतम वेतन जो इस बार किया, जो अलग अलग एसोसियेशन्स हैं, यूनियन्स हैं उन्होंने अपने अलग अलग रिप्रेजेन्टेशन्स, अपने प्रार्थना-पत्र, मांग-पत्र, कमीशन के सामने प्रस्तुत किये, उन पर कोई विचार नहीं किया गया। उनको अव्यवहारिक बताया गया। 15वीं लेबर कान्फ्रेन्स हुई उसमें इस मिनिमम वेजेज के प्रश्न को लिया और उसमें कम से कम 234 रुपया न्यूनतम वेतन के रूप में स्वीकार किया, उसे मंजूर नहीं किया गया। इस तरह से राजस्थान के जो कर्मचारी संघ हैं, सहायक कर्मचारी संघ है उसन भी अपने अपने रिप्रेजेन्टशन किये, उनको भी स्वीकार नहीं किया गया, दूसरे जो संघ हैं, उन्होंने भी अपने रिप्रेजेन्टेशन दिये, प्रतिवेदन दिये, उनको भी स्वीकार नहीं किया गया और इसलिये स्वीकार नहीं किया गया कि अगर उनको स्वीकार कर लेते हैं तो राजस्थान पर बहुत ज्यादा बोझा पड़ता है।

लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर राजस्थान सरकार कुछ बातों में हिम्मत करे तो मैं समझता हूं कि यह जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनकी समस्या अपने आप हल हो जाती है।

(5 म० प०)

जहां तक स्पेशल पे का सवाल है, स्पेशल पे में 44,888 व्यक्ति आते हैं जबकि कुल सरकारी कर्मचारी 2 लाख से कुछ ऊपर हैं। इसका अर्थ यह है कि 100 में से कम से कम 20 से ज्यादा आदमी ऐसे ह जिनको विशेष वेतन मिलता है। शब्द भी विशेष है तो 100 में से 20 की तादाद बहुत बड़ी तादाद है और स्पेशल पे पर जो रकम खर्च होती है वह 78 लाख के करीब है। मैं यह नहीं कहता कि विशेष वेतन किसी भी हालत में नहीं दिया जाय लेकिन यह प्रश्न ऐसा है कि जिसकी जांच बड़ी गहराई से की जानी चाहिए और यदि हो सके तो

(श्री आदित्येन्द्र)

यह पूरे का पूरा मद ही उड़ाया जाय लेकिन तब भी ऐसे आदमी हो सकते हैं जिनको विशेष वेतन दिया जाना चाहिए। लेकिन यह बात तो बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आती कि सेक्रेटरी या दूसरे लोग जो हैं उनके लिय विशेष वेतन किस बात का दिया जाता है। किसी जगह 300, किसी जगह 250 और बहुत सी जगह पर 150। ये सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी इतना काम तो करते नहीं कि विशेष वेतन इनको दिया जाय। कलेक्टर के पास बहुत सा काम होता है। मैं समझता हूं कि कलेक्टर को जो काम करना होता है, शायद सेक्रेटरी को उतना काम नहीं करना होता। कलेक्टर को हम रात को जाकर जगायें, तो रात को 12 बजे भी कलेक्टर को उठना पड़ेगा, जितने सरकारी दौरे होते हैं मंत्रियों के, सेक्रेटरीज के या चीफ सेक्रेटरी, उन लोगों के लिए भी उनको इंतजाम करना पड़ता है, साथ साथ घूमना पड़ता है। तो कलेक्टर को विशेष वेतन दें लेकिन सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी या जोइंट सेक्रेटरी को स्पेशल पे क्यों? विशेष वेतन के बारे में जो हिसाब बताया है, 19-20 लाख बड़े बड़े आदमियों को मिलता है। अगर इस मद को ही उड़ाया जाय और इससे जो रुपया बचे वह चतुर्थ श्रेणी के लोगों के लिए जो लगभग 45 हजार है उनको एक एक को दस दस रुपये दें तो 125 की जगह उनको 135 दिया जा सकता है, इस तरह 45 लाख रुपये इन लोगों को मिल सकते हैं। इस तरह के जो सवाल हैं उनके बारे में अभी हमने गंभीरता से विचार ही नहीं किया। हालांकि अधिक बोलने का समय नहीं है लेकिन सरकार यदि उन जगहों पर काफी ध्यान से काम करती और खर्चे को कम करती तो मैं समझता हूं, हमारे पास आज भी काफी पैसा बच सकता है। आज हम जानते हैं कि मंत्रियों की संख्या 36 है। किसने कहा कि 36 की संख्या होनी चाहिए? आज जितने मंत्री हैं उतनी ज्यादा गड़बड़ियां होती हैं, शासन में भ्रष्टाचार बढ़ता है। 36 मंत्रियों में से ज्यादातर मंत्रियों के पास काम तो है नहीं, सवेरे से शाम तक उनके पास लोग जाते हैं कि इस अधिकारी का यहां से वहां तबादला किया जाय, या यह अधिकारी हमारे काम का नहीं है, इस अधिकारी से जैसे हम चाहेंगे उस प्रकार से काम नहीं करा सकेंगे। तो आज अपनी मर्जी से अधिकारी रखते हैं। बल्कि यह भी देखा गया है कि इससे काफी भ्रष्टाचार बढ़ता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक अधिकारी का तबादला दूसरी जगह कराने के हजार हजार, दो दो हजार बल्कि 5,000-5,000 लेते हैं। आप जानते हैं कि जिस काम को अगर एक आदमी कर सकता है, उस काम को एक की जगह दो या तीन करें तो जरूर वह काम बिगड़ेगा। टू मेनी कुक्स स्पाइल दी ब्राथ। इसी तरह से मंत्री 10 या 11 होने चाहिएं। उनकी जगह जब 36 होंगे तो काम खराब होगा और मंत्री कितना ही जोर लगायें तो भी कोई परिवर्तन शासन में नहीं ला सकते। जब तक मौलिक रूप से इस गलती को ठीक नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं हो सकेगा।

इसी प्रकार मैंने भी इस विधान सभा में कई बार कहा है, दूसरे लोगों ने भी कहा है कि शासन के नीचे के स्तर को ठीक करना चाहिए और खास तौर से पंचायत शासन को ठीक करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि जिला परिषद् वगैरह को समाप्त कर दिया जाय लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि विधान की मन्शा है कि पंचायतें मजबूत व प्रभावशाली होनी चाहिएं ताकि वे गांवों की

(श्री आदित्येन्द्र)

जनता का कुछ भला कर सकें लेकिन यह जो बीच में पंचायत समितियां बनाई गई हैं, उन्होंने लगभग 7,300 पंचायतों को भंग कर दिया है, वे पंचायतें रही नहीं। पंचायतें एक तरह से निहित स्वार्थों का अड्डा बन गई हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं, गांव वालों का स्तर नीचे गिरा है। इससे कई करोड़ रुपयों की बचत हो सकती है। 232 पंचायत समितियों में 232 जीप काम करती हैं। हमने बारबार सुझाव दिया कि जो लोग गांव में काम करने वाले हैं, जिनका ताल्लुक गांव के लोगों की भलाई से है, उन लोगों को कम से कम जीप नहीं दी जानी चाहिए। अगर उनको जीप दी जायगी तो वे लोग अपने आप को अलग समझेंगे, गांव वालों से अलग समझेंगे व गांव वालों की सेवा के लिये आज जो लोग दावा करते हैं उन लोगों को गांव वालों जैसा ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं या सरकार ऐसा नहीं करती है तो निश्चित बात है, वहां पर किसी प्रकार से गांव वालों का लाभ नहीं हो सकता है। सरकार हिम्मत से काम ले। सरकार तो बहुत ही प्रगतिशील है, सरकार को पंचायत समितियों को खतम करना चाहिए। आज जमाना ऐसा है कि हरेक आदमी के लिए मोटर चाहिए, बिजली का पंखा चाहिए लेकिन उनसे कहा जाय कि जीप नहीं होनी चाहिए तो मैं अपना गौरव समझूंगा। मैं समझूंगा कि यह प्रगतिशील सरकार है यदि वह कुछ परिवर्तन करना जानती है तो हरेक जानता है कि प्रगति नहीं होती है जब परिवर्तन नहीं होता है। आदमी जिस समय मर जाता है हम समझते हैं कि बेकार होगा, ये हड्डियां हैं, यह लाश है, जीवन नाम की चीज नहीं है। आज हमने जो पहले बातें कर दी हैं अगर हम समझ लेते हैं कि वास्तव में दुनिया की भलाई की है, जनता की भलाई के लिए हैं तो उनको जरूर करना चाहिए। लेकिन कोई चीज इस प्रकार की है कि जिससे जनता की भलाई नहीं हो रही है और उससे नुकसान हो रहा है तो उसको खत्म करने में भी संकोच नहीं करना चाहिये। आज हमें दोनों हाथों म हिम्मत लाना चाहिये और मजबूती से आगे बढ़ना चाहिये। अगर आप मजबूती से आगे नहीं बढ़े तो इसके बड़े भारी नतीजे होंगे। एक दिन वह आवेगा कि हम खुद पछतावेंगे और हम खुद कहेंगे कि हमारी अर्थ नीतियों के कारण ये सब झगड़े हुए, खूनी फिसाद हुए, अहिंसा हिंसा में परिवर्तित हो गयी। आज हम संतोष कर लें कि पे कमीशन नियुक्त कर दिया, पे कमीशन ने सिफारिशें कीं, कुछ लोगों को संतोष हुआ, कुछ तनख्वाहें बढ़ा दी गईं, लेकिन मैं समझता हूं कि यदा आप यह समझते हैं कि यह अन्तिम पे कमीशन है और अन्तिम रूप से समस्या का हल हो गया? समस्या का हल अन्तिम रूप से नहीं होगा। आप यह देखेंगे कि आज यह असंतोष है और एक साल के बाद आप देखेंगे कि इससे ज्यादा असंतोष होगा। इससे भूख बुझेगी नहीं, भूख और ज्यादा प्रज्वलित होगी। क्योंकि छोटे कर्मचारी हैं उनके लिये लिविंग मिनिमम वेज आवश्यकतानुसार न्यूनतम वेतन निर्माण करना वह चीज आप अभी नहीं कर सके और मैं भी मानता हूं कि 200) रु० 250) में गुजर ही नहीं होता है। जिनको 200) मिलता है वह लोग भी मानते हैं कि हम भूखे हैं, गुजर नहीं हो सकता है। मेरा कहना है वह यह है कि हम समस्या को उलझा कर न रखें, हम समस्याओं को सुलझायें और हिम्मत से काम करें जिससे ये बातें आगे दोहराई न जा सकें।

महंगाई को रोकने के लिये आप को

(श्री आदित्येन्द्र)

काम नहीं करते । महंगाई बढ़ती चली जाती है। आज से चार महीने पहले महंगाई और आज की महंगाई में क्या अन्तर है ? आज से चार महीने पहले 25), 26) रु० मन से अधिक अनाज का भाव नहीं था। आज डेढ़ा हो गया है । और घोर अकाल इस समय मालूम पड़ रहा है, अभी तक बरसात नहीं हुई है । यह जरूर है कि ईश्वर की कृपा से कल से बादल होने लगे हैं, शायद एक दो दिन में बारिश हो जाय । जहां जनता की इससे भलाई होगी वहां राजस्थान सरकार भी ज्यादा दिन टिकाऊ हो जावेगी ।

अगर यह मान लिया ऐसा नहीं हुआ और मान लिया अकाल पड़ गया तो अब की बार ऐसा अकाल पड़ेगा जो राजस्थान में कभी नहीं पड़ा । अभूतपूर्व अकाल । पहले अकाल उन जगहों पर पड़ते थे जहां हर तीसरे चौथे साल अकाल पड़ता था और अब की बार वहां भी अकाल पड़ेगा जो राजस्थान की ग्रेनरी कहलाती है, जो अपना भी गुजर करते हैं और बाहर भी अनाज भेजते हैं वहां भी अकाल पड़ेगा । इस बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है । मैं तो केवल इतना ही चेतावनी देना चाहता हूं । यह मेरी चेतावनी ईमानदारी की चेतावनी है, सिंसियर चेतावनी है कि सरकार यह न समझ ले कि हमने सुझाव लिये; पे कमीशन की सिफारिशों पर कुछ निर्णय लिये अब हमें कुछ नहीं करना है । जो सुझाव लिये हैं उन पर गहराई से विचार करें ।

एक सुझाव यह भी है कि और छानबीन करने के लिये एक कमेटी बनायी जाय जो पूरी तरह से इस पर विचार करे, फिर केबिनेट सोचे इन सब बातों पर । यह भी एक चीज है । अगर सरकार ने इस संबंध में नहीं माना और इस तरह का विचार नहीं किया तो निश्चित बात है कि आगे जो कुछ होने वाला है उसका अन्दाज स्वयं सरकार लगा सकती है । केवल इतने से संतोष न कर लें कि जितने भी राज्य हैं उनमें जो न्यूनतम वेतन है, उनमें से यू० पी० ही हम से आगे है । केरल जैसा राज्य जहां कम्यूनिस्ट हैं वह भी हम से आगे नहीं हैं । वहां भी 125) रु० से अधिक वेतन नहीं है । तुलनात्मक दृष्टि से कम से कम हम से यह तो नहीं कहेंगे कि आप तो सबसे पीछे रहे गये, आपने कोशिश की और न्यूनतम वेतन निर्धारित किया है । लेकिन कभी कभी राजस्थान सरकार अपने मन में गौरव समझती है और बड़े अभिमान के साथ कहती है कि बहुत सी बातों में हम आगे हैं, पंचायती शासन में हम एक तरह से अगुआ बने, लेकिन आज उन कर्मचारियों के लिये न्यूनतम वेतन, अगर मान लिया, उसकी दर ऊंची निर्धारित की जाय, 150) रु० से भी काम चलने वाला नहीं है । लेकिन और भाइयों ने सुझाव दिया है, मैं समझता हूं, 150) कम से कम न्यूनतम वेतन होना ही चाहिये जिससे केन्द्रीय सरकार भी राजस्थान सरकार से सबक ले ।

इस विषय को आगे न बढ़ाते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि महंगाई को रोकना चाहिये । आज महंगाई को रोक नहीं पा रहे हैं । चीनी को ही ले लीजिये । हमने क्या किया है ? कुछ चीनी देते हैं कन्ट्रोल रेट से, कुछ चीनी देते हैं हम खुले बाजार में । कन्ट्रोल रेट में और खुले बाजार में जो चीनी की रेट्स हैं उनमें दूने से भी ज्यादा अन्तर है । इससे समस्या का हल हो गया हमने यह समझा । कोई चोरी भी नहीं करता है लोगों के लिये चीनी मिल जाती है । बेचारे गरीब लोग खर्च तो कर ही नहीं सकते चीनी के लिये । जो बड़े बड़े आदमी हैं उनको रुपया खर्च

(श्री आदित्येन्द्र)

करने में संकोच नहीं होता है चाहे उनके लिये कुछ भी भाव हों। इस सुविधा का किसको फायदा होता ? जो मिल आनर्स हैं, जहां चीनी बनाई जाती है, वे करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। कोई हिसाब लगाये कि जितनी चीनी पैदा होती है, खुले बाजार में रिलीज की गयी चीनी उसका ही अन्तर हम मूल्यांकन करें तो यह शायद करोड़ों रुपयों पर पहुंचता है और इस तरह से अरबों रुपयों का फायदा मिल आनर्स के लिये करते हैं।

इसी तरह से कल और कारखानों की चीजें हैं उनको भी रोकना चाहिये। इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। उन पर भी विचार करना चाहिये। विचार करने के लिये विरोधी पक्ष के लोग हैं, गैर कांग्रेसी लोग हैं उनमें से भी जो समझदार व्यक्ति हैं, एक्सपर्ट हैं उनको बैठा कर, इसका हिसाब किया जाय····।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय···

श्री आदित्येन्द्र : पांच मिनिट और लूंगा। ज्यादा नहीं लूंगा। जो भी रिपोर्ट पे कमीशन ने दी है····।

श्री सभापति : समाप्त कर ही रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : समय कम है और बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं इसलिये समय निर्धारित किया जाना चाहिये। एक माननीय सदस्य को एक घंटा मिल जाय और दूसरों को कुछ भी समय न मिले और किसी को पांच पांच मिनिट से भी कम मिलते हैं। इस पर व्यवस्था चाहता हूं।

श्री सभापति : सुबह ही व्यवस्था का सवाल उठता तो अच्छा था। श्री आदित्येन्द्रजी।

श्री आदित्येन्द्र : मेरा यह कहना था कि जो पे कमीशन ने सिफारिशें की हैं, जिन पर सरकार ने निर्णय किये हैं उनमें मैं ज्यादा बातों का जिक्र न करके दो तीन बातें कहूंगा। सीनियर टीचर्स और लेक्चरार्स। लेक्चरार्स का 375 से लेकर 850 का ग्रेड किया है जबकि सीनियर टीचर्स का ग्रेड 225 से लेकर 525 किया है। जबकि सीनियर टीचर्स की क्वालिफिकेशन्स में और लेक्चरार्स की क्वालीफिकेशन्स में केवल डिविजन का अन्तर है। लेक्चरार फर्स्ट डिविजन का बनाया जाता है और सीनियर टीचर, सैकिन्ड और थर्ड डिविजन के बनाये जाते हैं। लेकिन उनको एक परीक्षा और पास करनी होती है। उनको बी० एड० पास करना होता है। इस तरह कहां उनकी स्केल 225 से 525 है और कहां लेक्चरार की पे स्केल रखी है 375 से 850 इसी तरह से पी० डब्ल्यू० डी० का सवाल है। पी० डब्ल्य० डी० में डिप्लोमा होल्डस और डिग्री होल्डर्स में अन्तर रखा गया है। इस तरह से रखा गया है कि डिप्लोमा होल्डर की दस साल के बाद जो डिग्री होल्डर की ग्रेड है, आरम्भ होती है। वे एम०आई०ई० की परीक्षा पास कर सकते हैं, असिस्टेन्ट इंजीनियर बन सकते हैं उसके बाद एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बन सकते हैं। कई सुपरिन्टेंडिग इंजीनियर बने हैं। इस तरह से उनका सवाल है। उनकी ग्रेड का सवाल है, यह एक सोचने की चीज है। राणा प्रताप सागर डेम है, उसमें एक उदाहरण है। वहां पर जो सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियर हैं, उनकी ग्रेड-1 और ग्रेड-2 हैं। उनके लिये ग्रेड ज्यादा है और जो उनको सुपरवाइज करते हैं, ओवरसियर इत्यादि हैं, उनकी ग्रेड कम है। इसका अर्थ यह है कि आपस म हटे

(श्री आदित्येन्द्र)

बर्निग हो । इससे आपस में एक दूसरे से इर्ष्या होती है । इस तरह से बड़े बड़े आदमियों को फायदा दिया गया है । पे कमीशन की रिपोर्ट के बाद भी सरकार ने जो निर्णय लिये है, वे इस प्रकार के हैं जिनसे कि आपस में झगड़ा हो जाय । इस बात में सरकार विश्वास करती है कि सन्तुलन बना रहे । एक सेक्शन नाराज हो जाय तो दूसरे सेक्शन से उसको दबाया जाय । 375 से 850 की ग्रेड आर०ए० स० की रखी है । इन 12, 13 ग्रेड्स में जिस तरह से सरकार ने मनमानी की है, वह वास्तव में ऐसी है जिसको कि रोकना है । इसके बारे में सोचना होगा । ऐसा करने से सरकारी खजाने पर काफी असर पड़ता है । हमारे भाईयों ने यहां पर विचार रखे ह । किसी भी तरह से एक हजार रुपये से ज्यादा आज के जमाने में तनख्वाह नहीं होना चाहिये । मैं मानता हूं कि भाव काफी बढ गये हैं । अगर एक आदमी न्यनतम वेतन 125 रुपये में गुजारा कर सकता है और उसको हम 125 रुपये में छोड़ देते हैं तो हम जो एक हजार रुपया तय करते है तो वह वेतन कोई कम वेतन नहीं होता है । इसके अलावा एक चीज और सोचने की है । जैसा कि मान लिया गया है आर०ए०एस० वगैरह का प्रारम्भ 375 रुपया है । परन्तु उनको आगे जाने के बहुत स्कोप हैं । उनकी जूनियर ग्रेड है, सीनियर ग्रेड है और सिलेक्शन ग्रेड भी है । इसी तरह से आई० ए० एस० भी आग बढते जाते हैं । उनके लिये और ज्याद सुविधायें हैं लेकिन यही सुविधा क्लर्क्स, कम्पाउन्डर्स, छोटे छोटे टीचर्स, ओवरसियर्स, स्टेनोज हैं और इस प्रकार के जो दूसरे कर्मचारी हैं, उनके लिये नहीं है । चपरासी को 60 से प्रारम्भ करते हैं और 85 पर बंद कर देते हैं । उनमें असन्तोष है । म समझता हूं यह किसी आधार पर नहीं होना चाहिये । हम एक आदमी को जब वह सरविस में आता है, 60 रुपये देते हैं । उस समय उसकी उम्र 25 वर्ष की होती है । बाद में जब वह आगे बढ़ता है, उसका परिवार बढ़ता जाता है । उसके परिवार में 4-5 सदस्य हो जाते हैं । आश्चर्य की बात है कि एक आदमी के लिये 60 रुपये और पूरे परिवार के लिये 85 रुपये । तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ हमें पूरा ध्यान देना चाहिय । इस सम्बन्ध में मैं और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । यहां अगर मान लिया जाय तमाम उन बातों को एक एक करके लिया जाय तो समय लगेगा और वे बार बार दुहराई जायेंगी । एक बात और है । अर्दली को हटाने के लिये कहा गया है । मैं समझता हूं अर्दली न लेने पर 75) रुपये के अलाउन्स का जो प्रावधान रखा गया है, वह बिल्कुल नहीं होना चाहिये । यह बात ठीक है कि 75) रुपये मिल जायेंगे और अर्दली भी नहीं रखेंगे । यह हम सभी जानते हैं कि इन लोगों के साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है ? इन बातों के ऊपर में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्री सभापति: श्रीमती लक्ष्मीकुमारी ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) : निर्दलीय भी बोलना चाहते हैं । हमने केवल 15 मिनिट मांगे हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैंने प्रस्ताव किया है सभापति जी.... ।

श्री सभापति : इनके बाद इनका नम्बर है ।

आर्डर प्लीज ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा प्रस्ताव है श्रीमान्]

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : माननीय सदस्य क्यों समय लेते हैं ।

श्री सभापति : केवल दस मिनिट ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : सभापतिजी, राणावत रिपोर्ट हमारे सामने है और उसमें एक तथ्य हमारे सामने आया है। इस पर मुझे एक शंका थी । राज्य सरकार की नीति ने इस शंका को एक विश्वास में बदला है । मैं बराबर राज्य सरकार पर आरोप लगाती आयी हूं कि हमारी राजस्थान की सरकार संस्कृति की उपेक्षा करती आयी है । राजस्थान के इतिहास, संस्कृति के प्रति आंख बन्द करके रहती है और इस तथ्य को राणावत आयोग ने हमारे सामने रख दिया है । राणावत जी की रिपोर्ट एक सबूत है । उसमें खामियां हैं । इस तरह के ग्रेड बनाये हैं कि उसमें आरकाइव्ज और आरच्योलोजी डिपार्टमेन्ट को शिकायत है । राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है, सभापतिजी, जहां के हरेक गांव में एक्सक्लेरेशन का काम होता है । उसके रिजल्ट हमारे सामने हैं । हमारे यहां पाड़ोली और मेणाल जैसे मन्दिर हैं । रणथम्भोर और चित्तौड़ जैसे किले हैं जहां तरह तरह के एक्सक्लेरेशन और एक्सप्लोरेशन के कार्य होते रहते हैं । इसके लिये विदेशों से पार्टीज आती हैं । स्वीडन की पार्टी आती है । जो एक्सवेरेशन हुए हैं उनको यह डिपार्टमेन्ट दिखाता है । इस तरह राज्य की संस्कृति को दुनियां के सामने रखा है । यही एक पर्टीक्यूलर विभाग है, जो यह कार्य करता है । इस विभाग के अधिकारियों के लिये जो ग्रेड कायम की गई है, उससे लगता है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देना चाहती । राजस्थान की संस्कृति की रक्षा और राजस्थान का शोध कार्य जिनके द्वारा हो रहा है, उस तरफ ध्यान दिया जाय....

अभी भरतपुर में नोह में खुदाई का काम हुआ मंत्री महोदय की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहती हूं वहां पर प्राचीन संस्कृति के अवशेष पाये गये । हिन्दुस्तान में यही एक मात्र ऐसा स्थान है जहां पर इस संस्कृति के अवशेष मिले हैं ।

इसी तरह से बागोर में जहां खुदाई का काम हुआ है वहां पर इस पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण काम किया है । मेरा निवेदन यह है कि इस विभाग के लोग जिस प्रकार का काम करते हैं उनके काम की कद्र की जाय । इस बारे में राज्य सरकार ने आज तक नहीं सोचा है इस बारे में बिल्कुल उपेक्षा वृत्ति से काम करती जा रही है।

पुरातत्व विभाग में काम करने वालों के ग्रेड जैसे क्युरेटर, मुद्रा विशेषज्ञ, मुद्रा शास्त्री एवं उत्खनन अधिकारी जो समान डिग्री रखते हैं लेकिन उनके वेतन क्रम में काफी असमानता रखी गई है । इनका वेतन पहले 275 से 650 तक रहा है । और इन्हीं के समान वेतन क्रम जिनका था जैसे दूसरे अधिकारी टूरिस्ट अधिकारी, एडीशनल डाइरेक्टर, सोशल वेलफेयर आदि इनको उस वेतन क्रम से निकाल कर 375 से 850 कर दिया है और इनको उनसे नीचे रख दिया गया यानी 275 से 650 के ग्रेड में । इन वेतन क्रम को नीचे करने में राणावत कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बयान दिया है वे बतलाते हैं कि ये जो काम करने वाले हैं वह अधिक महत्व का काम नहीं है । यह सोचने का जो तरीका है राणावत साहब का वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

सभापति महोदय, सुपरिन्टेन्डेन्ट, प्रेस के मुकाबले मुद्रा विशेषज्ञ के महत्व को कम माना जाता है इसे मैं राजस्थान का दुर्भाग्य ही कह सकती हूं। गवर्नमेन्ट ने अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय का पे स्केल मुद्रा विशेषज्ञ के पे स्केल से ऊंचा किया है। उनके लिये एक्सकेवेशन आफिसर का पे स्केल बढ़ाना आवश्यक नहीं। जब अधीक्षक, राज्य मुद्रणालय का ग्रेड 375 से 850 करते हैं वहां पर संग्रहाध्यक्ष, रसायनज्ञ और मुद्रा विशेषज्ञ का ग्रेड वही 225 से 625 ही रखा जाता है। मुझे दुख तो इस बात का है कि हमारी राज्य सरकार भी इसके महत्व को नहीं समझ पा रही है।

लेक्चरार की क्वालिफीकेशन क्या होती है। वह एम० ए० होता है उसके रिक्रूटमेण्ट की वही डिग्री होती है जो मुद्रा विशेषज्ञ, और संग्रहालयाध्यक्ष की होती है वैसी हालत में आपने लेक्चरार को 375 से 850 में रखा है जब कि इनको 275 से 650 में ही रखा है आपने इस तरह से टैक्निकल काम करने वाले का ग्रेड नीचा किया है। आप एक लेक्चरार का महत्व ज्यादा मानते हैं बनिस्बत टैक्निकल लोगों के। जो व्यक्ति आपके प्रा ीन शिलालेखों के पढ़ने का काम करता है प्राचीन मद्राओं के बारे में आपको जानकारी देता है, संसार को जानकारी देता है, नष्ट होने वाली चीजों को प्रीजर्व करके रखता है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति का ज्ञान हो सके और उनको नयी नयी सामग्री मिल सके। आप उनके महत्व को कम आंकते हैं।

एक लेक्चरार का क्या काम होता है वह जाकर क्लास में विद्यार्थियों के सामने लेक्चर दे दे लेकिन आखिर उसके पास जानकारी की सामग्री कहां से आती है। इन्हीं स्कालर्स द्वारा जो शिलालेखों को पढ़ते हैं प्राचीन मुद्राओं को पढ़कर उसका प्रोक्योरमेन्ट उसका प्रीजरवेशन और उसके एक्सकेवेशन करके नयी नयी चीजें निकालते हैं। इसी आधार पर संस्कृति और इतिहास की रचना होती है उसको पढ़ाया जाता है लेक्चरार के द्वारा। दुर्भाग्य यह है कि इसके महत्व को राज्य सरकार समझ नहीं सकी और न राणावत साहब ने ही इस बारे में ध्यान दिया है। इससे भी ज्यादा अफसोस मुझे वित्त मंत्री द्वारा इस बारे में ध्यान दिया जाना लगता है। जो अपने आपको बड़ा संस्कृति का पोषक मानते हैं, उनकी रुचि इस तरफ क्यों नहीं गई यह मैं समझ नहीं पायी। या तो यह हो सकता है कि वे कहने के लिये ही केवल संस्कृति के पोषक रहे हों। माथुर साहब आपने भी इस बारे में कुछ ध्यान नहीं दिया।

इन लोगों पर बहुत भारी जिम्मेदारियां हैं ये लोग पुरानी चीजों को केमीकल्स द्वारा प्रीजर्व रखने का काम करते हैं। अभी आपने सुना होगा नेशनल म्यूजियम में चोरी हुई इसका कारण क्या था ? हमारी राज्य सरकार इन चीजों की ओर ध्यान नहीं देती। इसी का परिणाम है कि इन चीजों का महत्व आपने कम माना है। अपने देश से मूर्तियां बाहर चली जाती हैं विदेशों में जाकर बिकती है। चौकीदार को लोग बान्ध कर, हुक से बांध कर और दो जगह तो उनका कत्ल भी कर दिया और बहुमूल्य प्राचीन सामग्री थी वह चुराकर ले गये। सभापति महोदय, टैक्निकल आदमियों के लिये सरकार ने ध्यान नहीं दिया यह अफसोस की बात है। वे व्यक्ति जो भरतपुर में नोह में जो खुदाई का काम किया जिस समय जर्मन विशेषज्ञ दौरे पर आये हुए थे। दोनों जर्मन

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

विशेषज्ञ और इनकी क्वालिफिकेशन एक थी लेकिन वेतन में आसमान और पृथ्वी का अन्तर। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहती हूं आज जो प्राचीन संस्कृति के अवशेष हमारे यहां सुरक्षित हैं जिनकी खोज जारी है वह इन्हीं विशेषज्ञों की देन है लेकिन इतना होते हुए भी सरकार इनके वेतन क्रम के बारे में ध्यान नहीं दे सकी।

हमारे यहां गजेटियर रिसर्च आफिसर हैं, इन स्कालर्स टेक्निशयन्स के महत्व को कम माना गया है। आज हमारे देश में इस विद्या को जानने वाले कम हैं। इसी तरह का काम करने वाले को जो नेशनल म्यूजियम में है उनका वेतन 700 से 1,200 तक का है लेकिन हमारे यहां नहीं किया गया खास तौर से मैं इसके लिये जोर देती हूं। राजस्थान सरकार तो इस तरह से हमेशा आंख बन्द करके रहती है आजतक सरकार ने इसके महत्व को नहीं समझा और न इसके वेतनमान को ऊंचा उठाने की कोशिश की।

आरक्योलोजिकल विभाग और आरकाइव्ज विभाग के बारे में तीन चार बार निवेदन कर चुकी हूं। आरकाइव्ज विभाग में हमारी अमूल्य सम्पत्ति संस्कृति के अवशेष सुरक्षित रखे हैं। हमारे यहां आरकाइव्ज का नम्बर दिल्ली के बाद दूसरा नम्बर है। हमारे यहां पर फारसी की किताबें पुराने लेख हैं, पुरानी फाइलें राजस्थानी की हैं उनको आज पढ़ने के लिये कोई आदमी नहीं है। पुराने आदमी जो बचे हुए हैं वे ही केवल जानते हैं इनके अलावा राजस्थान में फारसी और राजस्थानी के जानकार आदमी नहीं। जब तक पुराने लेखों और कागजों को पुराने पत्रों को पुराने परवानों को पढ़ेगा नहीं तो इस बारे में किसी प्रकार भी रिसर्च नहीं किया जा सकता। पी० एच० डी० के लिये यहां स्कालर्स आते हैं लेकिन आज उनको आरकाइव्ज विभाग में काम करने वाले पश्चिमी भाषा के जानकारों की और राजस्थानी भाषा के जानकारों की कमी होने से आज हो क्या रहा है कि रियासतों के जमाने के वक्त में जो पुराने क्लर्क थे राजस्थानी पढ़ने और परशीयन पढ़ने का काम कर रहे हैं जिनकी पे स्केल्स हैं यू० डी० सी० की और एल० डी० सी० की। आज जो कार्य एक विद्वान नहीं कर सकता वे कर रहे हैं। यह अपने आप में एक अलग विद्या है लेकिन इनके लिये आपके पास देने को तन्ख्वाहें एल० डी० सी० और यू० डी० सी० की हैं।

पुराने आदमी जो बैठ हुए हैं उनसे आज काम चल रहा है। इनके रिटायर्ड हो जाने के बाद वित्त मंत्रीजी से सवाल पूछती हूं इन यू० डी० सी० की जगहों पर कौन काम करने आयगा। संग्रहालय में जितने राजस्थानी के खतो खिताबत पड़े हैं उनके ऊपर काम करने वाला कौन आयगा? इसके बिना बड़े बड़े शोधकर्ता भी कोई शोध नहीं कर पायेंगे। राजस्थानी भाषा के जानकार और पुरानी संस्कृति के जो मर्मज्ञ होंगे वही रह सकते हैं। आप यू० डी० सी० और एल० डी० सी० को रख कर यह काम चलाना चाहें तो बिल्कुल असंभव है इसलिये आपको सब से पहले इस ओर ध्यान देना चाहिये तभी जाकर पुरानी चीजें हैं उनके बारे में शोध कार्य हो सकता है।

महाराज कुमार रघुवीरसिंह जी इतिहास के बड़े जानकार हैं उनका भारत में नाम है। कल ही उन्होंने मुझ से कहा कि आपके आरकाइव्ज में परशीयन का जानकार नहीं है वहां पर जो काम करने वाले छात्र हैं वे

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत) परशीयन के जानकार के अभाव में मेरे पास आते हैं मुझे तो उनकी मदद करनी ही पड़ती है। आपका कोई आदमी परशीयन बताने वाला नहीं आप उस ओर ध्यान नहीं देते; यह इसका ज्वलन्त उदाहरण है। मुझे पहले ही शक था, आरोप लगाती कि राज्य सरकार नहीं सोचती है, पर अब इस बात का पक्का प्रमाण मिल गया है, जब कि राणावत कमीशन लिखता है कि इसका महत्व कम है। राज्य सरकार भी कहती है इनका कोई महत्व नहीं। अपनी आंखें उठाकर आपने अपनी ही संस्कृति की तरफ नहीं देखा। अगर यही हाल आपने किया तो मैं दावे से कहती हूं कि आपकी केवल बीस साल पुरानी संस्कृति रह जावेगी, इसके पहले की सारी चीजें और अपनी संस्कृति की पुरातन विरासत भूल जावेंगे।

मन्त्री महोदय आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इजिप्ट में आस्वान बान्ध बना। पानी में वहां की पत्थर की पुरातन मूर्तियां आ रही थीं उनको हटाने के लिये सरकार ने कितना परिश्रम किया था। यही नहीं, बल्कि अमेरिका की सरकार ने लाखों डालर इसके लिये खर्च किया। यूनेस्को ने लाखों डालर खर्च किया। इजिप्ट जैसा मुल्क जो हमारे बाद में आजाद हुआ वह अपनी संस्कृति की विरासत को पहचानता है। पर राजस्थान जहां का एक एक गांव थरमापोली है, पुरानी संस्कृति का अटूट खजाना जिसमें भरा पड़ा है, उसकी उस विरासत को प्रीजर्व करने को कदम नहीं उठाते। उसको संकलन करने वाले व्यक्ति हैं उनकी ग्रेड आप नहीं बढाना चाहते। उनको दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। इसका साफ मतलब यह हुआ कि राजस्थान की संस्कृति का कोई महत्व आपकी निगाहों में नहीं है। अगर ऐसा है तो आप साफ शब्दों में यह कह दीजियेगा या फिर उनको संभालने की चेष्टा करें। हर तरह से हमारे इतिहास को, संस्कृति को रोंदा जा रहा है। हमारी संस्कृति को परदे के पीछे छिपाया जा रहा है। यह ऐसी स्थिति है जिसे न राजस्थान बर्दाश्त कर सकेगा न इसके दो करोड़ पुत्र बर्दाश्त कर सकेंगे। यह उनकी सैकड़ों पीढ़ियों का परिश्रम का फल है, उनके खून और अक्ल से लगाई हुई चीज है। पर उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देते। जानती हूं मैं माथुर साहब इसका जवाब दे देंगे बड़े अच्छे और तेज शब्दों में छाती ठोक कर कह देंगे कि मैं इसका पोषक हूं। बहुत बार पहले भी उन्होंने ऐसा ही कहा है। पर किया कुछ नहीं है,

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कहा ही नहीं है कर भी दिया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मुझे तो कहीं दिखा नहीं। इस पोस्ट को टैक्निकल पोस्ट मानें ताकि विद्वान इस तरफ आकर्षित हों और इस दिशा में रिसर्च भी हो।

श्री मथुरादास माथुर : आप बहुत देर से चिन्तित हैं। आपकी चिन्ता ज्यादा न बढे। इसलिये मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि डाइरेक्टर का ग्रेड हमारे यहां पर 750 से 1,250 था।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : मैं तो नीचे की पोस्टों की बात कह रही हूं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं नीचे भी आ रहा हूं। उसे हमने 1,000 से 1,500 कर दिया। सुपरिन्टेन्डेन्ट का 500 से 1,000 कर दिया और क्यूरेटर का 275 से 650 कर दिया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मुझे अफसोस है कि आपने मेरा कहना नहीं सुना। 275-650 का किया जबकि उनकी बराबरी के ग्रुप के लोग हैं लेक्चरार हैं उनका 850 किया, असिस्टेण्ट डाइरेक्टर टूरिज्म का 850 किया, असिस्टेण्ट डाइरेक्टर, सोशल वेलफेयर का 850 किया। आखिर आपने उनको किस वजह से उनके बराबर नहीं किया।

श्री मथुरादास माथुर: पहले भी उनका ग्रेड बराबर नहीं था। आप कम्पेरीजन कर रहे हैं वर्टीकल और होरीजेन्टल। पहले जो ग्रेड उनके थे उससे ज्यादा हुए।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : पहले हों या न हों पर उनके मुकाबले में सुपरिन्टेन्डेन्ट के मुकाबले में क्यूरेटर के मुकाबले में उनको न रक्खें। विशेषज्ञों की श्रेणी में उनको क्यों नहीं लेते। वे विशेषज्ञों का काम करते हैं। टैक्निकल श्रेणी में लें।

श्री मथुरादास माथुर : टैक्निकलों की श्रेणी में वे नहीं आवेंगे, वे स्पेशियेलिस्ट की श्रेणी म आवेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : राज्य सरकार न उनको वाजिब वेतन श्रृंखला नहीं दी। इसका दूसरा उदाहरण इन्जीनियरों का देती हूं। उनकी पढ़ाई आर० ए० एस० वालों की पढ़ाई के बराबर की जाती है। उनकी जब शरुआत होती है तो उसी श्रृंखला से होती है। आग बढ़कर 1800 तक पहुंच सकते हैं। पर एक इन्जीनियर ज्यादा से ज्यादा 1200 तक पहुंचेगा। जबकि हम जानते हैं वह टैक्निकल हैण्ड होता है। फर्स्ट क्लास इन्टेलीजेन्ट होता है। कालेज में जिसको अधिक से अधिक नम्बर मिलते है वे ही टैक्निकल लाइन में जाते हैं। कोई निर्माण कार्य होता है कोई तालाब बन्धता है तो उस पर इन्जीनियर को किसी अफसर के मुकाबले में अधिक जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है। जरा सी भी उससे गलती हो जावे तो लाखों रुपयों का बना तालाब टूट सकता है। इन टैक्निकल व्यक्तियों के साथ राज्य सरकार ने अन्याय किया है और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वालों के साथ भी इन्साफ नहीं किया गया।

श्री सभापति : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या समय का प्रतिबन्ध है?

श्री सभापति : समय दस मिनिट।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सभापति महोदय, राजस्थान निर्माण के बाद राज्य कर्मचारियों के वेतनक्रम को लेकर अब तक राज्य सरकार के सामने करीब पांच बार ऐसी समस्याएं आ चुकी हैं। प्रत्येक बार विभिन्न प्रकार के सुझाव आये। जिसमें समय समय पर बढ़ती हुई मंहगाई के अनुपात से वेतन वृद्धि का सुझाव मुख्य रूप से राज सरकार के सामने निरन्तर आता रहा।

राज्य सरकार इस स्थिति में कभी भी नहीं हो सकी के उन सुझावों का समुचित जवाब दे सके। राज्य सरकार प्रत्येक बार मानती रही कि मंहगाई का भार बढ़ता जा रहा है और उसके हिसाब से सरकार को उनका वेतन बढ़ाते जाना पड़ा।

मौजूदा वेतन आयोग का प्रतिवेदन उसी सिलसिले में अन्तिम है। इसके द्वारा भी निश्चित रूप से यह बताया गया है कि जो मंहगाई आज बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए राज्य के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

आवश्यक है । और राज्य सरकार भी इसको स्वीकार करती है। लेकिन माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जब सदन के सामने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और बड़ गौरव के साथ कहा कि हमारी सरकार अगर ज्यों का त्यों इस प्रतिवेदन को स्वीकार कर लेती है तो राज कोष पर 4।। करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा पर जिस परिवर्तित रूप में हम उसे स्वीकार कर रहे हैं उससे भी करीब तीन करोड़ का भार राज कोष पर बढ़ेगा ।

एक तरफ राज्य सरकार अपनी स्थिति को स्वीकार करती है कि मंहगाई बढ़ती जा रही है, और दूसरी ओर मजबूर होकर उसे स्वीकार करना पड़ता है कि इससे तीन करोड़ रुपये का भार सरकार पर पड़ेगा जिसे जनता से वसूल करना पड़ेगा। यह दो तरफा चाल देखिये सरकार की। एक ओर वेतन बढान का आश्वासन देती है और दूसरी तरफ डराती है जनता को कि तीन करोड़ रुपया राज्य के खजाने से देना पड़ेगा अतिरिक्त इस लिये जनता को तैयार रहना चाहिए कि तीन करोड़ के अतिरिक्त टैक्स आप पर लगावेंगे। तो मैं कहता हूं निश्चित रूप से यह समस्या का समाधान नहीं है। वित्त मन्त्री महोदय आप यह मानकर चलिये कि इस तरह से तो एक आयोग नहीं दस आयोग भी होंगे तो कर्मचारियों की यह मंहगाई के अनुसार वेतन वृद्धि की समस्या हल नहीं हो सकेगी। वे रुपया नहीं चाहते, वे तो सस्ती जीवनोपयोगी वस्तुएं चाहते हैं। वे चीन की सी स्थिति नहीं देखना चाहते कि जहां एक चपरासी पहली तारीख को तनख्वाह लेकर जावे तो नोटों के बण्डल कन्धे पर लेकर जावे और फिर भी आवश्यक जीवनोपयोगी सामग्री खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सके।

तो राज्य कर्मचारी यह नहीं चाहते कि आप निरन्तर वेतन वृद्धि करते रह और मंहगाई बढती ही जावे। वे यह चाहते हैं। राज्य दैनिक आवश्यक वस्तुएं जीवनोपयोगी आवश्यक उपकरण आप उनको बराबर उपलब्ध कराते रह ।

पर आप इसमें विफल रहे हैं और बीस साल के अपने राजकाल में जिन नीतियों के आधार पर राज संचालन आप करते रहे है उन नीतियों से सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। मूल कारण तो यह है कि असंतोष की भावनायें राज्य कर्मचारियों में फैल रही है। इसलिये निश्चित रूप से मेरा सुझाव है माननीय वित्त मंत्री जी आपको राज्य सरकार की नीति को बदलना होगा और राज्य सरकार ने नीति नहीं बदली नहीं तो चाहे आप 10 आयोग बैठा दीजिये और 10 प्रतिवेदन मंगा लीजिये, इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। माननीय सभापति जी माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया कि हमने अपने राज्य में 125 रु० न्यनतम वेतन कर दिया है। इस सरकार से मैं यह पूछना चाहता हूं क्या यह समाजवादी व्यवस्था है जहां वेतनमान का अन्तर 125 और ढाई हजार है। 1:20 का रेशो है। यह बड़े शर्म की बात है। जो राज्य सरकार यह दावा करती है कि हम समाजवाद की स्थापना करना चाहते है उसमें एक कर्मचारी को 125 रु० मिले और दूसरे कर्मचारी को ढाई हजार रुपये मिले 1:20 का अनुपात है। इन वेतनमानों से क्या हम उस राज्य को समाजवाद कह सकते है। 125 रु० माननीय सभापति जी माननीय वित्त मंत्रीजी बड़े गर्व से कहते है और कहते है कि अन्य राज्यों से तुलना कर लीजिये। क्या आप इसको पर्याप्त रूप से वेतन मानकर चलते है। मैं इस पर्याप्त की परिभाषा दो क्षण में कर देना

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

चाहता हूं। माननीय सभापति जी आज इस राज्य की यह स्थिति है कि प्रत्येक व्यक्ति इसबात को अच्छी तरह जानता है कि बाजार में सवा रुपया किलो अनाज मिल रहा है-सभापति जी सवा रुपये का एक किलो अनाज मिल रहा है। राज्य सरकार की यही स्थिति रही तो माननीय सभापति जी 1½ से 2 रु० तक का धान का भाव हो जायगा। मेरा दल आपकी इस योजना में विश्वास नहीं करता है। हम आपके किसी नियोजन म विश्वास नहीं करते। राज्य कर्मचारी और इनके योजनाओं के अन्तर्गत चलने वाली परिवार नियोजन विश्वास करने वाली चीज नहीं है। यदि आप उनकी स्थिति को देख तो वे परिवार केन्द्रों में जाते है। और वह लिखा हुआ देखते हैं। 1-2 या 3 बस। बस की प्रथा में विश्वास करने वाले मिया और बीबी और तीन बच्चे, पांच आदमियों का परिवार भी आप मानकर चलगे। अब वह 5 आदमियों का परिवार 6 छटांक एक आदमी के लिहाज से खायेगा तो छः पन्जे तीस छटांक एक व्यक्ति को एक फेमिली को एक दिन के लिये हुआ। यह तो राज्य सरकार स्वयं मानती है तो इस तरह तीन रुपये रोज अनाज के लिये चाहिए-90 रुपये तो उसके निकल गये। उस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सभापति महोदय, एक छटांक दाल चाहिए उसका भाव ले लीजिये सवा दो रुपया किलो दाल का भाव है, इस तरह 20 रुपये दाल में निकल गये 90 और 20 110 हो गये यह तो हुआ उसके लिये सूखी रोटी और दाल के लिये। सूखी रोटी और दाल खायगा उसके अलावा उसको नमक चाहिये, मिर्ची चाहिए, बच्चों की शिक्षा की जरूरत हो उसको तो आप छोड़ दीजिये, रहने को मकान और पहनने को कपड़े का सवाल ही नहीं है। सबको निहंग बना दीजिये 125 रु० की न्यूनतम वेतन श्रृंखला का दावा करने वाले और बड़े गर्व के साथ कहना, उदार प्रवृति उदारचित्त वाले वित मंत्रीजी से मैं पूछना चाहता हूं ये भाव और बराबर बढ़ने की सम्भावना है उसके अन्दर 125 के वेतन क्रम को आप उचित मानकर चलते है और दावा इस बात का करते हैं कि हम समाजवाद में विश्वास करने वाले हैं, हम समाजवाद की स्थापना करने वाले हैं। 125 रु० और एक को और दूसरे को ढाई हजार रुपये क्या यही आपका समाजवाद है। सभापति महोदय, जो निर्णय लिया है उसमें जहां तक गरीबों का सवाल है जहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सवाल है, क्लर्कों का सवाल है उनको किसी प्रकार की सुविधा राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई है बल्कि अधिकांश रूप से जो ऊंचे वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के ऊपर ही राज्य सरकार का ध्यान गया है। मैं यह कहता हूं-इस राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है। जो सम्पन्न आदमी है माननीय सभापति जी वे अधिक सम्पन्न बनते जा रहे है। जो क्षमता रखते है वे भीख मांग कर खाते है। कहने का मतलब है अनुदान मिलेगा दूसरी फेसिलिटीज मिलेगी-राज्य सरकार के द्वारा, वे भी उन्हीं आदमियों को मिलेगी जो समर्थ हैं। आप किसी मिनिस्टर के पास अप्रोच कर सकते हैं, ऊंचे अफसरों के पास अप्रोच कर सकते हैं लेकिन जो गरीब तबका है उसके बारे में राज्य सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो प्रतिवेदन राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत हुआ है उस प्रतिवेदन को राज्य सरकार को पूर्ण रूप से इस बात को देखना पड़ेगा कि हमारे छोटे कर्मचारियों में असंतोष न हों, जिस प्रकार का विरोध उत्पन्न हो रहा है वह न हो, अशान्ति उत्पन्न होती जा रही है। जो अशान्ति उत्पन्न होती जा रही है उसको

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

दूर करने का उपाय राज्य सरकार नहीं सोचेगी तब तक माननीय सभापति जी समाजवाद की कल्पना नहीं हो सकती है। राज्य सरकार की नीतियों को इससे सम्बन्ध है, उनको परिवर्तन करना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं अभी इसी सदन के एक माननीय सदस्य ने कहा अकेले आदमी की ढोल में तूती की आवाज कौन सुनता है। उन्होंने यह बताया जब तक राज्य सरकारें कारखानों और व्यापार का राष्ट्रीयकरण नहीं कर देगी तब तक समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती है। गलत नीतियों के कारण राज्य सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान राजस्थान के एक्सचेकर को किया है। माननीय सभापति जी रोडवेज का राष्ट्रीयकरण किया और उसमें करोड़ों का नुकसान बताया और जहां नुकसान का सवाल आया उसको निगम बना दिया और उसका ज्वाला प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिया और वे वहां जाकर ज्वाला प्रसाद न रह कर शीतला प्रसाद हो गये। यही स्थिति है राज्य सरकार की। राष्ट्रीयकरण किया है यह तो राज्य सरकार जाने लेकिन ज्वाला प्रसाद जी तो वहां जाकर शीतला प्रसाद हो गये यह अवश्य है। माननीय सभापति, दूसरा राष्ट्रीयकरण किया पाठ्य पुस्तकों का समयाभाव के कारण मुझे जल्दी जल्दी में ये बातें कहनी पड़ती है पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया। उन पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण में फूट गये राजस्थान सरकार के तकदीर। जो नक्शा दिया गया है उसमें गलतियां, सैसन समाप्त हो जायगा किताबें अवेलेबिल नहीं और किताब अवेलेबिल हो तो उसमें दस हजार गलतियां। राजस्थान विधान सभा में दुरुपयोग जैसा क्वेश्चन उठ जाय लेकिन राजस्थान सरकार के कान पर जूं रेंगने वाली नहीं है। राजस्थान सरकार का राजस्थान की जनता का कड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा उसके सदुपयोग में खर्च न कर के गलत योजनाओं में खर्च करते जा रहे हैं।

(6 म० प०)

समाज के विकास के ऊपर राजस्थान की सरकार एक पैसा खर्च नहीं करती है बल्कि राजस्थान की सरकार को पैसा खर्च करने के लिये कहां जरुरत पड़ती है। राजस्थान की सरकार मंत्रि मण्डल में वृद्धि कर सकती है, राजस्थान की सरकार के मंत्री मण्डल की वृद्धि के लिए उतनी ही कारें खरीदने की जरुरत होगी, उतने ही बंगले बनाने की जरुरत होगी, मंत्रियों को और सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए चाहे हिन्दुस्तान में कोई चीज मिलती हो या नहीं मिलती हो लेकिन फोरेन कन्ट्रीज से भी रेफ्रीजीरेटर मंगाने पड़ेंगे। फोरन एक्सचन्ज मिले या नहीं अगर फोरेन आर्टीकल मंगाना पड़ता है तो किसी न किसी रूप में पब्लिक एक्सचेकर के जरिये से यह राज्य सरकार खर्च करती है और जब कर्मचारियों के वेतन का प्रश्न आता है या अन्य प्रश्न माननीय सदस्य इस सदन के सामने उठायेंगे तो मंत्री महोदय बड़े ही गर्व के साथ यह कह दिया करते हैं कि अर्थाभाव के कारण राज्य सरकार इन सारी समस्याओं पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है......

श्री सभापति: माननीय सदस्य भाषण समाप्त करें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: मैं अभी करता हूं। दो तीन मुद्दे इस वेतन कमीशन के और हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो यह समस्या चल रही हैं उन सारी समस्याओं की नीति के प्रश्नों को लेकर राज्य सरकार को सोचना

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

होगा। समयाभाव के कारण अब मैं केवल दो तीन बातें इस प्रतिवेदन के संबंध में माननीय वित्त मंत्री महोदय आपको यह बताना चाहता हूं और यह तो ठीक है कि गुलामी के जमाने में ब्रतानिया हुकूमत जिस प्रकार का शासन करती आई थी 'डिवाइड एण्ड रूल' की पालीसी को काम में ला रही थी आज उसी प्रकार की नीति राज्य सरकार कर्मचारियों के साथ लागू करके चलना चाहती है। एक ही प्रकार की सेवा करने वाले कर्मचारी लोग दो विभागों में हैं तो दोनों जगह तनख्वाह का क्रम अलग अलग रख दिया जिसके कारण यह होगा कि वह कर्मचारी आपस में असंतोष का अनुभव करेंगे। वह आपस में इस प्रकार की भावना रखेंगे कि एक को दबाकर और दूसरे को पक्ष में लेकर राज्य सरकार की जैसी नीति रही है और उनका सहारा लेकर चुनावों में और अन्य कार्यों में आगे कदम बढ़ाते रहे हैं इसी भावना को लेकर इसको प्रतिवेदन में किया गया है। उदाहरण के तौर पर को-ऑपरेटिव के इन्सपेक्टर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के इन्सपेक्टर का सवाल ले लें। दोनों इन्सपेक्टर का काम एक सा है। मैं यहां तक कहने के लिए तयार हूं कि को-ऑपरेटिव के इन्सपेक्टर को देखा जाय तो उसकी ड्यूटी किसी किस्म से कम नहीं है, एग्रीकल्चर डिपाटमेंट के इन्सपेक्टर को देखें तो उनका काम भी वही है लेकिन उन दोनों के वेतन क्रम में अंतर है। एक का ज्यादा और दूसरे का कम क्यों किया?

(6.04 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस डिपार्टमेंट में लेबोरेटरी के असिस्टेन्ट की और सी० आई० डी० के जो कर्मचारी थे और जितना वेतन उनको पहले मिलता था उस वेतन को भी कम करने के बाद जो राज्य सरकार ने कार्यान्वित किया है उससे जितना वेतन उनको पुराना मिलना चाहिए था उस वेतन में भी आपने कमी कर दी है। सबसे बड़ी बात तो यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि जहां तक मेडिकल प्राईवेट प्रेक्टिस बन्द करके भत्ता देने का सवाल था और जिसके ऊपर इस राणावत कमीशन के प्रतिवेदन के अन्दर महत्वपूर्ण सिफारिशें की है। यह पैरा इस प्रकार से है:

"आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले मौखिक साक्ष्य के दौरान शासकीय साक्षियों ने अभिव्यक्त किया कि जन-साधारण को राहत देने की दृष्टि से प्राईवेट प्रेक्टिस की बढ़ती हुई बुराई को रोका जाना चाहिए निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा ने प्राईवेट प्रेक्टिस की प्रथा को चालू रखने के विरुद्ध अपना मत व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह बेतुका है कि करदाता को जो कि इस देश में पहले से ही कर भारों से दबा हुआ है चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए डाक्टरों को फीस के रूप में धन देना पड़े और कि यह सामान्य मनुष्य का शोषण है तथा इस देश में ऐसा होना बड़ा ही दुखप्रद है। सेवा के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों और आ। विज्ञान महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों में से अधिकांश ने (पांच में से चार ने) भी डाक्टरों द्वारा धन के लिए प्रदर्शित अतृप्त लालसा के कारण चिकित्सा व्यवसाय की गिरावट पर अपनी चिन्ता प्रकट की है। एक महत्वपूर्ण साक्षी द्वारा तो वर्तमान स्थिति को 'कलंक' के रूप में प्रकट किया है। निदेशक की राय में राज्य सरकार का अधिक अच्छे वेतन-मानों के कारण और प्राईवेट प्रेक्टिस की

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

रियायत वापिस लेने के फलस्वरूप प्रेक्टिस बंदी भत्ता दिया जाने के कारण अतिरिक्त वित्तीय भार मानकर धन बचाना उचित नहीं है।'

एक और वेतन आयोग अपने प्रतिवेदन में निश्चित रूप से यह कहता है कि जहां डाक्टरों को तनख्वाह मिलती है तो प्राईवेट प्रेक्टिस उनकी बंद हो जानी चाहिए क्योंकि यह शिकायत अमूमन ऐसी आई है कि डाक्टर के यहां इलाज कराना तो घर पर चलो और 25-30 रुपया फीस का दे दें तो हॉस्पीटल में कमरा भी मिल जायेगा, एडमीशन भी मिल जायेगा और दूसरी सुविधायें भी मिल जायेंगी। इन सारी समस्याओं को देखते हुए और बहुत सी इन समस्याओं से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों की राय लेने के बाद प्रतिवेदन में कहा है कि प्राईवेट प्रेक्टिस बन्द कर देनी चाहिए और उनको अलाउन्स दे देना चाहिए। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार ने यह नहीं सोचा और कहा कि इनको अलाउन्स नहीं दिया जाये और प्राईवेट प्रेक्टिस करने दी जाये। यह बड़ी गहन समस्या है और मैं अपने विचार इस प्रकार से व्यक्त नहीं करना चाहता हूं बल्कि स्पष्ट रूप से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार को यह बताना चाहता हूं कि मैं यह भी मानकर चलता हूं कि एक्सपीयरेन्स्ड डाक्टर्स जो होते हैं वह बड़े क्वालीफाइड होते हैं। लेकिन जो 400 रुपये का भत्ता आप उनको देना चाहते हैं नॉन-प्रेक्टिसिंग अलाउन्स का तो इसमें कोई डाक्टर आने वाला नहीं है 400 रु० के लालच में। अगर कोई डाक्टर बाहर पांच-सात हजार की प्रेक्टिस करता है तो वह उसको छोड़कर आपके यहां सर्विस में नहीं आयेगा ....

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल के बहुत से माननीय सदस्य बोलने को हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: हमारी पार्टी से मैं दूसरा ही सदस्य बोल रहा हूं। पहले महासवल साहब बोले और उनके अलावा मैं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे बोलने वाले हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : तीन निर्दलियों में से एक भी नहीं बोला है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करता हूं कि यह जो स्थिति है यह वास्तव में बड़ी गम्भीर स्थिति है इसलिए राज्य सरकार को यह सोचना होगा; हम आलोचना की दृष्टि से यह बात राज्य सरकार के सामने नहीं रखते, हृदय में बुरी भावना नहीं रखते और जो छोटे छोटे डाक्टर्स हैं उनकी प्राईवेट प्रेक्टिस बन्द कर दें तो यह उचित नहीं होगा। वैसे भी सिद्धान्त को देखते हुए निश्चित रूप से हमको मानना पड़ेगा कि जहां लालच होता है, even the impartial minds are not blind when their personal interests are involved.

जब यह समस्या एक मानव के सामने आती है तो निश्चित रूप से आप प्राइवेट प्रेक्टिस की अनुमति डाक्टर्स को दे देते हैं तो कोई ऐसा इन्सान नहीं होगा जो रुपये की लालच से उसको बन्द कर दे। लेकिन हमको राज्य में अच्छे डाक्टर्स की जरूरत है। अच्छे एक्सपर्टस को अपने यहां रखने के लिए राज्य सरकार को यदि और भी रुपया खर्च करना

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

पड़ता है तो राज्य सरकार को निश्चित रूप से रुपया खर्च करना चाहिए और एक्सपर्ट्स को अपने यहां राज्य में रखना चाहिए।

अब मैं दूसरी समस्याओं के ऊपर आता हूं। इन्हीं डाक्टर्स के अन्दर से जो लेबोरेटरी असिस्टेन्ट्स हैं यह बहुत से ऐसे आदमी हैं कि जिनको प्राईवेट प्रेक्टिस करने का सवाल ही नहीं होता, उनको अलाउन्स देन के बारे में आप सोच सकते हैं। जो डाक्टर्स हैं और दूसरे वेटरनरी डाक्टर्स हैं उन दोनों के वेतनों में बहुत फर्क रखा हैं। उसके ऊपर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए।

नर्सेज का और कम्पाउन्डर्स का सवाल है और हार्ड ड्यूटीज करने वाले दूसरे आदमी भी हैं उनका सवाल भी है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि 6 बज सकते हैं, 7 बज सकते हैं, 8 बज सकते हैं, 9 बज सकते हैं क्या यह जो सिपाही यहां आकर ड्यूटी देते हैं यह हार्ड ड्यूटी वाले नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा में काम करन वाले कर्मचारी हैं, उनकी हार्ड ड्यूटी नहीं हैं? आखिर हार्ड ड्यूटी है क्या? इसका अन्दाज यह राज्य सरकार किस प्रकार से लगाती है, यह समझने में नहीं आता है। राज्य सरकार तो अपनी मर्जी से जैसा राज्य सरकार ने सोच लिया उस आधार पर चलने वाली है एक महत्वपूर्ण बात मैं माननीय वित्त मंत्रीजी! आपको और बताना चाहता हूं। जब सारे वेतन आयोग की रिपोर्ट को देखा तो मुझे आप से यह अपेक्षा नहीं थी। मंत्री तो आप बन गये और बरसों से मंत्री चले आ रहे हैं। राज्य सभा में भी चले गये और पार्लियामेंट में भी चले गये, लेकिन आपकी असलियत क्या थी? वकालत से आप यहां आये। उस वकालत को आप भूल गय, और सब से बड़ा अफसोस मुझे इस बात का होता है, माननीय उपाध्यक्ष, कि जो आदमी जुडिशियरी से चल कर आया है, उसने जुडिशियरी के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। जो राज्य सरकार ने प्रावधान किये हैं उन्हें जिस प्रकार से राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करने जा रही है उस प्रावधान में राज्य सरकार ने मुन्सिफ और सिविल जजेज और हर जुडिशियल सर्विस के आदमियों के बारे में किस प्रकार की स्थिति रखी है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालना मैं उचित समझता हूं, माननीय उपाध्यक्ष।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया संक्षेप में कहेंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं संक्षेप में ही 3-4 मिनिट में खत्म कर दूंगा।

माननीय वित्त मंत्री महोदय, म आपके सामने प्रमुख रूप से इस चीज को रखना चाहता हूं कि, उपाध्यक्ष महोदय, मुन्सिफ का जुरिस्डिक्शन दो हजार तक का रखा गया है और सिविल जज का जुरिस्डिक्शन 10 हजार का रखा गया है। जहां तक पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का सवाल है उस पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में मिसलें सिविल कोर्ट्स में निश्चित रूप से मुन्सिफ के पास से आती हैं। नं० 1। दूसरा सवाल यह है कि आजकल नोटिफिकेशन के द्वारा मुन्सिफ के द्वारा जो फैसले किये जाते हैं उन फैसलों की अपील को सिविल जज निर्णय करता है। इसके निर्णय करने का अधिकार सिविल जज की अदालत को है तो मुन्सिफ की अदालत से सिविल जज की अदालत ऊंची हुई जो कि

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

उनके फैसलों का निर्णय करती है। माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक लैण्ड एक्वीजीशन के केसेज का सवाल है तो लैण्ड एक्वीजीशन के केसेज में चाहे दो लाख का मामला हो चाहे दो करोड़ का मामला हो चाहे तीन करोड़ का मामला हो या इससे ज्यादा पैसों का मामला हो उन सारे मामलों को डिसाइड करने का अधिकार इस राज्य सरकार ने इन सिविल जजेज को दे दिया है। चौथी मिसाल यह है कि असिस्टेन्ट सेशन्स जज के पावर्स भी इस राज्य सरकार द्वारा सिविल जजेज में निहित कर दिये गये हैं। ये चार अहम मुद्दे हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदय, इन चार मुद्दों पर आपको विचार करना चाहिए, और इन चार मुद्दों पर विचार करने के पश्चात् मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मुन्सिफ की पोस्ट को और सिविल जज की की पोस्ट को एक केडर की पोस्ट आप मानते हैं या विभिन्न प्रकार की पोस्ट मानते हैं ?

सबसे बड़ी बात यह है कि आपने आर० ए० एस० आफिसर और आर० पी० एस० आफिसर और आर० जे० एस० आफिसर इन तीनों को एक ही केडर में रख दिया, लेकिन इस प्रकार का निर्णय लेने के पहले क्या आपने यह सोचा है कि आर०ए०एस० के लिये कौन-आदमी एलिजिबल होता है ? किन आदमियों में कम्पीटीशन होता है ? आर० ए० एस० आफिसर एक मामूली ग्रेजुएट भी हो सकता है। कोई पाबन्दी नहीं है कि वह आर०ए०एस० का इम्तिहान न दे सके, लेकिन आर० जे० एस० के कम्पीटिटिव एक्जामिनेशन मे बैठने के लिये, आर०जे०एस० के इम्तिहान पास करने के लिए कम से कम एलएल०बी० की डिग्री हासिल करनी पड़ती है जो कि एक पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री है। दो साल कम से कम उस कोर्स में लगाने पड़ते हैं। इस प्रकार निश्चित रूप से आर०जे०एस०, आर०ए०एस० से ज्यादा कैटेगरी का होता है। इनको 375 से 800 की ग्रेड, माननीय उपाध्यक्ष, वही आर०जे०एस० आफिसर के लिये रख दी। उनकी दो साल की ज्यादा क्वालिफिकेशन का सवाल नहीं और यदि कोई बार में से जाकर बैठे तो उसके अनुभव का कोई सवाल नहीं। आर०ए०एस० को क्या फैसिलिटीज और एमेनिटीज देते हैं और आर० ज०एस० को क्या फैसिलिटीज और एमेनिटीज देते हैं ? आर०ए०एस० आफिसर को कार भी मिल जायगी, चपरासी भी मिल जायगा, टी०ए०,डी०ए० भी मिल जायगा, लेकिन प्रोफेसर मेटलण्ट जो दुनिया का एक एमीनेंट जुरिस्ट हुआ है उसने कहा है--

Judges and Magistrates are beasts of burden.

लेकिन राजस्थान सरकार के सामने यह समस्या नहीं आई है। बड़े गर्व के साथ जब माननीय भैरोंसिंहजी इस बात को कह रहे थे तो माननीय मुख्य मंत्रीजी अपनी गरदन हिला रहे थे और वित्त मंत्री महोदय ने साफ कहा था कि कोई फर्क नहीं किया। श्रीमान् फर्क डालना है तो 500 से 1,000 का करें, लेकिन आप बताईये कि सिविल जजेज गिनती में कितने हैं ? आर०ए०एस० आफिसर जहां सिलेक्शन ग्रेड ले जायेंगे वहां तो सर्विसेज का लिमिटेड नम्बर रखा है और वहां की सर्विसेज के बारे में कोई लिमिटेड नम्बर रखते हैं तो किस पर्सेन्टेज के हिसाब से आप ले जाना चाहते हैं ? लेकिन आज आपने 1,100 से लेकर 1,500 तक का ग्रेड दिया है। और इनको 700 से 1,200 का दिया है तो उसके लिए मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अब तक यह मान्यता रही है

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कि जुडिशियरी के अन्दर करप्शन नहीं है और लोगों के अन्दर यह भावना है कि यदि हमें इंसाफ की मांग करना है तो न्यायालयों के दरवाजे खटखटाओ। आज कई मामलों में मुन्सिफ की अदालत में राज्य सरकार के खिलाफ कई मामलों में दावे हो जाते हैं। मुन्सिफ निर्भीकता के साथ राज्य सरकार के खिलाफ विचार करके निर्णय दे देता है। अब इससे तो यही प्रतीत होता है कि माननीय वित मंत्री महोदय 700 से 1,200 की ग्रेड देकर सिविल जजेज को खरीदना चाहते हैं जो आपकी गुलामी करते रहें, क्योंकि सिविल जजेज को तन्ख्वाह देना आपके हाथ में है। भ्रष्टाचार को जुडिशियरी में डालना चाहते हैं ताकि जुडिशियरी के आफिसर्स जिनकी मान्यताओं के बारे में हम यह विश्वास रख कर चलते थे कि जुडिशियरी के ऑफिसर बेईमान नहीं होते हैं, उस जुडिशियरी को बेईमान करने की दृष्टि से आपने इस ग्रेड को फार्मुलेट किया है। माननीय वित्त मंत्रीजी, अगर आप इस भ्रम को ठीक करना चाहते हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी, यदि वास्तव में आप राजस्थान के राज्य को सही माने में संचालन करना चाहते हैं तो मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि डिस्पेरिटी, जो इस प्रकार के भेद भाव जुडिशियल आफिसरों के बारे में रखना चाहते हैं आपको इस को ठीक करना पड़ेगा। आपके सरकारी खजाने के ऊपर अगर आप 700 से 1,200 का ग्रेड कर देते हैं तो, माननीय वित्त मंत्री महोदय, एक साल में कुल 15,000 रु० खर्च पड़ता है। इससे ज्यादा एक पैसा नहीं पड़ता है। मैंने यह हिसाब लगा लिया है। 15 हजार रुपय तो माननीय मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्री महोदय के एक मामूली दौरे में खर्च हो जाया करते हैं। इस 15,000 रु० की समस्या को लेकर कम से कम राजस्थान में इस जुडिशियरी के बारे में आपको उदारता पूर्ण व्यवहार बरतना चाहिए। अनुदारता पूर्ण व्यवहार नहीं बरतना चाहिये।

मैं यह विश्वास रखता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री और राजस्थान के वित्त मंत्री महोदय इस पर पुनर्विचार करेंगे, और विचार करके जो समुचित निर्णय होगा उसको लेने की चेष्टा करेंगे। अन्त में.....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं रिप्लाई नहीं देना चाहता हूं पर बीच में इन्टरवीन करना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष : अभी ये बोल रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप बोल लें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में जहां तक राज्य के कर्मचारियों का प्रश्न है इस राज्य के कर्मचारियों के प्रश्न को लेकर जैसा कि राजस्थान सरकार की नीति के विषय में राजस्थान सरकार द्वारा यहां के कर्मचारियों में द्वेष उत्पन्न करने के संबंध में निवेदन किया, तो अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार को निश्चित रूप से अपनी इस पालिसी का निर्धारण करना पड़ेगा कि जिस वक्त राज्य कर्मचारियों के दिमाग में यह बात आ जायेगी कि हमारी सर्विसेज सेफ हैं, मेरी सर्विस नियमों के अनुसार चल रही है, मेरी सर्विसेज में किसी अधिकारी के नाराज होने से मेरे प्रमोशन में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होने वाला है, उस समय उसके विचार के अन्दर एक इम्पार्शियलिटी की भावना पैदा होगी, एक काम करने का इम्पीटस पैदा होगा, एफिसियेन्शी पैदा होगी, एक उत्साह पैदा

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

होगा। राज्य कर्मचारियों में इस प्रकार की भावना पैदा हो जायगी तो निश्चित रूप से कहूंगा कि जो हमारे प्रशासन में आज जिस तरह का ढीलापन आ रहा है, आज जिस तरह की अराजकता फैल रही है वह नहीं होगी। उसका मौलिक कारण क्या है ? उसका एकमात्र कारण यह है कि प्रशासन बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है। राज्य कर्मचारी अपने को सेफ महसूस नहीं करते हैं। राज्य कर्मचारी यह सोचते हैं कि अमुक मंत्री नाराज़ होगा तो स्थानान्तरण हो जायगा, उन्नति का चान्स नहीं मिलेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य कर्मचारियों को अपनी सर्विसेज की सिक्योरिटी देने के लिए ऐसे निश्चित नियम माननीय मुख्य मंत्रीजी आपको बनाने पड़ेंगे कि उन नियमों के आधार पर राज्य कर्मचारी सर्विस की सिक्योरिटी अनुभव करें। अभी जो अधिकार मिनिस्टर काम में लेते हैं और नाजायज दवाब डालकर उनका इधर-उधर ट्रान्सफर कर देते हैं, जब तक इन सारी बातों की रोक थाम नहीं करेंगे, राज्य कर्मचारियों के सामने यह समस्या चलती रहेगी। जब तक आप ऐसा प्रावधान नहीं करेंगे तो चाहे कितने ही आयोग बैठा दें उनका निराकरण नहीं हो सकता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, इस पे कमीशन के संबंध में जो कल से चर्चा चल रही है उसका विस्तृत जवाब तो वित्त मंत्रीजी देंगे लेकिन मैं बीच में इसलिए खड़ा हुआ हूं कि कुछ जो मूल भूत मुद्दे हैं उनके बारे में स्पष्टीकरण करूं....

श्री मनोहरसिंह मेहता : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर। मुझे क्षमा करिये, मुख्य मंत्रीजी जब स्पष्टीकरण कर रहे हैं तो अभी एक दो आदमी जो और बोलने वाले हैं उसके बाद में मुख्य मंत्रीजी स्पष्टीकरण करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : पहले करें तो क्या हानि होगी ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : बाद में करें तो हमारी बात भी आ जाती तो हमें भी सुनने में विशेष आनन्द आता। इसलिए मैंने अर्ज किया था, मुझे पांच-सात मिनिट से अधिक अर्ज नहीं करना है। इसलिए मैंने जो मांग की है उसको मुख्य मंत्रीजी मन्जूर कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई पाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन कर रहा था कि जो कुछ राजस्थान के अन्दर फैसले किये गये हैं उनको इस भूमिका के अन्दर देखना होगा कि किसी भी राज्य या किसी भी उद्योग के अन्दर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन स्तर का संबंध उस राज्य की वित्तीय स्थिति या उस उद्योग की वित्तीय स्थिति के साथ हमेशा जुड़ा हुआ होता है। आज राजस्थान के अन्दर, मैं समझता हूं, इस सदन के माननीय सदस्यों से यह छिपा हुआ नहीं है कि पिछले वर्षों में जहां तक राजस्थान के बजट का सवाल है, राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं का सवाल है, हमारे यहां पर जो रेकरिंग एक्सपेंडीचर है और उस पर पिछले अर्से में जो महंगाई भत्ते की वजह से जो वजन पड़ा है उस सबकी वजह से राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए एक असम्भव सी स्थिति बन गई थी कि हम इस भार को भी उठा कर चल सकते हैं। प्रत्येक वर्ष यह ओवर ड्राफ्ट बढ़ता हुआ चला जाता है

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

और उसकी वजहों में मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मूल वजह की तरफ हम लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है और 1969-70 के अन्दर जो डिअरनेस अलाउन्स पिछले फाइनेन्स कमीशन के बाद राजस्थान के अन्दर बढ़ाया है उसका वजन है, करीब पन्द्रह करोड़ के आस पास एक वर्ष के अन्दर राजस्थान के अन्दर आकर पड़ता है। माननीय उपाध्यक्ष जी, जितना टैक्स हम राजस्थान के अन्दर बढ़ाते हैं उस टैक्स को बढ़ाने के बाद भी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता और वेतन जो कुछ दिया जा रहा है उसकी पूर्ति भी आज राजस्थान नहीं कर पा रहा है और पंचवर्षीय योजनाओं पर निगाह डाली जाय तो जो कुछ भी सेन्ट्रल असिस्टेन्स हमको प्राप्त होता है उसके ऊपर राजस्थान अपनी तरफ से एक करोड़ भी एक तरह से कन्ट्रीब्यूट करता हो—उस तरह की बात नहीं आती है। इन परिस्थितियों के अन्दर हमारे राजस्थान के अन्दर जो हमारे कर्मचारियों की तरफ से यह मांग हुई कि राजस्थान के मंहगाई भत्ते का वही आधार होना चाहिये जो कि सेन्ट्रल डी० ए० का है, भारत सरकार के मंहगाई भत्ते का है। हमने उस आधार को स्वीकार किया। उसके बाद गजेन्द्र गड़कर कमीशन बैठा इस संबंध में भारत सरकार की तरफ से, उसने जो सिफारिश की, उस सिफारिश को भी राजस्थान की वित्तीय स्थिति थी या नहीं थी लेकिन मंहगाई की बढ़ोत्तरी को देखते हुए हमने उसको भी स्वीकार किया। पे कमीशन के लिये सब जानते हैं कि जब इस प्रकार का पे कमीशन बैठता है तो उसका परिणाम किसी भी राज्य के अन्दर, यदि पे कमीशन बैठाया जाय, तो बढ़ोत्तरी की ओर होता है; उसका आर्थिक वजन आवेगा—यह बात जानते हुए भी हमने पे कमीशन बैठाने की मांग को स्वीकार किया। पे कमीशन को बैठाने की मांग राज्य कर्मचारियों की तरफ से थी। हमने पे कमीशन उनकी मांग के आधार पर बैठाया। जस्टिस राणावत को उस कमीशन का चेयरमैन बना कर वन मेम्बर पे कमीशन नियुक्त किया। मैं समझता हूं सभी लोगों ने उसका स्वागत किया। उसके बाद पे कमीशन ने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने जो कुछ डिस्क्रीपेंसीज कुछ चीजों में मालूम होती थीं, उस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन करने की कोशिश की। मैं एक बात और साफ कर दूं, माननीय उपाध्यक्ष जी, जो सब्सटेंटिव मोशन आया है कि एक कमेटी इस हाउस की बैठे और इस पे कमीशन की रिपोर्ट को बैठ कर एक्जामिन करे और फिर अपनी रिपोर्ट दें तो इसका मतलब यह होगा कि पे कमीशन इतना हाई पावर कमीशन बैठाने की आवश्यकता समाप्त हो जावेगी; उसकी सेंक्टिटी नहीं रहेगी। तो हमने पे कमीशन बैठाने के बाद उसकी रिपोर्ट जो आई उसमें जो डिस्क्रीपेंसीज के कारण जो चेंजेज करने की जरूरत थी उतना करके उसको स्वीकार करने की बात की। मैं इतना अवश्य निवेदन कर सकता हूं कि जो राणावत कमीशन बैठाया गया, शायद रिकार्ड टाइम के अन्दर हिन्दुस्तान में इस कमीशन ने ही रिपोर्ट दी। रिपोर्ट आने के बाद, आज शायद माननीय सदस्यों को पता होगा, गुजरात के अन्दर, महाराष्ट्र के अन्दर और कुछ जगहों के अन्दर पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद डेढ़ साल, दो साल तक कई जगह पे कमीशन की रिपोर्ट पर फैसला नहीं किया गया, जबकि राजस्थान के अन्दर करीब करीब महीने भर के अन्दर इस बारे में फैसला करना शुरू कर दिया और मूल बेसिक बात के ऊपर, जहां पे स्केल का सवाल था उस पर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हमने अपना फैसला किया। माननीय उपाध्यक्ष जी, अगर, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों न इस गहराई के साथ इस चीज का अध्ययन किया होगा तो वह इस बात को मानेंग कि केन्द्रीय सरकार की बात जाने दीजिये, लेकिन केन्द्रीय सरकार के अलावा कुछ स्टेट्स के अन्दर कुछ कैटेगरी के अन्दर थोड़ा बहुत अन्तर मिलेगा लेकिन सारी कैटेगरीज को एक साथ, नीचे से लगा कर ऊपर तक लिया जाय, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान आज इस बात को कह सकता है कि हमारे यहां के पे स्केल्स हिन्दुस्तान के अन्दर किसी भी स्टेट के कम्पेरीजन के अन्दर खराब नहीं कहे जा सकते। बल्कि कई मायने में आगे ही कहे जा सकते हैं। यह उन परिस्थितियों के अन्दर किया गया है जब कुछ स्टेट्स के बजट सरप्लस हैं तथा कुछ स्टेट्स की वित्तीय स्थिति अच्छी है। इसके साथ ही बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारियों को संतुष्ट रखन की हमारी नीति रही है। राजस्थान सरकार की तरफ से राज्य कर्मचारियों की मांगों के प्रति जितना उदार और व्यवहारिक दृष्टिकोण रखा गया है आज, माननीय उपाध्यक्ष जी, देश के अन्दर राजस्थान के अन्दर कांग्रेस की सरकार है लेकिन दूसरे स्टेट्स के अन्दर गैर कांग्रेसी सरकारों के साथ जो दूसरे कर्मचारी हैं उनकी मांगों के संबंध में वहां क्या हुआ है–मैं समझता हूं इसको देश भी जानता है और राजस्थान भी जानता है।

जयपुर से आन वाले माननीय सदस्य ने कर्मचारियों के बारे में काफी यहां चर्चा की, व्यवहार के बारे में भी चर्चा की और अभी 19 तारीख को जो स्ट्राइक होने वाली है उसके बारे में बहुत सी औचित्य के बारे में चर्चा की, लेकिन मध्य प्रदेश में जो स्ट्राइक ई कर्मचारियों की तरफ से, वहां पर गैर कांग्रेसी सरकार थी और उसमें जनसंघ भी था, (श्री भैरोंसिह जी से) क्या सहयोग नहीं है आपका ? आपका सहयोग है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। वहां पर जनसंघ के सहयोग से बनी सरकार ने क्या क्या कर्मचारियों के साथ व्यवहार किया है, यह राजस्थान के कर्मचारी अपने दिल से पूछते हैं तो वह जानते हैं। यहां पर बैठ कर बात करना एक बात होती है और उस पर कार्यवाही करना और व्यवहार करना दूसरी बात होती है। यू० पी० में कर्मचारियों के साथ क्या हुआ ? केरल में नीड बेस्ड वेज मिलती हैं–आज यह सबको पता है। बिहार में आज क्या हुआ है, वह जानने के लिए जानते हैं। मैं समझता हूं कि सदन को यह मानना चाहिए कि जहां की वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर होते हुए भी हम इतना करने की बात करते हैं, वहां दूसरी जगह इस प्रकार का व्यवहार किया गया है। मैं समझता हूं हमारे कर्मचारी भी दिल के अन्दर इस बात को जानते हैं। कईयों ने आकर छोटे मोटे परिवर्तनों के अलावा आम तौर से इस चीज को स्वीकार किया कि राजस्थान के अन्दर जो कुछ संभव हो सकता था वह करने का हमने प्रयत्न किया है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो भी आप वेजेज तय करेंगे, सैलेरीज तय करेंगे, मैं तो यह समझता हूं कि देश भर को इस बात को विचार करके चलना पड़ेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लाइज या किसी खास दूसरे सेक्टर के एम्प्लाइज की जो कुछ वेजज हैं, सैलेरीज हैं आखिर उसका संबंध आम लोगों की पर कैपिटा इन्कम के साथ कुछ है। आज एक व्यक्ति जो कि सारे देश के अन्दर या राजस्थान के अन्दर रहता है अगर उसका जीवन स्तर

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

बहुत नीचा है तो यह संभव नहीं होगा कि हमारे कर्मचारियों का जीवन स्तर हम हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे ऊंचे लेवल पर ले जाकर रख दें। आज इस बात को विचार करके चलना पड़ेगा कि हमारी पे करने की कैपेसिटी क्या है, सारे देश के अन्दर हमारी स्थिति क्या है ? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी भारत सरकार का जो स्टेटिस्टिक्स आर्गेनाइजेशन है, सेन्ट्रल स्टेटिस्टिकल आर्गेनाइजेशन, उसने 1964-65 के जो आंकड़े इकट्ठे किये, उन आंकड़ों के आधार के ऊपर, जिन चौदह स्टेट्स की प्रति व्यक्ति आमदनी के आंकड़े 1964-65 के इकट्ठे किये गये हैं, उनमें राजस्थान-बिहार के अलावा दूसरे नम्बर पर सबसे नीचे आता है, जिसकी पर कैपिटा इन्कम 365 के करीब बताई है, जिसके आधार पर कल ही हमारी एन० डी० सी० कान्फ्रेन्स के अन्दर बात की गई, जबकि आल इंडिया का एवरेज पर कैपिटा, माननीय उपाध्यक्षजी, जिसको हम सामने लेकर चलें, वह 423 है, पंजाब में 619 पर कैपिटा इन्कम है, महाराष्ट्र के अन्दर 529 पर कैपिटा इन्कम है, राजस्थान के अन्दर 365 रुपये पर कैपिटा इन्कम होते हुए भी यहां के वेजेज के ये स्केल्स हैं—इस बात को निगाह में रख बिना हम नहीं चल सकते।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर आज जितनी फेसिलिटीज दी जा रही हैं, एज्यूकेशन की फसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज और दूसरी दूसरी फ्री फसिलिटीज राजस्थान में दी जा रही हैं दिल्ली में और और जगहों पर रहने वालों से पूछिये कि वहां क्या स्थिति है और यहां रहने वालों की क्या स्थिति है, रेंट के मामले में यहां वालों की क्या स्थिति है, तो कन्सोलिडेटेड पिक्चर को लिया जायगा तो राजस्थान के एम्प्लोईज की स्थिति और जगहों से कहीं अच्छी है। मैंने निवेदन किया कि इस प्रश्न में सबको अच्छा मालूम होगा, किसी को आप कहें कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम्हारी तनख्वाह 250 होनी चाहिये, यह किसी को बुरा नहीं लगगा, पर मुख्य चीज यह है कि क्या कर सकते हैं आप उनके लिये ? कई जगह गैर कांग्रेसी सरकारें चल रही हैं, उन्होंने इनके लिये क्या इन पिछले सालों में किया ? क्या किसी ने उदाहरण पेश किया कि उनके वहां मिनिमम वेज चपरासी के लिये, क्लास फोर्थ के लिये 250 कर दिया ?

दूसरों को कहने के लिये, उत्तेजित करने के लिये तो भाषण बहुत दिये जा सकते हैं पर उस जगह जा कर बैठते हैं तो व्यवहार में हम लोगों से ज्यादा बदतर व्यवहार कर्मचारियों के साथ करेंगे, यह सारी स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। आज हम तो इनके साथ सहानुभूति का व्यवहारिक दृष्टिकोण लेकर चले हैं। हमने कोशिश की है कि इनके साथ ठीक तरह से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें।

यहां एक फारमले की बात कही, फारमले तो कई प्रकार से वर्क आउट किये जा सकते हैं लेकिन टोटल एमिनिटीज को साथ लेकर चलना होगा, आज से 20 साल पहले एक फेमिली में मुश्किल से एक आदमी नौकर होता था, एक आदमी कमाने वाला होता था लेकिन आज एक फेमिली में जितने एडल्ट मेम्बर्स हैं, 4 हैं तो चारों आदमी या तो सरकार में काम करने वाले होंगे या और तरह से काम करते होंगे, उनकी फीमेल्स भी काम करती हैं तो फिगर्स इकट्ठे नहीं किये जाते, इसलिये हमें व्यवहारिक होना

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
पड़ेगा और क्या हमारे पास साधन हैं, क्या वास्तविक स्थिति है, यह सब देखना पड़ेगा। आज हर एक आदमी गवर्नमेंट में एम्प्लौयमेंट पसंद करेगा, एक आदमी क्लास फोर्थ का एम्प्लौयमेंट गवर्नमेंट में पसंद करेगा बमुकाबले कि किसी कारखाने में 150 की तनख्वाह के काम करने के, क्योंकि यहां और फैसिलिटीज बहुत हैं।

ज्यों ज्यों हमारी स्टेट की कैपेसिटी आगे बढ़ती है, उस ही के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, पर यह तो नहीं करके चल सकते कि Government by the people, for the Government employees,

फिर तो यह गवर्नमेंट नहीं चल सकती। जितने टैक्स इकट्ठे कर रहे हैं सब गवर्नमेंट एम्प्लोईज को देन के बाद किसी को कुए के लिये पैसा चाहिये तो नहीं देंगे, किसी को स्कूल के लिये पैसा चाहिये तो नहीं देंगे, विकास के काम नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट एम्प्लोईज को सोच कर चलना होगा कि अगर राजस्थान का विकास होगा तो उनके भी दो पैसे बढ़ेंगे और राजस्थान का विकास अगर अवरुद्ध हो गया तो राजस्थान पीछे की तरफ जायगा। तो हमें इन पहलुओं के अन्दर जाना पड़ेगा।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने किसी सर्कूलर का जिक्र किया कि उस सर्कूलर से क्लास फोर्थ की तनख्वाह रुक जायगी, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यदि ऐसा कोई सर्कूलर है तो वह गलत है, गवर्नमेंट की इन्सट्रक्शन्स के बावजूद लागू हुआ है तो वहां के अफसरों का ज्यादा कसूर है बमुकाबले क्लास फोर्थ के।

यह सवाल खड़ा हुआ कि जूडिशियल सर्विसेज के बारे में कि आर० जे० एस० को बमुकाबले आर० ए० एस०, आर० पी० एस०, के कम मिलता है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बैसिक सैलेरी जहां से स्टार्ट होती है वहां आर० जे० एस०, आर० पी० एस०, आर० ए० एस० में कोई फर्क नहीं है। दो साल के बाद में इन्क्रीमेंट आता है तो वहां सीनियर स्केल में 1,500 किये गये हैं। आज तक राजस्थान में यह पोजीशन रही कि मुंसिफ और सिविल जज दोनों रनिंग ग्रेड में थे, सिविल सेशन जज थे, उनका ग्रेड कम था। जोधपुर में मीटिंग हुई सिविल एडीशनल जज के ग्रेड में दोनों के बीच फर्क था, उसको सेशन जज के ग्रेड के समकक्ष लाये और सेशन जज को आई० ए० एस० के सीनियर स्केल के बराबर मान कर चला गया। उसके बाद प्रश्न खड़ा हुआ कि सिविल जजेज हैं इनका ग्रेड 1,000 से 1,500 कर दिया जाय, हमारे दिमाग में भी उस समय नहीं था पर एक समस्या और थी, इनके अन्दर ग्रेड अधिक होने से, जो रेस्पान्सिबिलिटी देना चाहते हैं, उसके लिये इनका ग्रेड अधिक होना चाहिये। हमने हिन्दुस्तान के, जहां जुडिशियरी का सेपरेशन है, उनके ग्रेड्स को देखा, राजस्थान के ग्रेड्स को देखा, गुजरात में, पंजाब में हायर ग्रेड्स प्रोवाइडेड हैं। वहां सीनियर सिविल जजेज हैं, लेकिन दोनों के ग्रेड अलग हैं, आम तौर से सीनियर के बराबर इनके ग्रेड नहीं हैं, तो भी हमने तय किया कि बीच का इन्टरमीजियरी ग्रेड 360 से कुछ था, उसको बदल कर 500 से इन्टरमीजियरी ग्रेड रखा और जिसने 10 साल मुन्सिफ का काम कर लिया वहां 1,000 से 1,500 में चला जायगा। तो माननीय सदस्य मानेंगे कि जहां हायर रेस्पान्सिबिलिटी देना चाहते हैं तो एक्स्पीरियन्स

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

भी सर्टेन मेच्योर पर पहुंचना चाहिये। सिविल और जूनियर जजेज के बीच की कैटेगरी बनाई 700 से 1,200 के ग्रेड की, उसमें 1/3 को लेकर चलें। जुडिशियरी को स्ट्रेन्थन करने के पोइन्ट आफ व्यू से हमने यह किया है। पहले सेलेक्शन होते थे, आर०ए०एस०,आर०पी०एस०,आर०जे०एस० के लिये ओप्शन देते थे, आर०जे०एस०थर्ड ओप्शन था, जो सीनियर से ऊपर चले जाते तो हार्ट वर्निंग क्रियेट होती थी इसलिए हमारे दिमाग में यह बात आई कि सर्टेन एक्सपीरियेन्स के बाद सीनियर स्केल मिलता है तो किसी को ऐतराज नहीं होगा।

प्रोमोशन के लिये मैरिट की चर्चा चलती है, मैं उस चर्चा के संबंध में व्यक्तियों की बात में नहीं पड़ना चाहता पर जिस फोरमूला के बेसिस पर पहले प्रोमोशन्स दिये गये, मैरिट के आधार पर, मैं समझता हूं मैरिट के आधार पर प्रोमोशन हों, इसमें देश में किसी का मतभेद नहीं है। सेंट परसेंट मेरिट के आधार पर प्रोमोशन्स की बात नहीं की है, यह फरदर कन्सीडरेशन के लिये रखी है। राणावत कमिशन की जो रिकमण्डेशन्स इस संबंध में हमारे सामने आई हैं और इस संबंध में इस सदन में जो चर्चा सामने आई हैं, वह भी हमारे सामने हैं।

हम तो चाहते हैं कि मैरिट को भी वेटेज होना चाहिये। हम मैरिट के वेटेज को मानते हैं। आखिर यह चीज आफिसर पर डिपेंड करती है कि वह कितना आब्जेक्टिवली असेस करता है और कितना नहीं कर पाता है लेकिन कौनसे फैक्टर्स ऐसे हैं जो आटोमेटिकली साबित कर दें कि इसमें मैरिट है और जिसमें डिस्क्रिशनरी पॉवर्स यूज करने की जरूरत न पड़े उसमें इन्सपेक्शन और डिस्पोजल्स की कुछ बातें बताई थीं। उन चीजों पर भी गौर करके आज आई०ए०एस० और आई०पी०एस० ऑल इंडिया सर्विसेज के अन्दर भी प्रोमोशन के मामले में कोई डी०पी०सी० नहीं बैठती। आज चाहे एस०पी० सीनियर स्केल में काम करता हो या कलेक्टर उस स्केल में काम करता हो, अगर कोजेन्ट कारण हैं कि सुपरसीड किया जा सकता है तो सरकार सुपरसीड कर सकती है, कोई पी०एस०सी० या डी०पी०सी० की जरूरत नहीं है। सरकार को ऑल-इंडिया सर्विसेज के लिए अख्तियारात हैं। फिर भी डी०पी०सी० में पी०एस०सी० का सदस्य एसोसिएटेड होता है और हैड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, वे मिलकर तय करते हैं। अब कुछ अगर लेकूना है तो सी०आर० लिखने वाले मामले में तो सभी माननीय सदस्य अनुशासन के लिहाज से इस बात को इग्नोर करके नहीं चल सकते कि उनके कान्फीडेन्शल रेकार्ड में उसका सुपीरियर आफिसर न लिखें। अगर सुपीरियर आदमी का कन्सीडरेशन न रखकर असेसिंग अथारिटी दूसरी होगी तो सारा अनुशासन बेकार हो जायगा। इसलिये इस बात का कन्सीडरेशन रखकर चलना होगा। इसलिये नोर्म्स जिसको वह चैलेंज कर सकते हों कि यह मेरा अचीवमेंट था रोंग असेसमेंट हुआ, वे कुछ फक्टर्स हो सकते हैं, तो उनकी तरफ हम भी माइंड एप्लाई करना चाहेंगे। माननीय सदस्य अगर कान्क्रीट सजेशन्स देंगे तो उनको भी जरूर कन्सीडर करेंगे। हम भी चाहते हैं कि सीनियरिटी के आधार पर सेलेक्शन करने में आलोचना कम होती है, वह एक ईजी वे है कि सीनियोरिटी के आधार पर प्रोमोशन हो गया। लेकिन जो 50वें नम्बर पर होगा वह कई वर्षों का केलकुलेशन लगाकर यह सोचकर बैठ सकता है कि मेरे जीवन में प्रोमोशन की गुंजाइश नहीं है। पर यदि उसको मालूम पड़े कि वह अच्छा अचीवमेंट

(श्री मोहन लाल सुखाड़िया)

करे तो मुझे भी प्रोमोशन मिल सकता है तो मैं समझता हूं कि प्रशासन में कुशलता के लिहाज से मरिट वाली बात की आज देश भर में चर्चा की जाती है। मैं तो यह भी कहता हूं कि आल-पार्टी बेसिज पर फार्मूला सजस्ट कर दें या मेरिट फार्मूला कामयाब हो तो मुझे खुशी होगी। मैं चाहता हूं कि Real merit should be respected. उस पर सोचकर चलें लेकिन बहुत से आदमी मैरिट फार्मूला को रिजेक्ट करवा कर सीनियोरिटी की आड़ में फायदा उठाना चाहते हैं। हम सदन में कोई उस आधार को मानकर नहीं चलते। इसलिए इस दृष्टि को सामने रखकर चलें तो ज्यादा अच्छा होगा।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं आपसे और निवेदन कर दूं। यहां पर मिनिमम और मेनिमम सेलेरीज के बारे में चर्चा हुई। मेक्सिमम के बारे में हमने एक परिवर्तन किया कि चीफ इंजीनियर्स की जो ग्रेड थी वह कमिशन ने 2,250) मक्सिमम सजेस्ट किया था उसके बजाय हमने 2,500 किया उसका एक कारण था कि पहले डी०एम०एच० एस० और चीफ इंजीनियर की ग्रेड 2,500) तक जाती थी, कुछ कैटेगरीज के अन्दर नहीं थी टैक्निकल सर्विसेज के अन्दर बराबर फीलिंग काम करती रही है कि हम टैक्निकल आदमी हैं, इसलिये हमारा ग्रेड हमेशा किसी तरह से आई०ए० एस०वालों से कम रखकर चला जाता है और कभी भी 2,500) तक पहुंचने लायक नहीं समझते, इसलिये जब एक स्टेप हम ले सकते थे, उसके अन्दर टैक्निकल सर्विसेज के मामले में पीछे स्टेप लेते तो वह हमने वाजिब न समझकर हमने मैक्सिमम पर उनको रखा। लेकिन लो लेविल्स पर जो मिनिमम था उसको कहीं पर लोअर नहीं किया, जहां का तहां कायम किया है। यहां पर सवाल सिर्फ 4–5 का है।

स्पेशल पे का सवाल भी सरकार के विचाराधीन है कि स्पेशल पे के बारे में क्या नीति अपनाई जाय। हम भी चाहते हैं कि जिन पदों पर विशेष जिम्मेदारियां हों या ज्यादा काम हो उनको ही केवल दी जाय, वरना नहीं होनी चाहिए। कमीशन ने जो कहा है, सदन में चर्चाएं हुई हैं, उनको लक्ष्य में रखते हुए, सरकार आगे फैसला करेगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब प्रश्न न पूछें। बाद में वित्त मंत्री से पूछ लें। स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि·····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य····

श्री रामचन्द्र आर्य : कांग्रेस दल समाजवाद की बात करता है, आपको एक हजार के ऊपर वालों का वेतन नहीं बढ़ाना चाहिए और एक हजार से नीचे के जो कर्मचारी हैं उनका वेतन बढ़ाना चाहिये। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप कहते हैं कि फैलाने फलाने राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार थी उन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन आज जब कांग्रेस समाजवाद में विश्वास करती है, गांधीजी के सिद्धान्तों के अनुसार वह समाजवाद में विश्वास करती है इसलिये एक मजदूर को 20 पैसे प्रतिदिन दिए जाएं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य····

श्री रामचन्द्र आर्य : इतना फर्क तो नहीं होना चाहिए । इस बारे में आपके क्या विचार हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जब यह रिपोर्ट आई और इसम जो नीचे ही नीचे की श्रेणी है उनका 60-1-65-2-85 रखा है....

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके प्रश्न का उत्तर दिलाया जायगा वित्त मंत्रीजी से ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मनोहरसिंहजी आप बैठ जाइये ।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री से आपके प्रश्न का उत्तर दिलाया जायगा ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मुख्य मंत्री सदन छोड़कर भाग गए, जवाब नहीं देना चाहते, उनका समाजवाद में कोई विश्वास नहीं है, वह समाजवाद के दुश्मन हैं । वह बड़ी तनख्वाह वालों की तनख्वाह बढ़ाते हैं और गरीबों की नहीं बढ़ाते हैं । गरीबों को तो किसी को 2–2, किसी को 4–4 या 5–5 या 8 या 10 रुपये, इससे ज्यादा वेतन उनका नहीं बढ़ा जबकि एक हजार से ऊपर वालों की 100), कुछ लोगों की 600) 600) तनख्वाह बढ़ाई गई है । कुछ लोगों की 2,500) 2,500) तनख्वाह रखी है । इस प्रकार की नीति को छिपाने के लिए, इस प्रश्न को टालने के लिये, मुख्य मंत्री यहां से भाग गए हैं ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अच्छा होता कि जिन लोगों की तनख्वाह 2,000) से 2,500) है....

श्री रामचन्द्र आर्य : साढ़े तीन करोड़ रुपये हर साल अधिक खर्च होगा जिसमें से छोटी तनख्वाह वालों को एक करोड़ मिलेगा और ढाई करोड़ बड़े कर्मचारियों को मिलेगा ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अच्छा होता बड़ी तनख्वाह वालों ने मां का स्थान ग्रहण किया होता कि हम अपनी तनख्वाह नहीं बढ़वाना चाहते....

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरे प्रश्न का जवाब दिया जाय । एक तरफ लोगों को तीन तीन हजार की तनख्वाह दी जाती है, दूसरी तरफ 20 पैसे प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है, उनकी रोटी रोजी का इंतजाम नहीं है । इस तरह गरीबों पर कुठाराघात किया जाता है इस लिए .....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य, आप बहुत ही पुराने सदस्य हैं, आप बारबार...

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरे प्रश्न को टाला क्यों जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सुझाव है कि मुख्य मंत्री को बुलाने के लिये माननीय आर्य को ही भेजा जाय ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा होता, बड़ी तनख्वाह पाने वालों ने मां का स्थान ग्रहण किया होता तो छोटी तनख्वाह पाने वालों में इतना असंतोष है, वह नहीं होता । जैसे स्नेक और लैडर का

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
खेल होता है वही स्थिति हुई है। जिनकी 500) की ग्रेड थी, उनकी 1,100) कर दी गई है, जिनको 2,000) की तनख्वाह मिलती है उनको 200) या 100) का फायदा हुआ है। एक तरफ चपरासी का 60-1-65 किया है उसका एक रुपया साल में बढ़ता है, दूसरी तरफ 100) रुपये बढ़ते हैं। तो स्थिति तो बिल्कुल विपरीत थी। जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। राजस्थान में अकाल की हालत है। जब महाराणा प्रताप पर संकट था, तो भामाशाह ने कहा, यह धन किस काम का ? इस तरह बड़े कर्मचारी अपने अन्नदाता के पास पहुंच जायं कि अन्नदाता यह लो, हमारी तनख्वाह में से हम इतना कटवाते हैं। जिसको 100 रुपये मिलते हैं, वह एक रुपया कटवाएं, जिसको 200) मिलता है वह दो रुपया सैंकड़ा कटवाएं और जिसको 2,500) मिलता है वह 25 प्रतिशत कटवाएं याने 625) कम। तो मालिक के मन में भी खयाल होगा कि ये मेरे चाकर हैं, कह रहे हैं अब संकट म हैं हमारा राजस्थान, उधर बच्चे घर घर रो रहे हैं, गायें मर रही हैं, फसलें सूख रही हैं और हमें वेतन बढ़ाने की सूझ रही है। कृपा कर अकाल है जब तक इस को लागू न करिये। पहले अकाल का मुकाबला होने दीजिये। यह मालिक की छाती पर बड़ा भारी प्रहार है। शासकों की फिर तनख्वाह बढ़ा रहे हैं।

दूसरा निवेदन यह है कि जितने भी राज्य कर्मचारी हैं चाहे जितनी उनको थोड़ी तनख्वाह मिलती हो, राजस्थानी का उनमें खून है, एक रुपया सैंकड़ा अपनी आय में से निकाल कर प्रतिमाह वह उन लोगों को दे सकते हैं जो अकाल से पीड़ित हैं। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि मैं स्वयं पांच रुपया सैंकड़ा अकाल राहत मंत्रीजी के पास हर महीने भेज दूंगा, मंत्री जिस रूप में भी चाहें उसको अकाल राहत के काम में लें। सब लोग अकाल का सामना करने के लिये अपनी आय में से निकाल कर दें तो करोड़ों रुपयों की मदद दी जा सकती है। यदि इस अकाल के समय में इस वेतन को नहीं लेंगे तो 3।। करोड़ की बचत होगी। सब अपने ही निकालेंगे। चपरासियों से भी निवेदन किया है। मुख्य सचिव से भी कहना चाहता हूं कि वे ईमानदार आदमी है, उनकी चादर उज्वल है, वे भी 625) अपने वेतन से कटवायें और सब से प्रार्थना करें कि सब ही ऐसा करें।

वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने फरमाया था कि 17 गुना का फर्क है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इन्होंने तीन साल में कमाया वह तो निकालें। अपने शासन काल में पैदा किया वह तो दान कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय आर्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय आर्य ! आप बार बार इस चर्चा में बाधा पहुंचा रहे हैं आयन्दा आप ऐसा करेंगे तो मुझे आपको सदन से बाहर जाने के लिये निवेदन करना पड़ेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : खुशी से कर सकते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उन्होंने फरमाया कि इन्कम-टैक्स में कट जाता है। यों फरमाते तो 17 गुणा भी नहीं था। और भी कट जाता है। कार खरीदते है, रेफरीजरेटर खरीदते हैं, मेम साहब के लिए शृंगार का सामान आता है उसमें टैक्स देते हैं, शराब

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
पीते हैं तो उसमें भी चला जाता है। माथुर साहब यह कहते तो अच्छा होता कि उनके तो 300-400 बैठता है, घर में मां है, बच्चे हैं। चार लड्डू हैं। मां चार ही लड्डू खा रही है और बच्चे भूखे रह रहे हैं। उसको क्या कहेंगे ? इसलिए आप सब आइये और इसको मुल्तवी रखिये एक साल के लिये। एक पर्सेन्ट त्याग करिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि कृपया अकाल के संबंध में सहायता के लिये अपील निकालिये। यह देख लीजिये कि भामाशाह बनने के लिये तैयार है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुल प्रसाद।

श्री रामचन्द्र आर्य : कम से कम पांच मिनिट मुझे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में देखूंगा।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस रिपोर्ट पर....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेन्ट रिप्लाई कब तक है ?

श्री उपाध्यक्ष : बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या ज्याद: है तो निश्चित नहीं कहा जा सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लोग लघु शंका, दीर्घ शंका से निवृत होकर आवेंगे।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : राणावत वेतन आयोग ने जो रिपोर्ट सरकार के सामने रखी है, उसको जो टर्म ऑफ रेफरेन्स दिये थे और उनमें जो कसर मालूम पड़ी है तो एक जज के बजाय दो जजेज को दिया जा सकता था। उनकी रिपोर्ट की छानबीन करने के लिये तीन आई०ए०एस०अफसरों की कमेटी नियुक्त की ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका रिप्लाई सोमवार को दिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : स्पीकर साहब का यह आदेश हुआ था कि गवर्नमेंट रिप्लाई आज ही होगा। गवर्नमेंट आज रिप्लाई देने के लिये बाध्य है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि रूल्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से 11 से 5 बजे तक का समय नियत है। विशेष परिस्थिति में एक घंटे का समय बढ़ा सकते हैं। सदन की अनुमति से दस बजे भी चलायें। पोइन्ट इसीलिये रेज किया है कि कुछ समय निश्चित हो जाय आगे पीछे, कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, कोई आध घंटा बोलेंगे, कोई एक घंटा बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार की ओर से उत्तर 8। बजे शुरू होगा। अब माननीय सदस्य जो बोलेंगे वे दस दस मिनिट ही लेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : कितने बोलने वाले हैं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बहुत हैं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : अगर रिपोर्ट में कसर है या स्क्रुटिनी करने की जरूरत है तो हाई कोर्ट के दो जजेज को और बिठाते। मुख्य न्यायाधीश जो रहे हैं उनकी इस रिपोर्ट पर स्क्रुटिनी करने के लिए राज्य सरकार के तीन आई०ए०एस० आफिसर्स और बैठ जायं यह सम्माननीय नहीं है, मैं इसको बुरा मानता हूं। तीनों अफसरों की रिपोर्ट पर राज्य

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

सरकार के केबिनेट ने जो निर्णय लिये हैं वह उन लोगों के टिप्पण के बाद ही लिये हैं। कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने है। तीन आदमियों की जो कमेटी आपने नियुक्त की उसका टिप्पण हमारे सामने नहीं है। वे क्या थे यह हम नहीं कह सकते। इस पर विचार करना अधूरा ही रहेगा। तीन व्यक्तियों के आयोग ने क्या निर्णय लिये यह जब तक हमारे सामने नहीं आ जाता है तब तक साफ नहीं होता है।

वित्त मंत्री जी ने कल बताया कि दूसरे राज्यों के वेतन स्केल को देख कर ही हमने यह वेतन स्केल बढ़ाया। दूसरे राज्यों की वेतन शृंखलायें हमारे सामने नहीं आयीं। हर सदस्य के पास हर राज्य की वेतन शृंखलायें आनी चाहिये। कई प्रश्न ऐसे हैं जैसे भारत सरकार के इन्जीनियर्स से हमारे यहां के इन्जीनियर्स की स्केल्स ज्यादा हैं। कुछ में ज्यादा पे दे रहे हैं और कुछ में बहुत कम दी जा रही है। पे कमीशन बिठाने का सबसे बड़ा तात्पर्य ही यही होता है; इसी सिद्धान्त पर यह बिठाया जाता है कि कम से कम कितना वेतन दें कि जिससे लोगों का जीवन निर्वाह हो सके। 230) रु० की बात तो केन्द्रीय पे कमीशन के हिसाब से होती है। मैं यह नहीं कहता कि 230) रुपया दिया जाय। डा० पटवर्धन के अनुसार 3,600 केलोरीज होनी चाहिये। इस दृष्टि से 136) रु० होता है। आयोग के सामने एक बात रहती है और आयोग एक बात तय करके देता है, 136 होना चाहिये और 136) रु० सरकार मान लेती तो 50 लाख से अधिक खर्चा नहीं होता।

(7 म० प०)

राजस्थान में कितने ही पे कमीशन बिठाये गये हैं। मनुष्य को खाने पीने को 3,600 कैलोरीज चाहिये। उसके लिये 136 रुपया होना चाहिये। इसलिये फोर्थ क्लास को हम 136) रुपया दें। जो कुछ भी दिया गया है, उससे राज्य पर 3।। करोड़ का भार पड़ता है। माननीय सदस्यों ने कहा कि फोर्थ क्लास के हिस्से में 2, 4 रुपयों से ज्यादा नहीं पड़े हैं। उनके 45 से 60 न्यूनतम किये हैं। 45 से 60 मिनिमम वेतन करने से उनका 33 पर्सेन्ट वेतन बढ़ा है। इसके बजाय 53 प्रतिशत मूल वेतन में और बढ़ा दें। यानें मूल वेतन में 11) रु० और बढ़ा कर उनका न्यूनतम 70,71 वेतन कर दिया जाय। 60 रुपये के बजाये यह करते हैं तो हम उनका कुछ भला कर पायेंगे। पे पांच बार बढ़ी हैं। सन् 56 में, 61 में 66 में वेतन बढ़ा है। लेकिन यह बढ़ा उन्हीं लोगों का है, - जो ज्यादा पे पाने वाले हैं। उनके 600 रुपये से 1200 रुपये हो गये। उनकी मंहगाई बढ़ गई। उनके खाने पीने का सरकार ध्यान रख सकती है। लेकिन उनके हर ऐशो आराम की मंहगाई का सरकार ध्यान रखेगी तो राज्य सरकार जीवन पर्यन्त तक उनकी पूर्ति नहीं कर पायेगी। खाने के लिये जो मनुष्य की आवश्यकता है, उसमें कितना वेतन बढ़ना चाहिये, उस हिसाब से बढ़ावें। उनका वेतन सन् 56 में बढ़ा, 65 में बढ़ा, सन् 66 में बढ़ा। हर बार आफिसर का वेतन बढ़ा है। इसमें यू०डी०सी० का वेतन नहीं बढ़ा। मेक्सीमम 10 रुपये बढ़ा दिये। इसके बजाय ऊपर के आफिसर्स से 650 कर दिये। अब 1000 कर दिये। अब बड़े आफिसर के वेतन 1800-2000 कर दिया। एक दिन रात में 200, 300, 400 रुपये बढ़ गये। एक साल के अन्दर दो दो बार उनके पैसे बढ़े हैं। यह एक बड़ी अनोमोली है। पे कमीशन ने भी इन आफिसर्स पर

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

असीम कृपा कर दी है। इस असीम कृपा के कारण मैं नहीं ढूंढ पाया हूं। पर्यटन विभाग में असिस्टेन्ट डाइरेक्टर की एक पे स्केल थी। वह 170-375 थी। उसको पे कमीशन ने 375-850 कर दिया है। इस तरह राणावत साहब ने 200 रुपये इनके बढ़ा दिये। मालूम नहीं कौन है असिस्टेन्ट डाइरेक्टर पर्यटन विभाग में? इसके बराबर ही ए० पी० आर० ओ० की पे स्केल है। यह पे स्केल असिस्टेन्ट डाइरेक्टर से ज्यादा थी किन्तु वह बेचारा वहीं का वहीं रह गया। पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट भी सरकार का है। उसका तो बिल्कुल ही नाम नहीं लिया गया। इसी तरह से और सर्विसेज के लोग है। पी० आर० ओ० लेबर वेलफेयर ऑफिस डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज ऑफिसर, असिस्टेन्ट पब्लिसिटी ऑफिसर, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव, इन लोगों की पे स्केल स्टट सर्विस से कम है। इनके बजाय तहसीलदार, असिस्टेन्ट अकाउन्टस आफिसर की पे स्केल ज्यादा हैं।

मैंने पर्यटन विभाग के बारे में निवेदन किया है। इस प्रकार की बातों पर ध्यान देना चाहिये। सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। जेल सेवा वालों की मांग थी कि उनको प्रशासनिक सेवा के बराबर वेतन दिया जावे। राणावत साहब ने इसका एक बड़ा कारण ढूंढा। कहा कि यह गलत है। उनमें वृद्धि नहीं है। प्रशासनिक सेवा नहीं होनी चाहिये। यह पुलिस सेवा होनी चाहिये। और यकायक उनके पे स्केल एकदम बढ़ा दिये। 550-1250। 700 एक साथ बढ़ा दिये। डी० आई० जी० के 1250। इस तरह जेल विभाग पर भी उन्होंने बड़ी असीम कृपा की है, वरदान दिया है। इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कृषि विभाग को भी वरदान दिया है। उन्होंने मांग की उन्हें 360-900 की स्केल दी जावे और कमीशन ने उनकी मांग पर 400-900 कर दिया। दूसरे के लिये डिपार्टमेन्ट ने सिफारिश की 400-900 कर दी जावे। राणावत साहब ने 500-1000 कर दी। परन्तु विभाग में जो दूसरे काम करने वाले हैं, उनकी पे स्केल्स राणावत साहब ने नहीं बढ़ायी हैं। एक तरह से यह सिद्धान्त बनाया कि समान काम करने वाले को समान वेतन दिया जायगा। उनकी क्वालिफिकेशन के बराबर पे होगी। परन्तु इसमें इसका ध्यान नहीं रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो कारखाने में काम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में कमीशन ने सिफारिश की है, कि सरकार श्रमिकों को मासिक वेतन के आधार पर नहीं रक्खे। आज तक वे मासिक वेतन पर रखे गये हैं। यह गरीबों पर दया की है। न्याय दिया। उनको मासिक वेतन पर नहीं रख कर दैनिक वेतन पर रखें। इस प्रकार उन्होंने गरीबों के साथ न्याय नहीं किया है। पूरा ध्यान नहीं दिया है। इसलिये सरकार को निवेदन करना है कि इस तरफ ध्यान देना चाहिये। यह समाजवादी सरकार है।

उपाध्यक्ष जी, सन् 50 में चपरासी की वेतन वृद्धि एक रुपया हुआ करती थी। आज 60) रुपये मिनिमम कर देने पर भी वेतन वृद्धि एक रुपया ही रखी है

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

सन् 50 से 68 तक यही वेतन वृद्धि चली आ रही है। दूसरी तरफ जो वेतन वृद्धि हुई है, वह 100 रुपये

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)
तक हुई हैं हमने न्यूनतम 125 और अधिकतम 2,350 रुपया रखा है । इसमें जो फर्क है वह 1 और 19 का है। यह न्यूनतम 136 रुपया कर दें तो यह फर्क 17।। का रहेगा । अब वेतन वृद्धि की बात करेंगे तो 125 वाले का यदि एक रुपया बढ़ता है तो 2,350 वाले के 20 रुपये की वृद्धि होनी चाहिये परन्तु इसके बजाय बढ़ते हैं 100) रुपये । इस तरह मेरी राय में हमारी सर्विसेज म 1 और 100 का फर्क है । इसलिये वेतन वृद्धि यदि चपरासी को एक रुपया देते हैं तो अधिकतम वालों को 20 रुपया देना चाहिये अन्यथा चपरासी की वेतन वृद्धि भी बढ़ा देनी चाहिये । नीचे वालों का वेतन वृद्धि-क्रम साल में एक रुपया रखा है और जमादार को 2 रुपया वार्षिक वृद्धि रखा है जो बहुत ही कम है । वेतन स्केल आपको इस प्रकार के बनाने चाहिय जिससे कम से कम वेतन 75 और मंहगाई 65 इस तरह से 135 रुपया बेसिक सैलेरी होनी चाहिये और किसी की वेतन वृद्धि चार रुपये साल से कम नहीं होनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एम्पलोयमेन्ट एक्सचेन्ज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । इसमें उप-निदेशक रोजगार अधिकारी है और सहायक निदेशक इनकी 285 से 800 की पे थी उसको बढा कर 375 से 850 कर दिया है । उप-निदेशक रोजगार अधिकारी, सहायक निदेशक 600 से 1100, उप-निदेशक 360 से 900 और सहायक निदेशक 600 से 1,100। इसके ऊपर वाला तो 360 से 900 पायगा और नीचे वाला अधिकारी 600 से 1,100 । मैं समझता हूं यह टाइप की गलती है ।

श्री मथुरादास माथुर : टाइप में गलती हो गई है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इस तरह से वेतन-क्रम में जो असमानता रही है जैसा कि आप मानते हैं सहायक निदेशक ग्रेड टाइप के कारण गलत हो गया है आप इसको दुरुस्त करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि वेतन स्केल्स के बारे में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान वेतन आयोग का प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसको मने गौर से पढ़ा है इसके सम्बन्ध में जो मेरे विचार हैं वे मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । पहले मैं सदन का ध्यान अध्याय 4 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है :

"वेतनमान ऐसे हों जिनसे स्वयं और परिवार के सामयिक विस्थापन को ध्यान म रखते हुए उचित न्यूनतम जीवन स्तर का अभिनिश्चयन हो सके । सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान जीवन निर्वाह व्यय को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित पारिश्रमिक हेतु बनाये जाने चाहियें और विभिन्न प्रकार के कार्यों के वेतनमानों में, जिनमें चातुर्य और जिम्मेवारी की अपेक्षा की जाती है, उचित अन्तर होना चाहिये ।

यह जो सिद्धान्त है, सेन्ट्रल पे कमीशन ने भी यही सिद्धान्त तय किया है । इस सिद्धान्त का जहां तक प्रश्न है राजस्थान वेतन आयोग के द्वारा कतई ध्यान नहीं रखा गया है । मैं इस ओर ध्यान सदन का

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें नवीन वेतन श्रृंखलायें दी गई हैं । 60 तो न्यूनतम स्केल रखा है और 2,500 अधिकतम स्केल है । इस तरह से 60 और 2500 का जो अन्तर है वह 46.6 प्रतिशत हो जाता है । इस तरह से 1 से लेकर 15 तक डिफरेन्स 46 प्रतिशत तक हो जाता है । न्यूनतम वेतन जो हमने तय किया है वह 125 रुपया किया इसमें 60 वेतन और 65 महंगाई भत्ता दोनों को मिलाकर हम देखें तो 1:20 का अन्तर रहता है । इस तरह से न्यूनतम वेतन को लेकर कहा जाय तो नीचे के वेतन में और ऊपर के वेतन में बहुत अन्तर है जो समाजवाद के सिद्धान्त के बिल्कुल प्रतिकूल है । हम जो कदम उठा रहें हैं वह समाजवादी समाज रचना की ओर कदम नहीं उठा रहे हैं । इस ओर हमें जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिये यह प्रयास करना चाहिये कि जो नीचे के स्तर के कर्मचारी हैं उनका स्तर बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिये । 125 रुपया जो न्यूनतम वेतन तय किया गया वही केन्द्रीय सरकार में 135 किया गया । वह तो हमें कर ही देना चाहिये ।

मैं जहां तक समझ पाया हूं 500 से ज्यादा जिनका वेतन है उनके वेतनों में बढ़ोतरी की गई है उसका मैं घोर विरोध करता हू । आज देश की आर्थिक स्थिति बडी नाजुक है, हमारा प्रान्त गरीब प्रान्त है यहां पर पांच सौ से अधिक वेतन किसी का नहीं होना चाहिये । आज इस कमीशन ने भी पांच सौ से ऊपर वालों की तनख्वाह में ज्यादा बढ़ोतरी की हैं । इसके बारे में भी कर माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट कई दिये हैं । इस प्रकार की बढ़ोतरी करना मैं सही नहीं मानता । अधिक वेतन वालों का अधिक बढ़ाना मैं समझता हूं यह समाजवाद नहीं है यह पूंजीवाद का द्योतक है । इस बारे में सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिय ।

स्पेशल पे के बारे में मेरा निवेदन हैं कि जिनका वेतन पांच सौ से अधिक हैं उनको स्पेशल पे कभी नहीं मिलनी चाहिये ।

दूसरा सुझाव विशेष तौर से मेडिकल फेसिलिटीज् के बारे में देना चाहता हूं । इस पर हम बहुत ज्यादा खर्च करते चले जा रहे हैं । एक हजार से ज्यादा जो वेतन पाते हैं उनको मेरे विचार से कोई मेडिकल फेसिलिटीज नहीं देनी चाहिये । वह अपने और अपने परिवार की चिकित्सा का खर्चा खुद उठायें । और 750 से लेकर 1 हजार तक जिनका वेतन हैं उनको जो खर्चा मेडिकल का आता हैं उसमें से केवल पच्चीस प्रतिशत ही उनको दिया जाय । इसी प्रकार 500 से 750 तक पाने वाले हैं उनको पचास प्रतिशत मेडिकल रिएम्बर्समेंट किया जाय और जिनका वेतन पांच सौ से नीचे है उनको शत प्रतिशत मेडिकल सुविधा दी जाय । यह बहुत उचित रास्ता हैं इस ओर हम कदम बढ़ायेंगे तो हमारी इन्कम में लाभ होगा ।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि हम मकान बनाने के लिये बहुत ज्यादा लोन देते हैं । जो एक हजार रुपये से अधिक पाता हैं उसको बिल्कुल मकान बनाने के लिय ॠण नहीं दिया जाना चाहिय । इसके विपरीत जो गरीब हैं, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हैं, उसको अपनी झोंपड़ी या मकान बनाने के लिये प्लाट के लिये ॠण की पूरी सुविधा देनी चाहिये । इसमें टीचर भी आजाने चाहियें, और निम्न आय वर्ग के लोग भी होने चाहिये । ये लोग अपना छोटा मोटा कच्चा पक्का मकान बना सकें और अपना जीवन यापन

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

ठीक प्रकार से कर सकें—इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये ।

स्पेशल भत्ते के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी सर्विसेज हैं जिनको जान का खतरा हो जैसे डाकू अभियान में जो पुलिस वाले हैं उनको स्पेशल पे मिलनी चाहिये । इसी प्रकार रेगिस्तानी क्षेत्र में जो मास्टर रहता है, सीमावर्ती क्षेत्र म मास्टर रहता है वह कष्टमय जीवन व्यतीत करता है उसको पीने का पानी नहीं मिलता है ऐसे लोगों को स्पेशल भत्ते मिलने चाहिये । असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी—जो पंखों के नीच ठंडी हवा में मौज उड़ाते हैं उनको कतई इस प्रकार के भत्ते नहीं दिये जाने चाहिये । वैसे लोगों को दिया जाय यह भत्ता जो घोर कष्ट उठाते हैं और कठोर कर्त्तव्य जिनको करना पड़ता है । उन सर्विसेज के बारे में स्पेशल पे के बारे में विशेष तौर से व्यवस्था करनी चाहिये बाकी की बन्द कर दी जावें । खास तौर से जुडीसियल ऑफिसियल के बारे में भी कहना चाहूंगा । जूनियर मुंसिफ और आर० ए० एस० का बराबर है, पर सिविल जज के बारे में अन्तर किया गया है । यह अन्तर ठीक नहीं है । वे समझते हैं कि 49 से 56 तक रिक्रूटमेंट नहीं किया था । 56 से 60 के मुंसिफों की तरक्की हो गई । परन्तु यह भी ध्यान रखना है उनकी तरक्की हो गई, 55 और 58 की एज होने पर भी उनको चान्स मिल गया । पर 60 से 63 में बने हुए मुंसिफ 12 से 14वें साल में जज बन सकेंगे । और 64 से जो होंगे वे 16 से 24 वर्ष के बाद में हो सकेंगे । ऐसे मुंसिफ होंगे जो मुंसिफी में ही रहेंगे, उनकी सर्विस आगे बढ़ नहीं सकेगी । तो इसलिये जुडीसियल सर्विसेज के लिये विशेष तौर से जिनसे इन्साफ चाहते हैं और जिनकी इन्टेग्रिटी पर निर्भर रहना होता है और विश्वास होता है इसलिये चाहिये कि उनको भी आर० ए० एस० का 1,200 का ग्रेड दें ।

इन्हीं शब्दों के साथ में समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डूंगाराम ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : यह राणावत आयोग की रिपोर्ट पर सदन में विचार हो रहा है । इस पर मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं । सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो आयोग है उसने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर कोई ध्यान नहीं दिया इसलिये कि वे बड़े परिवार म पैदा हुए और उसी में रहे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तकलीफें वे क्या जानें ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, उधर तो भाषण देने वाले ही बचे हैं । बाकी सब चले गये ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : एक बात यह भी देखने को मिली रिपोर्ट में कि डिपार्टमेन्ट ने अपने सुझाव आयोग के सामने मांगने पर पेश किये पर वे और कर्मचारियों के बारे में तो थे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बारे में किसी भी प्रकार का सुझाव नहीं दिया है कि अमुक प्रकार से अमुक ग्रेड उनका हो जाना चाहिये । बड़े कर्मचारी अपना ही पेट भरना जानते हैं । बाकी छोटे कर्मचारियों का किसी को खयाल नहीं रहा ।

बड़े अधिकारियों का तो यहां तक ख्याल रखा गया है कि उनको यही पता नहीं कि

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

खाने पीने की चीजें किस भाव मिल रही हैं, इतनी लापरवाही से वे खर्च करते हैं और इसी हिसाब से उनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई है। मैं आप को क्या कहूं छोटी सी बात है, अगर जयपुर में किसी बाजार में कोई चीज खरीदने गई तो बड़े कर्मचारी की स्त्री यह नहीं कहेगी कि इस का क्या भाव है, किस भाव से दे रहा है दुकानदार और क्या पैसा ले रहा है, जो पैसा मांगेगा दुकानदार वही देकर चली आवेगी। उसको तो अपनी पसन्द की चीज चाहिये बस। उनको इसकी चिन्ता नहीं कि कौन चीज किस तरह कहां से आती है। अनाप शनाप पैसा उनके पास आता है। जब चाहें उतनी तनख्वाह अपनी बढा लेते हैं। कुछ भी कर लेते हैं।

बाकी फोर्थ क्लास के नागरिक हैं जो उनके कपड़े धोते हैं, उनकी स्त्रियों के कपड़े धोते हैं और दफ्तर में भी काम करने के बाद सुबह शाम का समय भी उनके घर पर देते हैं अपने बच्चों की भी वे देखभाल नहीं कर सकते, सारा जीवन उनके पीछ निकाल देते हैं। उन कर्मचारियों के लिये रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं किया है-इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह जो रिपोर्ट लायी गई है वह बड़ कर्मचारियों के लिये या बड़े बड़े अधिकारियों के लिये है। जितनी सुविधा उनको दी गई है, उसके लिये मैं तो यहां तक कहूंगा कि पहले से ही उनको काफी सुविधाएं हैं, उल्टी उनमें भी कटौती करनी चाहिये। और यह कटौती की बचत का पैसा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिया जाना चाहिये।

पहले भी यह महंगाई का सवाल आया था। उस समय सौ पर पांच रुपया इन छोटे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का बढ़ाया गया था जब कि बड़े बड़े अधिकारियों का 35 से 80/85 बढा दिया गया था। आखिर ये बड़े कर्मचारी जो इतना खर्चा करते हैं उनका कितना बड़ा पेट होता है। महंगाई तो सब पर बराबर पड़ती है। इसमें भी महंगाई की फेसिलिटी बड़ों को बड़ी दी जाती है और छोटों को छोटी।

इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी एक बात देखने को मिली है कि तनख्वाह बढ़ाई गई है वह अलग है और महंगाई अलग है तो वह बात भी मैं जहां तक समझता हूं बड़े कर्मचारियों की नहीं होनी चाहिये।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, 125) न्यूनतम वेतन कायम किया गया है।

(गणाभाव-सूचक घंटी)

(गण पूर्ति हो जाने पर)

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये और करूंगा। वेतन आयोग ने ऐसा सुझाव दिया है कि जो चपरासी रखा जावे वह न रखकर उसकी जगह बड़े कर्मचारियों को ही कुछ भत्ता दे दिया जावे। एक बात इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि कुछ दिन पहले राज्य सरकार से एक ऐसा आदेश निकला डिपार्टमेंट के नाम कि 8 लिपिकों पर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होना चाहिये और इस से ज्यादा हों तो हटा दिये जाने चाहिये। तो मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो हटाये जावेंगे उनको सेवा से निवृत्त कर दिया जावेगा या क्या होगा? इसकी भी जानकारी दें।

इसके अलावा अभी मुख्य मंत्रीजी ने देश की हालत के बारे में कहा।

श्री उपाध्यक्ष : यह रिपोर्ट है इस समय विचाराधीन ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : वह जो वक्तव्य देकर आये हैं छोटे कर्मचारियों के लिये बहुत ही खराब वक्तव्य देकर आये हैं और बड़े कर्मचारियों को बहुत कुछ दिया है ।

इसके अलावा एक एक जुलाई से लागू करने को कहा है उसे एक सितम्बर से लागू किया है । इसके मूतल्लिक नई वेतन श्रृंखलाओं में जो देना है वह दें । उनको इस रिपोर्ट से कोई लाभ नहीं मिला । पांच वर्ष पुराने जो कर्मचारी हैं, मैं चाहता हूं उनको भी लाभ मिलना चाहिए । इसके अलावा एक ही केटेगरी के कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला भिन्न भिन्न रखी गई है यानि एक ही योग्यता, एक ही सारी बात है लेकिन वेतन श्रृंखला अलग अलग है । इस पर सरकार को सोचना चाहिए । वह अलग अलग न रखकर समानता बरती जानी चाहिए । इसके अलावा डाक्टरों के बारे में इस रिपोर्ट म यह कहा गया है कि डाक्टरों की प्राईवेट प्रेक्टिस बन्द होनी चाहिए । वाकई इस प्राइवेट प्रेक्टिस से उन गरीब लोगों को बड़ा नुकसान होता है । बड़ा नुकसान इसलिये होता है कि यह स्वाभाविक बात है किसी डाक्टर को प्राईवेट तौर पर 10 या 15 रुपया देकर दिखा लिया तो उसकी देखरेख भी अच्छी हो जायगी । दूसरे लोग जो उनको प्राईवेट फीस नहीं देंगे, और हास्पिटल में जायेंगे तो उनको ऐडमिशन भी नहीं मिलेगा, न कोई सुविधा मिलेगी । इसलिए जो वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है और विशेष भत्ता देने के लिए कहा है उसके अनुसार यह प्राईवेट प्रेक्टिस बन्द करा दी जाय ताकि गरीब लोगों का आसानी से इलाज हो सके ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ ।

श्री रघुनाथ विश्नोई व श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई । आपको (श्री रामचन्द्र आर्य) भी समय मिलेगा ।

श्री मोहनलाल मोदी : मुझे भी समय मिलना चाहिये । मेरा भी नम्बर है ।

श्री उपाध्यक्ष : नम्बर कौनसा है, वह मुझे ज्यादा मालूम है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में राणावत पे कमीशन की रिपोर्ट और मेमोरेन्डम जो पेश किया है नियम 68 के अन्तर्गत जो 12 तारीख को रिपोर्ट पेश की है उसको फाईनेन्स कमिश्नर और अपाईन्टमेंट सेक्रेटरी ने नोट बनाकर केबिनेट के सामने रखा व 6-7-8 रोज में जो निर्णय किया है वह हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है । इस बारे में माननीय उपाध्यक्षजी, इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य या विरोधी माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं । माननीय उपाध्यक्षजी, आज राजस्थान की जो परिस्थिति है–सारे राजस्थान में अकाल के जो काले बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे संकट को मद्दे नजर रखते हुए अगर इस समय के अन्दर साढे तीन करोड़ का भार राजस्थान सरकार पर नहीं पड़ता तो उचित होता ।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(7·35 म०प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

अगर भगवान की कृपा नहीं हुई तो न मालूम मवेशियों की और काश्तकारों की जो 50 पर्सेन्ट वेल्थ है उसको क्या हालत होगी। ऐसी कठिन परिस्थिति में यह जो काम हुआ है यह उचित नहीं लग रहा है। राजस्थान सरकार के जो सरकारी अधिकारियों का आन्दोलन चल रहा है और सरकार के सामने एसी कठिन सिचुएशन है कि राज्य कर्मचारियों ने आन्दोलन किया है अगर यह निर्णय बाद म लेते तो ज्यादा अच्छा होता। राज्य सरकार के जो ऊंचे आफिसर हैं उनको सोचना चाहिये। हमारे राजस्थान में 100 में 80 प्रतिशत ऐसे हैं जिनकी फेमिली बड़ी है, उनके आज क्या साधन हैं ? उनकी पर-केपिटा इन्कम कितनी है ? राज्य कर्मचारी जो आन्दोलन करते हैं वे अपनी मांगें पेश करते हैं और बार बार अपनी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में, डीअरनेस बढ़ाने के बारे में प्रदर्शन करते हैं। पिछले तीन साल म राजस्थान सरकार पर पे बढ़ाने में, डीअरनेस बढ़ाने में जो भार पड़ा है वह शायद हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा भार पड़ा है। राजस्थान का जितना फाईनेन्स है जो राजस्थान सरकार ने किया है उस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने विचार रखे हैं और सन्तोषजनक जवाब दिया है, इसके बारे में ग्रिवेन्सेज नहीं हैं परन्तु यह करने के बाद यह सोचना चाहिये अगर यह साढ़े तीन करोड़ का खर्चा हुआ है वे खुद बैठकर यह निणय कर दें कि एक साल बाद यह लागू कर दिया जाय। फेमिन कन्डीशन को देखने के बाद ही प्रस्ताव पास करके प्रेषित कर दें तो स्थिति आसान हो सकती है। वे भी आखिर ह्यूमेन बीइंग हैं, आज उनकी क्या हालत होगी। माननीय सभापति जी, बोर्डर ऐरिया जैसे जैसलमेर, बाड़मेर और उससे लगता हुआ बीकानेर वगैरह हैं ये क्षेत्र ऐसे हैं—जहां राज्य कर्मचारी काम करते हैं उनके सामने कठिन समस्या है। मैं, माननीय सभापतिजी, माननीय मुख्य मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो मास्टर लोग बोर्डर ऐरिया में जाते हैं, जो स्कूलों में काम करते हैं जिनकी फेमिली में दूसरे कमाने वाले नहीं हैं ऐसे क्षेत्र में 5-6 स्कूल पड़ते हैं उनको कुछ स्पेशल अलाउन्स दिया जाता तो उनकी समस्या सुलझ जाती और कुछ आकर्षण हो जाता। हमारे ख्याल से ऐसे एरिया में स्कूल खाली पड़े रहते हैं, कोई वहां जाना नहीं चाहता। उनकी पे आने जाने में खर्च हो जाती है। साढ़े तीन करोड़ का भार पड़ा है तो उन पर भी विचार किया जाता तो वहां के लोगों का मनोबल ज्यादा होता। माननीय सभापतिजी, जुडिसियरी के अन्दर जो 55 साल की घोषणा हुई उससे बड़ा फायदा मिला है। मुन्सिफ लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिला है, वह उनका भाग्य है। सिविल जज है 36 की लिस्ट है, 12 का प्रमोशन हो गया 24 बचते हैं। उन्होंने यह मांग की है कि हमारा भी कन्सीडर कर लिया जाता तो 13 हजार के आस पास वजन राजस्थान सरकार को और पड़ता है। जो 24 बाकी बचते हैं सारी उम्र तक प्रमोशन नहीं पा सकेंगे। और 12 ही पा सकेंगे यह बात बड़ी कनविन्सिंग लगती है। हमने भी यही कहा जुडिशियरी के अन्दर जो राजस्थान सरकार ने किया है वे अच्छी तनख्वाहें की हैं। जुडिशियरी के अन्दर हाई कोर्ट को चाहिये जो लोवर क्लास के मुन्सिफ हैं, सिविल जज हैं उनमें करप्शन की बू घुसती

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
आ रही है, उनके करप्शन को खत्म किया जाय नहीं तो लोगों का फेथ उठ जायगा। इसलिये, माननीय सभापतिजी, हाई कोर्ट को अपने जजेज के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिये। ऐसे करप्ट आफिसर हैं, उनको फौरन डिसमिस करना चाहिये तभी कुछ सुधार हो सकता है। परन्तु हम यह देखते हैं कि तनख्वाहें चाहे कितनी ही बढ़ा दी हो जिनकी आदतें खराब हो गई है, उनको ठीक करना चाहिये। हमारे पास कई कन्क्रीट उदाहरण है। यह गंभीर स्थिति उत्पन्न होती जा रही है।

हमने तो राजस्थान में जुडिशियरी को कम्पलीटली सेपरेट कर दिया है। यह आल इन्डिया पैटर्न था। यह बहुत अच्छी बात हुई परन्तु इसके साथ ही साथ हाई कोर्ट और जुडिशियरी की ओर भी राज्य सरकार को गम्भीरता से विचार करके उनमें जो करप्शन घुस रहा है उसको बन्द करने की कोशिश की जानी चाहिये।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, जो दूसरी स्पेशल पे की बात है वह एक आल इन्डिया पैटर्न है। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम अकेले राजस्थान में इसको कम नहीं कर सकते क्योंकि यह और दूसरे राज्यों में भी है। लेकिन सदन केन्द्रीय सरकार को अपना प्रस्ताव भेज सकता है। अब क्योंकि इसके लिए और दूसरी स्टेट्स तैयार नहीं हैं और वह कम नहीं कर सकतीं लेकिन हम राजस्थान से पहल करें और कहा जाये कि जितनी स्पेशल पे हैं उसके लिये हमारे राजस्थान की विधान सभा चाहती है कि इनकी स्पेशल पे बन्द हो। क्योंकि जो बड़े आफिसर्स हैं, हमारा निजी अनुभव है-कुछ आफिसर्स अच्छे हो सकते हैं काम के मामले में और जब हम सेक्रेटेरियट में जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ के पास कुछ भी काम नहीं है। सवेरे जाते हैं, थोड़ा काम करते हैं और शाम को लौट आते हैं। उनके नीचे जो स्टेनो काम करने वाले हैं वह नोट बनाते हैं और ऊपर वाले आफिसर्स सिर्फ दस्तखत करके चले जाते हैं। तो ऐसी भावना आज नीचे के अधिकारियों में है कि सारे काम तो हम करते हैं और ऊपर वाले सिर्फ कागज इधर के उधर करते हैं। यह बहुत ही डेंजरस स्थिति है। इसके लिए भी, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसके लिये वह गंभीरता से विचार करें और जिसका वर्क का डिस्पोजल कम हो उसके लिए भी सजा का प्रावधान नियमों में रखें और हम जनता को क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन और क्विक डिस्पोजल दे सकें ऐसे कदम उठाने चाहिए। इन विचारों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, यहां अभी हम दो ही आदमी बैठे हैं और दोनों को पांच-पांच मिनट दे दें तो निपटारा हो जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : इसी से जाहिर होता है कि विरोधी दल वालों को कर्मचारियों से कितनी दिलचस्पी है। कोरे भाषण देने की ही है।

श्री यशवंतसिंह नाहर (बनेड़ा) : सभापति महोदय, सदन में राजस्थान वेतन आयोग के संबंध में लम्बी चर्चा दो रोज से यहां चालू है।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

(7.43 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसके संबंध में दोनों पक्षों के मेम्बर्स के और दोनों ही तरफ के विचार सदन के सामने आये हैं। हमारे यहां राजस्थान में 2 करोड़ और कुछ लाख की जनसंख्या में 2 लाख 6 हजार के करीब सरकारी कर्मचारी हैं और राजस्थान की वित्तीय स्थिति के संबंध में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे सामने एक नक्शा प्रस्तुत किया था कि राजस्थान परकैपिटा इन्कम हमारी कितनी है और वेतन क्रम में राजस्थान हिन्दुस्तान और दूसरे प्रान्तों में किस स्थान पर है। मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में अभी बताया था कि हम पर कपिटा इनकम के मामले में हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों की सूची में नीचे से दूसरे हैं और वेतन शृंखलाओं में हम ऊपर से तीसरे नम्बर पर हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि 1951 और 52 के वर्ष को आधार वर्ष मानें तो प्राइस का इन्डेक्स 1967 में 207 हो चुका था और जून, 67 में चूंकि एक वर्ष अच्छा निकला था उसका 7 कम हो गया था लेकिन भविष्य वता रहा है कि अकाल के बादल मंडरा रहे हैं और प्राइस इन्डेक्स और वढ़ेगा। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह 125 रुपये राजस्थान की वित्तीय स्थिति, राजस्थान की अन्य अवस्था और राजस्थान के हर वर्ग की पर-कैपिटा इन्कम की दृष्टि से 125 रुपये के अतिरिक्त और ज्यादा बढ़ाया गया तो शायद इतना विभिन्न अनुपात हो जायगा कि राजस्थान में और भारतवर्ष में सारे भारतवर्ष को लेकर विभिन्न तरह के मतभेद और विवाद पैदा हो सकते हैं और मैं आप से निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजस्थान में जो अव्यवस्थित श्रमिक हैं, जो बिल्डिगों में काम करते हैं या दूसरी नौकरी करते हैं उनका मुश्किल से 40 और 50 रुपये मासिक वेतन आता है। इन सारी परिस्थितियों में, इन सारी विषमताओं के बीच में यद्यपि यह कहा जाय कि आज हम इस सदन में उस वेतन आयोग के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आये हैं जो कि सदन में चल रहा है। लेकिन हम इसको भी नहीं भूल सकते कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति और दूसरी अवस्थायें और इससे होने वाली विषमताओं को टाल सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए मैं मानता हूं कि इस समय इन अवस्थाओं को लेकर जो आपकी पर-कैपिटा इन्कम है और प्राइस इन्डेक्स है और हमारा जीवन-स्तर है, दूसरे श्रमिकों का वेतन है इन सब को लेकर 125 रुपये मासिक वास्तव में बहुत अच्छे हैं। मैं यह वस्तु स्थिति इस बात को मानकर नहीं रख रहा हूं कि मैं सस्ती वाह-वाही लेना चाहता हूं बल्कि जो वास्तविक स्थिति है वह मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विरोधाभास हैं, कुछ एसी एनोमोलीज हैं जिनके संबंध में सदन में बहुत कुछ कहा गया है उनको मैं नहीं दोहराऊंगा लेकिन एक दो बातें जरूर रखूंगा। नर्सेस को लेकर मेल और फिमेल नर्सेस में बहुत बड़ा अन्तर रख दिया गया है और लिंगानुसार यह भेद ऐसा है कि जो हमारे संविधान के आर्टीकल 48 की भावनाओं के विपरीत पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उनकी सेवाओं की दृष्टि से उनमें आपस में कोई फर्क नहीं होना चाहिये, इसलिए उनके वेतनक्रम को समान रूप से किया जाये।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं आपके वेटरनरी डाक्टर की तनख्वाह और वही वेटरनरी डाक्टर अगर विकास अधिकारी हो गया तो उसकी तनख्वाह में बहुत बड़ा अन्तर रखा गया है। और उसमें कोई प्रावधान ऐसा नहीं रखा गया है कि जो यह बताये कि उसको 800 रु० तनख्वाह कब मिलेगी। इसमें पक्षपात होने की सम्भावना है। इसलिए रास्ता बता दिया जाये कि 5-7 वर्ष में उस वेतन पर पहुंच जाये उसके बाद ही विकास अधिकारी नियक्त किया जायेगा। मैं सदन को अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो यह वेतन आयोग का दस्तावेज है आज की विशेष परिस्थिति में राजस्थान का बहुत अच्छा दस्तावेज है और बड़ी मेहनत से मुख्य न्यायाधीश ने तैयार किया है। उसमें जितनी एनामालीज हैं उनके लिए मैं मंत्रिमण्डल से निवेदन करूंगा कि उनको दूर किया जाय या अन्यथा कोई और चीज हो जिसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री आलम अली!

श्री आलमअली खां (फतेहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका जो आंकडा है आंकड़ा में बारे में कोई बात नहीं कहणो चाहूं। मैं वास्तविक जिकी बात है वा कहणो चाहूंगो। उपाध्यक्ष महोदय, जिका प्रजातन्त्र का नारा देणालिया है बी प्रजातन्त्र का नारा देणालां की बात आज में नहीं और दूसरा जिका विदेशों में भी कोई भी सुगो है आपकी बात तो बाने बहुत ज्यादा अफसोस हुए है। महात्मा गांधी जिकी बात कह्या करता जिसूं सगरी चीजां उलटी हो रही है। जिको प्रजातन्त्र है आज जो समाजवाद की बात है बीकी बात मैं कविता के जरिये बताऊंगा। उपाध्यक्षजी, आज की व्यवस्था जिकी है

कठे धाचाऊं रोटी नित वणे कठे लक्कड का
लक्कड फाड्या पड्या।
कठे धेले की विध निठ, बैठे, कठे लोट का लोट
उधाड्या पड्या।
कठे छाको टोपो निठ मिले कठे दूधां का
भर्या दुहारा पड्या।
कठे बडी सी हैली सुन्न पड़ी कठे खुडली में
बीसां भाड्या पड्या।
कठे रेशम का चदरा रोज फटे कठे मगर का
मगर उघाड़ा पड्या।
कठे दो दो लाडी ब्याहर्या कठे राण्ड्या
टांग पसारिया पड्या।

याह व्यवस्था 21 साल सूं महात्मा गांधी का झण्डा के नीचे नारा देणाल्या मैं आपने सही बात कहणों चाहूं, आपमें जो आयोग बोठायों है तो आपने बताऊं, उपाध्यक्ष महोदय, वो आयोग जिको एक राणों नाम को व्यक्ति हो जिको पेलों जिज हो, जिज कद हो? अंग्रेजां के टेम में। अंग्रेजां के टेम में नौकरी कर्योड़ा अफसर समाजवाद को काम बीके सामने आयो नहीं। बींका जिका समाजवाद की बात करे, समाजवाद में जिको नौकर हो। हिन्दुस्तान आजाद हुयो, आजाद जरूर हुयो, पर सागी मोटर रहगी और मोटर में पुरानी मशीनरी रहगी, मशीनरी सागी वाकी वा बैठी है। मशीन चेन्ज नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, जठे ताई मशीन चेन्ज नहीं हो तो समाजवाद थोड़े ही आ सके है। समाजवाद बीने बिल्कुल भूल गया। आप डबाली न भूल गया माथुर साहब। माथुर साहब चमचमाहट हो रहया है। उपाध्यक्ष जी, मैं कहणों चाहूं के जिका न बड़ी बड़ी तिनखा देणाला है खुदश्ने अपने आपने कह देणो चाहिए कि मैं एक सिद्धान्त को आदमी हूं,

(श्री आलमअली खां)

प्रजातन्त्र में विश्वास करण्या हां और तनखा ज्यादा नहीं लेणो चावहां हमारो जितो खर्चो है वितो ही लेस्यां। आज जगा जगा जिका हो रहे या है, काल परसों मंत्री जी कह रहया है कि मैं घेराव राजस्थान में नहीं होणे दां। उपाध्यक्ष महोदय, आ आयोग जिका है वीसू थारा कपड़ा दुश्मन होसी आ जिका कपड़ा पहर्योडा हो वे पहर्योडा कपड़ा दुश्मन होसी। किसानां में सन्तोष नहीं। मजदूरों में सन्तोष नहीं। सन्तोष है किण में ?

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बात याद आगई मने। 59 में पंचायत राज को उद्घाटन हुयो, वीं बखत नेहरूजी आपका हाथ सूं उद्घाटन करयो तो एस० के० डे आपका भाषण में कह्यो कि ई बींदणीं सूं सावधान रहो। या कान कतर लेगी। उपाध्यक्ष महोदय, बाकी बा बात हो गई। ये बींदणी बन घुस ग्या। आपका डिपार्टमेन्ट कोई बात गलत करके भेजे तो मिनिस्टर जवाब नहीं दे सके। बींदणीं की बात आ है कि वा आपका मरद को नाम नहीं ले और मरद को कह्योड़ो की बात टाले नहीं। आज मिनिस्टर सब डिपार्टमेंट की बींदणी बन्योडा है आने प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं। अगर प्रजातन्त्र में विश्वास हो तो आ जाओ मैदान में। जिते अकाल है मैं म्हारी तनखा में सूं 50 रु० छोड़ूं हूं। अकाल की स्थिति रहे जिते तांई। आजाओ मैदान में अगर प्रजातन्त्र में विश्वास हो तो। उपाध्यक्ष जी, ये 24 घंटा मोटरां में फिरे है। नवाब साहब की बात दूसरी है पर माथुर साहब थें डबाली की बात में कठे भूल गया। थे हर बात ने देख्योडा हो जिकी आ बात करे हैं तो आ घोटालो है।

काल मैं देख्यो एक जलूस कर्मचारियां को और बांकी मीटिंग भी सुनी माथुर साहब, थे अयां चमको हो पर थारा कपड़ा दुश्मन हुआ पड़्या है। मैं बिल्कुल घोर प्रजातन्त्र ने मनिण्यो हूं, मैं प्रजातन्त्र को हामी हूं। थारे में हिम्मत हो तो 500 रु० थे छोड़ दो, एक हजार रुपया थे छोड़ दो। गरीब गरजरान करण्या बैठ्या है। गरीबां ने 125 रु० के बजाय 200 रु० दे दो। बिका टाबर भूखा मरे है और भूखां मरता बार घाले है। आं शब्दा के साथ मैं म्हारी जगां पर बैठू हूं। मैं जिकी बात कही है वा पूरी नहीं करो तो थे प्रजानतन्त्र का मानण्या नहीं हो कांग्रेस ने खोखली करण्या हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य !

श्री मोहनलाल मोदी : हमें भी समय मिलना चाहिये बोलने का।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): उपाध्यक्ष महोदय, राणावत कमीशन की रिपोर्ट भी हमने अच्छी तरह से पढ़ी है। यह रिपोर्ट पूंजीपतियों को बढावा देने वाली है और गरीबों के बिल्कुल खिलाफ है। इसका आखिरी सार यही है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अन्दर जितने भी वेतन बढ़ाये गये हैं वह अच्छी तनख्वाह वाले जो अधिकारी हैं उनका वेतन बढ़ा है और जिनकी तनख्वाह बिल्कुल थोड़ी है उनकी नाममात्र की बढ़ाई है। अच्छा तो यह था कि हजार रुपये से ऊपर पाने वाले जितने अधिकारी हैं उनका वेतन नहीं बढ़ाया जाता। उनको यह कहते कि आप इतने में ही संतोष करें और नीचे के जो अधिकारी हैं छोटे गरीब जो कान्सटेबल ह, चपरासी हैं, एल०डी०सी० हैं और छोटी श्रेणियों के जो कर्मचारी हैं उनका वेतन बढ़ाया जाना चाहिये था।

यह तो उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते ही हैं कि आज इस महंगाई के जमाने में 200

(श्री रामचन्द्र आर्य)

और 400 रु० में भी कुछ नहीं हो सकता है तो जिन लोगों को 100 या 125 रु० मिलें या 70-80 रु० मिलें तो उनका गुजारा कहां से होता है यह तो वे ही लोग जानते हैं जिनके ऊपर यह बात गुजरती है। लेकिन यह जो पे-कमीशन कि रिपोर्ट है यह ऐतिहासिक रिपोर्ट है और यह एक नाम है कि कांग्रेस के राज्य में समाजवाद के मानने वाले माननीय मुख्य मंत्री और उनके समर्थकों ने यह कमीशन विठाया और यह रिपोर्ट तैयार कराई है जिसने अनाप-शनाप जो रिश्वतें लेते हैं, अनेकों घोटाले राजस्थान के अन्दर करते हैं उन्हीं लोगों का वेतन फिर बढ़ाया है और गरीब लोगों का वेतन नाममात्र का वढ़ाया है। यह ऐतिहासिक रिपोर्ट भी इस रेकार्ड के अन्दर हमेशा रहेगी कि कभी राजस्थान के अन्दर कांग्रेस का शासन था उसन इस तरह से गरीबों का वेतन इतना बढ़ाया और जिनको दो ढाई हजार रुपये मिलते थे उनका इतना वढ़ाया।

(8 म० प०)

मेरे कहने का मतलब यह है कि उनकी मांग पर विचार किया जाय और जिन लोगों को हजार रुपये से ज्यादा वेतन मिलता है उनके वेतन में कटौती की जाय, उनमें वढ़ोतरी न की जाय और जो छोटे कर्मचारी ह, जिनका गुजारा नहीं होता है उनका वेतन वढ़ाया जाय ताकि इस प्रदेश म असंतोष न बढ़े। अगर आप इसी रिपोर्ट पर निर्णय करेंगे तो वह तो हो जायगा–इसमें दो राय नहीं ह लेकिन इसका नतीजा क्या होगा ? आज जो छोटी श्रेणी के कर्मचारी राजस्थान में हैं उनके दिल में आज शासन के प्रति दुर्भावना पैदा हो रही हैं, उसको आप रोक नहीं सकेंगे। इसके अतिरिक्त देश के अन्दर आज जो अकाल की स्थिति पैदा हो गई हैं, घबराहट पैदा हो गई हैं उस स्थिति में छोटा वेतन पाने वाले जो कर्मचारी हैं वह अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकेंगे। इसलिए अधिक से अधिक उनका वेतन वढ़ा कर उनकी मदद करें। जिनके पास मोटर हैं, वंगले हैं और व्लेक का रुपया जिनके पास हैं, जिनके द्वारा रिश्वत और घोटाले चलते हैं, उनको राजस्थान सरकार ने इतना बड़ा हथियार दे रखा ह कि उनके ऊपर शासन का आज कंट्रोल नहीं रहा है। राजस्थान में आज शासन नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, यहां पर नौकरशाही है। जो आज अधिकारी चाहते हैं वैसा होता है, शासन के अन्दर जो लोग हैं वह जो चाहते हैं वैसा नहीं होता है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो रिपोर्ट राणावत पे कमीशन की है, जिस पर आज विचार हो रहा है, इस पर सरकार द्वारा दुवारा विचार किया जाय। जितना खर्चा लगा कर इस कमीशन से इस रिपोर्ट को तैयार करवाया हैं इससे कोई लाभ नहीं होगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरह से पे स्केल्स एडजस्ट हो जायेंगे तो लोगों के अन्दर असंतोष की भावना भड़केगी और वह असतोष राजस्थान के कर्मचारियों में अधिक भड़केगा। राजस्थान में भयंकर अकाल वैसे ही है लोगों का गुजारा होना बड़ा मुश्किल है और फिर इतनी थोड़ी तनख्वाह में वह बिचारे अपना जीवन यापन कर नहीं सकते। इसलिए उनके लिए सरकार के दिल में सहानुभूति होनी चाहिए, उनकी पे बढ़ाई जाय और इस रिपोर्ट पर पुनर्विचार किया जाय और जितने इसके अन्दर दोषपूर्ण तरीके से वेतन एडजस्ट किये गये हैं उनमें संशोधन किया जाय। समाजवादी सरकार का यह कर्तव्य

(श्री रामचन्द्र आर्य)

है कि ऊपर जाने वाले को जरा रोके और नीचे जाने वाले को जरा ऊंचा उठाये जिससे वह बेचारे अपने पैरों पर खड़े होने की स्थिति में हों। यह नहीं हो कि जिसके पास आगे ही बहुत है उसको तो डेढ़, ढाई और तीन हजार दे दें और जो गरीब है वह सौ रुपये पाने वाला हो। इस प्रकार की रिपोर्ट से, वेतन कमीशन की रिपोर्ट से लोगों के अन्दर चारों तरफ यह भावना फैल रही है कि यह रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण ढंग से और ऊंची तनख्वाह पाने वाले लोगों की राय से बनी है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पांच मिनिट लिये हैं, दो मिनिट और बाकी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा, और मुख्य मंत्री से पूछना चाहता था लेकिन वह बीच में ही उठ कर चले गये शायद वह यह कहने को तैयार नहीं हों कि हम इस पर विचार करेंगे, दो हजार के ऊपर जिनकी तनख्वाह है उनको रोकेंगे उनको कटौती के लिए मनायेंगे। इसको करने की उनमें हिम्मत नहीं है। वह उनके सहारे से सत्तारूढ रहने की चेष्टा में हैं। वह यह नहीं समझ रहे हैं कि जिस वक्त इन लोगों की सारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो यह लोग खिलाफ हो कर लोगों के अंगुली लगायेंगे क्योंकि साधन इनके पास हैं और साधन होते हुए आपकी कमजोरियां इन लोगों के हाथ में आ चुकी हैं, इनको मालूम हो गया है कि इनके अन्दर कितनी शक्ति है, किस तरह यह हमारा विरोध कर सकते हैं। इन लोगों को वह मना नहीं सकते इसलिये उठ कर चले गये। नहीं तो और क्या कारण था। मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दे देते कि यह संभव है, यह संभव नहीं है। इतने से मैं संतुष्ट हो जाता। लेकिन यह कहने की उनमें हिम्मत नहीं है इसलिए हिम्मत नहीं है कि वह अधिकारियों के बल पर राजस्थान की दो करोड़ जनता के ऊपर राज्य करना चाहते हैं। पिछले दिनों जो डी० आई० जी० थे जिन्होंने एम० एल० एज खरीद खरीद कर इन्हें दे दिये यह रिपोर्ट उनके लाभ के लिए है। मेरा निवेदन है कि इन लोगों का वेतन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को सहायता देने की जरूरत है जो गरीब हैं। आज कहतसाली के इलाके में जो फैमिनवर्क की रेट है वह बहुत कम है एक रुपया दो आना, बारह आना की रेट है, पिछले दिनों तो इस रेट की जगह केवल बीस पैसे दिये गये और मेहनत पूरी ली गई...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : आज राजस्थान में अकाल की छाया है...

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक मिनट !

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनिट, दो मिनिट नहीं चलेगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : समाप्त कर रहा हूं भाषण। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर आज दो करोड़ जनता के ऊपर कहत की काली छाया है, उसको भी नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में इस खजाने से साढ़े तीन करोड़ रुपये इस तरह लुटाये जायें, बड़े अधिकारियों को दिये जायें, और गरीबों को लाभ नहीं मिले–इसका मैं डट कर विरोध करता हूं। जो माननीय सदस्य इधर बैठते हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि उनको भी इस पर विचार करना है कि इस रिपोर्ट पर

(श्री रामचन्द्र आर्य)
पुनर्विचार होना चाहिए। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी !

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : उपाध्यक्ष महोदय, राणावत पे कमीशन पर जो विचार हो रहा है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपने राजस्थान पर साढ़े तीन करोड़ का अधिक भार लाद दिया है, राजस्थान सरकार के ऊपर इतना भार और पड़ेगा और यह सर्विसेज में जो काम करने वाले आदमी हैं उनमें से एक भी खुश नहीं है, सारे असंतुष्ट हैं आपकी इस नीति से, आप किसी को भी ले लीजिए, सारे असंतुष्ट हैं। इसका क्या कारण है? क्यों असंतुष्ट हैं इसलिए असंतुष्ट है क्योंकि आपने स्केल्स में ऐसा हिसाब रखा है कि किसी को पांच सौ, किसी के तीन सौ और किसी के दो सौ बढ़ा दिये। मेरे बराबर का साथी है उसके तो आपने दो सौ बढ़ा दिये और मेरे सिर्फ बीस बढ़ाते हैं तो मेरे दिल में उससे जलन पैदा होगी। मुझे बीस रुपये बढ़ने की खुशी नहीं हुई क्योंकि मेरे साथी के दो सौ बढ़ गये, सौ बढ़ गये। उसकी मुझे जलन पैदा होगी कि उसके दो सौ बढ़े हैं और मेरे सिर्फ बीस बढ़े हैं। बीस रुपये बढ़ना न बढ़ना मेरे लिए बराबर हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पे स्केल्स में 33 ग्रेड रखी हैं, पे कमीशन ने 28 रखीं है, आपने बढ़ा कर 33 कर दी है। मैं समझता हूं कि यह पन्द्रह कर देनी चाहिये। पन्द्रह किस तरह कर देनी चाहिये यह मैं बताना चाहता हूं-एक तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनके दो ग्रेड रख दीजिये, एक तो जो नया है उसका और एक जो प्रमोशन देते हैं उसका। एक अहलकार क्लास है उसकी तीन ग्रेड रख दीजिये, जो एल०डी०सी० हैं, यू०डी०सी० हैं और सुपरिन्टेन्डेन्ट क्लास हैं उनकी। इसी तरह आफिसर क्लास में तीन क्लास कर दीजिये। जूनियर आफिसर में दूसरी क्लास के आफिसर आ जायें, जूनियर आफिसर है थानेदार, नायब तहसीलदार, ओवरसीयर-इन सब को ले लीजिये। क्लास दो के आफिसर है उनमें तहसीलदार को ले लीजिये और इसी में आर०जे०एस० वगैरह को ले लीजिये। इस तरह से करेंगे तो इन सब के अन्दर बहुत ऊंचा नीचा जो महसूस होता है वह नहीं होगा। एक क्लास के आफिसर में जो हैड आफ दि डिपार्टमेंट सीनियर स्केल के ले लीजिये। तो मेरा निवेदन है कि बजाय 28 के जो 33 ग्रेड आपने किये हैं इनको घटा कर 15 कर देना चाहिए, और यह जो असमानता है वह नहीं रहनी चाहिए। कुछ न कुछ समानता आप आज कायम करेंगे तो कल को पूरी समानता आयेगी मेरा निवेदन करना यह है कि आपने इसमें जो रेट्स दी हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 60 और 65 कर दिये, इस तरह उसे 125 दिये हैं। आज के इस युग में 125 रुपये में कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम चला ले-यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आज सुबह से शाम तक इस तरह ड्यूटी देता है, सुबह नौ बजे वह उठ कर आता है और शाम को आठ बजे जाता है। मेरा निवेदन करना यह है कि 60 की जगह 80 कर देना चाहिए, ताकि 80 और 65 यानि 145 उसके हो जायं। इससे क्या विशेष अन्तर पड़ेगा यह मैं निवेदन करना चाहता हूं वैसे राजस्थान पर साढ़े तीन करोड़ का भार रख दिया, ठीक है, यदि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को थोड़ा अधिक देते हैं तो कोई अन्तर नहीं पड़ता है। यदि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को थोड़ा और देने म 50 लाख

(श्री मोहन लाल मोदी)

और खर्च हो जाय तो 3½ करोड़ की बजाय 4 लाख हो जायगा, इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ने वाला है। जो एक ही तरह की क्वालिफिकेशन्स वाले हैं उनमें भी आपने बहुत अन्तर रखा है, संग्रहालयों में 65 अधिकारियों के 650 से एक हजार और 1,500 कर दिये, दूसरे लोग क्वालिफिकेशन्स में उनके बराबर हैं, उनको यह ग्रेड नहीं दिया है तो उन लोगों में राज्य सरकार के प्रति ऐसी भावना पदा होती है, जिससे असंतोष बढ़ता ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी के जितने कर्मचारी सरकार के प्रति वफादार हैं, उतने वफादार दो हजार और ढ़ाई हजार पाने वाले नहीं हैं। कोई सरकार आ जाय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी वफादारी से काम करेंगे। पर ढ़ाई हजार पाने वाले वफादारी नहीं बतायेंगे। इसलिये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रति ज्यादा ध्यान दें, माथुर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये उदारता रखे। इन बड़े बड़े अधिकारियों के लिए राणावत कमीशन ने 2,250 रखा है वहा आपने इनके प्र त उदारता अपना कर 2,500 स्वीकार किये हैं, इसी तरह से सीनियर फोटोग्राफर के लिए राणावत कमीशन ने 375 से 850 के ग्रेड की सिफारिश की है पर आपने उदारता दिखा कर 600 से 1100 का ग्रेड रेज किया है। समय कम है नहीं तो मैं और भी बताता ।

एक मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर में जुडिशियल आफिसर्स की कान्फ्रेन्स हुई, ए० डी० एम० को एडीशनल सेशन जज की पे मिलती थी, आज सेशन्स जज के बराबर कर दी, इससे भी असमानता का व्यवहार आया है, इससे भी असंतोष पैदा होगा। डिस्ट्रिक्ट कन्जर्वेटर आफ फोरेस्ट को पी० डब्ल्यू० डी० के एक्सईं० एन० के बराबर पे मिलती थी, 10 साल से यह चला आ रहा था, उसको आपने कम कर दिया। इसी तरह से पशुओं के डाक्टर को एम० बी०, बी० एस० के बराबर पे मिलती थी, उसको भी आपन कम कर दिया है। राजस्थान में पशुओं की तरक्की के लिये पशुओं के डाक्टरों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये, उनको कोर्स भी केवल दूसरे डाक्टरों से 6 महीने का ही कम है इसलिये पशुओं के डाक्टरों का ग्रेड भी अन्य डाक्टरों के बराबर करना चाहिये। एक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लायमेन्ट आफिसर की आपने बहुत कम पे करदी है, उस तरफ भी ध्यान दें। जो असमानता गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स में, सारे अधिकारियों में फैली हुई है, इसके लिये आपने स्केल तो बढ़ा दिये पर जो पुराने 15 साल से सर्विस दे रहे हैं, उनको क्या फायदा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जिन लोगों की 15 वर्ष की सर्विस है, उनका ऐसा हिसाब लगाईये कि पांच वर्ष की सर्विस के पीछे एक ग्रेड इन्क्रीमेन्ट मिल जाये जो 15 साल पुराना कर्मचारी है, उसको 3 इन्क्रीमेन्ट दे दीजिये, इससे असंतोष दूर हो जायगा।

जो सरकारी कर्मचारी.....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मुझे दो मिनिट और बोलने दीजिये। एक सरकारी कर्मचारी 15 वर्ष से सेवा कर रहा है, वह ओटोमेटिकली इस ग्रेड में पहुंच गया तो उसको क्या फायदा है। ऐसा फिक्सेशन का सिस्टम करना चाहिये कि 5 साल में एक इन्क्रीमेंट मिल जाय, जिसकी सर्विस 15 साल की है उसको 3 इन्क्रीमेंट नहीं तो

(श्री मोहन लाल मोदी)
कम से कम दो इन्क्रीमेन्ट तो दीजिये, ताकि असंतोष दूर हो।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब राजस्थान पर 3½ करोड़ का भार रखा है तो 50 लाख और बढ़ा कर छोटे कर्मचारियों की, जिनकी 500 से कम तनख्वाह है, तनख्वाह और बढ़ा दें तो राजस्थान के कर्मचारी बहुत खुश होंगे और आपकी सरकार के प्रति बड़े वफादार रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री।

श्री नाथूराम (वागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनिट बोलूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वेतन आयोग की रिपोर्ट पर काफी चर्चा हुई। आज हमारी सरकार समाजवादी नीति अपना रही है, एक तरफ समाजवाद लाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े बड़े वेतन बढ़ा कर समाजवादी नीति को ठुकरा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, वेतन आयोग ने सिफारिश की है न्यूनतम वेतन के लिये, इस रिपोर्ट के पृष्ठ 97, पैरा 7 पर 136 रु० 70 पैसा बताया है कि न्यूनतम वेतन प्रति माह 136 रु० 70 पैसे होना चाहिये। राजस्थान के 2 लाख कर्मचारियों में से 80 हजार छोटे कर्मचारी हैं उनको यह आधार न मान कर बहुत कम दिया गया है, जो यू० डी० सी० एल०डी०सी० हैं उनकी कोई सिफारिश नहीं की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 20 हजार बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाई है। राज्य सरकार के बजट में 14 करोड़ का पहले ही घाटा है, उस पर 3½ करोड़ का मह-खर्चा और बढ़ा रहे हैं, जबकि हमारे प्रान्त में जबर्दस्त अकाल आ रहा है, दुष्काल और बाढ़ग्रस्त इलाकों के कारण और भी घाटा बढ़ेगा। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां भयंकर दुष्काल है, 80 प्रतिशत काश्तकार गरीब हैं, उनको मजदूरी देने के लिये सरकार को सोचना चाहिये था। जहां पानी की एक बूंद नहीं है, जहां पशुओं के लिये चारा नहीं है, मनुष्यों के खाने के लिये अनाज नहीं है, मजदूरी नहीं है, लोग सरकार की तरफ देख रहे हैं कि सरकार हमारे इलाके में काम शुरू करेगी और हमें मजदूरी मिलेगी। और दूसरी तरफ आप आज तनख्वाह बढ़ा रहे है। तनख्वाह से डबल मेडिकल का पैसा उठाते हैं, ऐसी हालत में सरकार उनकी तनख्वाह बढ़ाती है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं, जब तक दुष्काल की स्थिति दूर नहीं हो जाय तब तक उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ानी चाहिये। न्यूनतम वेतन 136 रु० 70 पैसे छोटे कर्मचारियों को बराबर मिलना चाहिये, 125 देने की सिफारिश हो रही है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं, और राजस्थान के छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की सिफारिश करता हूं। हमारे यहां भयंकर दुष्काल होते हुए भी मजदूरी नहीं मिल रही है, इसके लिये सरकार को जल्दी से जल्दी प्रबन्ध करना चाहिये। मैं तो यह कहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह सरासर पक्षपात हो रहा है, इस रिपोर्ट से, इस तरह समाजवाद नहीं आयगा। इसलिय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सच्चा समाजवाद लाना है तो 1,000 रु० से ज्यादा तनख्वाह नहीं बढ़ानी चाहिये और 500 से ऊपर वालों की तनख्वाह बढ़ाने की सिफारिश की है, उसको नहीं करना चाहिये और 500 रु०

(श्री नाथूराम)
से नीचे की तनख्वाह वालों की तनख्वाह बढ़ाने की सिफारिश करनी चाहिये ।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय एक प्रश्न का जवाब द । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपका पे रेशियो 1 : 20 वर्क आउट होता है, यह कहां तक ठीक है, इसको कम करने में सरकार क्या नीति अपनायेगी ?

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राणावत वेतन आयोग की रिपोर्ट को लेकर सदन में जो दो दिन से बराबर चर्चा हुई और इसमें सदन के इस ओर और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया और जो सुझाव दिये, उसके लिये तो राज्य सरकार बहुत आभारी है, राज्य सरकार इस अवसर पर राणावत वेतन आयोग के सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट किये बिना नहीं रह सकती, जिन्होंने बड़ी मेहनत से रिपोर्ट तैयार करके इस सदन के माननीय सदस्यों के विचारार्थ पेश की है ।

उपाध्यक्षजी, सदन में दो दिन से बहस सुनने के बाद में 2–3 मुद्दे इस रिपोर्ट के सिलसिले में सामने आए । राज्य सरकार के निर्णय जो वेतन आयोग की रिपोर्ट पर लिए हैं, उन पर सदन के माननीय सदस्यों ने अपने विचार पेश करने की कोशिश की है । मेरा नम्र निवेदन है कि माननीय सदस्यों ने इस रिपोर्ट पर राज्य सरकार के निर्णयों का अध्ययन किया होता तो वे जिन नतीजों पर पहुंचे उन पर अवश्य वे नहीं पहुंचते । यहां पर कहा गया है कि वेतन शृंखलायें जो कुछ मुकर्रर की गई हैं और जो कुछ राज्य सरकार पर इस रिपोर्ट को मन्जूर करने के बाद में भार पड़ता है वह साढे तीन करोड़ का होता है और यह रुपया बड़े बड़े अधिकारियों में बांट दिया गया है और छोटे लोगों को इससे कम फायदा मिला है । यह बात सदन में इस ओर और उस ओर के माननीय सदस्यों ने बड़े जोश के साथ में कही है । मैं शुरू में ही नम्र निवेदन कर देना चाहता हूं राजस्थान में कुल कर्मचारी 2,07,000 हैं । उनमें से 500 से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या दो हजार से ज्यादा नहीं है । राज्य सरकार पर जो वेतन आयोग की रिपोर्ट को मन्जूर करने पर वजन गिरेगा वह साढे तीन करोड़ है । इसमें से सवा तीन करोड़ बल्कि 3.30 करोड़ 500 से कम तनख्वाह पाने वालों को मिलेगा । इसलिये यह जो बहस हुई कि बड़े बड़े अधिकारियों को ज्यादा दिया गया और छोटों को नहीं मिला, राज्य सरकार पर इतना वजन पड़ा उसमें से 20 लाख बड़े कर्मचारियों याने 500 से ऊपर पाने वालों को मिलेगा और 3.30 करोड़ 500) से कम पाने वालों को मिलेगा । तो यह भ्रम कि छोटे कर्मचारियों को ज्यादा फायदा नहीं मिला, इससे दूर हो जायगा । हर साल छोटे कर्मचारियों को सवा तीन करोड़ से अधिक पैसा मिलेगा, इस बात का सबूत है कि राज्य सरकार का बराबर कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों की तरफ नजरिया है और उसी को देखकर वेतन आयोग बनाया गया था और वेतन आयोग की रिपोर्ट के अन्दर जो कुछ नीचे के कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने वाले सुझाव दिए गए हैं, उनको राज्य सरकार ने मन्जूर किया है और सरकार ने अगर कहीं पर भी तरमीम की है तो इसलिए की है कि कर्मचारियों को ज्यादा फायदा हो । जैसे आयोग की रिपोर्ट के अन्दर उनका नजरिया

(श्री मथुरादास माथुर)
छोट कर्मचारी जैसे ड्राइवर्स, फिटर्स, टैक्नीशियन्स हैं, मशीनमेन हैं, जिनके लिए जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया था, राज्य सरकार ने अपने फैसले के अन्दर आयोग की सिफारिश से असहमत होकर तनख्वाह बढ़ाई है। आज के जमाने के अन्दर छोटे कर्मचारियों और टैक्नीशियन्स को पूरा पैसा मिलना चाहिए, यह राज्य सरकार की नीति रही है। इसलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर राज्य सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों के अन्दर वहां तरमीम की है जहां दूसरी सेवाओं के अन्दर आयोग ने ज्यादा तनख्वाह दे दी है और उसी तरह के लोग दूसरी सेवाओं में हैं उनको कम मिला है, तो उस एनोमोली को ठीक करने का प्रयत्न किया है या जिन छोटे कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिश से नुकसान पहुंचता था तो राज्य सरकार ने उसको ठीक करने की कोशिश की है। इसलिए राज्य सरकार के फैसले और वेतन आयोग की सिफारिशों दोनों के पढ़ने के बाद जो तस्वीर बनती है उससे भारत के अन्दर जितने भी राज्य हैं उनसे हमारे कर्मचारियों की वेतन शृंखलाएं ज्यादा ह।

यहां बड़े पैमाने पर सदन में चर्चा हुई और मुझ खेद है कि विरोधी दलों के कुछ ही सदस्य मौजूद हैं। खास तौर से कल कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से श्री रामानन्द बड़ी तकरीर देर हे थ, वह आज ऐसे अहम मसले पर चर्चा होने पर मौजूद नहीं हैं जब राज्य सरकार जवाब देन के लिय खड़ी है। विभिन्न दलों के नेताओं ने सरकारी कर्मचारियों की हमदर्दी खींचने के लिए बड़ी बड़ी तकरीरें दीं, उनमें से जनसंघ के एक नेता बैठे हैं, स्वतंत्र पार्टी के दो आदमी बैठ हैं, बाकी सब अपोजीशन बैंचेज खाली हैं। यह इस बात का सबूत है कि उनकी दिलचस्पी हमारे कर्मचारियों में सिर्फ तकरीर देकर उनके इमोशन्स को उभारने में है न कि समस्या को हल करने में .....

श्री भैरोंसिंह : आपकी पार्टी के लोग तो इसलिए बैठ हैं कि उनको वोट का डर लगता है कि कहीं वोटिंग न हो जाय।

श्री मथुरादास माथुर : इसका मतलब आप वोटिंग को सीरियसली नहीं लेते हैं। इसलिए आपको डर नहीं है। विरोधी दलों की कहनी और कथनी में फर्क है। आज गांधीजी के नाम को लेकर उपदेश दिए जाते हैं तो गांधीजी से एक बात आपको सीख लेनी चाहिए कि जो बात कहो उसको करो। अगर समझ में नहीं आए तो मत कहो और कहो तो कर डालो। आज भारत में राजनैतिक नजरिया बना हुआ है। जो विरोधी दल वाले सामने बैठे हुए हैं और आगे भी बैठे रहेंगे, उनके दल की कहीं न कहीं हिन्दुस्तान के अंदर हुकूमत है या समझेदारी है। कल मिनीमम वेजेज के बारे में और नीड-बेस्ड मिनीमम वेज के बारे में श्री रामानंद न बड़ी तकरीर दी कि लोगों को जरूरत के अनुसार तनख्वाह मिलनी चाहिए। वेतन आयोग न डाक्टर पटवर्धन, जो न्यूट्रेशन इन्स्टीट्यूट के चेयरमेन थे, उसका हवाला दिया है। उन्होंने बताया है कि औसत कर्मचारी, जो मजदूरी का काम नहीं करता है, को कम से कम 2,700 कैलोरीज मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया है कि कितनी शक्कर, दाल, आटा, घी, सब बातें लिखकर उस पर 1968 के अप्रेल के अंदर जो भाव थे उसके आधार पर केलकुलेट करके 137 के करीब फिगर

(श्री मथुरादास माथुर)

बताई । रामानंदजी ने आंकड़े जो दिए, उन्होंने 220) बताए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। कोई 220) पर पहुंचेगा, कोई 140 पर कोई 160 पर पहुंचेगा। रामानंदजी का 220) का फिगर लिया जाय या डा० पटवर्धन का 140) का फिगर लिया जाय, दोनों के अंदर कपड़ा, मकान किराया और दवाई मौजूद है । हमारे यहां पर आप जानते हैं 125) तनख्वाह देते हैं उसके बाद शिक्षा फ्री, मेडिकल फ्री, रिएम्बर्समेण्ट करते हैं जो दिल्ली में नहीं होता है, वहां दूसरी योजना है, दो यूनिफार्म्स गर्मी और सर्दी में मिलती हैं, उसके साथ साथ मकान किराया 10 रु०, यूनिफार्म्स के 5-10 रुपये, मेडिकल के 5-10 रुपये और फ्री शिक्षा के 5 रुपये, कुल मिलाकर हमारे नीम के थाने के माननीय सदस्य ने अपील की कि 150) कर दिया जाय । मैं तो कहता हूं कि हम 165) कर चुके हैं । इसमें भी मुझे संतोष नहीं है । राज्य सरकार की स्थिति अच्छी होती और पर-कैपिटा आमदनी अच्छी होती तो मैं ज्यादा देने को तैयार हो सकता था ।

मगर, उपाध्यक्षजी, प्रश्न आज इस बात का है कि मैं जो क्लास फोर सर्वेन्ट्स को देता हूं, केश और काइन्ड में देता हूं, वह 160 रुपया बनता है । हिन्दुस्तान में कोई ऐसी रियासत या प्रान्त हो तो मुझे कहें । करल में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है । कम्युनिस्ट भी रामानन्दजी के ग्रुप के । उनके यहां पर भी पे पेकेज 225 नहीं है । मध्य भारत और उत्तर प्रदेश में··

श्री भैरोंसिंह : मध्य भारत और उत्तर प्रदेश को कांग्रेस के शासन ने खा खा कर खोखला कर दिया ।

श्री मथुरादास माथुर : उनका राजस्थान में तो नम्बर आने वाला है नहीं । मध्य प्रदेश और यू० पी० में ये हल्ला गुल्ला करते हैं । वहां टियरगेस और लाठी चार्ज हो रहे हैं । कांग्रेस के राज्य में कहीं पर गड़बड़ी होती है तो माननीय सदस्य बहुत कहा करते हैं । अपोजिशन में वे बैठ कर गेलेरी को प्ले करना हो या गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स से ताली बजवाना हो तो दूसरी बात है । केरल की मिसाल में रामानन्दजी को बताता हूं, मध्य प्रदेश की मिसाल में जनसंघी भाइयों को बताता हूं और स्वतन्त्र पार्टी को मैं उड़ीसा के लिये बताता हूं ।

श्री दिग्विजयसिंह : उड़ीसा का हाल बताइये ।

श्री मथुरादास माथुर : क्लास 4 के सर्वेन्ट्स को 112 रुपया मिलता है ।

श्री दिग्विजयसिंह : वाह वाह । वाह वाह ।

श्री मथुरादास माथुर : देख लीजिये । 124) रु० केरल में, 112) रु० उड़ीसा में और यू० पी० म 134) रु० । उनके मुकाबले में मेडिकल फैसिलिटीज और यूनिफार्म यह हम ज्यादा देते हैं ।

श्री दिग्विजयसिंह : लेकिन वहां कोई अनरेस्ट नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : अनरेस्ट यहां भी नहीं है । वह आपके दिमाग म है ।

यहां पर पे कमीशन की सिफारिशों से कमी रखी हो तो यह मैं कतई मानने के लिये तैयार नहीं हूं । मैं दावा करता हूं कि हिन्दुस्तान में केन्द्रीय सरकार एवं दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में टोटल पे पेकेज में, केश एन्ड काइन्ड में हमने ज्यादा दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : दस रुपया माहवार खेतसिंहजी के बढ़ा दीजिये । तालियां खूब बजा रहे हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : प्रस्ताव आपकी तरफ से आ जाय । आपके और खेतसिंहजी के लिये बढ़ाने के लिये तैयार हूं ।

माननीय सदस्यों के दिमाग में यह चिन्ता थी, परेशानी थी कि क्लास फोर सर्वेन्ट्स को, पुलिस और पटवारी को कम दिया हैं इसलिये इतनी बातें मैंने आपके सामने विस्तार पूर्वक रखी हैं ।

दो तीन मुद्दे की बातें कहीं । मुख्य मंत्रीजी ने काफी काम हल्का कर दिया ह । उनके लिय उनको धन्यवाद देता हूं । जो बातें रह गयीं उनको कहने के लिये मैं यहां खड़ा हुआ हूं ।

कल रामानन्दजी और दूसरे साथियों ने कहा था कि हमारे यहां एग्रीकल्चर में काम करने वाले विकास अधिकारी, एग्रीकल्चर असिस्टेंन्ट्स को तनख्वाह कम दी जाती हैं । वे आज यहां नहीं हैं । उन्होंने बड़ी लम्बी चौड़ी तकरीर की थी । उपाध्यक्षजी, मेरा नम्र निवेदन हैं कि हमारे यहां एग्रीकल्चर एक्स्टेन्शन ऑफिसर की ग्रेड 175 से 485 की थी । उसको कमीशन ने 225 से 525 किया हैं और राज्य सरकार ने वही स्वीकार किया हैं । उसके मुकाबले में मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि पंजाब में 130 से 320, यू० पी० में 160 से 280, मध्य प्रदेश में 240 से 370, गुजरात में पे कमीशन की रिपोर्ट अन्डर कन्सीडरेशन हैं वैसे 200 से 310 है और महाराष्ट्र में 275 से 450 । उन सब के मुकाबले में अपने यहां 225 से 525 स्वीकार किया हैं । बी० डी० ओ० हो जाने पर 300 से 800 हो जाता हैं । ऐसी सूरत में कल जो माननीय रामानन्दजी और अन्य मित्रों ने कहा वह भ्रमात्मक हैं । या तो उन्होंने इसका अध्ययन ही नहीं किया हैं वरना ऐसी बातें यह सदन में नहीं रखी जातीं ।

टीचर्स को लेकर बड़ी हमदर्दी हो जाती है । इधर और उधर के माननीय सदस्यों ने कहा टीचर्स को ज्यादा मिलना चाहिय । कम हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्लास 3 ग्रेड टीचर्स का पे कमीशन मुकर्रर होने से पहले ही हिन्दुस्तान की प्रोग्रेसिव स्टेट्स के मुकाबले में ज्यादा ग्रेड्स हैं । बावजूद कमीशन की सिफारिशों के, भारत सरकार ने एक एजुकेशन कमीशन बिठाया था जिसमें हिन्दुस्तान के बड़े काबिल आदमी थे और बाहर विदेशों के भी जिसमें काबिल आदमी थे, उस कमीशन ने भी जो पे नियत की थी उससे भी यहां पर ज्यादा दिया हैं सीनियर टीचर को इन्क्ल्यूडिग डी० ए० 300 से 600 था । उसके मुकाबले में जो अब पे कमीशन ने सिफारिश की हैं डी०ए० मिलाकर 362 से 750 दिया । एजूकेशन रिपोर्ट को सब राज्यों ने मंजूर नहीं किया हैं । यह लेटेस्ट एजुकेशन कमीशन की रिपोट जो मैं आपको बता रहा हूं । इसमें जापानी, रसियन, जर्मन, आदि कई विशेषज्ञों ने भाग लिया । इसी तरह से ग्रेड 2 टीचर्स को भी ज्यादा देते हैं और थ्री ग्रेड टीचर्स को भी ज्यादा देते हैं । यह कहा गया कि सैकिन्ड क्लास एम० ए० सीनियर टीचर बन जाता हैं 225 से 525 में और एम ०ए०, एम० एस सी० फर्स्ट क्लास होता हैं वह लेक्चरार हो जाता है । 375 से 800 की ग्रेड में हो जाता है । इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है । एक ग्रेजुएट यू० डी० सी०

(श्री मथुरादास माथुर)

बनता है और एक आई०ए०एस० म आकर कम्पीटिशन में 800 में होता है। यदि युनिवर्सिटी लेक्चरार सिलेक्ट हो जाता है तो वहां ग्रेड ज्यादा है वह उसको मिलती है। कम्पीटिशन में जो आवेगा उसको मिलेगा। यह बात मेरे हाथ में नहीं है। सीनियर टीचर को भी राज्य सरकार अधिक दे रही है। इससे अधिक हम नहीं कर सकते।

माननीय उपाध्यक्षजी, बहुत ज्यादा समय तो मैं आपका नहीं लेना चाहता। लेकिन एक भ्रम बहुत फैलाया गया कि पुराने क्लास 4 सर्वेन्ट्स हैं उनको नहीं मिला। 58 से 61 तक जो आये उनको कम से कम 8) रु० का फायदा मिला। 61 से 62 में आये उनको 9) रु० का और 63 में आये उनको 10 का और 64 से 65 म आये उनको 12), इसी प्रकार 13),14),15) का फायदा हुआ। एक इन्क्रीमेन्ट उनको मिलेगा। दस बारह साल का होगा नौकर उनको 8),9), मिलेगा। पे कमीशन की रिपोर्ट पर है। यह नहीं कहा जा सकता कि पुरानों को नहीं दिया। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। मेल नर्सेज और फीमेल नसज के बारे में सदन के कई एक माननीय सदस्यों न बहुत बातें कही हैं। फीमेल नर्स, स्टाफ नस को कहते हैं। इसकी ग्रड पहले 130-320 थी। पे कमीशन ने सको 130-330 कर दी। राज्य सरकार ने इसको 150 से 330 कर दी। जो मेल नर्स हैं, वे डिप्लोमा लेती हैं, उनकी ग्रेड 130-300 ही रह गयी। यह एनोमोली यहां बताई गई है। मैं सभी सदस्यों को विश्वास के साथ कह देना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसके बारे म विचार करेगी।

माननीय उपाध्यक्षजी, और भी कई बातें यहां कही गई हैं। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। काफी समय हो गया है और माननीय सदस्यों को भी दावत के लिये जाना है इसलिये संक्षेप मे ही निवेदन करूंगा। यहां ज्यूडिशियल सर्विस के बारे में कहा गया है। मुख्य मन्त्रीजी ने काफी विस्तार से बता दिया है। फिर भी मेरा सदस्यों से निवेदन है कि राजस्थान की ज्यूडिशियल सर्विस को सबसे ज्यादा एडवान्टेज मिला है। पहले इस सर्विस में फोर टायर थे। उनमें एक एडीशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज था। उसको हमने खत्म करके डिस्ट्रिक्ट सेशन जज में मिला दिया है, मर्ज कर दिया है। इस तरह उनको मर्ज करने से उनको पे फिक्सेशन में करीब 200-200 रुपयों का फायदा हुआ है। इस तरह पे फिक्सेशन में उनको ज्यादा पे मिल गयी है। ऐसा लगता है कि सदस्यों को जो ब्रीफ किया गया है वह अधूरा ही किया गया है इसलिये माननीय सदस्यों को इस बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। वे सिविल जज की पैरोकारी, पैरवी कर रहे हैं। 375 रुपये से मुंसिफ-मजिस्ट्रेट बनता है। दस साल बाद वह 750 की ग्रेड में सिविल जज की केटेगरी में चला जाता है। इसके आगे भी उनकी तरक्की है। इसके बाद आप और क्या चाहते हैं? 1966 तक उनकी रनिंग ग्रेड 360-900 थी। उसको अब 500-1,000 कर दिया है। पे कमीशन ने इसको 700-1,200 किया है। ऐसी सूरत में हमने जो कुछ फैसले किये हैं, वे ठीक हैं। ज्यूडिशियल सर्विस को राजस्थान में बहुत ज्यादा दिया है। एक्जीक्यूटिव सर्विस वालों का चार्ज है कि हमने इनको जरूरत से ज्यादा इम्पार्टेन्स दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां किसी एक फोटोग्राफर की ग्रेड को लेकर कहा

(श्री मथुरादास माथुर)

गया था। छोटे मोटे अफसरों को लेकर भी कुछ कहा गया है। सही मायने में देखें तो उनको कोई तरक्की नहीं मिली है। वे पहले से इतनी तनख्वाह पा रहे हैं। महकमे का वक्त भी वक्त के साथ बदलता जाता है। पहले के जमाने में डाइरेक्टर ऑफ टूरिज्म की कोई इम्पार्टेन्स नहीं थी। राजस्थान में आज टूरिज्म डिपार्टमेन्ट की, अगर देखा जाय तो ज्यादा कीमत है। वेतन कमीशन ने बहुत ज्यादा सिफारिश की है तो हमने उसको 1,000-1,500 की है। इसी तरह से डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स की ग्रेड 1,000-1,500 की है वक्त के साथ इस विभाग की भी इम्पार्टेन्स है।

श्री भैरोंसिंह : पहले के जमाने में भांड इस कार्य को किया करते थे।

श्री मथुरादास माथुर : तो उनको जागीरें दिया करते थे। हम जागीर नहीं देते हैं। तनख्वाह में ही एडजस्ट करते हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, सदन के अन्दर माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी एनोमोली सुझाई है, राज्य सरकार उन पर विचार करेगी, जिन पर हमने विचार नहीं किया है, उन पर भी निर्णय करेगी। स्पेशल पे, प्रमोशन, मेरिट-कम-सीनियोरिटी, प्रमोशन और सीनियोरिटी-कम-मेरिट फार्मूला है– उसके बारे में मुख्य मन्त्रीजी ने अपनी चर्चा में काफी डील किया है फिर भी माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, हम उनका ध्यान करेंगे और जो निर्णय हम लोग करेंगे उस समय इसका ध्यान रखेंगे।

एक माननीय सदस्य : फेमिन के बारे में कहिये।

श्री मथुरादास माथुर : यह फेमिन का विषय नहीं है। फिर भी इतना कह सकता हूं कि फेमिन के अन्दर किसी भी आदमी को बेरोजगार नहीं रहने दिया जायेगा। इसकी मैं आपको तसल्ली दिलाता हूं कि चाहे करोड़ों रुपया सरकार को खर्च करना पड़े।

माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्यों ने यहां कहा है कि राज्य सरकार समाजवाद की दुहाई देती है किन्तु पे स्केल में यह समाजवाद कहां है? मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि हम समाजवाद में विश्वास करते हैं। पे कमीशन ने जो सिफारिश की है, उस समय उसने यह नजर रखी है कि हरेक तबके के लोगों को ऊपर उठाया जाय और आगे बढ़ाया जाये।

श्री दिग्विजयसिंह : एक जानकारी चाहिये। वेटेरनरी डाक्टर की ग्रेड पहले 225-800 थी। उसको अब 275-650 कर दिया है। इसका आधार क्या है? चिकित्सा विभाग के डाक्टर की ग्रेड आपने बढ़ा दी है और उनको प्राइवेट प्रेक्टिस बन्दी का अलाउन्स भी दिया है। किन्तु इनको तो कोई प्राइवेट प्रेक्टिस नहीं मिलती और उस पर इनकी ग्रेड्स भी कम कर दी है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर दूं कि हमारे यहां पहले यह वेतनमान 225-800 था। पे कमीशन ने उसको 275-650 कर दिया है। और राज्य सरकार ने भी इसको वैसा का वैसा मंजूर कर लिया। पहले न्यूनतम 225 था। उसको अब 275 कर दिया गया है। अधिकतम जरूर 800 से 650 हो गया है। किन्तु इसमें से जो विकास अधिकारी बन जायेंगे वे 900 की ग्रेड में आ जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मेरा निवेदन है कि आप इसकी स्टडी करें।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा निवेदन है कि हिन्दुस्तान की दूसरी रियासतों में वेटरनरी असिस्टेन्ट्स की जो ग्रेड हैं वे इससे कम हैं। पंजाब में यह 200-400 है। यू०पी० में 200-450, मध्य प्रदेश में 240-450, गुजरात में 2500-550, महाराष्ट्र में 220-680। इसलिये हमारे यहां की ग्रेड दूसरी रियासतों से अच्छी हैं। पे कमीशन ने भी इसको ठीक बताया है ।

श्री दिग्विजयसिंह : एम० बी०,बी०एस० डाक्टर की ग्रेड को इन्क्रीज कर दिया है जबकि पहले इन दोनों की ग्रेड बराबर थी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दिग्विजयसिंह : क्लीयर नहीं हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, आर्डर प्लीज ।

इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री दौलतराम सारण, श्री केदारनाथ, श्री दुर्गालाल बाढ़दार द्वारा और उस पर एक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था श्री मूलचन्द डागा ने।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष-जी, मुझे इजाजत दे दें कि मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस ले लूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या श्री डागा को अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री रामानन्द अग्रवाल श्री दौलतराम सारण, श्री केदारनाथ, श्री दुर्गालाल बाढ़दार का प्रस्ताव कि राणावत वेतन आयोग की सिफारिशों एवं उन पर राज्य सरकार के निर्णयों पर विचार करने के पश्चात् इस सदन की यह सम्मति है कि सदन के 9 सदस्यों की एक विशेष समिति नियुक्त की जाय जो वेतन आयोग की सिफारिशों और राज्य सरकार के निर्णयों पर विचार कर अपनी सिफारिशें सदन के सामने 10 दिन के अन्दर प्रस्तुत करे। प्रश्न यह है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 16-9-68 की प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.50 बजे सोमवार, दिनांक 16-9-68 के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 419 की सूची)

Copy of letter from the Assistant Engineer, North Sub-Dn., P. W. D.(B. & R.), Pali addressed to S. D. O., Pali, dated 2-4-1968.

Sub : Encroachment of land in road boundary.

Shri Asgar Ali Churigar of Pali has made on encroachment one piece of land on the approach road to bus stand from the statue of Shri Jainarain Vyas near Dak Bungalow. The piece of land has been shown in red on the enclosed side plan. You are requested to get it vacated as it comes in road boundary as such the property of P. W. D.

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 423 की सूची)

संकर बीज पर प्रति एकड़ खर्चा व इसकी पैदावार की तालिका

	खर्चा प्रति एकड़	पैदावार प्रति एकड़
संकर बाजरा	790) रु०	2.0 क्विंटल
संकर ज्वार	976) रु०	2.5 ,,
संकर मक्का	1,081) रु०	5.0 ,,

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 426 की सूची)

प्रश्न संख्या 99

सरपंच को पिछले तीन वर्षों में पंचायत समिति, सांचोर द्वारा विकास कार्यों के लिये जो रकमें दी गई उसके विवरण की सूची

कार्य का नाम	वर्ष	रकम जो मंजूर की गई
1. ग्राम खारा कुए की मरम्मत एवं थाला होज का निर्माण	1966	3,860
2. वोढा में कुए के निर्माण	1966	2,000

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 432 की सूची)

राजस्थान के (ए) व (बी) श्रेणी के अस्पतालों में एच० पी० स्टर्लाईजर्स की सूची

क्रम संख्या	अस्पताल का नाम	श्रेणी	एच० पी० स्टर्लाईजर्स की संख्या	अतिरिक्त एलीमेन्ट्स की संख्या
1.	जे० एल० एन० अस्पताल, अजमेर	ए	5	—
2.	पी० बी० मेन्स अस्पताल, बीकानेर	ए	6 (2-4 के लिए)	—
3.	पी० बी० मेन्स अस्पताल, बीकानेर	ए		
4.	जी० जी० जे० टी०बी० अस्पताल बीकानेर	बी		
5.	सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	ए	7	—
6.	जनाना अस्पताल, जयपुर	बी	2	6
7.	मानसिक अस्पताल, जयपुर	बी	1	—
8.	वक्ष एवं क्षय रोग अस्पताल, जयपुर	बी	1	5
9.	एम० जी० अस्पताल, जोधपुर	ए	3 (9-10 के लिए)	—
10.	उम्मेद अस्पताल, जोधपुर	ए		
11.	जनरल अस्पताल, उदयपुर	ए	6	3
12.	जनाना अस्पताल, उदयपुर	बी	5	0
13.	एस० आर० बी० बी० वाई० ए० सदन बारी (उदयपुर)	बी	2	..
14.	जनरल अस्पताल, अलवर	बी	4	...
15.	जनरल अस्पताल, भरतपुर	बी	1	..
16.	एम० बी० एस० अस्पताल, कोटा	बी	:	.

परिशिष्ट 5

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

सरदार शहर को जिला हैडक्वार्टर, चूरू से सीधा जोड़ने के लिए सड़क

433. **श्री रावतराम** (छापर सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील हैडक्वार्टर, सरदारशहर को जिला हैडक्वार्टर, चूरू से सीधे जोड़ने के लिये, वाया पूलासर-सारसर-घोघलिया-रामदेवरा-जसरासर सड़क बनाने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस पर कब तक काम चालू हो जायगा ?

(2) क्या यह सही है कि सरदारशहर से पूलासर तक पिछली साल निर्माण कार्य चालू किया गया था ? यदि हां, तो कितनी माइल सड़क निर्माण हुई और कितनी धनराशि खर्च की गई ?

(3) क्या यह सही है कि इस सड़क के बनने से जयपुर-गंगानगर का यह रास्ता सबसे छोटा होगा ? यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण क्यों नहीं चालू किया जाता है ?

उत्तर

(1) यह सड़क योजना में स्वीकृत नहीं है।

(2) सरदारशहर से पूलासर तक 15,000 रु० की मंजूरी दी गई थी जिससे आधा मील सड़क तैयार हुई है और 16,458 रु० खर्च हुआ है।

(3) इस सड़क निर्माण से जयपुर-गंगानगर की दूरी केवल $2\frac{1}{2}$ मील कम होती है।

सिरोही-भीनमाल के बीच रेल्वे लाइन

434. **श्री आईदानसिंह** (भीनमाल) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चौथी पांच साला योजना म सिरोही-भीनमाल के बीच रेल लाईन बिछाने का प्रावधान भारत सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसकी सर्वे भी करा ली गई है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इसकी अभी तक कोई सिफारिश नहीं की है ? अगर हां, तो क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सर्वे कराई गई है या नहीं इसकी राज्य सरकार को जानकारी नहीं है।

(3) जी हां। जिन लाइनों के लिए भारत सरकार को लिखा गया है वो ही नहीं बन रही हैं अतः और लाइनों के लिये भारत सरकार को सिफारिश करना लाभदायक प्रतीत नहीं होता।

कृषि कॉलेज

435. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कुल कितने कृषि कॉलेज किन किन स्थानों पर चलाये जा

(श्री जुझारसिंह)
रहे हैं ? इनमें कितने कितने विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं व अलग अलग कॉलेज में कितना स्टाफ है व कितना खर्चा किया जा रहा है ?

(2) पिछले पांच सालों में कितने विद्यार्थी इन कॉलेजों से शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं व कितनों को रोजगार दिया जा सका है ?

(3) क्या सरकार ने इस विषय की जानकारी प्राप्त की है कि प्रशिक्षित विद्यार्थियों में से कितने वापस गांवों म जा कर अपनी जमीन पर बसे हैं व कितनों ने खेती करना बन्द कर दिया है ?

(4) एग्रीकल्चर ग्रेज्युएट्स को उनके प्रशिक्षण के अनुभव के आधार पर खेती का काम करवाने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई हुई है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल चार कृषि कालेज उदयपुर, जोबनेर (जयपुर), अजमेर व सांगरिया में चलाये जा रहे हैं। अन्य सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन कॉलेजों में पिछले पांच वर्षों में 874 छात्र शिक्षा ग्रहण कर चुके ह (राजस्थान कृषि विद्यालय, उदयपुर से 464 कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) से 259, दयानन्द कालेज, अजमेर से 117 व कृषि महाविद्यालय, सांगरिया (ग्रामोद्यान विद्यापीठ से 34) इनमें से कितने छात्रों को रोजगार दिया जा चुका है, यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन कृषि स्नातकों को रोजगार नहीं मिल सका है उनको 15 एकड़ सिंचित अथवा 30 एकड़ असिंचित भमि खेती के लिये आवंटित करदी जाये।

परिशिष्ट

क्रम सं०	नाम महा विद्यालय	विद्यार्थियों की संख्या जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।	टीचिंग स्टाफ की संख्या	अनुमानित व्यय (रुपयों में)
(1)	राजस्थान कृ महाविद्यालय, उदयपुर	664	72	19,21,764)
(2)	कृषि महाविद्यालय, जोवनेर (जयपुर)	673	71	14,40,664)
(3)	दयानन्द कॉलेज, अजमेर	284	19	4,00,000)
(4)	ग्रामोद्यान विद्यापीठ, कृषि महाविद्यालय, सांगरिया	73	19	4,38,934) 53

पंचायत समिति, परबतसर द्वारा औद्योगिक ऋण

436. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर-सु०) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति परबतसर, जिला नागौर द्वारा 38,000 रु० के औद्योगिक ऋण दिये गये हैं ? यदि हां, तो ये ऋण किस किस उद्योग के लिये दिये गय थे ?

(2) इन ऋणों को देने की तारीखें कौन कौन सी हैं ?

(3) जिन उद्योगों के लिये ऋण दिये गये थे उनमें से कौन कौन से उद्योग चल रहे हैं ?

(4) उपरोक्त ऋणों की वसूली कब तक होनी थी ? और किन किन को दिये गये ऋण की वसूली हो चुकी है ?

(5) क्या यह सही है कि कुछ ऋणों की वसूली पी०डी०आर० एक्ट के तहत चल रही है ? यदि हां, तो किस किस को दिये गये ऋणों की वसूली पी० डी० आर० एक्ट के तहत चल रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसील तारानगर के ग्रामों में ऊंटों की चोरी के मामले

437. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) चुरू जिला स्थित तहसील तारानगर के गांवों में माह अप्रेल, मई व जून सन् 1968 में कितने ऊंटों की चोरियां हुई व कितने बरामद हुए और कितने व्यक्तियों के खिलाफ मुकद्दमे दर्ज हुए व कितनों के खिलाफ चालान अदालतों में पेश किये गए।

(ख) क्या यह सही है कि इन ऊंटों की चोरी कराने में चन्द सरकारी मुलाजिमान की साजिश थी ? इस वजह से पूरे मुकद्दमात की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और चोरी किये गये ऊंटों को रुपये लेकर उनके मालिकों को लौटाया गया।

उत्तर

(1) माह अप्रेल से जून, 1968 तक केवल 5 ऊंटों की चोरी हुई। इस सम्बध में 2 अभियोग थाना तारानगर में दर्ज हुए और इन अभियोगों में 4 व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया। दोनों ही अभियोग में चालान किया जा चुका है।

(2) जी नहीं। ऐसी कोई सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं हुई।

ग्राम पंचायत चौहटन के सरपंच द्वारा पंचायत की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

438. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत चौहटन के सरपंच

(श्री दौलतराम सारण)
श्री भगवानदास तथा उनके साथी व रिश्तेदार ग्राम पंचायत की राजकीय भूमि पर जो हजारों रुपये कीमत की है अनधिकृत कब्जा कर रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इसी भूमि की मिल्कियत के सम्बन्ध में पंचायत तथा ठाकुर वेरीसालसिंह के बीच मुकद्दमा चला था और अंत म राजकीय भूमि होने का निर्णय हुआ था ? क्या श्री भगवानदास ने ही यह मामला उठाया था और सरपंच हमीरसिंह ने इसकी पैरवी की थी और फैसला पंचायत के हक में हुआ था ?

(3) क्या इस भूमि मे से एक पट्टा श्री मुल्तानमल वल्द हरदासमल के नाम का फर्जी पुरानी मिती का बनाया और फिर पंचायत द्वारा मकान बनाने की इजाजत दे दी गई ?

(4) क्या सरपंच श्री भगवानदास ने मुल्तानमल से दो प्लाटों का बेचान अपने काकाई भाई श्री माणकमल वल्द भीमराज तथा श्री नेमीचन्द वल्द भीमराज के नाम से करवाया ?

(5) क्या इस राजकीय भमि में से पंचायत ने 51) रु० में खंगारमल को भी भूमि दी थी जिसनें भगवानदास सरपंच के पिता खीमराज ने उजरदार वन कर मुकद्दमें किये थे और कलेक्टर बाडमेर से फैसला खंगारमल के हक में हुआ था ?

(6) क्या इस सम्बन्ध में लगभग एक साल से कई वार कलेक्टर बाडमेर को शिकायत की गई और अखबारों में भी इस बारे में समाचार निकले हैं परन्तु इस सम्बन्ध में कोई जांच या कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यां नहीं ?

(7) क्या सरकार इस सम्बन्ध में पूरी तरह जांच करा कर कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी नहीं ।

(4) श्री मुल्तानमल द्वारा दो प्लाटों का बेचान श्री माणकमल व नेमीचन्द के हक म किया ।

(5) जी हां ।

(6) उप जिला विकास अधिकारी बाडमेर ने सरसरी जांच की ।

(7) जी हां ।

खण्ड मंडलाधिकारी, किशनगढ़ के आधीन विचाराधीन मुकद्दमें

439. **श्री सुमेरसिंह** (किशनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खण्ड मंडलाधिकारी, किशनगढ़ के दफ्तर में राजस्व मुकद्दमें काफी समय से काफी संख्या में दायर किये हुए बिना फैसला किये हुए ही रखे हुए हैं ?

(2) यदि हां, तो कितने कितने समय से यह मुकद्दमें पेन्डिग रखे हुए हैं और इनको फैसले करने में विलम्ब करने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी के दफ्तर में आर्म्स लाइसेन्स भी इस वर्ष

(श्री सुमेरसिंह)
के काफी संख्या में उनकी रिन्युअल फीस जमा हो जाने के बाद भी बिना रिन्यू किये ही अब तक रखे हुए हैं ?

(4) यदि हां, तो रिन्युअल फीस जमा हो जाने के बाद लाइसेन्स रिन्यू करने में क्यों विलम्ब किया जाता है और कब तक रिन्यू करके लाइसेंसदारान को लाइसेन्स लौटा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) उप-मंडलाधिकारी किशनगढ़ के कार्यालय में कुल 176 मुकद्दमें पेन्डिग हैं। इन मुकद्दमों का शीघ्र फैसला किये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(2) सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है। मुकद्दमों में विलम्ब होने के कारण पार्टीज द्वारा शहादत समय पर पेश न करना, गवाहों का हाजिर न होना आदि हैं।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न नहीं उठता। 250 लाइन्सेस सन् 67-68 में रिन्यू हुये जिनमें से 95 लाइसेन्स लौटाना शेष रहा है, क्योंकि लाइसेन्सदारान स्वय इनको लेने नहीं आये।

पेन्डिग मामलों की सूची

6 माह से कम	6 माह से ज्यादा	1 साल से ज्यादा	2 साल से ज्यादा	3 साल से ज्यादा
26	58	71	14	7
			योग ..	176

नरवरिया श्रमिक ठेका सहकारी समिति, सांगानेर का ऑडिट

440. **श्री लादूराम सुलानिया** (फागी): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की सांगानेर तहसील में नरवरिया श्रमिक ठेका सहकारी समिति नाम की सहकारी समिति है ? यदि, हां, तो उसकी पंजीयन संख्या कितनी है तथा वह कौनसी तारीख को पंजीकृत हुई है ?

इस समिति के समस्त सदस्यों के नाम, पते व सकूनत की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस समिति के रजिस्ट्रेशन होने से अब तक इसे कितने ठेके, वर्क आर्डर सरकार द्वारा दिये गये ?

(3) क्या दिये गये ठेकों एवं वर्क आर्डरों का समस्त कार्य पूरा हो चुका है ?

(4) क्या इस समिति का अब तक आडिट हुआ है ? यदि हां, तो ऑडिट किस किस अधिकारी के द्वारा कब कब किया गया तथा आडिट में मिले आक्षेपों की पूर्ति हुई या नहीं ? सूची मय पूर्ण विवरण के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले की सांगानेर तहसील में नरवरिया श्रमिक ठेका सहकारी समिति नाम की कोई सहकारी समिति नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

मे. एच० एस० आर० फार्मा. को रीपैकिंग का लाइसेन्स

441. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

1-4-65 को मैसर्स एच० एस० आर० फार्मा., संसार चन्द्र रोड, जयपुर पर स्थापित हुई? यदि हां, तो इस फर्म का प्रोप्राइटर कौन था और किसके नाम से रिटेलिंग लाईसेन्स जारी किया गया तथा इसमें फाईनेन्स किसने लगाया?

(2) क्या यह स ी है कि लाईसेन्स जिस समय जारी किया गया प्रोप्राइटर नाबालिग था? यदि हां, तो लाईसेन्स किस एक्ट के तहत जारी किया गया? आर्डर की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 1-6-66 को उक्त प्रोप्राइटर के स्थान पर श्रीमती सुशीला देवी धमपत्नी श्री श्रवण कुमार गोदीका, निजी सहायक, मुख्य सचिव नियुक्त हुई? यदि हां, तो क्या उक्त भद्र महिला ने लाईसेन्स इश्यूइंग आथोरिटी को ड्रग एक्ट, 1940 के तहत सूचित किया? यदि हां, तो सम्बंधित अधिकारियों ने इस पर क्या उचित कार्यवाही की? यदि नहीं तो क्यों?

(4) क्या य० सही है कि ड्रग एक्ट के अनुसार क्वालिफाइड केमिस्ट रखना जरूरी है? यदि हां, तो उक्त फर्म में कौन केमिस्ट था? क्या इस फर्म में केमिस्ट अब भी है? यदि नहीं, तो कब से नहीं?

(5) क्या यह सही है कि उक्त फर्म अब भी काम कर रही है? यदि हां, तो किस नाम से और किस स्थान पर?

(6) क्या यह सही है कि ड्रग एक्ट के अनुसार लाईसेन्स रिन्युअल कराना आवश्यक है? यदि हां, तो क्या स फर्म न लाईसेन्स रिन्य कराया है? यदि हां, तो किस तिथि को? कृपया आर्डर की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट कर।

उत्तर

(1) श्री विजय कुमार के प्रार्थना-पत्र पर चिकित्सा विभाग द्वारा मैसर्स एच० एस० आर० फार्मा., संसार चन्द्र रोड, जयपुर को दि० 23-4-65 को ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्ट, 1940 के अन्तर्गत रिटेलिंग लाईसेन्स दिया गया। शेष प्रश्न इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(2) विभाग को यह जानकारी नहीं है कि फर्म का मालिक नाबालिग था अथवा बालिग क्योंकि ड्रग्स एण्ड कोस्मेटिक्स नियम, 1945 के नियम 69 के अन्तर्गत निर्धारित प्रार्थना-पत्र फार्म 24-बी में प्रार्थी को अपनी उम्र अंकित करने का न तो प्रावधान ही है न प्रार्थना-पत्र में आयु अंकित थी। लाइसेन्स उक्त एक्ट के अन्तर्गत जारी किया गया जिसकी प्रति संलग्न है।

(3) लाइसेन्स की शर्त नं० 6 के अनुसार फर्म का नाम बदलने पर लाइसेंसिंग आथोरिटी को सूचना देना आवश्यक है। श्री विजय कुमार के स्थान पर श्रीमती सुशीला देवी धर्म पत्नी श्री श्रवण कुमार गोदीका के प्रोप्राइटर होने की सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई। ड्रग्स इन्सपेक्टर ने इस संस्था का दिनांक 7-5-66 को निरीक्षण किया था। तब तक भी यह सूचना प्राप्त नहीं हुई। अतः इस सम्बंध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी हां। पहिले श्री राजेन्द्र कुमार अजमेरा और बाद में श्री शिखर चन्द शर्मा क्वालिफाइड केमिस्ट नियुक्त किये गये थे। फर्म ने अब कारोबार बन्द कर दिया है। अतः केमिस्ट रखन का प्रश्न नहीं उठता है।

(5) जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता है।

(6) जी हां। फर्म ने लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिए निर्धारित फीस जमा करा दी थी किन्तु नवीनीकरण के लिए निर्धारित आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में लाईसेन्स का नवीनीकरण नहीं किया गया।

FORM 25-B.

[*See Rule 70*]

Licence to repack for sale or distribution of drugs being drugs other than those specified in Schedule C and C (1).

Number of licence and date of issue: 112 dated 23-4-1965.

1. M/s. H. S. R. Pharma Jaipur of Rain & Chand, Sansar Chandra Road, Jaipur, is hereby granted a licence to repack the following drugs for sale or distribution on the premises situated at Rain & Chand, Sansar Chandra Road, Jaipur under supervision of the following competent staff:—

(a) Names of drugs to be repacked.. As per list approved duly signed.

(b) Names of competent staff Shri R. K. Ajmera B. Sc. Testing work of raw materials and finished products would be a one by M/s. Itlab Pvt. Ltd., Bombay.

2. The licence shall be in force from 23-4-1965 to 31-12-1966.

3. The licence authorises the sale by way of wholesale dealing by the licencee and storage for sale by the licencee of the drugs repacked under the licence subject to conditions applicable to licences for sale.

4. The licence is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the Rules for the time being in force under the Drugs Act, 1940.

Dated 23-4-1965.

Sd/- Dr. P. L. Rishi,
Signature: Drugs Licensing Authority and
Designation: Director of Medical & Health Services, Rajasthan,
JAIPUR.

Conditions of Licence

1. The licence and any certificate of renewal in force shall be kept on the Licensed premises and shall be produced at the request of any Inspector appointed under the Drugs Act, 1940.

2. Any change in the competent staff named in the licence as be forthwith reported to the licensing authority.

3. If the licencee wants to repack for sale or distribution additional items he should apply to the Licensing Authority for the necessary endorsement to this Licence. This licence shall be deemed to extend to only those items so endorsed.

4. The drugs repacked under this licence shall bear on their label apart from other particulars required by these Rules, the name and address of the licensee and the number of the licence under which the drug is repacked, preceded by the words "RPG Lic. No."

5. The sale by way of wholesale dealing of drugs repacked under this licence shall be covered by a warenty either in Form 22 or 23 to the effect that drugs sold do not in any way contravene the provisions of section 18 of the Drugs Act, 1940.

6. The licencee shall inform the Licensing Authority in writing in the event of any change in the constitution of the firm operating under the licence where any change in the constitution of the firm takes place the current licence shall be deemed to be valid for a maximum period of three months from the date on which the change takes place unless, in the mean time, a fresh licence has been taken from the Licensing Authority in the name of the firm with the changed constitution.

———

पंचायत समिति डीडवाना द्वारा बकाया की वसूली

442. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, डीडवाना, ने उसके द्वारा दिये गये अनुदान व ऋण की वसूली के लिए सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों को समय समय पर लिखा है ? यदि हां, तो आज तक किन किन व्यक्तियों से कितने कितन रुपये ऋण व अनुदान के वसूल करने के लिये लिखा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही भी है कि उपरोक्त वसूलियों के लिए लिखे जाने के बाद कुछ व्यक्तियों से वसूली न करने के लिए भी लिखा गया है ? यदि हां, तो किन किन के लिए किन किन कारणों से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) पंचायत समिति द्वारा वसूली के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को लिखने के बाद उसे विथड्रा किस प्रकार किया जाता है ? इस सम्बन्ध में सरकार ने यदि कोई आदेश जारी कर रखे हों तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) आदेश की प्रतियां भी सदन की मेज पर रखी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गंगानगर जिले के प्राइवेट बस मालिकों से टैक्स की वसूली

443. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृप करेंगे :—

(1) जिला श्री गंगानगर में कुल कितनी प्राइवेट बसें चलाई जा रही हैं और उनमें से पक्की सड़कों पर कितनी व कच्ची सड़कों पर कितनी बसें चल रही हैं ?

(2) क्या यह सही है कि एक मालिक या कम्पनी के पास काफी तादाद में बसों के परमिट हैं ? यदि हां, तो जिला श्री गंगानगर में किसके पास कितनी बसें पक्की व कच्ची सड़कों पर चलाने का परमिट है ? कम्पनी व मोटर मालिकों का नाम व बसों की तादाद व बस नम्बर की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) हर कम्पनी या मालिक की बसों से साल में कितना कितना टक्स सरकार में जमा होता है ? क्या यह सही है कि टैक्स पूरा जमा नहीं हुआ है ?

(4) क्या यह सही है कि बस मालिकों द्वारा बरात में जो बसें जाती हैं उनके परमिट नहीं लिये जाते ? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं, तो बारात से जाने के परमिटों की तादाद व तारीख बतलाई जावें। बस नम्बर दिये जाव तथा यह ी बताया जावे कि कौन से मोटर मालिकों से बारात ले जाने का टैक्स कितना कितना जमा हुआ है ?

(5) श्री गंगानगर जिले में लगने वाले मेलों में सन् 1960 से 1966 तक कितने परमिट किस किस को दिये गये व टैक्स किस किस पार्टी से कुल कितना सालाना जमा हुआ ?

Page No. 186

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(6) क्या यह सही है कि इस जिले की सभी बसें ओवर लोड रहती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(7) क्या सरकार टैक्स की चोरी के उपरोक्त मामलों की जांच करवाने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम मिणा की झोंपड़ियों में भूमि का अलॉटमेन्ट

444. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि करीब तीन वर्ष पूर्व ग्राम मिणा की झोंपड़ियों, तहसील उनियारा, जिला टोंक म खसरा नं० 3397/1 में से 10 बीघा आराजी का एलोटमेन्ट बेवा गुलाब देवी के नाम से हुआ है ?

(2) क्या उक्त एलोटमेन्ट कमेटी द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो बैठक में कौन कौन सदस्य उपस्थित थे ?

(3) क्या यह सत्य है कि बेवा श्रीमती गुलाब देवी के पति श्री भवानीशंकर जोकि एस० डी० आई०, देवली हैं जीवित हैं ? यदि हां, तो यह बेवा के नाम से एलोट कैसे किया गया ?

(4) क्या यह सत्य है कि उक्त बेवा श्रीमती गुलाब देवी, स्थानीय सरपंच बनेठा के बड़े भाई की बहू हैं ?

(5) क्या यह सत्य है कि ग्रामवासियों ने इस सम्बन्ध में एलोटमेन्ट के समय कमेटी के समक्ष ऐतराज किए थे पर उनको समायत नहीं किया गया ?

(6) क्या यह सत्य है कि अभी हाल ही में इस मामले में ग्रामवासियों व एलॉटी के बीच झगड़ा हो गया ह ?

(7) क्या यह भी सत्य है कि उक्त जमीन जबसे एलोट हुई तबसे इस आराजी पर काश्त नहीं हुई है ? यदि हां, तो तहसीलदार उनियारा द्वारा उसे निरस्त करने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(8) क्या सरकार इस एलॉटमेन्ट को कैन्सिल करने के आदेश प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

आदर्श नगर की सड़कों की मरम्मत

445. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निमार्ण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आदर्श नगर की सड़कों की मरम्मत कराने व गटर की व पाइप की लाइनें डालने के लिये जो तीन लाख रुपया स्वीकृत हुआ था उसका पूर्णरूपेण उपयोग हो गया ?

(2) क्या फतहटीबा क्षेत्र आदर्श नगर में सम्मिलित नहीं है ? यदि हां, तो क्या वहां भी सड़कों की मरम्मत हो गई अथवा पाइप व गटर लाइन डालदी गई ?

उत्तर

(1) सड़क निर्माण व सड़क मरम्मत हेतु 3 लाख रुपया स्वीकृत किया गया है

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)
उसका उपयोग कर लिया गया है, नल तथा गटर कार्य के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है ।

(2) स्वीकृति आदर्श नगर व अलाइड कोलोनी के नाम थी जिसके अंतर्गत फतह-टीबा नहीं आता ।

चर्म उद्योग सहकारी समितियों को ऋण एवं अनुदान

446. **श्री नन्दलाल बैरवा** (केशोराय-पाटन) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहकारी विभाग द्वारा चर्म उद्योग सहकारी समितियों को कर्ज या अनुदान कितना कितना दिया गया है ?

(2) अब तक जिला बून्दी में कितनी ऐसी चर्म उद्योग सहकारी समितियां हैं जो राज्य सरकार से कर्ज व अनुदान लेकर कार्य कर रही हैं ?

(3) कितनी ऐसी चर्म उद्योग सहकारी समितियां हैं जिनको आज तक कर्ज नहीं दिया गया है तथा क्यों ?

(स्थगित किया गया)

बिना नोटिस दिये नौकरी स हटाये गये कर्मचारी

447. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मेडिकल कालेज, बीकानेर के कितने कर्मचारियों को अधिकारियों ने बिना किसी प्रकार के नोटिस दिये नौकरी से अलग किया है ?

(2) क्या उन्हें पहले कोई चार्ज-शीट दी गई थी ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) किसी को भी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंचायत समिति महुवा द्वारा स्टेशनरी की खरीद

448. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति महुआ में जिस समय श्री नाथाराम विकास अधिकारी थे, पंचायत समिति के लिये स्टेशनरी खरीदने के लिये टेण्डर आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो टेण्डर किस किस के प्राप्त हुए थे और किस किस के मंजूर हुए और किस किस सामान के लिये कौन कौन सी दर मंजूर हुई ?

(2) क्या यह सही है कि जो रजिस्टर 40 रु० 25 रु० व 5 रु० में खरीदे गये थे उनकी बाजार में कीमत क्रमश: 8 रु० 4 रु० व 1 रु० थी ?

(3) इस खरीद में क्या कोई नुकसान आंका गया है ? यदि हां, तो कितना ?

उत्तर

(1) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । लेकिन बाजार भाव की जानकारी नहीं है ।

(3) नुकसान के सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

Page No. 188

पंचायत समिति महुवा में जिस समय श्री नाथाराम विकास अधिकारी थे उस समय स्टेशनरी खरीद के टेन्डर आमंत्रित करने एवं मंजूर करने का विवरण

नाम फर्म जिनसे टेन्डर/कोटेशन लिये गये	नाम फर्म जिसके टन्डर मंजूर किये गये	विवरण सामान मय दर
1	2	3
1 मैसर्स स्टूडेन्ट ब्रदर्स एण्ड कम्पनी, भरतपुर	मैसर्स स्टूडेन्ट ब्रदर्स एण्ड कम्पनी, भरतपुर ।	1. तकावी सेट फार्म (45) सेकड़ा 2. ग्राम सेवक क्षेत्र में दी गई । तकावी पंजिका 100 पेज 9) रु० प्रति।
2 मैसर्स साहित्य लोक प्रशासन, भरतपुर		3. ग्राम सेवक क्षेत्र में दी गई तकावी पंजिका 200 पेज 40) रु० प्रति।
3 मैसर्स मित्र मण्डल प्रेस, भरतपुर		4. एम० एस० फर्म 2) 30 सैकड़ा । 5. एम० एस० रजिस्टर 4) रु० प्रति। 6. सीमेन्ट परमिट बुक 3) रु० प्रति। 7. मेडिसन स्टोर रजिस्टर 28) रु० प्रति। 8. डेली केस रजिस्टर 500 पेज 40) प्रति । 9. डायरी 100 पेज 4) प्रति।

डिप्लोमा एवं डिग्री होल्डर्स को रोजगार

449. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा): क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान म सैकड़ों पोलीटैक्निक डिप्लोमा होल्डर्स एवं डिग्री होल्डर्स बेकार एवं बेरोजगार हैं?

(2) क्या यह भी सत्य है कि कोटा स्थित उद्योग संस्थाओं में उक्त राजस्थान बेकार नवयुवकों को नौकर नहीं रखा जाकर राजस्थान के बाहर प्रान्तों के निवासियों को नौकर रखा जाता है?

(3) कोटा स्थित ओरियन्टल पावर केवल, जे० के० सिन्थेटिक्स, फर्टीलाइजर, श्रीराम विनायल, श्रीराम रेयन्स, राज्य अणु शक्ति परियोजना के टैक्निकल विभागों में राजस्थान के प्राप्त डिप्लोमा एवं डिग्री होल्डर्स सिविल मैकेनिक इलैक्ट्रिकल के कितने प्रतिशत कर्मचारी कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कुछ हद तक सत्य है।

(3) फरवरी 68 में मिली सूचना के अनुसार:

(1) श्रीराम रेयन्स में 96 डिग्री होल्डर तथा 31 डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर थे। इनमें से 21 डिग्री होल्डर तथा 17 डिप्लोमा होल्डर राजस्थान के संस्थानों से पास किये हुये थे।

(2) ओरियन्टल केवल्स में 18 डिग्री होल्डर में से एक तथा 34 डिप्लोमा होल्डरों में 14 राजस्थान से पास शुदा थे।

जे० के० सिन्थेटिक्स, कोटा से प्राप्त सूचना के अनुसार 31-12-67 को 39 डिग्री होल्डर तथा 60 डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर नियुक्ति थे। इनमें से दो डिप्लोमा होल्डर राजस्थान से पास शुदा है।

बाकी संस्थानों से सूचना नहीं आई है।

परिशिष्ट 6

(अ० प्रश्न संख्या 476 की सूची)

सूची तहसील वाईज पैनेल्टी वसूली की जिला बांसवाड़ा, वर्ष 2024

क्रम संख्या	तहसील	पैनेल्टी की रकम जो इस वर्ष वसूल हुई	वि० विवरण
1.	बांसवाड़ा	66,258	
2.	घाटोल	62,324	
3.	गढ़ी	41,250	
4.	कुशलगढ़	68,632	
5.	बागीदौरा	37,212	
कुल योग जिला बांसवाड़ा	..	2,75,676	

सूची तहसील वाईज पैनेल्टी वसूली की जिला डूंगरपुर, वर्ष 2024

क्रम सं०	तहसील	पैनेल्टी की रकम जो इस वर्ष वसूल हुई।	वि० विवरण
1.	डूंगरपुर	36,474) रु०	
2.	सागवाड़ा	16,754) रु०	
3.	आसपुर	14,041) रु०	
कुल योग जिला डूंगरपुर	...	67,269) रु०	

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 493 की सूची)

सूची प्लाटून कमानडर्स की जिन्हें उप-निरीक्षक के पद पर आर्म्ड पुलिस या पुलिस में स्थानान्तरित किया गया

नाम प्लाटून कमान्डर्स	आदेश क्रमांक व दिनांक	विवरण
1. श्री बहादुर सिंह	3132 दिनांक 30-3-63	एस० आई० ए० पी०
2. श्री राम मोहन लाल	4868 दिनांक 21-5-63	,, ,,
3. श्री मोहन सिंह	8212 दिनांक 21-8-63	,, ,,
4. श्री एम० एम० बदोला	1014 दिनांक 15-10-63	,, ,,
5. श्री अब्दुल रहमान	2131 दिनांक 10-3-64	एस० आई० एम० टी०
6. श्री अम्बा लाल	10934 दिनांक 3-12-64	,, ए० पी०
7. श्री इन्दरचन्द	14107 दिनांक 20-11-65	,, ,,
8. श्री मन मोहन सिंह	.. दिनांक 28-3-66	,, ,,
9. श्री नारायण शंकर	2768 दिनांक 30-3-66	,, ,,
10. श्री सुरेन्द्र कुमार	9510 दिनांक 15-10-66	,, ,,

———

Page No. 192

परिशिष्ट 8

(अ: प्रश्न संख्या 495 की सूची)

राज्य भर में दिनांक 12,13 व 14 सितम्बर, 1966 को गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की सूची

क्र० सं० जिला	गिरफ्तारियां			योग
	12-9-66	13-9-66	14-9-66	
1. अजमेर	8	98	68	174
2. जयपुर	–	237	176	413
3. अलवर	21	21	34	76
4. भरतपुर	13	34	18	65
5. झुंझुनू	–	–	–	–
6. सीकर	–	–	–	–
7. सवाई माधोपुर	30	84	120	234
8. टोंक	41	71	114	226
9. बूंदी	24	16	45	85
10. कोटा	154	253	500	907
11. झालावाड़	11	49	50	110
12. जोधपुर	43	46	65	154
13. जालोर	–	–	6	6
14. नागौर	–	–	–	–
15. पाली	5	6	11	22
16. बाड़मेर	3	6	44	53
17. जैसलमेर	–	–	–	–
18. सिरोही	–	–	–	–
19. बीकानेर	–	7	–	7
20. गंगानगर	34	–	–	34
21. चूरू	–	–	–	–
22. उदयपुर	138	120	258	516
21. भीलवाड़ा	25	23	82	130
24. बांसवाड़ा	–	–	–	–
25 डूंगरपुर	–	–	–	–
26 चित्तौड़गढ़	17	16	46	79
योग ..	567	1087	1637	3291

परिशिष्ट

(अ० प्रश्न संख्या 497 की सूची)

नकल प्रथम सूचना

श्रीमान थानेदार साहिब,
थाना लालसोट

निवेदन है कि आज दि० 10-6-67 इसवीं को समय 10 बजे दिन के स्वतन्त्र पार्टी दफतर लालसोट में श्री रामजीलाल पुत्र श्री भैरूलाल टेलर्स नि० डिंडवाना द्वारा यह रिपोर्ट प्राप्त हुई कि ग्राम डिडवाना में श्री रामस्वरूप सरपंच ग्राम पंचायत डिड़वाना के मकान से दो बोरियों में दानेदार शक्कर ऊंट द्वारा ग्राम ढोब में श्री चिरंजीलाल सरपंच ग्राम पंचायत ढोब के यहां जा रही है। यह चीनी पंचायत की है। और इसी बात की चीनी कितनी तोल की है तहरीर शंकर लाल मास्टर डिडवाना ने चिरन्जीलाल ढोब के नाम से लिखा होना मालूम हुआ है। चीनी को सरपंच रामस्वरूप के घर से चीनी लदते हुए कई आदमियों ने देखा है। यह शख्स चीनी का ब्लेक कर रहा है। चीनी ऊंट पर लद कर ढोब को चिरन्जीलाल के घर पर रवाना हो चुकी है। अत: कार्यवाही की जावे मुकाम नाछाटोब ऊंट को रोक रखा है। और तहरीर शंकर लाल मास्टर द्वारा लिखी हुई रिपोर्ट के साथ पेश है।

ह० रामेश्वर प्रसाद भरावा,
ह० मंत्री स्वतन्त्र पार्टी, लालसोट
दिनांक 17-6-67

नकल चिटी मास्टर शंकरलाल

श्रीमान भाई साहब चिरन्जीलाल जी को मास्टर शंकर लाल की जय गोपाल अपरंच तुम्हारा आदमी के साथ सामान 67॥ किलो (एक मन 27॥ सेर) चीनी भेजी है सो सम्भाल लेना, भाईजी बजरंग लाल जी के समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ कि परमात्मा की मरजी जो उसे मन्जूर होता है वही करता है। आप मेरी ओर से उन्हे पूर्ण सान्तवना दे। मेरे योग्य सेवा से सूचित करें। मैं 19-6-67 को जरूर आऊंगा तुम भी वहीं मिलना।

आपका ही,
शंकरलाल
दि० 17-6-67

Govt. of Rajasthan, Food and Civil Supplies Department Notification No. F. 12 (31) Food /Sup/67 the Jaipur, December 7, 1967.

In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act No. 10 of 1955) read with the Notification of the Govt. of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Food) No. CSR 1111 dt. the 24th July, 1967, and with the prior concurrence of the Central Govt. the State Govt. hereby makes the following order, namly—

"Rajasthan Sugar Dealers' Licensing Order, 1967"

(G) 'Dealar' means a person, a firm, an association of persons or a co-operative society engaged in the bussiness of purchase, sale, or storage for sale of free market sugar in quantitics exceeding 5 quintals at any one time, but does not include an authorised wholesale dealer or an authorised retail dealer or an industrial undertaking which is engaged as manufacture or production of sugar and which is registered or licensed under the industries.

(Development and Regulation) Act, 1951.

By Order of the Governor,
H. M. MATHUR,
Deputy Secretary to the Government.

परिशिष्ट
(अ० प्रश्न संख्या 500 की सूची)
राजस्थान खादी तथा

रेशा उद्योग के अन्तर्गत बंद/चालू

क्रमांक	नाम संस्था/समिति	चालू/बन्द
1.	हाडोती खादी ग्रामो० संघ दारां (कोटा)	बंद
2.	भारत उद्योग सहकारी स० लि०, अजमेर	,,
3.	मतस्य राज्य ग्राम सेवा मण्डल, करोली (सवाई माधोपुर)	,,
4.	जनसेवक बहुधंधी सह० स० लि०, मोही (उदयपुर)	,,
5.	ग्राम निर्माण संध हस्तेडा (जयपुर)	,,
6.	मूंगसका बांण मूज उ० स० स० लि०, मूंगसका (अलवर)	,,
7.	वांदीकुई रस्सी मुडा उ० सह० स० लि०, वांदीकुई (जयपुर)	,,
8.	बांण मूंज उ० सह० स० लि०, माटोलाई (जयपुर)	,,
9.	आदिम जाति ग्रामो० संघ०, उदयपुर	,,
10.	विनजारा बांण मूंज० उ० स० स० लि०, तिजारा (अलवर)	चालू है
11.	टपूकरा बांण मूंज० उ० स० उ० लि०, तिजारा टपूकरा (अलवर)	,,
12.	बिलाहेडी मूंज० उ० स० उ० लि०, तिजारा बिलाहेडी (अलवर)	बंद है

10

ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

संस्था व समितियों की सूची

बंद होने के कारण	उत्पादन क्षमता	विशेष
ट्रेनिंग सेन्टर दिया गया था / ट्रेनिंग के बाद बंद कर दिया गया।	प्रश्न नहीं	जिन केन्द्रों को प्रशिक्षण केन्द्र दिया गया है उनका उत्पादन लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।
,, ,, ,, ,,	,,	
,, ,, ,, ,, ,,	,,	
ट्रेनिंग के लिए सहायता दी गई थी लेकिन उपयोग न करने के कारण वसूली की कार्यवाही चालू है	,,	
ट्रेनिंग सेन्टर दिया था जो ट्रेनिंग के बाद हो गया	,,	
अवसायन में लाने की कायवाही चालू है।	,,	
,, ,, ,,	,,	
सदस्यों में आपसी मत भद के कारण कार्य बंद है	,,	
ट्रेनिंग हेतु पैसा दिया था तथा ट्रेनिंग के बाद है	,,	
— — —	उत्पादन रु० 9,000.00	
— — —	,, 6,700.00	
ट्रेनिंग के हेतु सहायता दी गई थी रकम का उपयोग न होने के कारण रकम की वसूली की कार्यवाही चालू है	प्रश्न नहीं	

Page No. 196

क्रमांक	नाम संस्था/समिति	चालू/बन्द
13.	रामपुरा मूंज उ० स०-उ० लि० तिजारा रामपुरा (अलवर)	बंद है
14.	नागौर जिला खादी ग्रामो० संघ०, नागौर	"
15.	थेला की ढाणी बांण मूंज उ० सह० स० लि० थेला की ढाणी (नागौर)	"
16.	बोलनी बांण मूंज उ० सह० स० लि० बोलनी (अलवर)	"
17.	सांभरलेक बांण मूंज उ० सह० स० लि०, सांभरलेक (जयपुर)	"
18.	गिरधारी पुरा मूंज उ० सह० स० लि०, गिरधारीपुरा (जयपुर)	"
19.	वेरला बांण मूंज उ० सह० स० लि०, वेरला (झुंझुनू)	"
20.	जटवाडा रेशा उद्योग सह० स० लि०, जटवाडा (सवाई माधोपुर)	"
21.	किशनपुरा बांण उ० सह० स० लि०, किशनपुरा	"
22.	फरसों बांण उ० सह० स० लि०, फरसों भरतपुर	चालू है
23.	कांवट रस्सी उत्पा० सह० स० लि०, कांवट (सीकर)	बंद है
24.	ग्रामोद्योग विकास समिति, बस्सी (जयपुर)	प्रारम्भिक अवस्था में
25.	ग्रामोद्योग विकास मण्डल, देवगढ़ (उदयपुर)	चालू है
26.	नया समाज मण्डल, सिरोही	बंद है
27.	चित्तौड़ जिला खादी ग्रामो० संघ०, चित्तौड़	चालू है
28.	जन सेवा मण्डल पहुंना, चित्तौड़	चालू है
29.	खादी ग्रामोद्योग मण्डल, अमरसर (जयपुर)	चालू है

Page No. 197

बंद होने के कारण	उत्पादन क्षमता	विशेष
ट्रेनिंग के हेतु सहायता दी गई थी रकम का उपयोग न होने के कारण रकम की वसूली की कार्यवाही चालू है ।	प्रश्न नहीं	
ट्रेनिंग सेन्टर दिया गया था जो ट्रेनिंग के बाद बंद है ।	"	
ट्रेनिंग के लिये सहायता दी गई थी किन्तु कार्य न होने से बन्द है । अतः वसूली की कार्यवाही चालू है ।	"	
" " "	"	
कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया अतः वसूली की कार्यवाही चालू है ।	"	
" " "	"	
राशि वसूली की कार्यवाही चालू है ।	"	
" " "	"	
" " "	"	
" " "	उ० रु० 11,000.00	
रकम वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।	प्रश्न नहीं रु०	
— — —	"	
— —	एक माह उ० रु० 500.00	
वसूली की कार्यवाही चल रही है ।	प्रश्न नहीं	
प्रारम्भिक अवस्था में है ।	"	
प्रारम्भिक अवस्था में है ।	"	
प्रारम्भिक अवस्था में है ।	"	

परिशिष्ट 11

(प्र. प्र. संख्या 506 की सूची)

प्रपत्र "क"

Of Wool Grading Scheme Up To 31-3-67

PURCHASE

Year	Weight Kg.	Cost Paid
1963-64	4,455	26,480
1964-65	2,43,740	13,32,100
1965-66	8,85,305	49,20,025
1966-67	10,06,847	58,41,340
	21,40,347	1,21,19,945
		1,21,19,945

Office Expenditure Including Pay And Allowances.

Wool Grading Centre, Jaipur, Jodhpur and Nawalgarh	8,80,545
Wool Grading Centre, Pali and Nagaur	91,600
	9,72,145
	9,72,145
	1,30,92,090

LESS

(1) Sale of wool			94,55,783	
(2) Cost of wool packs & delivery charges			2,76,768	
(3) Value of closing stock—				
(i) At extension centres		5,18,920		
(ii) At Grading Centres				
(a) Raw wool	3,71,510			
(b) Graded wool	5,79,615	9,51,125		
	9,51,125	14,70,045		
			14,70,045	
			1,12,02,596	1,12,02,596
				18,89,494
Add interest on investment for purchase of wool only				3,87,333
				22,76,827

Note:—(1) Above are the tentative figures.

(2) Interest @6% has been calculated on the investment.

(3) Depreciation, interest on investment for fixed assets and other equipments not taken into account.

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक 14 सितम्बर, 1968)

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2		अशुद्ध 3	शुद्ध 4
5	अन्तिम से	4	म	में
5	अन्तिम से	3	रह	रहे
8		1	श्री हीरालल देवपुरां	श्री हीरालाल देवपुरा
9		14	म	में
11	अन्तिम से	13	हई	हुई
13	अन्तिम से	12	जी ।	जीप
19	अन्तिम से	7	रहना चाहिये	रहेगा
19	अन्तिम से	3	स्टन्ड	स्टेन्ड
19	अन्तिम से	3	क	की
22		8	मत्ती	मन्त्री
23		13	किरया	किराया
24		14	ह	है
26		7	अध्या कों	अध्यापकों
29	अन्तिम से	9	नक्स्ट	नेक्स्ट
32	अन्तिम से	7	कश्तकारों	काश्तकारों
35		10	श्रा हरिसिंह	श्री हरिसिंह
37	अन्तिम से	9	श्रा हीरा लाल देवपुरा	श्री हीरा लाल देवपुरा
38		7	श्री हीरा लाल दवपुरा	श्री हीरा लाल देवपुरा
52		9	शिड्यूल्ड का कास्ट	शिड्यूल्ड कास्ट का।
52	अन्तिम से	8	मुनहसर	मुनहस्सर
56	अन्तिम से	5	गिरी	वनी
58		11	श्री ओमदत्त भाटा	श्री ओमदत्त भाटी।
61	अन्तिम		ग	गई.
68		6	छ कमी।	छ की कमी
72		1	भतपूव	भूतपूर्व
72		13	बंदी	बूंदी
75	अन्तिम से	5	प्लाटन	प्लाटून
78		5	वदी	वन्दी
79	शीर्षक		सितबर	सितम्बर

1	2	3		4
79		10	व	वह
83		2	होन	होने
85	अन्तिम से	6	ह	है
86		2	श्रा गंगासहाय	श्री गंगा सहाय
91		14	करन	करने
95		4	न	ने
97	अन्तिम		देन	देने
103	शीर्षक		स्तावों	प्रस्तावों
104	अन्तिम		कर	करें
112	शीर्षक		व्यवथा	व्यवस्था
116		3	ह	है
116		9	बोल	बोलें
118		4	सोमवा	सोमवार
118	अन्तिम से	11	हमन	हमने
119		8	ह	है
119		10	मझे	मुझे
119		19	करन	करने
121		12	जसी	जैसी
122	अन्तिम से	4	दखकर	देखकर
127		2	अनुसारें	अनुसार
129	अन्तिम से	13	प्रदान	प्रधान
130	अन्तिम से	13	स	इस
131		10	ड्कों	सड़कों
131	अन्तिम से	9	झसे	मुझसे
138	अन्तिम से	6	बध	बन्ध
147		13	बेचत	बेचता
147		14	विशे	विशेष
147	अन्तिम से	12	श्री डंगाराम राजोरिज	श्री डूंगाराम राजोरिया
149	अन्तिम से	12	मटर	मैटर
158		12	व अल्पकालीन व अल्पकालीन	व अल्पकालीन
162	अन्तिम से	6	ए	हुये
172	अन्तिम से	14	करन	करने
179	अन्तिम से		रख	रखें

1	2	3		4
181		2	म	में
181		6	कार	प्रकार
181		8	हम खद	हमें खेद
182		1	वढान	बढ़ाने
182		6	कर्मचारि ों	कर्मचारियों
188		1	खद	खेद
191		6	चुर्चा	चर्चा
199		9	दिमा	दिमाग
232	अन्तिम		इ्न्क	इन्क्वारी
235	अन्तिम से	12	ारा	द्वारा
243	अन्तिम से	3	यनियन्स	यूनियन्स
251		16	करन	करने
252	अन्तिम से	8	क	का
257	अन्तिम से	11	प्रा ीन	प्राचीन
264		10	श्री ढुर्गालाल बाढ़दार	श्री दुर्गालाल बाढ़दार
264		11	श्रमनोहरसिंह मेहुता	श्री मनोहर सिंह मेहता
264	अन्तिम से	5	आ ोग	आयोग
265		5	वड़	बड़े
267	शीर्षक		आयो ा	आयोग
272		6	करी	करदी
274		17	हृद्रय	हृदय
277		18	को की	की
282		13	पान्ट	पाइन्ट
285		6	मानग	मानेंगे
286		2	ई	हुई
293		8	मेनिमम	मिनिमम
294	अन्तिम से	7	फैलाने फलाने	फलाने
301		3	टिप्पण	टिप्पणी
306		14	भने	मैंने
307	अन्तिम से	4	कर	कई
307	अन्तिम से	3	कई	कर
315	अन्तिम से	3	निणय	निर्णय
334	-	3	घाट	घाटा

1	2	3		4
338	अन्तिम से	14	समझेदारी	साझेदारी
342	अन्तिम से	9	विशेषक्षों	विशेषज्ञों
343	अन्तिम से	11	नसज	नसँज
343	अन्तिम से	9	नस	नस
343	अन्तिम से	8	सको	इसको
343	अन्तिम से	6	,	हैं,
346	अन्तिम से	9	ने सको	ने इसको
347		6	2,500	250
348	अन्तिम से	6	की	के
349		9	Side	Site
364	अन्तिम से	11	Warenty	Warranty
378		8	चिठी	चिट्टी
378		17	उन्ह	उन्हें
378		18	में	मैं
378	अन्तिम से	14	Namly	Namely
379		8	मतस्य	मत्स्य
380	अन्तिम से	8	कायवाही	कार्यवाही
380	अन्तिम से	6	भद	भेद
382	अन्तिम		प्रारिम्क	प्रारम्भिक

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक 14 सितम्बर, 1968)

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2		अशुद्ध 3	शुद्ध 4
5	अन्तिम से	4	म	में
5	अन्तिम से	3	रह्	रहे
8		1	श्री हीरालल देवपुरां	श्री हीरालाल देवपुरा
9		14	म	में
11	अन्तिम से	13	हई	हुई
13	अन्तिम से	12	जी ।	जीप
19	अन्तिम से	7	रहना चाहिये	रहेगा
19	अन्तिम से	3	स्टन्ड	स्टेन्ड
19	अन्तिम से	3	क	की
22		8	मत्ती	मन्त्री
23		13	किरया	किराया
24		14	ह	है
26		7	अध्या कों	अध्यापकों
29	अन्तिम से	9	नक्स्ट	नेक्स्ट
32	अन्तिम से	7	कश्तकारों	काश्तकारों
35		10	श्रा हर्रिसह	श्री हरिसिंह
37	अन्तिम से	9	श्रा हीरा लाल देवपुरां	श्री हीरा लाल देवपुरा
38		7	श्री हीरा लाल दवपुरा	श्री हीरा लाल देवपुरा
52		9	शिड्यूल्ड का कास्ट	शिड्यूल्ड कास्ट का।
52	अन्तिम से	8	मुनहसर	मुनहस्सर
56	अन्तिम से	5	गिरी	वनी
58		11	श्री ओमदत्त भाटा	श्री ओमदत्त भाटी।
61	अन्तिम		ग	गई
68		6	छ कमी	छ की कमी
72		1	भतपूव	भूतपूर्व
72		13	वंदी	बूंदी
75	अन्तिम से	5	प्लाटन	प्लाटून
78		5	वदी	बन्दी
79	शीर्षक		सितबर	सितम्बर

1	2	3		4
79		10	व	वह
83		2	होन	होने
85	अन्तिम से	6	ह	है
86		2	श्रा गंगासहाय	श्री गंगा सहाय
91		14	करन	करने
95		4	न	ने
97	अन्तिम		देन	देने
103	शीर्षक		स्तावों	प्रस्तावों
104	अन्तिम		कर	करें
112	शीर्षक		व्यवथा	व्यवस्था
116		3	ह	है
116		9	बोल	बोलें
118		4	सोमवा	सोमवार
118	अन्तिम से	11	हमन	हमने
119		8	ह	है
119		10	मझे	मुझे
119		19	करन	करने
121		12	जसी	जैसी
122	अन्तिम से	4	दखकर	देखकर
127		2	अनुसारें	अनुसार
129	अन्तिम से	13	प्रदान	प्रधान
130	अन्तिम से	13	स	इस
131		10	ड़कों	सड़कों
131	अन्तिम से	9	झसे	मुझसे
138	अन्तिम से	6	बघ	बन्ध
147		13	वेचत	बेचता
147		14	विशे	विशेष
147	अन्तिम से	12	श्री डंगाराम राजोरिज	श्री डूंगाराम राजोरिया
149	अन्तिम से	12	मटर	मैटर
158		12	व अल्पकालीन व अल्पकालीन	व अल्पकालीन
162	अन्तिम से	6	ए	हुये
172	अन्तिम से	14	करन	करने
179	अन्तिम से		रख	रखें

1	2	3		4
181		2	म	में
181		6	कार	प्रकार
181		8	हम खद	हमें खेद
182		1	वढान	बढ़ाने
182		6	कर्मचारि ों	कर्मचारियों
188		1	खद	खेद
191		6	चुर्चा	चर्चा
199		9	दिमा	दिमाग
232	अन्तिम		इन्क	इन्क्वारी
235	अन्तिम से	12	ारा	द्वारा
243	अन्तिम से	3	यनियन्स	यूनियन्स
251		16	करन	करने
252	अन्तिम से	8	क	का
257	अन्तिम से	11	प्रा ीन	प्राचीन
264		10	श्री ढुर्गालाल बाढ़दार	श्री दुर्गालाल बाढ़दार
264		11	श्र मनोहरसिंह मेहता	श्री मनोहर सिंह मेहता
264	अन्तिम से	5	आ ोग	आयोग
265		5	वड़	बड़े
267	शीर्षक		आयो ा	आयोग
272		6	करी	करदी
274		17	हृद्वय	हृदय
277		18	को की	की
282		13	पान्ट	पाइन्ट
285		6	मानग	मानेंगे
286		2	ई	हुई
293		8	मेनिमम	मिनिमम
294	अन्तिम से	7	फैलाने फैलाने	फलाने
301		3	टिप्पण	टिप्पणी
306		14	भने	मैंने
307	अन्तिम से	4	कर	कई
307	अन्तिम से	3	कई	कर
315	अन्तिम से	3	निणय	निर्णय
334		3	घाट	घाटा

1	2	3		4
338	अन्तिम से	14	समझेदारी	साझेदारी
342	अन्तिम से	9	विशेषक्षों	विशेषज्ञों
343	अन्तिम से	11	नसज	नर्सेज
343	अन्तिम से	9	नस	नस
343	अन्तिम से	8	सको	इसको
343	अन्तिम से	6	,	हैं,
346	अन्तिम से	9	न सको	ने इसको
347		6	2,500	250
348	अन्तिम से	6	की	के
349		9	Side	Site
364	अन्तिम से	11	Warenty	Warranty
378		8	चिठी	चिट्टी
378		17	उन्ह	उन्हें
378		18	में	मैं
378	अन्तिम से	14	Namly	Namely
379		8	मतस्यँ	मत्स्य
380	अन्तिम से	8	कायवाही	कार्यवाही
380	अन्तिम से	6	भद	भेद
382	अन्तिम		प्रारिम्क	प्रारम्भिक

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक 14 सितम्बर, 1968)

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2		अशुद्ध 3	शुद्ध 4
5	अन्तिम से	4	म	में
5	अन्तिम से	3	रह	रहे
8		1	श्री हीरालल देवपुरा	श्री हीरालाल देवपुरा
9		14	म	में
11	अन्तिम से	13	हई	हुई
13	अन्तिम से	12	जी ।	जीप
19	अन्तिम से	7	रहना चाहिये	रहेगा
19	अन्तिम से	3	स्टन्ड	स्टेन्ड
19	अन्तिम से	3	क	की
22		8	मत्ती	मन्त्री
23		13	किरया	किराया
24		14	ह	है
26		7	अध्या कों	अध्यापकों
29	अन्तिम से	9	नक्स्ट	नेक्स्ट
32	अन्तिम से	7	कश्तकारों	काश्तकारों
35		10	श्रा हरिसिंह	श्री हरिसिंह
37	अन्तिम से	9	श्रा हीरा लाल देवपुरा	श्री हीरा लाल देवपुरा
38		7	श्री हीरा लाल दवपुरा	श्री हीरा लाल देवपुरा
52		9	शिड्यूल्ड का कास्ट	शिड्यूल्ड कास्ट का
52	अन्तिम से	8	मुनहसर	मुनहस्सर
56	अन्तिम से	5	गिरी	बनी
58		11	श्री ओमदत्त भाटा	श्री ओमदत्त भाटी
61	अन्तिम		ग	गई
68		6	छ कमी	छ की कमी
72		1	भतपूव	भूतपूर्व
72		13	बंदी	बूंदी
75	अन्तिम से	5	प्लाटन	प्लाटून
78		5	वदी	बन्दी
79	शीर्षक		सितबर	सितम्बर

1	2	3		4
79		10	व	वह
83		2	होन	होने
85	अन्तिम से	6	ह	है
86		2	श्रा गंगासहाय	श्री गंगा सहाय
91		14	करन	करने
95		4	न	ने
97	अन्तिम		देन	देने
103	शीर्षक		स्तावों	प्रस्तावों
104	अन्तिम		कर	करें
112	शीर्षक		व्यवथा	व्यवस्था
116		3	ह	है
116		9	वोल	वोलें
118		4	सोमवा	सोमवार
118	अन्तिम से	11	हमन	हमने
119		8	ह	है
119		10	मझे	मुझे
119		19	करन	करने
121		12	जसी	जैसी
122	अन्तिम से	4	दखकर	देखकर
127		2	अनुसारें	अनुसार
129	अन्तिम से	13	प्रदान	प्रधान
130	अन्तिम से	13	स	इस
131		10	ड्कों	सड़कों
131	अन्तिम से	9	झसे	मुझसे
138	अन्तिम से	6	वध	बन्ध
147		13	वेचत	बेचता
147		14	विशे	विशेष
147	अन्तिम से	12	श्री डंगाराम राजोरिज	श्री डूंगाराम राजोरिया
149	अन्तिम से	12	मटर	मैटर
158		12	व अल्पकालीन व अल्पकालीन	व अल्पकालीन
162	अन्तिम से	6	ए	हुये
172	अन्तिम से	14	करन	करने
179	अन्तिम से		रख	रखें

1	2	3		4
181		2	म	में
181		6	कार	प्रकार
181		8	हम खद	हमें खेद
182		1	वडान	बढाने
182		6	कर्मचारि ों	कर्मचारियों
188		1	खद	खेद
191		6	चुर्चा	चर्चा
199		9	दिमा	दिमाग
232	अन्तिम		इन्क	इन्क्वारी
235	अन्तिम से	12	ारा	द्वारा
243	अन्तिम से	3	यनियन्स	यूनियन्स
251		16	करन	करने
252	अन्तिम से	8	क	का
257	अन्तिम से	11	प्रा ीन	प्राचीन
264		10	श्री दुर्गालाल वाढदार	श्री दुर्गालाल वाढदार
264		11	श्र मनोहरसिंह मेहता	श्री मनोहर सिंह मेहता
264	अन्तिम से	5	आ ोग	आयोग
265		5	बड़	बड़े
267	शीर्षक		आयो ा	आयोग
272		6	करी	करदी
274		17	हृद्वय	हृदय
277		18	को की	की
282		13	पान्ट	पाइन्ट
285		6	मानग	मानेगें
286		2	ई	हुई
293		8	मेनिमम	मिनिमम
294	अन्तिम से	7	फैलाने फलाने	फलाने
301		3	टिप्पण	टिप्पणी
306		14	भने	मैंने
307	अन्तिम से	4	कर	कई
307	अन्तिम से	3	कई	कर
315	अन्तिम से	3	निणय	निर्णय
334		3	घाट	घाटा

4

1	2	3	4
338	अन्तिम से	14 समझेदारी	साझेदारी
342	अन्तिम से	9 विशेषक्षों	विशेषज्ञों
343	अन्तिम से	11 नसज	नर्सेज
343	अन्तिम से	9 नस	नस
343	अन्तिम से	8 सको	इसको
343	अन्तिम से	6 ,	हैं,
346	अन्तिम से	9 न सको	ने इसको
347		6 2,500	250
348	अन्तिम से	6 की	के
349		9 Side	Site
364	अन्तिम से	11 Warenty	Warranty
378		8 चिठी	चिट्टी
378		17 उन्ह	उन्हें
378		18 में	मैं
378	अन्तिम से	14 Namly	Namely
379		8 मतस्य	मत्स्य
380	अन्तिम से	8 कायवाही	कार्यवाही
380	अन्तिम से	6 भद	भेद
382	अन्तिम	प्रारिम्क	प्रारम्भिक